राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 9

मंगलवार,

20 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊन एवं सिरेमिक उद्योग के विकास हेतु बीकानेर में स्पेशल इकोनोमिक जोन

187. डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार राज्य के औद्योगिक विकास हेतु केन्द्र सरकार की मदद से विशिष्ट उद्योगों के विकास हेतु स्पेशल इकोनोमी जोन बनाने जा रही है ? यदि हां, तो राज्य में कहां-कहां ऐसे जोन स्थापित किये जा रहे हैं तथा कहां-कहां और इस प्रकार के जोन घोषित करने का विचार है ?

(2) क्या सरकार बीकानेर के ऊन उत्पादन एवं सिरेमिक उद्योगों को मद्देनजर रखते हुए बीकानेर में इन उद्योगों के लिये स्पेशल इकोनोमी जोन बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नरपत सिंह राजवी) : (1) हां। यह सही है कि सरकार राज्य के औद्योगिक विकास हेतु भारत सरकार की मदद से "स्पेशल इकोनोमिक जोन" एकल उत्पाद विशेष उद्योगों हेतु बना रही है। राज्य में दो जोन औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा में तथा एक औद्योगिक क्षेत्र बोरानाड़ा (जोधपुर) में स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में अन्य किसी क्षेत्र में इस प्रकार के जोन स्थापित करने की योजना नहीं है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

(2) नहीं। '' स्पेशल इकोनोमिक जोन'' में स्थापित उद्योगों को 100 प्रतिशत उत्पाद विदेशों को निर्यात करना होता है जबकि बीकानेर के सिरेमिक व ऊन उद्योगों में 100 प्रतिशत निर्यात की सम्भावना प्रतीत नहीं होती। अत: ''स्पेशल इकोनोमिक जोन'' बनाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बीकानेर ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मण्डी है और यहां से प्रति वर्ष पानीपत, भदोई, कश्मीर ऊन जाती है और वहां से करीब-करीब चार से पांच हजार करोड़ रुपये के गलीचे निर्यात होते हैं।

क्या यह भी सही है कि सिरेमिक का सामान भी काफी निर्यात होता है लेकिन ''स्पेशल इकोनोमिक जोन'' नहीं बनने के कारण सारा का सारा माल कच्चे माल के रूप में अथवा अन्य मण्डियों की मार्फत निर्यात होता है। तो क्या आप स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाकर राजस्थान के सैल्स टैक्स, राजस्थान के व्यापार में अभिवृद्धि करने का विचार रखते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, स्पेशल इकोनोमिक जोन के दो प्रमुख क्राइटेरिया है। एक तो प्रोडक्ट्स स्पेशल जिसमें छोटा स्पेशल इकोनोमिक जोन गठित किया जा सकता है। जनरल अगर हो तो हजार हैक्टेयर में उस क्षेत्र में होना चाहिये। भारत सरकार की यह नीति रही कि उसको डीम्ड फॉरेन टैरेटरी के एक कैटेगराइजेशन में रखते हैं जिसमें बहुत-सी सुविधाएं हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि बीकानेर का लगभग आने वाले वर्षों में उन के मामले में एशिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अन्तरराष्ट्रीय बड़ा प्लेयर वहां पर आ जाए स्पेशल इकोनोमिक जोन बनने से तो यह एक्सपोर्ट की पोटेंशल इतनी बढ़ेगी कि जिसकी कोई सीमा, आज हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। रीको ने आपके समय में भी एक बार सर्वे किया था। जो आंकड़े आप फर्मा रहे हैं, मैंने भी एसोसियेशन से बात की है, कि अधिकांश, 60 से 70 परसेंट धागा भदोई जाता है और वहां से वह चीज निर्यात हो रही है। जयपुर में भी अधिकांश निर्यात हैं वे कारपेट बीकानेर से आ रहे हैं और प्रोसेस होने के बाद एक्सपोर्ट हो रहे है। जो सर्वे करवाया गया उसके अन्दर भारत की कामर्स मिनिस्टरी ने यह नहीं माना कि बीकानेर प्रोपर

(श्री नरपत सिंह राजवी)
से यह एक्सपोर्ट हो रहा है। दुबारा ये आंकडे एसोसियेशन के माध्यम से और डिपार्टमेंट की जितनी भी फिजीबलिटी स्टडी है, मैं पुनः करवा कर निश्चित तौर पर बीकानेर में अगर इकोनोमिक जोन, सिरेमिक के बारे में स्पेशल इकोनोमिक जोन गठित करने से न केवल राज्य का हित होगा, यह पूरे देश के हित में होगा। फॉरेन एक्सचेज अर्निंग की वास्तव में बहुत प्रबल सम्भावना है। लेकिन वर्तमान में जितनी स्टडी की हुई है उसमें यह नहीं लगता। पुनः अध्ययन करवाने के मैं निर्देश दे चुका हूं। अध्ययन के पश्चात अगर एक्सपोर्ट का पोर्टेशल दिखता है तो इसका अलग से कलस्टर डवलप कराने की मैं व्यवस्था कराऊंगा और स्पेशल इकोनोमिक जोन यहां पर स्थापित हो, ऐसी कोशिश करूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि राजस्थान में गलीचा और दरी उद्योग जो न केवल बीकानेर बल्कि जोधपुर और उसके आस-पास पश्चिमी राजस्थान में काफी जगह विकसित है, इसको विकसित करने पर और स्पेशल इकोनोमिक जोन दो-तीन स्थानों पर बनाने पर कम से कम एक लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, राज्य की सैल्स टैक्स की आय में अन्य आयों में काफी अभिवृद्धि हो सकती है और निर्यात निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बढेंगे तो प्रदेश हर तरीके से प्रोग्रेस की स्थिति में आएगा?

तो क्या आप खास तौर से बीकानेर सहित एरिड जोन के पश्चिमी राजस्थान के जिलों में जहां-जहां इस प्रकार के एक्सपोर्ट की सम्भावनाएं हैं, वहां स्पेशल इकोनोमिक जोन बनाने का विचार रखते हैं और यदि रखते हैं तो उनको कब तक आप क्रियान्वित कर देंगे ?

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के नेता की चिन्ता में मैं भी शरीक हूं लेकिन केन्द्र की कामर्स मिनिस्टरी और फाइनेंस मिनिस्टरी इन दोनों में कुछ बातों में मतभेद है। प्रोडक्ट स्पेशल को तो हम छोटा कर सकते हैं। दरी एक्सपोर्ट हो रही है, यह सब जानते है, पहले भी होती थी लेकिन उसके बाद में भी उसका स्पेशल इकोनोमिक जोन इसलिये गठित नहीं कर पाये क्योंकि दरी का निर्माण गांव-गांव मे जाकर अलग-अलग छोटे-छोटे क्षेत्र में है। मैंने इस सम्बन्ध में बाड़मेर और जैसलमेर की स्पेशल स्टडी कंडक्ट करवाना आरम्भ किया है। उसमें जितने भी ऊन और धागे से निर्मित,

(श्री नरपत सिंह राजवी)
छोटे-छोटे गांव हैं, उदाहरण दूंगा, जैसे करमों का बाडा है, सांचोर-सिवाना पंचायत समिति में, वहां पर एक सौ चालीस परिवार हथकरघा का काम करते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या तमाशा है...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : अब वह पोटेंशल डवलप होता है तो निश्चित तौर पर स्टेट को लाभ मिलेगा। एक्सपोर्ट पोटेंशल है लेकिन सीधी दरी वह एक्सपोर्ट कर पाएंगे या किसी राजसीकों के माध्यम से करवाना होगा, वह अध्ययन कराने की बात है। लेकिन जहां तक गलीचे का प्रश्न कहा गया उसमें कोई दो राय नहीं है, बीकानेर में प्रबल सम्भावनाएं हैं। वर्तमान में सिर्फ एक पार्टी एक्सपोर्ट कर रही है। अभी तक जितना भी विकसित हो पाया है लेकिन बाहर से क्वेरीज है, ऊन क्वेरीज के आधार पर अतिरिक्त जमीन कितनी चाहिये, उसका में अध्ययन करवा रहा हूं। भदोई, पानीपत से भी पार्टीज बीकानेर में अपना उद्योग स्थापित करें और यहां से बाहर निर्यात हो तो राज्य को भी आने वाले समय में लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ में छूट दी है, उससे राजस्थान की चिन्ता न केवल सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष को भी उसी प्रकार की होनी चाहिये क्योंकि छोटे-मोटे उद्योग बहुत-से वहां पर जाने के लिये तैयार होंगे क्योंकि हंडरेड परसेंट इनकम टैक्स में उनको छूट मिली है। स्पेशल इकोनोमिक जोन में हंडरेड परसेंट इनकम टैक्स छूट है। स्पेशल इकोनोमिक जोन में एक्साइज की भी छूट है। स्पेशल इकोनोमिक जोन में जितना भी माल आयात किया जाएगा या कैपीटल गुड्स जितने भी आयात किये जाएंगे, उसकी भी छूट है। इसलिये इनको मीट आउट करने के लिये वह आवश्यक है कि स्पेशल इकोनोमिक जोन यहां पर हो।

लेकिन अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा, डीम्ड स्पेशल इकोनोमिक जोन 150 करोड तक की यूनिट्स का केन्द्र सरकार अभी करने जा रहील है, उससे तो हमारे इन छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा नहीं। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये स्पेशल इकोनोमिक जोन जिसमें हंडरेड परसेंट एक्सपोर्ट होने का पोटेशल हो, उसको हम एक्वप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दो प्रोडक्ट्स के बारे में प्रश्न में पूछा है, निश्चित तौर पर मैं उसको और आगे अध्ययन करवा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रहा हूं और आपका खुद का भी सहयोग लेना चाहूंगा। आप स्वयं बीकानेर के रहने वाले हैं, आप पधारें, मैं भी आपके साथ जाकर उनसे बात करवा दूं, अधिकारियों से बात करवा दूं कम से कम प्रोजेक्टेड डिमांड कि इतना हम एक्सापोर्ट कर सकेंगे, उतना हम जब तक नहीं देगें, केन्द्र सरकार तो हमें सहायता कम देती है। रीको अपना कैपीटल उलझा ले और अगर एक्सपोर्ट नहीं डवलप हुआ तो उसको बाद में हम दूसरे डीम्ड फॉरेन टैरेटरी के आधार पर दूसरी चीज में काम नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार से यह प्राब्लम आ रही है, तो आपका भी मैं इसमें सहयोग लेना चाहूंगा। एसोसियेशन से बात करके जितना भी राज्य हित में कर सकें, निश्चित तौर पर मैं इसमें सहयोग करूंगा। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : आपका सहयोग ले रहे हैं और क्या पूछना चाहते हो आप ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष : काफी विस्तार से तो बता दिया उन्होंने। सारी बात तो बता दी...

श्री रामसिंह विश्नोई : सारी बात बता दी, कोई जरूरी है मेरी बात बता दी ? मेरे दिमाग में और बात है।

अध्यक्ष महोदय, बासनी, जोधपुर और बोरानाडा जोधपुर के अन्दर बहुत बडे-बडे उद्योग लगे हुए हैं, वहां पर बिजली और पानी की इतनी अव्यवस्था है कि वहां लोगों को टाइम पर बिजली नहीं मिलती पूरे दिन। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिये मजदूर तो चले जाते है, बिजली बन्द हो जाती है। पानी की अव्यवस्था है, छोटे-मोटे जो भी हैंडीक्राफ्ट के उद्योग हैं, पूरे विश्व के अन्दर सप्लाई होता है, ऊन सबके लिये आपने क्या व्यवस्था की है ताकि उसकी चैंकिंग की व्यवस्था ठीक हो ? बिजली की व्यवस्था के लिये, पानी की व्यवस्था के लिये...

श्री अध्यक्ष : यह तो आपका बिलकुल अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य। अलग से प्रश्न है। वह सक्षम हैं, जवाब तो दे देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह एक ही तो जोन है पूरे राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : भिवाड़ी में जहा आलरेडी काफी उद्योग विकसित हुए पड़े है, एम.आई.ए. भिवाड़ी को केन्द्र सरकार जब यह कहती है कि एन.सी.आर.एरिये में क्या उन औद्योगिक जोन को भी आप पुनर्जीवित करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें भिवाड़ी कहां से आ गया ?

श्री जुबेर खान : इतना पैसा आपने लगा रखा है, रीको का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलवर जिले के उद्योगों के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री अध्यक्ष : यह भिवाड़ी कहां से आ गया ? अलग से प्रश्न है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव आपके माध्यम से उ़द्योग मंत्री को देना चाह रहा हूं, छोटा-सा , राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बहुत विपुल सम्भावनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका अलग से प्रश्न है। मूल प्रश्नकर्त्ता को प्रश्न पूछने दें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मेरा एक सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्र में दरी उद्योग बढिया पनप सकता है, महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। अगर राज्य सरकार विपणन की व्यवस्था कर दे तो मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए जिनके पास काम नहीं है, वह घर में बैठकर दरी बना सकती है और उनको सरकार बेच सकती है। एक बहुत बड़ा उद्योग और बहुत बड़ा रोजगार राजस्थान में महिलाओं को उपलब्ध हो सकता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, मूल प्रश्नकर्ता पूछना चाह रहे हैं। वह पूछ रहे हैं फिर आप जवाब दी जियेगा ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है बोरानाड़ा के बारे में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके मंत्रीजी ज़वाब दे रहे हैं ना।

श्री नरपत सिंह राजवी : बोरानाड़ा के सम्बन्ध में पूछा है, बोरानाड़ा में बिजली की समस्या तो आप मानेंगे कि पहले से ज्यादा बिजली उपलब्ध है। लेकिन फिर भी अगर वहां बिजली पूरी उपलब्ध नहीं हो रही है तो मैं 15 दिन के अन्दर-अन्दर उसकी व्यवस्था करवाने के प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक, बढिया।

श्री नरपत सिंह राजवी : पीने के पानी के सम्बन्ध में आपने निवेदन किया है, इसकी पूरी जानकारी मैं कर लेता हूं क्योंकि रीको के हैंडीक्राफ्ट करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट हो रहे हैं और यह देश हित के लिए और राज्य के लिए बहुत बड़ी बात है। मारवाड़ के छोटे से छोटे गांव का जो लकड़ी के फर्नीचर में डील करता है, वह वहां रोजगार में लगा हैं। कारीगर लगे हुए हैं, आर्टिजन लगे हैं। उस आधार पर वहां पर स्पेशल इकोनोमिक जोन हैंडीक्राफ्ट का हुआ है। ग्वार गम और हैंडीक्राफ्ट दोनों के लिए स्पेशल इकोनोमिक जोन वहां गठित हुआ है, उससे रोजगार का लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक दरी का मामला है, काफी सम्भावनाएं है, एक्सपोर्ट हो भी रहा हैं लेकिन स्पेशल इकोनोमिक जोन के आधार पर वहां पर इंडस्ट्री पनप सकती है तो उसके बारे में अध्ययन करवाने की आवश्यकता होगी क्योंकि हर गांव के अन्दर स्पेशल इकोनोमिक जोन खोलना सम्भव नहीं होगा, धन्यवाद!

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल इकोनोमिक जोन के लिए कितने रूपये का निर्याति आवश्यक है ? कितनी मात्रा में राजस्थान में कहां-कहां से या खास तौर से जो मूल प्रश्न मैंने पूछा है, वहां से कितना निर्यात हो रहा है ?

श्री नरपत सिंह राजवी : स्पेशल इकोनोमिक जोन, जब आप मंत्री थे उस समय पहली विज्ञप्ति जारी हुई थी केन्द्र सरकार के द्वारा स्पेशल

(श्री नरपत सिंह राजवी)

इकोनोमिक जोन एक सीतापुरा फेज I, जयपुर में सौ प्रतिशत प्लाट बिक चुके हैं। उसमें कइयों में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का सिर्फ एक यूनिट ने वापस प्लाट दिया है, वह कहीं और बिजनस करना चाहते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है कि इतना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसका प्रोडक्ट जितना भी है, अगर सौ रुपये का माल है, वह बन रहा है तो सौ का सौ उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें से अगर दस प्रतिशत रिजेक्टेड माल यहां पर बेचेंगे तो उसकी कस्टम ड्यूटी, अगर इम्पोर्ट किया है माल तो उस पर लगेगी। इस प्रकार की व्यवस्था है। वह डीम्ड फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। जिस प्रकार से एम्बेसीज का है, वहां पर एक केन्द्र सरकार का कमिश्नर होता है, वह उसके अंतर्गत रहेंगे। फॉरेन ट्रेड होने के कारण से बहुत लाभ है ही, छाटे उद्योग हैं वे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उतने ही लाभकारी रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री अतर सिंह भड़ाना।

बयाना के क्षतिग्रस्त बांध/एनीकट्स

188. **श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में कौन-कौन से बांध/एनीकट्स जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं ? इनके इस स्थिति में पहुंचने के क्या कारण रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन बांधों/एनीकट्स का पुनर्निमाण/मरम्मत कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में बांधों का विवरण एवं इस स्थिति में पहुंचने के कारणों का विवरण प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है। विभाग द्वारा विगत वर्षों में कोई एनीकट नहीं बनाया गया है।

(2) जी हां। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिऐ परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अतर सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार बिजली की कमी के कारण पानी को रोकने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है और जो वहां वर्तमान में एनीकट और बांध बने हुए हैं, जिनकी सारी लिस्ट हमें लिखकर दी है, वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उन पर पूरी लागत लगी हुई है, मात्र थोड़ी लागत से वे ठीक हो जाएं तो वहां स्थानीय पानी रुक सकता है।

अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी को पता है कि बरसात हुई नहीं है फिर भी उससे पहले मेन बांध पूरउवा बांध, वह रोड़ सहित सिर्फ रखरखाव के कमी के कारण इस बार फिर टूट गया है। बयाना डांग क्षेत्र जहां बहुत पहाड़ हैं और पहाड़ों से पानी बहकर आता है, जो वहां जमीन का कटाव करता है और सारा नुकसान करता है तो जो एनीकट बने हुए हैं, बहुत थोड़ा-सा उन पर ध्यान दिया जाएं। सिंचाई विभाग तो कहता है कि यह पंचायत समितियों को दे दिया और पंचायत समितियों के पास साधन नहीं है। उनकी देखरेख नहीं है, इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह एक प्राथमिक बात है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए अब आगे बरसात आ रही है, सब पानी बहकर न जाए। जल स्तर पहले ही बहुत नीचे जा रहा है, डांग में पीने के लिए भी पानी नहीं है, इसलिए इसको बहुत प्रमुखता से लिया जाऐ, ऐसा मेरा अनुरोध है, धन्यवाद!

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी बांध या एनीकट हैं, सिंचाई विभाग ने पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया है 2003 में। जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, 1995-96 में बाढ़ आयी थी उस समय हुए हैं। ये हमारे विभाग में आज नहीं आते हैं। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि टूटे-फूटे एनीकट, बांध जो भी हैं उनको रोका जाऐ और अगर फंड पंचायत विभाग के पास नहीं है तो हम हमारी तरफ से कोशिश करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी गत पांच वर्षों में टूटे-फूटे बांध नहीं रोके गये हैं, 1995-96 की जो टूट है, आज तक उनकी हालत यही है तो हमने विभागीय अधिकारियों को भी कहा कि इसके लिए किसी न किसी प्रकार से फंड की व्यवस्था की जाऐ जिससे बहता हुआ पानी रूके और रिचार्जिंग सिस्टम भी ठीक हो जिससे किसान को भी उसका फायदा मिले। तो मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह बजट पास होने के बाद में इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे।

श्री अतर सिंह भड़ाना : उध्यक्ष महोदय, आठ तारीख को जो बांध टूटा है उसका रास्ता अभी तक नहीं किया गया है। 6 बांध वहां काफी बड़े हैं, जो सिंचाई विभाग के हैं। वहां के सिंचाई अधिकारियों से हमने बात की, मौके पर जाकर दिखा दिया है। उसमें यह बात कह देते हैं कि संसाधन तो हैं नहीं हमारे पास। वे बांध आज बने हुए हैं, 95 प्रतिशत लागत वहां लगी हुई है, मात्र 5 प्रतिशत अगर वहां लगा दी जाऐ तो वहां की जनता को लाभ होगा, इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। पहले कभी विभाग की तरफ से कोई काम नहीं रखा गया है।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में एक एनीकट स्वीकृत हुआ था पूर्व सरकार द्वारा ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है... (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल वर्मा : लेकिन उसको रूकवा दिया गया है और अभी तक उस पर काम नहीं चालू हुआ है... (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : यह भरतपुर जिले का मामला है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जनरली आपको कह दिया है कि पूरे राजस्थान में ही इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे। जो भी टूटे-फूटे बांध हैं, सब अलग-अलग आप खड़े हो रहे हैं तो बात तो वही की वही है। कोई यह नहीं है कि बयाना वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया है तो उनके क्षेत्र के ही हम ठीक करवाएंगे। राज्य सरकार की नीति है कि जितने भी तालाब, बांध, एनीकट जो टूटे-फूटे हैं, उन को रोका जाए। क्योंकि बनाने में बहुत पैसा लगता है, रोकने में तो कुछ पैसा ही लगेगा, और उसका अगर फायदा मिलता है तो सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। कई माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं, यह मुझे बता दे, बाद में मैं उनकी व्यवस्था करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री रामलाल शर्मा।

कृषि उपज मंडी चौमूं का स्थानान्तरण

189. **श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)** : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी चौमूं राज्य में अग्रणी मंडी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मंडी के दबाव को देखते हुए उक्त मंडी को हाथनोदा पंचायत में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

कृषि विपणन मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी) : जी हां । चौमूं मंडी में वर्तमान में कोई दबाव नहीं है। चौमूं तहसील एवं उपखंड में चौमूं ही मंडी स्थल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होने के कारण इसे हाथनोदा में स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को जो विभाग ने लिखकर दिया, उसी का उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : वही देंगे, और क्या देगें ?

श्री रामलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौमूं मंडी चौमूं शहर के अंदर स्थित है, इस मंडी के चारों तरफ कालोनियां बस चुकी हैं। यह मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और एक-एक, दो-दो घंटे तक ट्राफिक जाम रहता है इस मंडी की वजह से।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि हाथनोदा चौमूं तहसील और उपखंड में ही स्थित है, कोई दूसरी तहसील में स्थित नहीं है। इस मंडी में दो मंडियां स्थित हैं. एक फल और सब्जी मंडी, दूसरी अनाज मंडी, माननीय मंत्री महोदय, यदि दोनों नहीं तो एक मंडी को स्थानान्तरित करने का विचार रखते हैं ? और विचार रखते हैं तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना कि नहीं रखते ?

श्री प्रभुलाल सैनी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में चौमूं मुख्य मंडी प्रांगण एवं गौण मंडी प्रांगण अलग-अलग बने हुए हैं । मुख्य मंडी प्रांगण में जिंसों का क्रय-विक्रय होता है और गौण मंडी प्रांगण में फल-सब्जी का क्रय-विक्रय होता है। राज्य सरकार ने इसके लिए 33 बिघा भूमि का क्रय करके कब्जा किया हुआ है। जैसाकि माननीय सदस्य चाहते हैं कि यहां से स्थानान्तरित करके हाथनोढा में कर दिया जाए तो मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में गौण मंडी यार्ड के लिए 8 बीघा 9 बिस्वा जमीन उपलब्ध है। सरकार के द्वारा गौण मंडी यार्ड के लिए 81 लाख 72 हजार रुपए अब तक व्यय हो चुके हैं और वहां पर इतना बड़ा निर्माण कार्य हो चुका है कि मौके पर 67 दुकानें निर्मित हो चुकी हैं और उनका आबंटन भी किया जा चूका है। वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है कि वहां पर यातायात का दबाव इतना बड़ा हुआ हो कि जिसके कारण से यातायात अव्यवस्थित हो रहा हो। यदि मान लो. एसी भी अव्यवस्था होती है तो मैं आपके माध्यम. से जानकारी देना चाहूंगा कि वर्तमान मंडी के दो दिशाओं में और अलग रास्ते निकाल कर दबाव कम ‍िकया जा सकता है। इसलिए इस मंडी को स्थानान्तरित करने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री संयम लोढ़ा।

केरोसिन वितरण में कालाबाजारी

190. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड / प्रति व्यक्ति कितने लीटर केरोसिन दिया जा रहा ? वर्ष 2002 व 2003 में कितने लीटर दिया जा रहा था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में क्या नीति ? राज्य में 2004 में केरोसीन कालाबाजार में बेचने के कितने प्रकरण पकड़े गये एवं उक्त में सम्बन्धित डीलर के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ी लाल) : (1) वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड 5 से 10 लीटर केरोसिन तेल का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में भी नगरीय क्षेत्र में प्रति राशन कार्ड 5 से 10 लीटर केरोसिन तेल उपलब्ध कराया जा रहा था।

(2) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड 2 से 3 लीटर केरोसिन तेल प्रति माह वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2004 में केरोसिन कालाबाजार में बेचने के कुल 93 प्रकरण पकड़े गये। जिनमें से 14 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी , 11 प्रकरणी में धारा 6-ए के तहत कार्यवाही की गयी तथा 68 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले की मनादर ग्राम सेवा सहकारी समिति का केरोसिन जो जालौर जिले के आहोर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया, जिसका मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। 116/2004, उसी मामले को दबाने में रिश्वत लेते हुए थानेदारजी ट्रैप हुए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस एफ.आई.आर. में आरोपी कौन-कौन है ?

सिरोही शहर में पिछले साल 10 लीटर केरोसिन प्रति राशन कार्ड वितरित किया जा रहा था, वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से इस साल 10 लीटर से घटाकर 5 लीटर कर दिया गया है ?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने यह बताया कि ग्राम पंचायत मनादर, तहसील सिरोही, जिला सिरोही में ...

श्री संयम लोढ़ा : तहसील सिरोही नहीं है माननीय मंत्रीजी, शिवगंज है।

डा. किरोड़ी लाल : तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में 22 6.2004 को सिरोही से जालौर के लिए 10 ड्रम ले जाते हुए, जिसका थाना आहोर पड़ता था. ये 10 ड्रम पकडे गये 21.6.2004 को और एफ.आई.आर दर्ज हुई 116/2004 पी सी. एक्ट के अंतर्गत थाना आहोर में।

(डा. किरोड़ी लाल)

अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा पकड़े गये, जैसे ही हमारे जिला रसद अधिकारी, सिरोही को सूचना मिली तो हमने इसका लाइसेंस 29.6.2004 को निलम्बित कर दिया और जी एस एस को नोटिस दे दिया। अभी सुनवाई चल रही है ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके ।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्रीजी, मैंने सिर्फ स्पेसिफिक् पूछा है कि एफ.आई.आर. में आरोपी कौन-कौन है ? एफ.आई.आर. में आरोपी कौन-कौन हैं, यह बताइए ?

डा. किरोड़ी लाल : इन्होंने पूछा है एफ आई आर की कापी के बारे में, कापी, चूंकि यह मामला पुलिस से सम्बन्धित था, हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो एफ आई आर नम्बर 116/2004 दर्ज हुई है उसमें चाहे व्यवस्थापक दोषी हो, कोई भी दोषी हो, उसमें सख्त कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह हुआ कि थानेदार एफ आई आर दर्ज करने से पहले उक-चूक हो रहा था, उसने कोई रिश्वत मांगी, उसी समय वहां पर ए. सी. डी. पहुंच गई और ए. सी. डी. ने थानेदार को भी ट्रैप कर लिया, इसलिए सारा रिकार्ड ए. सी. डी. में आ गया थानेदार सहित। इसलिए इसमें यह कहना कठिन है कि इसमें क्या कार्यवाही किसी के खिलाफ...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी सिर्फ इसलिए एफ आई आर के आरोपियों की जानकारी नहीं देना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री का लड़का इस गुनाह के लिए जिम्मेदार है। आपने उसका नाम नहीं रखा उसके अन्दर।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : लड़के के लिए जिम्मेदार हम थोड़े ही हैं?

श्री संयम लोढ़ा : आपके पास एफ.आई.आर. की कॉपी नहीं है, यह कैसे मुनासिब है ?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, एफ.आर्इ.आर. में व्यवस्थापक का नाम है और मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे काग्रेस का हो, वह अपराधी है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा : (व्यवधान) प्रश्न का उत्तर तो दो, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : कह दिया न किसी को नहीं बख्शेंगे किसी को नहीं बख्शेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं बख्शेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पर 10 लीटर का 5 लीटर केरोसिन क्यों किया ? जनता की बात का जवाब तो दो, माननीय मंत्री महोदय ।

श्री अध्यक्ष : दीजिए साहब।

डा. सी.पी. जोशी : बख्शने का काम जुडीशियरी का है, मंत्रीजी का नहीं है। (व्यवधान) पनिशमेंट तो वह करेंगे, मंत्रीजी थोड़े ही करेंगे। (व्यवधान) मंत्रीजी कैसे बख्शेंगे ? आपका काम तो खाली चापलान पेश करना है, यह तो काम जुडीशियरी का है कि क्या पनिशमेंट देना है। आप बख्शने वाले नहीं बख्शने वाले कौन होते है ?

डा. किरोड़ी लाल : बख्शने का मतलब, सी.पी. साहब, यह है कि न कोई किसी केस को रफा-दफा किया जाएगा न दबाया जाएगा। पुलिस के स्तर पर जो वाजिब कार्यवाही है वह चालान पेश करा दिया जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्षजी, मैंने माननीय मंत्रीजी से पूछा है कि सिरोही शहर में पिछले साल 10 लीटर केरोसिन का वितरण किया जा रहा था, इस साल 5 लीटर आपने कर दिया। राजस्थान में कई नगरपालिका क्षेत्रों में आप 4 लीटर देते हैं, किसी जगह 5 लीटर देते हैं, किसी जगह 6

(श्री संयम लोढ़ा)

लीटर देते हैं, किसी जगह 3 लीटर देते है और गांवों में किसी जगह 2 लीटर देते हैं, किसी जगह 3 लीटर देते है, क्या इस पूरी व्यवस्था को रेशनलाइज करने का आप विचार रखते है, नमबर एक ?

नम्बर दो, राजस्थान को कितने केरोसिन की आवश्यकता है और भारत सरकार के द्वारा कितना केरोसिन आपको मिल रहा है ? कितने साल से कम मिल रहा है ? इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने का सरकार क्या सोच रखती है, क्या करना चाहती है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

डा. किरोड़ी लाल : एक बार में पहले इनका जवाब दे दूं।

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 2002-2003 में 44676 किलो लीटर केरोसिन अपने को आबंटित हुआ भारत सरकार से 2003-04 में 43492 किलो लीटर और 2004-05 में 42459 किलो लीटर। यह टोटल कमी जो आई है तुलनात्मक, वह आई है इस वर्ष 7588 किलो लीटर । उसका कारण, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो डी बी सी कनेक्शन है उन पर भारत सरकार ने केरोसीन देने के लिए मना कर दिया और जो सिंगल बेयरर कनेक्शन हैं उन पर 2 लीटर केरोसिन किया है। बाकी डी बी सी के जितने केनक्शन हैं उनकी संख्या यहां 20 लाख के करीब है अपने राजस्थान में, उनका कोटा काट दिया है। इसके बारे में पत्र हमने भारत सरकार को लिखा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी लिखा है और मैंने भी लिखा है, कि हमारे कोटा को बढ़ाया जाए। अब जैसे ही भारत सरकार हमारा कोटा बढ़ा देगी तो हम केरोसिन की सप्लाई भी बढ़ा देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : इसका रेशनलाइजेशन करन की कोई सोच है क्या आपकी ?

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

डा. किरोड़ी लाल : जस्ट ए मिनट, अशोकजी, दो मिनट। इस सम्बन्ध में हमने हमारे अधिकारियों की मीटिंग बुला ली है और डी.एस. ओज. की एक कमेटी बना दी है। इसमें यह निर्णय लिया है कि शहर और गांव में जो भेद है, शहर में तो ज्यादा केरोसिन जा रहा है और गांवों में कम जा रहा है, उसको बराबर, समान रूप से बाटने का हमने मन बना लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका समान रूप से वितरण किया जाएगा।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपका क्षेत्र बहुत दूर है, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरे क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है इससे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री जयराम जाटव। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : माफिया है केरोसिन तेल डीलर, पूरे राजस्थान में जाल फैला रखा है। (व्यवधान) उस मामले में दोषी है वह। (व्यवधान) जो होलसेल सप्लाई करते हैं और केरोसिन के परिवहन का काम करते हैं उनके माध्यम से बड़ी कालाबाजारी का धंधा पनप रहा है।

अभी हाल ही में 3 हजार लीटर केरोसीन...(व्यवधान) 3 हजार लीटर केरोसीन जब्त हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियमों में यह प्रावधान है, आप नियमों की बात ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान) अंकित न हो। अंकित न हो।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आपके पूछे गये प्रश्न अंकित नहीं हो रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' :xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। आप मुझे मजबूर न करें, स्थान ग्रहण करिए। कृपया स्थान ग्रहण करिए। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। में माननीय सदस्यों को सदन के नियमों की जानकारी देना चाहती हूं। सदन का नियम है कि कम से कम 12 प्रश्न रोजाना लिये जाएं। आप मुझे पांच प्रश्नों से आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। प्रश्न का मतलब आप जानते हैं क्या होता है ? प्रश्न का मतलब होता है, जानकारी जो मंत्री के पास है वो जानकारी मंत्री आपको मुहैया कराए, यह प्रश्न का मतलब होता है।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : xxx

श्री अध्यक्ष : क्या दिखा रहे हैं आप मुझे ? यह नियमों के विपरित है, सुन लीजिए आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : आप नियमों की जानकारी रखते नहीं और जब आपको नियम बताये जाएं उसका पालन करते नहीं हैं, क्या करूं मैं आपका, बताइए मुझे आप ? नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : प्रश्न संख्या-191.

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : आपके क्षेत्र का मामला है तो आपने प्रश्न पूछा होता।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : उनके पास जो जानकारी थी उन्होंने दे दी जानकारी और मूल प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हो गये, उन्होंने धन्यवाद दे दिया। यह कोई तरीका नहीं है आपका।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता सन्तुष्ट हो गये, धन्यवाद दे दिया, बैठ गये अब क्या चाहते हैं आप ?नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री जयराम जाटव

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : इस आसन को विवश नहीं किया जा सकता।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन नियमों में चलता है। आसन बिलकुल नियमों में चल रहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, स्थान ग्रहण करिए आप। स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि आसन मनमानी नहीं कर सकता तो उसे विलोपित कर दिया जाए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, यह आसन से इस तरह से...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री अध्यक्ष : नियम की जानकारी कुछ नहीं है इनको।

श्री सी.डी.देवल (रायपुर) : xxx

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : xxx

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मजबूर न करें। आप मुझे नाम से पुकारे जाने के लिए मजबूर न करें। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान ग्रहण कर लीजिए। यह जो आपको पुस्तिका दी गई है कृपया आद्योपान्त इसको भी पढ़ने का कष्ट करें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : यदि आप पढ़ते तो बिलकुल ऐसा नहीं करते। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बताना चाहूंगी, "कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर, किसी ऐसे तथ्य विषय के अग्रेतर स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए जिसके बारे में उत्तर दिया गया है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेगा, परन्तु अध्यक्ष कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देगा यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों सम्बन्धी नियम भंग होते हों। परन्तु यह और कि पूरक प्रश्न पूछने की पूर्ववर्तिता उस सदस्य को प्रदान की जाएगी जिसके नाम में प्रश्न पूछा गया है।" संयम लोढ़ा ने प्रश्न पूछा था वो सन्तुष्ट हो गये और उन्होंने धन्यवाद दे दिया। उसके बाद मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकारा। (व्यवधान) समाप्त करें अब।

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

डा. सी.पी. जोशी :xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : xxx

श्री सी.डी. देवल : xxx

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : xxx

(अध्यक्ष महोदय द्वारा हाथ के इशारे से अंकित न करने का आदेश)

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' :xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री महावीर प्रसार जैन : xxx

श्री जुबेर खान :xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

श्री अशोक (खण्डार) :xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

डा.सी.पी. जोशी :xxx

श्री अध्यक्ष : हां।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है लेकिन इस सदन में यह परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य जो मूल प्रश्नकर्ता है उसके अलावा भी, यदि कोई स्टेट के इंटरेस्ट का प्रश्न होता है तो माननीय सदस्य हाउस की प्रापर्टी समझकर प्रश्न कर सकते हैं और कई बार इस सदन में एक घंटे में केवल एक प्रश्न का जवाब आया है, कई बार दो प्रश्नों का जवाब आया है, क्योंकि यह प्रश्न की गम्भीरता पर निर्भर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

करता है। यह प्रश्न कितना संवेदनशील है, किससे रिलेटेड है। इसलिए राज्य से सम्बन्धित यह प्रश्न होने के कारण अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन यह आसन पर निर्भर करता है कि आप उसे अलाउ करें या नहीं करें। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, चूंकि स्टेट लेवल का यह प्रश्न और कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कृपया अलाउ करें।

श्री अध्यक्ष : यह आसन भी प्रश्नों की गम्भीरता को समझता है और गम्भीरता को समझते हुए मैं अलाउ करती हूं। लेकिन मैं आप माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि नियमों में जब 12 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने का प्रावधान है कि 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप पांच प्रश्न के आगे बढ़ने ही नहीं देते, कभी शोर शराबे में, कभी कुछ और पूछकर । आखिर और भी माननीय सदस्य हैं जिनके पीछे के प्रश्नों के उत्तर अंकित किये जाते हैं, उनको भी तो अधिकार है अपनी इन्फोर्मेशन सीक करने का। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, मैंने जब वे सन्तुष्ट हो गये थे उसके बाद में ही नैक्स्ट क्वेश्चन पुकारा है। उस पर इतना हंगामा करने आवश्यकता नहीं थी। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्रीजयराम जाटव। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं हो।

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करती। (व्यवधान) आपसे यह अपेक्षा नहीं करती। (व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष ने संकेत से अंकित करने से मना किया)

डा. बुलाकीदास कल्ला : xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अध्यक्ष : मंत्री ने जवाब दे दिया । (व्यवधान) किसी को बख्शा नहीं जाएगा। (व्यवधान) यह कह दिया था उन्होंने कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कह दी थी उन्होंने यह बात । (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : मैंने नैकस्ट क्वेश्चन पुकारा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री अशोक (खण्डार) :xxx

डा. सी.पी. जोशी : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन :xxx

श्री नरपत सिंह राजवी : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार चुकी हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी : xxx

डा. सी.पी. जोशी :xxx

श्री जुबेर खान :xxx

श्री अध्यक्ष : आप नियमों में आइए। नियमों के मुताबिक आप यहां पर दीजिए मोशन, निश्चित तौर पर विचार करूंगी। लेकिन इस तरह से आपको बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। नैक्स्ट क्वेचन।

खैरथल (अलवर) में प्रस्तावित महाविद्यालय

191. **श्री जयराम जाटव (खैरथल) :** क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जयराम जाटव)

(1) क्या यह सही है कि सरकार सभी को शिक्षा दिये जाने पर कटिबद्ध है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खैरथल मंडी जिला अलवर की आबादी 50-60 हजार के लगभग होने के कारण वहां महाविद्यालय होना नितान्त आवश्यक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि खैरथल में उच्च शिक्षण संस्था नहीं होने के कारण यहां के छात्र/छात्राओं को 50-60 किलोमीटर दूर अलवर जाना पड़ता है ?

(4) क्या यह सही है कि खैरथल के पास मुण्डावर एवं बानसूर विधान सभा क्षेत्र होने के कारण उन छात्रो को भी अलवर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार खैरथल में बानसूर व मुण्डावर के छात्रों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। अलवर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है तथा लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय महाविद्यालय, बीबीरानी संचालित है।

(4) जी हां अपनी स्थिति के अनुसार मुण्डावर एवं बानसूर के विद्यार्थी लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय माहविद्यालय, बहरोड़ में भी प्रवेश लेते हैं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा।

श्री जयराम जाटव : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक जिसमें माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कटिबद्ध किया है शिक्षा के सम्बन्ध में छात्र-छात्राओं को, उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या दूसरा-जी, हां,

(श्री जयराम जाटव)

इसमें नगरपालिका खैरथल अलवर शहर के बाद दूसरे नम्बर का कस्बा उसकी दूरी वहां से 25-30 किलोमीटर आंकी गई है, जब कि वह 40-45 किलोमीटर है। आज के इस समय में छात्रों के साथ-साथ छात्राओं को पढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचना, वहां से आने-जाने की जो परेशानी होती है। अलवर में, बीबीरानी या बहरोड़ में छात्राओं को परेशानी होती है। 30-35 किलोमीटर पर लगभग 70 किलोमीटर दूर होती है, इसलिए आज शिक्षा जगत में छात्र-छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक है कि खैरथल नगरपालिका कस्बे में महाविद्यालय खोला जाए।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : खैरथल, बानसूर और मुण्डावर यह बहुत बड़ा एक सैक्टर है, तीनों विधान सभा क्षेत्रों में कहीं भी कालेज नहीं है। माननीय मंत्रीजी बड़े उदार दिल हैं, तो माननीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतने बड़े सैक्टर में जहां 90 प्रतिशत तो लड़कियां पढ़ती हैं, और अब तो सौ प्रतिशत पर जा रहा है, खैरथल, मुण्डावर और बानसूर में कहीं कोई महाविद्यालय आज तक नहीं है इसलिए आप करो बीच में कहीं व्यवस्था तो इन बच्चियों की दिक्कत खतम हो जाएगी, मेरा आपसे यह विशेष अनुरोध है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया इधर तो बीबीरानी में महाविद्यालय है, इधर बहरोड़ में महाविद्यालय है, इधर अलवर में महाविद्यालय है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बानसूर में भी अभी निजी क्षेत्र में एक महाविद्यालय की एन.ओ.सी. राज्य सरकार ने दी है। इसी प्रकार से तीन महाविद्यालय एक झुन्झूनूं में, एक खैरवाड़ा में और एक अलवर के ही थानागाजी में इस साल सरकार ने खोले हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी आपके द्वारा सूचित करना चाहूंगा आपने बताया बानसूर, मुण्डावर और खैरथल, यह सही है, पर यही नहीं, 52 उपखण्ड हमारे ऐसे हैं जहां पर राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि खैरथल में, मुण्डावर या बानसूर में जहां भी 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है कोई प्राइवेट शिक्षण संस्थान या सरकारी शिक्षण संस्थाएं भी जो ट्रस्टों के द्वारा बढिया ढंग से संचालित हैं, अगर वो सांयकाल रूप में उसी बिल्डिंग में महाविद्यालय संचालित करना चाहती हैं तो कुछ समय के लिए छूट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देकर राज्य सरकार वहां पर महाविद्यालय खोलने के लिए तैयार है, उनको एन.ओ.सी. दे देगी ।

दूसरा, हमने यह भी तय किया है कि इन 52 उपखण्डों में यदि बढिया विद्यालय जो सीनियर हायर सैकण्डरी हैं और वो बढिया ढंग से संचालित हैं और वो बिल्डिंग के नियमों में छूट लेकर महाविद्यालय खोलना चाहें तो राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन 52 उपखण्डों पर इस प्रकार के महाविद्यालय खोलने की अनापत्ति देने के लिए तैयार है। वैसे भी इस बार हमने 224 प्राइवेट सैक्टर में भी निजी शिक्षण संस्थाओं को एन.ओ.सी. दी हैं जो 48 पिछले साल की बाकी थीं और बाकी 174 इस बार की हैं। राज्य सरकार कटिबद्ध है कि सब लोगों को सुविधाएं मिले और महाविद्यालयी शिक्षा का विस्तार हो। इसलिए सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होंगे तो सरकार निश्चित रूप से खोलेगी और जब तक सरकार के पास नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सरकार तैयार है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री जयराम जाटव : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि 52 उप खण्डों में महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार का मानस है, बहुत-बहुत धन्यवाद । चूंकि खैरथल कस्बे में "अ" श्रेणी की अनाज मंडी है, वहां भामाशाह भी बहुत हैं कॉलेज की बिल्डिंग तैयार करने के लिए, उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में तीन विधान सभा क्षेत्र तिजारा, बानसूर और मुण्डावर लगते हैं और यह बीच में आता है, मैं पुन : माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए खैरथल के लिए मुझे आप विश्वास दिलाएं, खैरथल में महाविद्यालय खोले जाने के लिए हमको आश्वस्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर भामाशाहों की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार विचार करेगी। आप किसी भामाशाह को तैयार करें। इस वर्ष भी 8 महिला महाविद्यालयों को अलवर जिले में हमने एन.ओ.सी. जारी की है जो केवल लड़कियों के लिए ही हैं और अलवर जिले में कुल 19 महाविद्यालयों को इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

साल एन.ओ.सी. , अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। फिर भी अगर आप प्रस्ताव लाते हैं, किसी भामाशाह के द्वारा, तो वरियता से राज्य सरकार महिलाओं के लिए जरूर विचार करेगी ।

श्री जयराम जाटव : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री हीरालाल ।

श्री टीकमचंद कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, अगर भामाशाह सिवाना के अन्दर बिल्डिंग बनाकर आपको दे दे...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री हीरालाल।

श्री टीकमचंद कान्त : तो आप खोलने के लिए तैयार हैं, मंत्री जी ? और भामाशाह का मतलब बिल्डिंग से है या भामाशाह का मतलब शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए है ?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने 52 उपखण्डों की चर्चा की है, 52 उपखण्डों में मेरा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ भी आता है। वहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग पर्याप्त है। एक पारी में सीनियर सैकण्डरी स्कूल चल सकती है, दूसरी पारी में कॉलेज चल सकता है। क्या कॉलेज चलाने के लिए अनुमति देंगे, खड़े होकर बता दें ?

प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट । क्या गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की अनुमति देंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

कारागार कर्मियों के नवीन पदों का सृजन

192. **श्री हीरालाल** (निवाई) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि कारागृहों में बन्दियो की संख्या पिछले कई वर्षों से निरन्तर बढ़ती रही है ?यदि हां. तो बन्दियो की बढती संख्या के अनुरूप क्या विभाग में नये पदों का सृजन किया गया है ? यदि हां. तो कब-कब और कितनी संख्या में ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 के बाद से अब तक कारागार विभाग में विभिन्न पदों की कटौती की गई है ? यदि हां, तो कितनी व किस वर्ष में और क्यों ? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बन्दियों की बढ़ती संख्या एवं अब तक की गई पदों की कटौतियों को देखते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, कारागार (श्री अमराराम चौधरी) : (1) जी हां । यह सही है कि राज्य के कारागृहों में बंदियों की संख्या पिछले कई वर्षों से निरन्तर बढ़ी है। बन्दियों की संख्या के अनुरूप विभाग में पदों के सृजित पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1977 के बाद से अब तक कारागार विभाग मे विभिन्न पदों में की गई कटौती का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर एवं पदवार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(3) विभाग में बन्दियों की संख्या के अनुरूप पदों के सृजन के मानदण्ड निर्धारित नहीं है। फिर भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार पद सृजन की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कारागार विभाग में वर्ष 1977 के बाद विभिन्न पदों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था जिसे वापस ले लिया गया, कृपया बाताएं।

श्री अमराराम चौधरी : यह बात सही है कि सन् 1977 के बाद पद सृजित करने के बाद में धन की उपलब्धता के अनुसार कुछ पद समाप्त किये गये थे और आवश्यकता के अनुसार कुछ सृजित भी किये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट में प्रश्न के उत्तर के साथ दिया गया है उसमें संलग्न है।

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय के माध्यम से वर्ष 1990 से अब तक प्रति वर्ष बन्दियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें। इन्हीं वर्षों के दौरान पदवार जेलकर्मियों के पदों की संख्या भी सदन की मेज पर रखें।

श्री अमराराम चौधरी : यह प्रश्न वैसे तो अलग से है लेकिन जो कुल हमारे कन्विक्ट प्रिजनर्स हैं, वे 31.3.2004 तक 5665 और अंडर ट्रायल 7180 हैं।

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, जेलकर्मियों के पदों की संख्या नहीं बताई है माननीय मंत्री महोदय ने।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : काफी है, बैठो । मंत्री महोदय, अगर जेलकर्मियों की संख्या धनाभाव के कारण बढ़ नहीं सकती तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जेल कैदियों को कुछ ज्यादा रियायत दे दें।

श्री अमराराम चौधरी : ये तो जिस प्रकार के कंडक्ट होते हैं कैदियों के उसी अनुसार हम सज़ा के अन्दर रियायत देते हैं 15 अगस्त को । और यह कोशिश करेंगे कि ऐसे कैदी जिनका आचरण बहुत अच्छा है उनको पैरोल पर या उनको कुछ रियायत सज़ा में देने का प्रयास करेंगे ।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'': अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कारागार विभाग में...

श्री हीरालाल (निवाई) : मैं मंत्री महोदय को अध्यक्ष महोदय के माध्यम से धन्यवाद देता हूं।

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : कुल कितने पद रिक्त हैं और उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति के पदों पर कितने लोग अभी कार्यरत हैं ? उनका कितना बैकलॉग बाकी है ? क्या उस बारे में भरने का विचार आपका है या नहीं है ? यह मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि अनुसूचि जाति, जनजाति के कितने पद रिक्त हैं कारागार विभाग में ? क्या आप उनको भरने का मन रखते हैं, बैकलॉग को ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मदन राठौड़ ।

कालू लाम्बिया वन क्षेत्र (पाली) में अंग्रेजी बबूल उन्मूलन ठेके में अनियमितताएं

193. **श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के ''कालू लांबिया'' वन क्षेत्र में घास जोहड़ों से अंग्रेजी बबूल के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा मार्च, 1999 में किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया ? यदि हां, तो किस, कितने में व किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने अंग्रेजी बबूल की जड़ें निकाली ? क्या भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर सत्यापन कर, ''कार्य पूर्ण होने'' का प्रमाण पत्र जारी किया।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को उक्त ठेकेदार द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं ?यदि हां, तो सरकार द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार द्वारा अंग्रेजी बबूल के साथ-साथ प्रतिबन्धित वृक्ष खेजड़ी, कुमटिया, कैर सहित मूल्यावान हरे वृक्ष कटवा दिये गये ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर कितने प्रतिबन्धित वृक्ष कटवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन राठौड़)

(5) ठेकेदार से प्रतिबन्धित वृक्ष काटने पर कितनी राशि का जुर्माना वसूल किया गया ? नियमानुसार प्रतिबन्धित वृक्ष काट लेने पर कितने प्रतिशत जुर्माना व प्रयुक्त संसाधनों का जब्तीकरण किया जाता है ? इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलॉग की क्या स्थिति है और क्या आप बैकलॉग को भर दोगे ? (व्यवधान) आपसे आग्रह है, अध्यक्ष महोदय ...

एक माननीय सदस्य : अगर आपके मन और मानस है तो यह बता दीजिये।

श्री बाबूलाल नागर : कि कारागार विभाग में बैकलॉग की क्या स्थिति है ?

अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने पर रिक्त हैं, कृपया मंत्री महोदय यह बताएं ? अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब भी इन गरीबों की बात आती है, जब भी हमारे कोई पूरक प्रश्नों की बात आती है, आप पर कोई आरोप नहीं है, आपसे आग्रह है... (व्यवधान) हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) जब भी कोई एस.सी., एस. टी. की बात आती है तो हमें मौका नहीं मिलता है । आपसे आगृह है ... (व्यवधान)

एक भी पूरक प्रश्न पूछने का, आपकी आज्ञा से, आपके निर्देशों से माननीय सदस्य को यह अधिकार दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे) : (1) जी हां । पाली जिले के घास जोड़ कालू लाम्बिया से अंग्रेजी बबूल उन्मूलन का ठेका मार्च / अप्रैल, 1999 में श्री मोहम्मद सिकन्दर मैसर्स नागौरी कोल डिपो, पाली को

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

रुपये 31,00,100/- (रुपये इकतीस लाख एक सौ) में दिया गया था। ठेके की शर्तों की प्रति परिशिष्ट ''क'' में सदन की मेज पर रख दी गई है । (व्यवधान)

(2) जी हां। ठेके की शर्तों की शर्त संख्या 49 के अनुसार ठेका अवधि समाप्त होने पर ठेका स्थल का निरीक्षण दिनांक 4.4.2001 को वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा गठित समिति द्वारा ठेकेदार श्री मोहम्मद सिकन्दर से रूबरू किया जाकर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर ठेकेदार के भी हस्ताक्षर हैं। चूंकि ठेकेदार द्वारा ठेके का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, अतः कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। उक्त ठेके के सम्बन्ध में ठेकेदार को धरोहर राशि एवं डिपोजिट राशि (मूल ठेका राशि का 10 प्रतिशत) का कोई भुगतान नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : मंत्री महोदय बताएं कि अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने पद रिक्त हैं ? इसमें बैकलाग का ध्यान रखना चाहिए था, अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलाग में, क्या सरकार अनूसूचित जाति, जनजाति के बारे में...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय मंत्री महोदय, प्रश्नकाल समाप्त हो गया। वह हमारी बैकलाग वाली बात आ जाने दो एक बार, बैकलाग वाली बात आ जाने दो। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलाग को क्या सरकार का भरने का मन है ? यदि मन नहीं है, तो ... अभी शिक्षा विभाग में भी नई रिक्तयां निकाली ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ये हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : जब जब अनुसूचित जाति की बात आती है तो सदन गम्भीर हो जाता है, उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं

(श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'')

होता है, क्या कारण है ? जब बैकलाग की बात करते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं...(व्यवधान) क्या इन लोगों के लिए रोजगार देने का कोई अधिकार नहीं है क्या ? क्या इन लोगों के लिए अपने अधिकारों की बात करने का अधिकार नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : इस बैकलाग के बारे में हमें बताया जाए और ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनसे बैकलाग की बात करते हैं तो यह जवाब नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : (3) जी हां । इस सम्बन्ध में ठेके की शर्तों के उल्लंघन बाबत ठेकेदार के विरूद्व निम्न कार्यवाही की गई है :- (1) शर्तो के उल्लंघन बाबत जुर्माना (2) किश्त जमा कराने में देरी बाबत ब्याज (3) ठेका अवधि विस्तार सम्बन्धी राशि की वसूली, (4) अर्नेस्ट मनी की जब्ती, (5) पेड़ों के नुकसान सम्बन्धी मुआवजा राशि की वसूली, (6) कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण डिपोजिट राशि में से वसूली ।

(4) जी हां । इस सम्बन्ध में वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा एक दल गठित किया जाकर गणना कराई गई । गणना के अनुसार ठेके अवधि के दौरान नये कटे वृक्षों के निम्न अनुसार प्रजातिवार ठूंठ पाये गये :-

1. खेजड़ी	607
2. कूमठ	33
3. देशी बबूल	4
4. रौझ	10
5. अन्य कैर व हींगोटा	90
कुल योग :	744

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

(5) ठेकेदार द्वारा उनको सौंपे गये वृक्षों में से हुए कटान बाबत शर्त 48 के अनुसार रूपये 39, 904/- मुआवजा राशि वसूल की गई। ठेके के सम्बन्ध में जुर्माना एवं जब्ती की कार्यवाही नियमानुसार ठेके की शर्तों के अनुसार की जाती है। इस प्रकरण में निम्न ठेके की शर्तों के अनुसार की जाती है।

शर्त सं.	खिलाफबर्जी का विवरण	वसूल की गई शास्ति (रुपयों में)
शर्त सं. 10	किस्त में देरी बाबत ब्याज	6,333
शर्त सं.46	अवधि विस्तार बाबत फीस	47,584
शर्त सं.39	अर्नेस्ट मनी बाबत	500
शर्त सं.40	शर्तो की खिलाफवर्जी बाबत दण्ड	2,000
शर्त सं.48	अवैध कटान के नुकसान की भरपाइ	
	1.कीमत	39,904
	2.शास्ति	1,00,000
शर्त सं.50	बकाया राशि कराने बाबत डिपोजिट राशि से वसूली	2,00,000

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'' : दलितों की बात आए तो इनकी जबान बन्द हो जाती है, जबान नहीं खुलती है। अनुसूचित जाति, जनजाति की बात आती है तो सरकार... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अनुसूचित जाति, जनजाति की बात है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरखा "खण्डार" : जेल में बैकलाग को भरने की बात आती है, तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते है।

श्री बाबूलाल नागर : बैकलाग करने का, बैकलाग पूरा करने का क्या मन है, इस बात के लिए कहें तो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कह चुकी हूं, यह अलग से प्रश्न है।

श्री बाबूलाल नागर : अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलाग को पूरा करने का क्या मन है, इस बात को माननीय मंत्री महोदय बताएं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति की बात आती है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो आप अलग से चर्चा करवा दें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : आपके दिल में इन लोगों के प्रति रहम नहीं है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके दिल में भी इन लोगों के लिए रहम नहीं है क्या ? अनुसूचित जाति के प्रति आपकी आस्था नहीं है क्या ? अध्यक्ष महोदय, जिन पदों की स्थिति पूछी गई थी...(व्यवधान) वह साफ बोलते हैं, वह तो रोते रहेते हैं। वह अपने अधिकारों की बात नहीं करते। (व्यवधान) वह गरीबों का मामला है। अनुसूचित जाति का मामला है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : मंत्री महोदय से जवाब, स्पष्टीकरण दिलाया जाए।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री बाबूलाल नागर : यह सरकार बैकलाग के सम्बन्ध में कोई समय निश्चित कर दे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : छह महीने में पैदा नहीं हुई है। यह बैकलाग कोई छह मीहीने में पैदा नहीं हुआ है। यह बीमारी वर्षो से चल रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह बैकलाग की बीमारी कई वर्षों से चल रही है, अभी कोई छह महीने में पैदा नहीं हुई है। पहले ठीक करना चाहिए था आपको, अगर इतनी चिन्ता थी तो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जब भी इन लोगों की बात चलती है तो सब लोग शांत हो जाते हैं, क्या इनके प्रति आपके टीस नहीं है? क्या ये लोग... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण दिलाया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति सुनिये।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : अध्यक्ष महोदय, अनूसूचित जाति, जनजाति का मामला आता है तो उनके साथ क्यों पक्षपात किया जाता है ? सरकार यह भेदभाव क्यों कर रही है? इसके ऊपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देना चाहती ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप इस मैटर को समझें आप। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा : अध्यक्ष महोदय, केवल इस मुद्दे को दबाने का काम क्यों किया जा रहा है? मंत्री महोदय बैकलाग के मुद्दे पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं देना चाहते ?

श्री अध्यक्ष : मेरा आपसे अनुरोध है कि स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकार की नीयत साफ-साफ जाहिर हो रही है कि सरकार बैकलाग के उपर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण नहीं दिलाना चाहती। मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण दिलाया जाऐ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय तीनों सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर ...

श्री सी.डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारी बात सुनिये। आप कहें तो बैठ जाउंगा, आप कहेंगे तो सदन से बाहर चला जाउंगा, लेकिन एक डी.एफ.ओ. को बचाने के लिए यह सारी कार्यवाही की गई है। उस डी.एफ.ओ. ने अपने कार्यकाल में कम से कम 1000 खेजडिया काटकर बेच दी और उसका जवाब नहीं आ रहा है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है।

श्री बाबूलाल नागर : इन लोगों के बैकलाग को, पूरे राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ बार-बार अन्याय हो रहा है। संविधान के 73 वें संशोधन की यह सरकार उपेक्षा कर रही है लगातार। हर भाई की है। जब-जब भी बैकलाग की बात आती है, आपको अन्य बात याद आती है। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, इनको जवाब के लिए निर्देश दिया जाए। फिर किसलिए है यह ? आपके मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए था।

(श्री सी.डी. देवल)

(व्यवधान) इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप इनको निर्देश दीजिये कि डी.एफ.ओ. के खिलाफ कार्यवाही करें। आखिर में प्रश्न के जवाब का क्या मतलब है? आप उनको कहिए, जिस आदमी ने 1000 खेजडियां काट दीं उसके खिलाफ ....(व्यवधान) उसके लिए प्रश्नकाल को समाप्त करके उनको बचाने की कार्यवाही की जा रही है, यह उचित नहीं है, अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर देवल, मिस्टर देवल ।

श्री बाबूलाल नागर : पहले जवाब दिलवाया जाए, पहले सरकार से स्टेटमेंट दिलवाया जाए कि राजस्थान में कितने अनुसूचित जाति, जनजाति के पद रिक्त चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन को कुछ कहने दें। आसन को कहने दें। माननीय सदस्य, आसन कुछ कहना चाह रहा है, आसन को कुछ कहने दें। माननीय सदस्य, शोकाभिव्यक्ति के पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रही हूं कि जिस उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं, उस प्रश्न के बारे में आप अन्य प्रस्ताव के जरिये इस सदन में चर्चा करवा सकते हैं। रहा सवाल आपके बैकलाग का, जिसके बारे में आप बार-बार कह रहे है, इतना डिस्टर्ब किया कि जो वन मंत्रीजी ने जवाब दिया है, मैं भी नहीं सुन सकी, सदन का कोई माननीय सदस्य भी नहीं सुन सका कि वह क्या जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं कहती हूं कि आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, इसको डैफर किया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या डैफर होता है, मैं बताती हूं, क्या होता है डैफर। मैं बताती हूं, सुनिये आप पहले बात बताती हूं मैं, क्या डैफर होता है। (व्यवधान) आप ब्यूरोक्रेट्स से यहां आये हैं। मैं आपको थोड़ा नियमों की जानकारी दे रहा हूं कि जिस किसी प्रश्न के उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप आधा घंटे की चर्चा भी मांग सकते हैं। किन्हीं और नियमों के अन्दर भी आप उसे उठा सकते हैं। लेकिन यह तरीका बहुत गलत है कि आप अगला प्रश्न ही नहीं आने दें।

(श्री अध्यक्ष)

एक माननीय सदस्य नहीं, अनेक माननीय सदस्य खड़े हो जाएं और खड़े होकर सदन में अव्यवस्था फैला दें और आसन कुछ सुन नहीं पाए, कुछ अपनी कह नहीं पाए, ऐसे सदन नहीं चलेगा। सदन को चलाने के नियम हैं और हम सबको उसका पालन करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, कई बार मुझे कठोर होना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई मुझसे नाराज होता है, मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है कि अमुक सदस्य मुझसे क्यों नाराज हो गया, लेकिन मेरी मजबूरी है, इस आसन की मजबूरी है। यह आसन भी नियमों से, प्रक्रिया से बंधा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जब आप संतुष्ट नहीं हों तो आप दूसरे उपाय बरता करें और दूसरे उपाय काम में लिया करें ताकि प्रश्न के आपको समुचित उत्तर सरकार की तरफ से मिल सके, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : सत्ता पक्ष को समझाओ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, आप बैठे-बैठे नहीं बोलिये। मैं शोकाभिव्यक्ति करने जा रही हूं। सदन की गम्भीरता को बनाये रखिये।

प्रश्नकाल समाप्त

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

अब्दुल गफूर, पूर्व मुख्य मंत्री, बिहार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर में गत दिनों दिवंगत हुए बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अब्दूल गफूर, इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री जेठमल आर्य तथा तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर के विद्यालय में हुए अग्निकांड में मारे गये बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अब्दुल गफूर का जन्म 18 अप्रैल, 1919 को बिहार के गोपालगंज जिले के ग्राम सरिया अख्तियार में हुआ। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम.एम. एलएल. बी. की उपाधियां प्राप्त

(श्री अध्यक्ष)

कीं। श्री अब्दुल गफूर वर्ष 1952, 1957, 1962, 1974, 1977 तथा 1980 में बिहार विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1968 में आप बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए।

वर्ष 1961 से 1963 तक आप बिहार सरकार में उप मंत्री रहे। आप 5 जून, 1972 से 2 जुलाई, 1973 तक बिहार विधान परिषद के सभापति रहे । 2 जुलाई, 1973 से 11 अप्रैल, 1975 तक आप बिहार के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे।

श्री अब्दूल गफूर आठवीं', दसवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे। आठवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप दिसम्बर, 1984 से सितम्बर,1985 तक केन्द्र सरकार में निर्माण और आवास मंत्री तथा सितम्बर 1985 से अक्टूबर, 1986 तक शहरी विकास मंत्री भी रहे।

श्री गफूर अपने छात्र जीवन में ही फारवर्ड ब्लॉक में सम्मिलित हो गये थे। आपने अगस्त, 1942 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" में सक्रिय रूप से भाग लिया, फलस्वरूप आपको ढाई वर्ष का सश्रम कारावास भी दिया गया।

श्री अब्दुल गफूर का दिनांक 10 जुलाई, 2004 को निधन हो गया।

जेठमल आर्य, पूर्व सदस्य व तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर के विद्यालय में हुए अग्निकाण्ड में मारे गये बच्चों के निधन पर

पूर्व विधायक श्री जेठमल आर्य का जन्म 19 जनवरी, 1928 को सिरोही जिले के आबू रोड में हुआ। आपने सिद्धांत शास्त्री, संस्कृत भाषा बिशारद् तथा हिन्दी साहित्य विशारद् की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जेठमल आर्य पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए वर्ष 1972 में रेबदर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप याचिका समिति के सदस्य रहे।

श्री आर्य अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1960 में सिरोही सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर तथा वर्ष 1964 से 1969 तक चेयरमैन भी रहे। आप वर्ष 1964 से 1972 तक सिरोही जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष तथा वर्ष 1967 से 1971 तक सिरोही दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष भी रहे। अपने

(श्री अध्यक्ष)
राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ से ही आप कांग्रेस पार्टी से सम्बद्ध रहे। आप आबू रोड़ काग्रेस के अध्यक्ष तथा सिरोही जिला कांग्रेस कमेटी से सदस्य भी रहे।

धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन में रूचि रखने वाले श्री आर्य की सहकारिता पर दो पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं।

श्री जेठमल आर्य का दिनांक 16 जुलाई, 2004 को निधन हो गया। तमिलनाडुं के तंजाबुर जिले के कुंभकोणम शहर के कृष्णा प्राथमिक विधालय में शुक्रवार दिनांक 16 जुलाई, 2004 को दोपहर करीब 12.30 बजे आग लग गई। इस ह्रदय विदारक हादसे में लगभग 90 छात्र-छात्राओं की जलने से मृत्यु हो गई तथा काफी बच्चे गम्भीर रूप से झुलस भी गये।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से इस अग्निकांड में मारे गये मासूम बच्चों की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए पीडित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं तथा दिवंगत श्री अब्दुल गफूर और श्री जेठमल आर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं । मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री सी.डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं, काफी देर से मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं इसलिए मुझे आप मेरी बात स्पष्ट करने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : अभी कोई पाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया जा सकता, जीरो अवर है।

श्री सी. डी. देवल : आसन की तरफ से जो कमेंट्स आये हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे बात करने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष की व्यवस्था से पूर्व आपको आज्ञा नहीं प्रदान की जा सकती।

श्री सी.डी. देवल : मुझे आपको बोलने का मौका तो देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ..

श्री सी.डी. देवल : आपने मुझे यह कहा, है कि मैं ब्यूरोक्रेसी से आया हूं, यह बात निश्चित है..

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ व्यवस्थाएं देने जा रही हूं। आसन कुछ व्यवस्थाएं देने जा रहा है...

श्री सी.डी. देवल : लेकिन जिस आदमी की वाणी और ओज का आपको भरोसा था उसको परास्त करके...

श्री अध्यक्ष : आसन व्यवस्था देगा पहले।

श्री सी.डी. देवल : आम लोगों के वोटों से मैं जीतकर आया हूं, कोई मैं नोमिनेटेड नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य. स्थान क्रहण कर लें।

श्री सी.डी. देवल : मैं कोई नोमिनेटेड सदस्य नहीं हूं और नियमों की जानकारी सब कुछ है..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन व्यवस्था देगा पहले।

श्री सी.डी. देवल : जब प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं, मुख्य सचेतक बोलते हैं, आप उनको कभी टोकते नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, बड़े अफसर तो आप हैं लेकिन यहां तो सब के सब साधारण सदस्य ही हैं।

श्री सी.डी. देवल : जीतकर आया हूं, मैडम, जीत कर, उस हीरासिंह को हराकर जिसकी आपको वाणी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीतकर सब आये हैं, कोई मनोनीत नहीं। मनोनीत मैं भी नहीं हुई, मैं भी जीत कर आई हूं । और बाकी सब जीत कर आये हैं, जितने आये हैं, कोई मनोनीत नहीं हुए हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे जीत कर आये हैं, खाली आप अकेले ही नहीं पधारे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगत प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई :-

श्री संयम लोढ़ा एवं 20 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में अकाल राहत कार्य शुरू कराने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से बीकानेर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अतिरिक्त सीट आवंटन के नाम पर अतिरिक्त राशि सवूल करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर में खनिज अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा रवन्ना से अधिक अधिशुल्क वसूल करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से खैरथल में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल, सदस्य की ओर से देसूरी में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(5) डा. भंवरलाल राजपुरोहित, सदस्य की ओर से मकराना में मार्बल फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर की कुछ भूमि वन विभाग द्वारा अपनी बताये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर, सदस्य की ओर से पंचायत समिति महवा के बी.पी.एल. चयनित परिवारों को अनुदान उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भंवरू खान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम बांठोद में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, सदस्य की ओर से कस्बा नदबई में बाई पास बनवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री वीरू सिंह राठौड़, सदस्य की ओर से सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर स्थित श्री रामचन्द्रजी मंदिर की परिसम्पत्तियों पर अस्पताल प्रशासन द्वारा नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से फलासिया के विद्यालय में विज्ञान संकाय के विशेषज्ञ अध्यापकों का पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से कोटपूतली के राजकीय चिकित्सालय में न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी एवं ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

20 जुलाई को आज चार निम्न पर्चियां निकली हैं (1) श्री संयम लोढ़ा, फसल खरीद बहुराष्ट्रीय कम्पनी को देने के संबंध में। (2) श्री देवीशंकर भूतड़ा, ब्यावर नगर परिषद में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के संबंध में। (3) डा. श्री गोपाल बाहेती, अजमेर एवं पुष्कर की ए.डी.बी. योजना के संबंध में। (4) डा. चन्द्रशेखर बैद, तारानगर विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की हो रही किल्लत के संबंध में। तीन-तीन, चार-चार मिनट का समय आपको अपनी पर्चियों पर मिलेगा। अब 295 का आप अपना पढ़ना शुरू करें। सर्वप्रथम...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो अकाल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव अकाल राहत कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भली-भांति ...

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया न, जानकारी के लिए भेजा है। जिस स्थगन प्रस्ताव को जानकारी के लिए भेजा जाता है उस पर सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होती। उनसे जानकारी मैं मंगा रही हूं और उसके बाद समय तय करूंगी तब आप अपनी बात कहिये।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है..

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रही हूं, मिस्टर अशोक बैरवा, नहीं, बाबूलाल नागर, बाबू लाल नागर, आप इस तरह से हर बात पर खड़े होते हैं, ना...

श्री बाबूलाल नागर : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, अब यह जानकारी तो करें कि आपने क्या व्यवस्था दी है, क्या नहीं दी। आप मेरी बात सुनिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनें तो सही पहले, थोड़ी मैं नियमों की जानकारी दे रही हूं। केवल वही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां आते हैं जिसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है सरकार से, सरकार जिसका उत्तर देने के लिए तैयार होती है। वह मेरे पास अभी आया नहीं है, आप वैश्म मुझसे मिलियेगा, मैं जानकारी करूंगी, उसके बाद इस बारे में कोई निर्णय लेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खाली यही पूछ रहा था, हर बार, अध्यक्ष महोदय, आप डांट लगा देती हैं...

श्री अध्यक्ष : अब देखिए, यह क्या हो जाता है आपको। आप सदन का समय क्यों ले रहे हैं, बैठिये।

श्री बाबूलाल नागर : हर बार आप डांट लगा देती हैं जब भी कोई बात होती है। आपकी डांट तो अच्छी है पर मैं जानकारी करना चाह रहा था...

श्री अध्यक्ष : आप सदन का समय व्यर्थ क्यों बिता रहे हैं...

श्री बाबूलाल नागर : महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण लगाया है मैंने।

श्री अध्यक्ष : गलत बात है यह आपकी । (व्यवधान) दोबारा आओ चाहे तिबारा आओ, यह कौन-सा क्या तरीका हुआ आपका ? (व्यवधान) मिस्टर अशोक बैरवा ...

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : मेरा नाम लिखा है।

श्री अध्यक्ष : आई से सिट डाउन, आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 दिन हो गये ध्यानाकर्षण को। 22 दिन हो गये।

श्री अध्यक्ष : बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। 295 पर डा. ओ.पी.महेन्द्रा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बीकानेर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अतिरिक्त सीट आबंटन के नाम पर राशि वसूली

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के विधि संकायों को सीटें अलाटमेंट के नाम पर फीस के 1/3 की अनधिकृत मांग किये जाने के संदर्भ में विशेष उल्लेख प्रस्ताव । उक्त विषयान्तर्गत विनम्र अनुरोध है कि बीकानेर विश्वविद्यालयों के गठन से पूर्व बीकानेर संभाग के सभी महाविद्यालय महर्षि दयानन्द सरस्वती विशवविद्यालय से सम्बन्ध थे। के विधि संकायों को सीटें बुनियादी सुविधाओं के आधार पर आबंटित की जाती थी। सत्र 2003-2004 की परीक्षा बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई है।

नया शिक्षा सत्र 2004-2005 आरम्भ होने पर बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों के विधि संकायों में सीटें आवंटित करने हेतु प्रति छात्र फीस का 1/3 हिस्सा मांगा जा रहा है। हिस्सा न देने पर महाविद्यालयों को कहा जा रहा है कि आपको विधि संकायों हेतु 60 सीटें ही दी जाएंगी जबकि पूर्व में इन्हीं महाविद्यालयों में कहीं 320 अथवा 400 सीटें आबंटित थीं। इससे पूर्व राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में इस प्रकार का कोई नियम व परम्परा नहीं रही।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए विनम्र अनुरोध करता हूं कि राज्य में स्थित महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान जैसे स्नातकोत्तर संकायों को चलाना किसी भी प्रबन्ध समिति के वश की बात नहीं है1 स्टाफ के वेतन, भत्ते एवं अन्य भारी व्ययों के चलते, सरकार द्वारा 70 अथवा 80 % अनुदान के बावजूद भी महाविद्यालय घाटे में चल रहे हैं। जिन महाविद्यालयों में विधि संकाय चल रहे हैं वहां कुछ हद तक घाटे की पूर्ति होती है। ऐसी स्थिति में इन महाविद्यालयों के विधि संकाय में सीटें अलाटमेंट के नाम पर फीस का 1/3 मांगा जाना न्यायोचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : खड़े होकर बात नहीं करें। मि. कालीचरण सराफ, खड़े होकर बात नहीं करें।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा : ... अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा इस प्रकार की अवैधानिक मांग पर रोक लगाई जाए और जिन महाविद्यालयों में विधि संकाय हैं उन्हें पूर्व की भांति सीटों का आबंटन किया जाए, ताकि बीकानेर संभाग के महाविद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारी लाल शर्मा।

धौलपुर में खनिज अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा रवन्ना से अधिक शुल्क वसूली

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत माननीय खनिज मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला धौलपुर में खनिज विभाग ने अधिशुल्क संग्रहण का ठेका दिया हुआ है। ठेकेदार द्वारा ट्रक एवं ट्रैक्टर्स से रवन्ना से अधिक अधिशुल्क वसूल करने का कार्य किया जा रहा है। ठेके की शर्तों के अनुसार जिस ट्रक एवं ट्रैक्टर के पास रवन्ना है उससे अधिक अधिशुल्क वसूल करने का अधिकार ठेकेदार को है किन्तु जिन ट्रक व ट्रैक्टर्स के पास रवन्ना नहीं है उनसे ठेकेदार अधिभार वसूल नहीं कर सकता। लेकिन उक्त ठेकेदार द्वारा बिना रवन्ना के जो ट्रक व ट्रैक्टर्स धोलपुर के मार्ग से गुजरते हैं, उनको रोक कर उनसे भी अधिक अधिभार शुल्क वसूल किया जा रहा है और इनकी रसीदें भी दी जा रही हैं । ठेकेदार द्वारा सरासर ठेके की शर्तों का उल्लंघन है। ठेकेदार ऐसे मामलों में रसीद नहीं काट सकता। उक्त प्रकार के मामलों में विभाग को कई बार शिकायत की गयी किन्तु विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे धौलपुर के नागरिकों में भारी रोष है। अतः उक्त ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : थैंक यू। श्री जयराम जाटव।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री) : मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में तमाम स्थानों पर समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गयी कि यह 8 रूपये टन के हिसाब से है और हर जिस स्थान के ऊपर ये ठेके के कार्य और बजरी जहां से उठायी जाती है उस स्थान पर एक माह के अन्दर-अन्दर बोर्ड लगा दिये जाएंगें ताकि इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : वैरी गुड ।

श्री बनवारी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्नोत्तर की बात नहीं कह दिया उन्होंने।

खैरथल (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत खैरथल में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र खैरथल नगरपालिका 'ए' ग्रेड की एक बहुत बड़ी अनाज मण्डी है। यह कस्बा जिला अलवर में अलवर शहर को छोड़ कर एक नम्बर है तथा जनसंख्या 50 हजार से अधिक है। यह नगरपालिका का बहुत बड़ा कस्बा है। इस कस्बे में रेलवे स्टेशन है। यहां पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल एक है। इस कस्बे के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में लगभग 200 गांव हैं। पूर्व में तिजारा, पश्चिम में बानसूर, उत्तर में मण्डावर व अलवर विधान सभा क्षेत्र दक्षिणी गांवों से लगते हैं। विधान सभा क्षेत्र अलवर यहां से 50-60 किलोमीटर दूरी पर है। 100 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इन चारों विधान सभा क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल में छात्र-छात्राएं सीनियर सैकण्डरी स्कूल के बाद शिक्षा से महरूम होकर अपने घर बैठ जाते हैं। इस इतने बड़े क्षेत्रफल के भूभाग में राजकीय महाविद्यालय नहीं होना छात्र-छात्राओं पर शिक्षा जगत में अधिकारों का हनन होना माना जा रहा है। इस ग्रामीण अंचल में अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग व अन्य

(श्री जयराम जाटव)

पिछड़े वर्ग का क्षेत्र हैं। उपरोक्त सभी वर्ग के लोग गरीब अवस्था में अपना गुजर-बसर करते है। इस कारण से छात्र-छात्राओं को अलवर में जहां राजकीय महाविद्यालय है, वहां जाने-आने में शहर में मकान किराये लेकर रहने में भी परेशानी उठानी पड़ती है व इसमें कई तो असमर्थ भी हैं। उक्त छात्र-छात्राओं के लिए प्राइवेट महाविद्यालय में शिक्षा अध्ययन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्राइवेट कालेजों की फीस बहुत ही ज्यादा है शिक्षा जगत में हमारी राजस्थान सरकार बहुत सजग है। सरकार की जागरूकता उन छात्र-छात्राओं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से है, वरीयता देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से महाविद्यालय खैरथल में खोलने की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में ही राजकीय महाविद्यालय खैरथल मण्डी में खुलेगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद। श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल ।

देसूरी में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख बाबत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र देसूरी भौगोलिक स्थिति में राजसमन्द, सिरोही उदयपुर जिलों की सीमा से लगता हुआ है। उदयपुर से आने के लिए दो रास्ते हैं :- एक तो रणकपुर होते हुए, दूसरा चारभुजा रास्ता होते हुए पाली में प्रवेश होता है। तब से ही अरावली की पहाडियां समाप्त हो जाती हैं एवं मैदानी क्षेत्र आ जाता है।

मध्य प्रदेश व उदयपुर जहां अफीम की बहुतायत खेती होती है, जहां से अपराधी तस्करी का माल लेकर इन मार्गों से आते हैं यहां पर पुलिस की माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण अपराधी तस्करी करने में सफल हो जाते है। ऐसे में देसूरी में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोल दिया जाए तो इस आपराधिक प्रवृत्ति पर काफी अंकुश लगाया जा सकता है।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

महोदय जी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगी कि वर्तमान में सरकार की व्यवस्थानुसार प्रत्येक उप खण्ड अधिकारी के साथ-साथ उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूरे राजस्थान में है, परन्तू देसूरी एक ऐसा क्षेत्र है, जहां उप खण्ड अधिकारी कार्यालय के साथ उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं है। अतः देसूरी उप खण्ड में भी इसी बजट में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : डा. भंवरलाल राजपुरोहित।

मकराना में मार्बल स्लरी से प्रदूषण

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत मकराना में फैक्ट्रियों से उत्पन्न मार्बल स्लरी से उत्पन्न भारी पर्यावरण समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मकराना में करीब 300 मार्बल फैक्ट्रियां हैं। उसमें मार्बल चिराई के बाद वेस्ट मार्बल स्लरी पैदा होती है । इन बीस वर्षों में उद्योग विभाग एवं सरकार ने इस भारी उत्पन्न समस्या के निस्तारण के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की है। स्लरी के जो ढेर लग गये हैं, जो पहाड़ का स्वरूप बन गये हैं उनको रोकने हेतु सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस स्लरी को फैक्ट्रियों के मालिक अपने निजी प्लाट में नहीं डाल कर ट्रैक्टरों से मनचाहे स्थान पर डाल देते हैं जिससे सारे रास्ते, आम जगह मैदानों में, श्मशानों में, गोचर भूमि, पड़त भूमि में भयंकर कष्ट हो गये हैं। हवा से यह स्लरी, सड़कों, गांव की ढाणियों में उड़ कर हर व्यक्ति की सांस के साथ फेफड़ों में घुस कर बीमारियां पैदा कर रही है। मकराना एवं आस पास के क्षेत्रों में टी.बी. जैसी बीमारी से 40 प्रतिशत लोग पीडित हो गये हैं एवं अन्य बीमारियों से दिनों-दिन पीडित होते जा रहे हैं।

अतः सरकार समस्त फैक्ट्री मालिकों को अपने ही खरीदे प्लाट में यह स्लरी डम्प करने हेतु पाबन्द करे, नहीं तो जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसकी सरकार ही जिम्मेदार होगी। अतः शीघ्र ही कदम उठाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाएं। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर की भूमि पर वन विभाग का दावा

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर में वन विभाग द्वारा दखलंदाजी के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी का ध्यान उनके विभाग द्वारा जोधपुर के मधुरादास माथुर अस्पताल में की जा रही अनावश्यक दखलंदाजी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मथुरादास माथुर अस्पताल मेडिकल कालेज से जुड़ा जोधपुर का एक महत्वपूर्ण अस्पताल है और यहां कई विभाग की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं।

श्री अध्यक्ष : वन मंत्री जी तो दखलंदाजी कर रहे हैं, आप ध्यान आकर्षित करो मेडिकल मिनिस्टर का, जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का करो।

यह तो दखलंदाजी कर ही रहे हैं, उनका क्यों कर रही हो आप ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर एवं पश्चिमी राजस्थान के लिए न्यूरो-सर्जरी, मानसिक चिकित्सा, अस्थि रोग आपरेशन, सी.टी. स्कैन आदि महत्वपूर्ण सेवाएं केवल इसी अस्पताल में उपलब्ध हैं और यहां कैथ लैब एवं एम. आर.आई. सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं। यह अस्पताल के चारों ओर पक्की दीवारी है।

आश्चर्य की बात यह है कि वन विभाग, जोधपुर द्वारा शहर के बीचों-बीच स्थित इस अस्पताल को वन भूमि बता कर परिसर का एक हिस्सा खाली करवाने के लिये कहा जा रहा है। न केवल यह बल्कि वन विभाग ने अस्पताल परिसर के अंदर अपना बोर्ड भी लगा दिया है और अस्पताल प्रशासन पर उस हिस्से को खाली करने के लिये कहा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो बोर्ड लगाया है इसकी फोटो भी प्रस्तुत कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले पढ़ दो, फिर फोटो दे देना यहां।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह बात किसी भी समझदार व्यक्ति की समझ से परे है कि शहर के बीच अस्पताल परिसर में वन भूमि कहां से आ गई ? पूर्व में भी जब इस प्रकार का विवाद हुआ था जब तत्कालीन जिला कलक्टर ने यह स्वीकार किया था कि वन विभाग का रेकार्ड सही नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि जनता की सेवा में कार्यरत ऐसे विभाग को अनावश्यक परेशान न करने के अपने विभाग को उचित निर्देश देवें। साथ ही वन विभाग के रेकार्ड को सही जांच कर उक्त भूमि को मथुरादास माथुर अस्पताल को हस्तान्तरित करें। यदि रिकार्ड के अनुसार फिर भी भूमि वन विभाग को हो भी तो भी यह भूमि इसी अस्पताल को दी जाए और इसके एवज में उसके बराबर भूमि दूसरे स्थान पर वन विभाग को राज्य सरकार आबंटित करे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर ।

महुआ पंचायत समिति (दौसा) के बी.पी.एल. चयनित परिवारों को अनुदान

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं पंचायत समिति महुआ (दौसा) के उन बी.पी.एल. चयनित परिवारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कुट्टी की मशीन उपलब्ध कराने हेतु उनके द्वारा हिस्सा राशि जमा कराने पर अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है जो उन्हें अनुसूचित जाति विकास निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिये वर्ष 1999-2000 में परियोजना प्रबन्धक राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम दौसा की स्वीकृति क्रमांक 1941-45 दिनांक 1.11.99 एवं 2250-54 दिनांक 3.12.99 के अनुसार 64 कुट्टी की मशीनों की स्वीकृति जारी की गई थी। इस स्वीकृति के आधार पर पंचायत समिति महुआ ने उन लाभार्थियों से उनके द्वारा जमा कराई जाने वाली हिस्सा राशि एकत्रित कर ड्राफ्ट संख्या 13789 दिनांक 30.3.2000 द्वारा 22500/- रुपये एवं ड्राफ्ट संख्या 09915 दिनांक 17.5.2000 द्वारा 2250/- रुपये, ड्राफ्ट संख्या 9.10.2000 द्वारा 5250/- रुपये कुल 30,000 रूपये 40 व्यक्तियों के प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट एग्रो कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर को भिजवाये गये लेकिन आज तक उन्हें कुट्टी की मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई और ना ही उनके द्वारा जमा करायी गई राशि उन्हें वापस लौटाई गई।

(श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर)

इस प्रकरण में पंचायत समिति ने अपने पत्रांक 5658 दिनांक 10.11.2000, 5765-66 दिनांक 17.11.2000, 5983-85 दिनांक 16.12.2000 5925-26 दिनांक 23.12.2000 एवं अर्द्ध शासकीय पत्रांक 161 दिनांक 21.5.01 द्वारा बार-बार सम्बन्धित विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर कुट्टी की मशीन उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया लेकिन अभी तक इस ओर किसी ने कतई भी ध्यान नहीं दिया है।

मैं इस प्रकरण में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करना चाहूंगा कि उन 40 व्यक्तियों को कुट्टी की मशीन या उनके द्वारा जमा कराई गई राशि मय ब्याज उन्हें वापस लौटाने की व्यवस्था कराई जाने के आदेश करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरू खान।

फतेहपुर (सीकर) के ग्राम बाढ़ोद में पेयजल समस्या

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर (सीकर) के ग्राम बाठोद नारसरा में पानी की समस्या के कारण उस गांव के नागरिकों के विकलांग होने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम नारसरा का पानी इतना खराब है कि वहां का प्रत्येक नागरिक 15 वर्ष की उम्र में ही झुक जाता है। उसके दांत गिर जाते हैं एवं 25-30 वर्ष की उम्र में लोग कुबड़े हो जाते है। पानी चैक करवाने पर बहुत खराब बताया गया। विभाग ने कहा कि यह पानी क्या ग्रामीण पीते हैं। इस विषय में मैंने पूर्व में भी कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि कंटिंजेंसी स्कीम से नजदीक के गांव से पानी पहुंचाया जाए। नारसरा गांव के लोग पानी की समस्या के कारण अपना गांव छोड़कर अन्य स्थान पर पलायन करने का विचार कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पानी पहुंचाना अति आवश्यक है। अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन है कि नारसरा गांव को नजदीक के गांव बिबीपुर से पानी पहुंचाने को कृपा करें, धन्यवाद ।

नदबई कस्बे में रेल फाटक के कारण यातायात की समस्या

श्री अध्यक्ष : राजकुमारी कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कस्बा नदबई की मुख्य आवागमन की समस्या की ओर दिलाना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, कस्बा नड़बई के मुख्य बाजार में एक रेलवे फाटक है। वर्तमान में आगरा-बांदीकुई रेलवे लाइन ब्राडगेज में बदल गई है जिससे यह रेलवे क्रोसिंग कई रेल मार्गों से जुड़ गया है। इसकी वजह से यहां दिन भर रेलों का आना-जाना बना रहेगा, जिसके कारण रेलवे फाटक बंद-सा ही रहेगा। कस्बे की जनता को आने-जाने में समस्या व ट्रैक्टर-ट्राली एवं अन्य वाहनों का निकलना मुश्किल होगा क्योंकि रेलवे फाटक बन्द होने से फाटक के दोनों ओर रास्ता जाम रहेगा।

मैंने नदबई कस्बे की इस मुख्य समस्या को हल करने के लिये माननीया मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखकर निवेदन किया है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करती हूं कि इस बाई पास को जल्द से जल्द बनवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रो.बीरूसिंह राठौड़ ।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, परिसर स्थित श्री रामचन्द्रजी मन्दिर की परिसम्पत्तियों पर अधिकार का प्रकरण

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर में लगभग 75 वर्ष पुराने भगवान श्री रामचन्द्रजी के मंदिर के पेटे लगभग एक बीघा भूमि महाराजाधिराज सवाई माधोसिंहजी द्वारा बख्शीश की गई थी जिसका उल्लेख राजस्व रेकार्ड में उपलब्ध है, पुजारियों के पास पट्टे मौदूद हैं। यहां भगवान शिव का मंदिर भी है। यह मंदिर 1970 से सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में पंजीकृत है। यहां नियमित पूजा-पाठ व आरती होती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

हिन्दू धर्म के आस्था केन्द्र भगवान श्री रामचन्द्रजी व शिव भगवान के मंदिर की भूमि व भवनों (परिसम्पत्तियों) पर एस.एम.एस. अस्पताल प्रशासन व यहां का पुलिस प्रशासन कब्जा करने पर आमादा है, जिनका इस

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)
मंदिर व इसके पेटे भूमि पर कोई हक/अधिकार नहीं है ना ही हक/अधिकार के इनके पास कागजात मौजूद हैं। इससे पुजारी ही नहीं समस्त हिन्दू धर्मावलम्बियों में बड़ा आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मांग करता हूं कि इस मंदिर की परिसम्पत्तियों/भूमि से सवाई मानसिंह चिकित्सालय प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन का अब तक कर लिया कब्जा वापस दिलाया जाए तथा इनके द्वारा कब्जे के प्रयास कर तत्काल राज्य सरकार द्वारा पाबन्दी लगाई जाए। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल खराड़ी

फलासिया के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय के विशेषज्ञ अध्यापकों का पदस्थापन

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फलासिया में राजकीस सीनियर माध्यमिक विद्यालय, फलासिया में जुलाई, 1995 में विज्ञान संकाय खुला था। खुलने के वर्ष में 4 छात्र पास हुए थे। उसके बाद उस विद्यालय में विषय विशेषज्ञों के पद खाली हो गये, इसलिये वहां छात्रों ने प्रवेश नहीं लिये। इस प्रकार एक जनजाति बहुल क्षेत्र में पिछली सरकार का ध्यान नहीं गया जिससे वहां के छात्र चाहकर भी विज्ञान संकाय के अध्ययन से वंचित रहे। आज भी उक्त विषय में विशेषज्ञ कार्यरत हैं लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से जिले के अन्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति करा कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

अतः मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में खाली पड़े पदों को भर कर छोत्रों को लाभान्वित करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाषचन्द्र शर्मा।

कोटपूतली के राजकीय चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, हार्ट सर्जरी एवं ब्लड बैंक की सुविधा

श्री सुभाषचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जयपुर से दिल्ली जाते समय हरियाणा सीमा तक राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 पर आये दिन दुर्घटना होती रहती है आर सैंकड़ों लोग प्रति माह पर घायल होते रहते हैं जिनमें ज्यादातर लोग सिर की चोटों व

(श्री सुभाषचन्द्र शर्मा)

गम्भीर न्यूरोलोजी की समस्या के कारण बड़े अस्पताल एस.एम.एस. जयपुर तक पहुंचते-पहुंचते अपनी जान दे देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राज मार्गों पर किसी भी दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा सिर में चोट लगने के कारण न्यूरोलाजी की समस्या उत्पन्न होती है और नजदीक में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है।

हरियाणा सीमा शाहजहांपुर चैक पोस्ट से लेकर जयपुर के बीच जिला स्तर का अस्पताल केवल मात्र कोटपूतली का भगवान दास मोरीजा वाला राजकीय चिकित्सालय है। यह अस्पताल जिला स्तर का 150 बेड का अस्पताल है जिसमें हड्डी रोग, गायनाकोलोजिस्ट, फिजीशिपन, नाक, कान, गला, बाल रोग, क्षय रोग, दन्त रोग विशेषज्ञ तथा आपातकालीन सेवा उपलब्ध हैं। इतने बड़े अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं में जयपुर पहुंचते-पहुंचते अधिकांश लोग दम तोड़ देते है।

माननीया, मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के इस अस्पताल में यदि न्यूरो सर्जरी की सेवाएं उपलब्ध करवा दी जावें तो मैं समझता हूं कि सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की सेवाओं के साथ-साथ ब्लड बैंक की भी आवश्यकता है जिससे खून के अभाव में घायल को जान न गंवानी पड़े। इसके अलावा इस अस्पताल में हार्ट सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उक्त अस्पताल में उपरोक्त इकाइयां गठित कर न्यूरो सर्जरी, हार्ट सर्जरी तथा ब्लड बैंक की सुविधा यदि दिलवा दी जाती है तो जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पर पड़ने वाला मरीजों का भार भी कम किया जा सकता है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कोटपूतली के भगवानदास मोरीजा वाला राजकीय चिकित्सालय में उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फसल खरीद की अनुमति

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। वे अपनी पर्ची पर बोलें इससे पहले मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें, क्योंकि महत्वपूर्ण मांग है आज, इस पर भी लोग बोलना चाहेंगे, सड़कों पर। पांच मिनट का आपको अवसर है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरश: पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू । बैस्ट पार्लियामेटेरियन का दूंगी, अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यह पिछले साल की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता के सामने अपना चुनाव घोषणा पत्र रखा और राजस्थान के किसानों से वादा किया कि हम सरकार में आए तो किसान कल्याण कोष का गठन करेंगे, किसान जीवन रक्षा कोष का गठन करेंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस सरकार की करनी किस रूप में सामने आ' रही है, उसका उदाहरण राजस्थान में बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनाज की खरीद की अनुमति प्रदान करना है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता का करोड़ों रुपया इन मण्डियों की स्थापना में लगाया गया, एक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इन मण्डियों में एक मजदूर का, एक गुमाश्ते का, एक मुनीम का,एक हम्माल का, सबका भविष्य और सबकी रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने 21 मई, 2004 को इण्डियन टोबेको कम्पनी जो एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है, उसको फूड ग्रेन एण्ड आयल सीड नाम से लाइसेंस दिया और इसने कोटा सम्भाग के अन्दर 9320 क्विंटल गेहूं और 2060 क्विंटल सरसों की खरीद की है।

अध्यक्ष महोदय, आज शुरूआती दौर में ये ज्यादा भाव देंगे, किसानों को जोड़ेगे, किसानों को आकर्षित करेंगे। 2 साल, 3 साल यह सिलसिला चलता

(श्री संयम लोढ़ा)

रहेगा फिर जब बाजार पर उनका कब्जा हो जाएगा और जो बुनियादी ढांचा हमारे महान नेताओं ने राजस्थान की कृषि मण्डियों के माध्यम से विकसित किया है, वह ढांचा ध्वस्त हो जाएगा, अधोगति की तरफ चला जाएगा, बाद में किसानों को कौन मूल्य देने वाला रहेगा ? जिस राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 को अस्तित्व में लाया गया था कि बाजार को नियंत्रित किया जाएगा, किसान को उसकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक और वाजिब मूल्य दिलाया जाएगा, क्या राजस्थान सरकार ने उस अधिनियम के अन्दर किसी तरह का कोई संसोधन किया है ? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कोटा में कल की घटना है, लोग आन्दोलन के रास्ते पर हैं। पूरे राजस्थान के खाद्य व्यापार महासंघ ने राजस्थान की सरकार को चेतावनी दी है कि राजस्थान की सरकार ने यह जो कदम उठाया है, यह न केवल किसान विरोधी है बल्कि जन विरोधी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने यह जो निजी क्षेत्र को अलाउ किया है उसमें किसानों के हितों की रक्षा की क्या व्यवस्था की है ? आपने इस बात के लिये निर्देशित किया था कि गेहूं को 7 रुपये 20 पैसे किलो या 720 रुपये क्विंटल पर खरीदा जाए, लेकिन आपकी जानकारी में है, किसानों से 5 रुपये 85 पैसे प्रति किलो पर गेहूं खरीदा गया। वह कौनसा सरकार के पास ऐसा रास्ता है जिसके जरिये सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम देगी ? क्या आपने कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है ? सरकार यह बताए कि वह कौनसी ऐसी व्यवस्था आपने की है जिसके जरिए आप किसानों के हितों का संरक्षण करना चाहते है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यह तो केवल एक कम्पनी को खाली निजी क्षेत्र में अभी अनुमति दी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार के पास कितनी ऐसी और कम्पनियों के ऐसे आवेदन विचाराधीन हैं जो राजस्थान में किसानों की फसल को खुद सीधे खरीदना चाहते हैं और सरकार उसके बारे में क्या मंशा रखती है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में है कि कोटा सम्भाग में अभी सरकार ने इस बात की इजाजत दी है और अजमेर सम्भाग और दूसरे सम्भागों में भी इस तरीके की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने राजस्थान सरकार के

(श्री संयम लोढ़ा)

सामने आवेदन कर रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई मामूली सवाल नहीं है। आने वाले भविष्य में यह पूरे राजस्थान को अन्धकार की तरफ ले जाने वाला इस सरकार का फैसला होगा। कौनसे ऐसे कारण हैं जिनके तहत सरकार इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी को इस बात की इजाजत दी गयी है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में कृषि मंत्रीजी विराजमान हैं, वे सरकार की तरफ से स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कृषि की डिमाण्ड है न इस पर ।(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह किसानों से सम्बन्धित मामला है ।(व्यवधान) यह बहुत जरूरी सवाल है । कल कलक्टर, कोटा के सामने धरना दिया गया है और आन्दोलन की चेतावनी दी गयी है। जयपुर में राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के लोगों ने चेतावनी दी है आन्दोलन की। आप जिस घोषण-पत्र के आधार पर सत्ता में आये, आज आपका पहला साल है, और पहले साल में ही वे कौनसे कारण हैं जिसने आपको उस घोषणा पत्र विमुख होने के लिए बाध्य किया । सत्ता में आने के बाद वे कौनसे कारण हैं, जिनके कारण आप किसानों के हितों की अवहेलना करके एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हितों को प्राथमिकता देना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपने सात मिनट ले लिये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आज उस कम्पनी ने दस करोड़ रुपये खर्च करके 100 चौपाल उस पूरे कोटा सम्भाग के क्षेत्र में विकसित कर दी हैं । डेढ़ लाख किसानों से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सात मिनट ले चुके हैं, लेकिन पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया जाता है, इस समय इमीजिएट यह जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तैयारी है तो दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जानती हूं कि पर्ची से उठाये गये विषय पर जवाब अगर नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूरा जीवन किसानों की सेवा में समर्पित किया है, आपके आसन पर रहते हुए अगर किसानों के इस मसले पर सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आएगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो यह कदापि उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : जिस दिन डिमांड है उस दिन आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए, कृषि मंत्रीजी, इस बात का जवाब आप उस दिन दीजिएगा।

एक माननीय सदस्य : 27 तारीख को है।

श्री अध्यक्ष : हां, तो वह उस दिन देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अभी देना चाहें तो अभी दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पर्ची तो अभी दी है साढ़े नौ बजे, और अभी देना चाहें तो दें क्या देंगे? अभी पर्ची तो आपने साढ़े नौ बजे दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पूछ लो।

श्री अध्यक्ष : पूछ क्या लूं ? पर्चियों का जवाब दिया जाता है कभी?

श्री संयम लोढा : पूरे राजस्थान के लोग सड़कों पर आएगें तब जागेंगे आप। आज नहीं जागेंगे।

श्री अध्यक्ष : 27 को देंगे। श्री देवीशंकर।

श्री संयम लोढ़ा : किसान रक्षा कोष कब आएगा ? कब यह सरकार (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता में आने के बाद में उन किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, मण्डियां उपलब्ध करवाने की जगह आप बहुराष्ट्रीय कम्पनी को राजस्थान की जनता की छाती पर लेकर आते हो, यह कौनसा तरीका है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : यह खरीद के मामले में पहले भी हड़ताल की थी कृषि उपज मण्डी वालों ने। पूरा का पूरा प्रतिनिधिमण्डल माननीय मुख्य मंत्रीजी से आकर मिला था और आपने आश्वासन दिया था इस बात का, इस प्रकार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार पर्ची पर कोई भी... (व्यवधान) एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं अब आप कैसे यह ? संयम लोढ़ा बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इस प्रकार की खरीद आगामी आदेश तक नहीं होगी, बड़े-बड़े फोटो विज्ञापन आपने कोटा के संस्करणों में छापवाये थे कि हमने इनकी बात मान ली है और अब इस खरीद को बाहर नहीं खरीदा जाएगा। फिर यह कैसे चालू हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीशंकर।

ब्यावर नगर परिषद में भ्रष्टाचार

श्री देवीशंकर (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान ब्यावर नगर परिषद की ओर दिलाना चाहता हूं। ब्यावर नगर-परिषद राजस्थान की उन गिनी-चुनी नगर-परिषदों में अपना नाम रखती है जिसका कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा है। लेकिन पिछले पौने पांच साल से जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है, बोर्ड बनने के बाद उस शहर का हाल बेहाल हुआ है और नगर-परिषद की बजाए वह नरक-परिषद बन गयी है। नगर-परिषद के चुनावों के अन्दर जनता को जो सुविधाएं देने की बात की गयी थी :- सफाई, रोशनी और मानचित्रों को पास करना और शहर की सड़कों की मरम्मत करना, अनेक समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना था, उसके बावजूद जबसे नगर-परिषद बनी है, बोर्ड बना है, कांग्रेस का, तब से आज तक भ्रष्टाचार के सिवाय वहां कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार के कण-कण के अन्दर वहां के सभापति डूबे हूए हैं। उसके कारण वहां पर जो मानचित्र पास होने चाहिए थे वे मानचित्र पास नहीं हो रहे हैं, 510 मानचित्र पैंडिंग पड़े हुए हैं। जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वह सफाई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। भ्रष्टाचार दिन प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। जो फैसिलिटी की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उन जमीनों के ऊपर सभापति की शह से अतिक्रमण हो रहा है। फर्जी पट्टे पास किये जा रहे हैं। वहां के जागरूक

(श्री देवीशंकर)

नागरिकों ने जब समय रहते इसकी सूचना राज्य सरकार को दी और सूचनाएं भेजीं तो अपने कांग्रेस के शासन के कारण और बड़े नेताओं के बरदहस्त के कारण कोई जांच नहीं की गयी और वे सारे मामले पैंडिंग रह गये। आज तक उसकी हौसला अफजाई हुई है। पदोन्नति के मामलों में जिन कर्मचारियों को पदोन्नति दी जानी चाहिए थी उनको तो पदोन्नति दी गयी। इस तरीके से नियमों की भी अवहेलना की गयी।

इन सारे प्रकरणों की, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शासन आने के बाद इन समस्याओं के बारे में ब्यावर की जनता ने, नगर-परिषद के कर्मचारियों ने जब जन आन्दोलन खड़ा किया और एक महीने तक ब्यावर नगर-परिषद के बाहर धरना दिया जा रहा था तो अजमेर में जब माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी पधारें, इस सारे प्रकरण के बारे में उनको जानकारी दी गयी। मैंने भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने उसी समय इस सम्बन्ध में जांच करने के निपर्देश प्रदान किये। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के तहत उनकी डी.डी.आर. से जांच करने के आदेश भी दिये। जांच की गयी और उसमें उनको पर्याप्त समय भी दिया गया। और समय देने के बाद वह जांच वापस राज्य सरकार के पास आ गयी है। वहां आपके सम्भागीय आयुक्त द्वारा भी जांच की गयी। कलक्टर से भी अनेक प्रकरणों में जांच करायी गयी। ये सारे प्रकरण जांच होकर राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जिस नगर-परिषद का सभापति भ्रष्टाचार के कण-कण में डूबा हुआ हो, यह बड़ा दु:ख का विषय है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका निलम्बन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे सभापति को कब तक यह सरकार, जिसके ऊपर इतने आरोप, संगीन आरोप लगे हुए हैं और ने आरोप भी हमने नहीं लगाये हैं, पूर्व में कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के लोगों ने लगाये हैं और उस समय के विधायक ने भी लगाये हैं, उस समय तो बरदहस्त के कारण वे नहीं हट पाये लेकिन अब हमारी सरकार संवेदनशील है, इन मुद्दों पर तीव्र गति से कार्यवाही होनी चाहिए।

(श्री देवीशंकर)

मैं अभी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी कल-परसों ही यह बात चर्चा में आ रही थी कि ऐसे लोगों को भी नहीं हटाया जाना चाहिए था, हमारे प्रतिपक्ष के साथी कहते हैं कि उनको भी वरदहस्त दिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो वास्तव में दोषी हैं और नियमानुसार जिनकी जांच कम्प्लीट हो गयी है, उनको कब तक सरकार हटाने का मानस रखती है ? इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो नियमानुसार हटाये जाते हैं वे हटाने के बाद यह कोर्ट में चले जाते है उनकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? कोर्ट के अन्दर यह व्यवस्था करे कि सरकार केविएट लगाए और कोर्ट के अन्दर यह बात रखी जाए कि इसमें नियमानुसार हटाया गया है। पहले सरकार का पक्ष सुने और उसके बाद उसको स्टे दे, जिससे जनता के अन्दर एक अच्छा संदेश जा सके और जनता को पता लग सके कि यह सरकार संवेदनशील है और ऐसे भ्रष्ट सभापतियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने और काफी लोगों ने मुझे ब्यावर नगर-परिषद के अध्यक्ष के बारे में, उनकी अनियमितताओं के बारे में शिकायत की थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन अभी आपके प्रतिपक्ष वाले कह रहे थे, माननीय सदस्य पहले आप विराजिये। अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि यदि मंत्री देना चाहे तो पर्ची का जवाब दें, उस वक्त तो अपने कैसे कहा कि जवाब दो ? (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : हमने तो कहा कि आपने ही यहां पर आदेश दिया है कि पर्ची का जवाब नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कोई आवश्यक नहीं है।

श्री सी.डी. देवल : अब पर्ची का जवाब दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई जरूरी नहीं है कि दे ही दें। नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन मंत्री को इस बात के लिए कहा नहीं जा सकता है कि आप जवाब दीजिए। लेकिन अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे सकता है। वे दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैंने सरसरी तौर पर जांच करवाने के बाद वह दोषी पाये गये। दोषी पाये जाने के बाद मैंने उनकी न्यायिक जांच करवायी और न्यायिक जांच में भी ब्यावर के सभापति दोषी पाये गये हैं। कल-परसों में ही पत्रावली मेरे पास आयी है, उसका शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाएगा और जो भी कार्यवाही सभापति के विरूद्ध नियमानुसार होगी, कर दी जाएगी ।

(13.00 बजे)

अजमेर व पुष्कर में ए.डी.बी. के विकास कार्यों की धीमी चाल

श्री अध्यक्ष : थैंक्यू। डा. श्री गोपाल बाहेती। पांच मिनट का समय है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, अभी बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कहा था कि वर्तमान में राज्य के 6 बड़ें शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु एशियन विकास बैंक के सहयोग से राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना चलाई जा रही है जो अब अन्तिम चरण में है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि अजमेर की स्थिति तो यह है कि अजमेर के ए.डी.बी. के कार्य गत 6 माह से ठप्प पड़े हैं। स्थिति वहां की यह बनी हुई है कि म्युनिसिपैलिटी अजमेर को उसका ब्याज भुगतना है और यू.आई.टी. को जमीन का पैसा भुगतना है। सरकार का पत्र उनके पास पहुंच चुका है ब्याज भरने के लिये, लेकिन कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो पूर्णता की ओर जा रही हो। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वह अपने अफसरों को हिदायत दें कि इस काम में तेजी लाई जाए। पूरे शहर की सड़कें खुदी पड़ी हैं सीवरेज के डालने के लिये। सामने बरसात है, कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाए। इससे बड़ी बात यह है कि जो ठेके अन्तर्राष्ट्रीय

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)
कम्पनियों ने लिये हैं, वे ठेके सबलैट करके जो छोटे कान्ट्रेक्टर्स है, जिनके पास पूरे साधन नहीं है, उनसे काम करवा रहे है। तो कम की क्वालिटी काम की प्रोग्रेस और काम के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा, इन तीनों में वे कोताही बरत रहे हैंए। इसका परिणाम पहले अजमेर भुगत चुका है। एक आदमी की उसमें मृत्यु हो चुकी है जिसे निदेशक महोदय और सचिव महोदय ने आकर देखा था और उसके बाद उसे हिदायत दी थी।

इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी प्रकार पुष्कर का बजट है 8 करोड़ 62 लाख रूपये का जो सरकार के पास आज भी इसलिए पैंडिंग पड़ा है कि टेण्डर जारी करने है। आठ-नौ महीने उसको हो गये है, अब तक टैण्डर जारी नहीं हो सके। बहुत दुःख की बात है कि पुष्कर जैसे पवित्र स्थान जिसके विकास के लिये पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने पैसा बचाकर एलोकेट किया था, उस पैसे को लगाने के लिये भी यह विभाग कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। मुझे तो अब यह पता चला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है, इसलिए आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहूं सम्भव हो तो मंत्री महोदय सदन में आश्वासन दें मुझे पता चला है कि पुष्कर, जैसलमेर और अन्य शहरों में जो पैसा लगने वाला था ए.डी.बी. का उस पैसे को बचाकर ए.डी.बी. से बात करके जो पानी बीसलपुर से जयपुर ला रहे हैं, उसमें लगाने का सरकार विचार रखती है और इस बात को लेकर वहां की जनता में बहुत चिन्ता है ।

पुष्कर की जो मैंने सड़कें हैं, जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाइटिंग सिस्टम है वह सारा ए.डी.बी. में लिया हुआ है और इस वजह से वहां न म्यूनिसपैलिटी काम कर पा रही है, न दूसरी एजेन्सी काम कर पा रही है और यह काम हो नहीं रहा है। जिस स्थान पर प्रति वर्ष लाखों यात्री अपनी यात्रा करने आते हैं, उस स्थान की सड़कें, उस स्थान का परिक्रमा मार्ग दयनीय स्थिति में है। यह पूरा ए.डी.बी. में लिया हुआ है इसलिए बहुत गम्भीर बात है यह।

इसी प्रकार से जो हमारे यहां तीन डिस्पेंसरियां बनने वाली थीं- हरिभाऊ उपाध्याय नगर और वैशाली नगर में, जिनकी जमीन यू.आई.टी. अजमेर इनको दे चुकी है, अभी वह काम भी चालू नहीं हुआ। सरकार का काम

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बहुत धीरे चल रहा है। जो विशेष बात मैं इसमें उल्लेख कर रहा हूं आपसे, कि "आनासागर" का ट्रीटमेंट प्लान्ट, जो पूरा इनका बन चुका है, पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है, वह काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। आनासागर झील खतम होने के कगार पर है। वह प्लान्ट बन जाता तो अजमेर की जो झील थी, जो पूरी सौन्दर्य से जुड़ी हुई थी, वह सब बच जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात पर माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे और जहां तक सम्भव हों, यह हिदायत देंगे अपने अधिकारियों को, कि काम शीघ्र पूरा करें। धन्यवाद!

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री) : दे दूं, साहब, जवाब ?

श्री अध्यक्ष : दे रहे हो जवाब इसका?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हां, दे देता हूं इसका जवाब। थोड़ी तसल्ली से सुन लें, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सिर्फ दो मिनेट का समय लूंगा। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य की जो भावना है, उसकी मैं कद्र करता हूं और आशा करता हूं कि जो मेरा जवाब होगा उससे यह सन्तुष्ट होगें। पूरे अजमेर और पुष्कर के बारे में पूछा है, इसके बारे में ही आपको बता दूं। आर.यू.आई.डी.पी. के बारे में आप ज्यादा चिन्तित हैं। आपके सवाल भी लगे हैं। अजमेर शहर में अभी तक लगभग 118 करोड़ रूपये के 17 कार्यों के कार्यादेश दिये जा चुके हैं तथा सभी कार्य पगति पर हैं। जून, 2004 तक 39 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके है। इसमें से पिछले 6 माह में 18 करोड़ रूपये व्यय किया गया और आपके शासन काल में दो साल में मात्र 21 करोड़ रूपये खर्च किया गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें फर्क है, डा. साहब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : हमारी सरकार के आने के बाद से कार्यों की गतिविधि में तेजी आई है व प्रोजैक्ट की कार्य अवधि अर्थात जुन, 2005 तक सभी कार्य पूर्ण कर लिये जाएंगे। सी.आर.पी.एफ. रेलवे क्रोसिंग पर पुल बनाने से यातायात की समस्या हल होगी। आदर्श नगर स्थित 50 बैड का अस्पताल बनाने से आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अजमेर शहर की एण्ट्री रोड जैसे जयपुर रोड तथा ब्यावर रोड को चार लेन में परिवर्तित करने

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)
का कार्य कुल 11 किलोमीटर लगभग पूर्ण हो चुका है। जलापूर्ति सुविधाओं को बढ़ाने के लिये 12 पेयजल टैंक, 150 किलोमीटर पाइप लाइन तथा पाँच पम्पिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। अजमेर शहर में वर्षा जो जल की निकासी की पुरानी समस्या हेतु समुचित व्यवस्था हेतु काजी का नाला, बांडी नदी, एस्कैप चैनल आदि का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। शहर में दो नये फायर स्टेशन का निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। सीवरेज की समस्या सें छुटकारा पाने के लिये 350 किलोमीटर सीवर लाइनें डाली जा रही हैं तथा दो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जा रहे हैं ।

पुष्कर का जहां तक सवाल है, पुष्कर शहर के कार्यों की योजना आर.यू.आई.डी.पी....(व्यवधान)

डा. श्री गोपाल बाहेती : माननीय मंत्री महोदय, आपको जो जवाब दिया गया है इसमें आधी सत्यता है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप मुझे बता देना।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : मैं आपको निमन्त्रण देता हूं कि आप अजमेर पधारे और सारा इंस्पेक्शन करें तो पता पड़ेगा आपको।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय डा. साहब, आपको अगर इसमें कोई गलत नजर आता है तो आप मुझे बता दें। मैं व्यक्तिश: जांच करवा लूंगा इसकी।

श्री अध्यक्ष : वैरी गुड ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पुष्कर शहर के कार्यों की याजना भी आर.यू.आई. डी.पी. के अन्तर्गत बनाई गयी थी जिसको प्रारम्भ में अजमेर शहर का भाग मानते हुए ए.डी.बी. व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति टे दी गयी थी। अनेक माननीय सदस्य : हो गया। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : एक मिनट, पूरा कर ही देने दो, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। डालर के मुकाबले रूपये का मूल्य पुन: बढ़ने से बचत में कमी आई तथा ए.डी.बी.द्वारा पुष्कर शहर के कार्यों के बारे में स्वीकृति देने से अब मना कर दिया गया है। ए.डी.बी. ने किया है । मनीला में एप्रोच करो आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : यह ए.डी.बी. ने मना नहीं किया है, यह आपके यहां से प्रस्ताव गया हैं। इस पैसे को बचाकर आप डाइबर्ट करना चाहते है। जब सरकार ने पहले स्वीकृत कर दिया इसको...

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अजमेर का नहीं काटा है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : यदि सरकार मना करती तो ए.डी.बी. वाले प्रोजैक्ट नहीं बनाते और न भेजते सरकार के पास। प्रोजैक्ट दो बार आया है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप सुन तो लें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : प्रोजैक्ट दो बार आया है ।(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप सुन तो लें। पुष्कर ही नहीं बल्कि 75 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में आधारभूत विकास के लिये परियोजना के द्वितीय चरण को हाथ में लेने का निर्णय किया गया है। परियोजना के इस द्वितीय चरण की लागत लगभग 900 करोड़ रूपये होगी तथा इसमें सम्भागीय मुख्यालयों के अतिरिक्त 30 अन्य शहरों के विकास कार्य करवाये जाएगे। उसमें हमने आपके पुष्कर को भी शामिल कर लिया है। राजस्थान के और शहरों को भी शामिल कर लिया गया है। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं और मैं निश्चित ही आपको आश्वासन देता हूं कि हमने धार्मिक और पर्यटक स्थल जो शामिल किये हैं उनमें पुष्कर भी है। जैसे ही परियोजना की मंजूरी होगी, काम शुरू करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा। धन्यवाद मंत्रीजी। डा. चन्द्रशेखर बैद।

तारानगर में पेयजल की किल्लत

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तारानगर में पीने के पानी की पिछले सात-आठ दिनों से जो किल्लत हो रही है उसकी तरफ पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

तारानगर विधान सभा क्षेत्र आपणी योजना से जुड़ा हुआ है और तारानगर के (1) गांवों में से 96 गांवों को अपणी योजना से पानी मिल रहा है। पिछले सात दिनों की स्थिति यह है कि वहां के 13 गांवों को पिछले सात दिनों से बिलकुल पानी नहीं मिला है। जिन गांवों को पानी नहीं मिला है उनमें प्रमुख हैं सारायण,बाससारायण, कोईना, गिलगिटी, मदावास , भानेरी, तागावास और लखनवास । चूरू से आने वाले माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे

(डा. चन्द्रशेखर बैद)
भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो चूरु-बिसाऊ योजना आगे आने वाले समय में इसी योजना के कनैक्ट होने वाली है, उसमें चूरु और झुन्झुनूं के क्रमश: 85 और 86 गांवों को इससे पानी मिलने वाला है।

इस महत्वपूर्ण आपणी योजना देखने के लिए सारे लोग आये :- जर्मन गवर्नमेंट के लोग आये, अपने देश के विभिन्न राज्यों के लोग आये। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है, जो मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा-"जल प्रदाय योजनाओं के प्रबन्धन में आपणी योजना की प्रणाली काफी सफल सिद्ध हुई है"। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह "सफल" वर्ड जनवरी तक ही पासिबल था, जनवरी के बाद इसको यों लिखा जाना चाहिए कि आपणी योजना, जो सफल सिद्ध हुई थी जनवरी तक, आज की तारीख में असफल सिद्ध हुई है।

मैं आपको आज सुबह के आंकड़े बताना चाहता हूं कि नार्मली गन्धली हैड के ऊपर 42 क्यूसेक्स पानी मिलता है, लेकिन पिछले सात दिनों से सिर्फ 18 से 20 क्यूसेक्स पानी मिल रहा है, इतनी पानी की गिरावट है। दूसरी चीज आपकी जानकारी के लिए यह है कि जो जर्मन स्कीम शुरू हुई थी आपणी योजना, इसके अन्दर उन्होंने फेज II अभी इसलिए शुरू नहीं किया है कि राज्य सरकार यह तय नहीं कर पायी है कि आपणी योजना का आपरेशन और मेन्टिनेंस कौन करेगा। इस आपरेशन और मेन्टिनेंन्स की खामी के कारण ही इन महत्वपूर्ण 13 गांवों को, जिनकी आबादी 500 से 1200 के बीच में है, पिछले सात दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने भाषण के अन्दर कहा था कि आपणी योजना में जन सहभागिता भी होती है। सारे एम.एल.एज से उन्होंने निवेदन किया था कि इस तरह की योजना दूसरी जगह पर शुरू की जाए, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं की गयी है। दूसरा, इसके लिए अगर किसी कारणवश पीछे से पानी कम आ रहा है, 42 क्यूसेक्स की जगह अगर 18 क्यूसेक्स ही आ रहा है तो कम से कम वहां पर आपकी वैकल्पिक व्यवस्था तो की जानी चाहिए क्योंकि आपकी 100 दिन की कार्य योजना में भी इसको शामिल किया गया था। कि किसी वजह से नोर्मल पानी की सप्लाई नहीं होगी तो उसकी जगह कोई पानी के टैंकर के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

माननीय मंत्री महोदय यहां पर मौजूद नहीं हैं, आज अगर वे यह इन्कवायरी करें कि कितना क्यूसेक्स पानी आ रहा है और किन-किन गांवों में कितने दिनों से पानी नहीं आया है तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि पिछले सात दिनों से इन गांवों में पानी नहीं आया है। कई गांव वालों से बात करने के बार मैं आपको यह कह रहा हूं, उनके स्टेटमेंट ये हैं कि आ सरकार आणै के बाद मैं आंख्या मैं जरूर पाणी आग्यो, पीण वास्ते म्हाने पानी कोनी मिल्यो (व्यवधान) नहीं, ये आपकी ही सरकार के आंकड़े हैं जो यह बता रहे हैं कि 42 क्यूसेक्स की जगह 18 क्यूसेक्स पानी आ रहा है। आपरेशन और मेन्टिनेंन्स उनकी हो नहीं रही और इन 13 महत्वपूर्ण गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। आपके पाइप लाइन में कोई गड़बड़ हो तो पानी की वैकल्पिक व्यवस्था तो पानी के टैंकर भेज कर की जानी चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद । जय-हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ।

अनुदान की मांग

मांग सख्या 19-लोक निर्माण की प्रस्तुति

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19- लोक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 2,22,01,17,000 (दो अरब बाईस करोड़ एक लाख सत्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग सख्या-21 सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21- सड़क एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,51,19,07,000 (पांच अरब इक्यावन करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-19 व 21 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री भरत सिंह। (अनुपस्थित) मोहम्मद माहिर आजाद। (अनुपस्थित) श्री हरीशचन्द कुमावत।

श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : अध्यक्ष महोदय, सड़कों का काम हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने जिस हिसाब से राजस्थान प्रदेश को दिया और जितना काम सड़कों का हुआ उससे आज मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछ गया है कि जिन गांवों में दूरियां थीं, आज उनकी दूरियां समाप्त हो गयी हैं और इतनी निकटता बढ़ गयी है कि इसके कारण से आज हमारा आवागमन के साधन बहुत सुलभ हो गये हैं। विशेषकर प्रधान मंत्री सड़क योजना से आज काश्ताकार को इतनी सुविधा उपलब्ध हुई है कि हमारे प्याज के ट्रक जो कभी बाहर खड़े रहते थे उनको काफी तकलीफ होती थी, आज खेत की सीमा पर जाकर ट्रक खड़ा होता है। उसको इतनी सारी सुविधा उत्पन्न हो गयी है कि वो चाहे जब अपना ट्रक भरता है और व्यापार के लिए बाहर भेज देता है।

(13.17 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार से केन्द्रीय सड़क निधि जो सड़के पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान प्रदेश को दी, उससे भी सड़कों का एक जाल बिछ गया। स्टेट हाईवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो सड़कों का निर्माण हुआ उससे सारा आवागमन सुधरा है विशेष कर जब नयी सरकार आयी तो इन कामों में और गति प्रदान हो गयी। 100 दिवसीय कार्य योजना बना दी, उस कार्य योजना के कारण से जो सड़कों का काम पैंडिंग था, उन सड़कों का इतनी द्रुत गति से निर्माण हुआ कि आज हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान की आम जनता धन्यवाद प्रेषित कर रही है। नयी सरकार आने के बाद सड़कों का जिस द्रुत गति से निमार्ण किया गया, आज आवागमन की सुविधा बढ़ी है।

पूरे प्रदेश में विशेषकर जो लिंक रोड का निर्माण हुआ है- सड़कें बनने के बाद भी जो छोटे-छोटे टुकड़े रह गये थे, आवागमन में जो बाधक थे,

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

लिंक रोड़ के निर्माण से भी आज आवागमन के साधन और सुविधा बढ़ गयी है। जो टूटी-फूटी सड़कें थीं वो भी सुधरी है। इसके कारण से अब लोगों में विश्वास जमा है। नया राज आने के बाद, इन्होंने घोषणा पत्र में यह घोषणा कर रखी थी कि जो टूटी-फूटी सड़कें हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो इस प्रकार की सड़कें रह गयी थीं जहां पर बरसात में पानी भर जाता था, इस प्रकार की दिक्कत थी कि आवागमन नहीं होता था, वहां पर सीमेन्ट की सड़कों का निर्माण हुआ है और यह काम द्रुत गति से चालू है। इसलिए मैं नयी सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जब से शासन संभाला है, इस और ध्यान दिया और इस प्रकार का निर्माण कार्य हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की भी कुछ बातें बताना चाहूंगा, वह इसलिए कि ऐसी कुछ सड़कें रह गयी हैं। हमारे चिताबा है, चिताबा में आवागमन की जो सड़कें हैं, जो आबादी क्षेत्र है वहां सीमेंटेड सड़क का निर्माण होना जरूरी है। डामर की सड़क तो बन गयी, लेकिन जो शहर का आबादी क्षेत्र था वह छूट गया। इसी प्रकार से चिताबा, कुकड़बाली, पांचबा और कुचामन में जो सीमेन्ट के पोर्शन हैं उनका निर्माण होना बहुत जरूरी है। सी.आर.एफ. में एक करोड़ के करीब बचत भी है इसलिए मंत्री महोदय से यह अनुरोध है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पैसा आपको लगाना पड़ेगा। यदि उन सड़कों का निर्माण करा दिया जाता है तो वहां आने-जाने की सुविधा बढ़ जाएगी।

इसी प्रकार से हमारे बाईपास की आज बहुत आवश्यकता है कुचामन सीटी एक बहुत बड़ा है, जहां पर पचास हजार से ऊपर की आबादी है, वहां पर शहर के भीतर से जब ट्रकें आती हैं, दुर्घटनाएं होने की बराबर सम्भावना बनी रहती है। इसलिए वहां पर बाई पास का होना बहुत जरूरी है। पहले जो जयपुर से स्टेट हाई-वे स्वीकृत हुआ था उसमें यह बाई पास बनने वाला था, परन्तु कांग्रेस सरकार बीच में आ गई और जो स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो गया था जयपुर से नागौर तक का, उसका काम उन्होंने करवाया नहीं। नहीं करवाने से वह बाई पास के काम भी अधूरे रह गये, न उन सड़कों का निर्माण हुआ। इसलिए जब नई सरकार आ गई है, स्टेट हाईवे जो जयपुर से कुचामन होकर

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

बूर्स-नागौर तक बनने वाली थी, उसका काम यह सरकार करवाए। मैं समझता हूं, नाबां, मीठड़ी और कुचामन का यह बाई पास बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतनी दुर्घटनाएं होती हैं कि उनके कारण से आज सब लोग तकलीफ में है। शहर के भीतर से जब गाडियां जाती हैं, तो कम्पनी सबमें छूट जाती हैं। मुख्य बस स्टैण्ड से जाती है तो वहां पर भी एक रुकावट आ जाती है और आम आदमी को आज काम करने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह बाई पास अवश्य बनाया जाए।

इसी प्रकार से आज जो हमारा नमक क्षेत्र है, नाबां का क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में है, पर औद्योगिक क्षेत्र में आने-जाने के लिए सड़कों की कमी है। वहां पर चाहे बी.ओ.टी. से आप निर्माण करवाएं, कुछ पैसा साल्ट डिपार्टमेंट ने भी पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को दिया है, यदि वह सड़क भी बन जाती है तो उस नमक उद्योग के लिए आवागमन के साधन सुलभ हो सकते है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप उन सड़कों का भी निर्माण करवाएं।

तीसरा, अजमेर से होकर मुख्य सड़क किशनगढ़, परबतसर, कुचामन, सालासर नेशनल हाईवे डिक्लेयर होने वाली थी,

नेशलन हाईवे तो डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन वह स्टेट हाईवे डिक्लेयर किया जा सकता है। उस सड़क को वह भी इतनी चौड़ी, जिस प्रकार से दूसरी सड़कों का निर्माण हुआ है उसी प्रकार से इन सड़कों को बनाया जाए। इससे जो लम्बी दूरी है वह दूरी कम हो जाएगी और आवागमन के इतने साधन बढ़ जाएगें जिससे यहां का रास्ता ठीक होगा।

इसी प्रकार से आज रेनवाल, दाजलिया, चौमूं ये जो सड़कें हैं कुचामन होकर ये भी स्टेट हाईवे डिक्लेयर होने की आवश्यकता है1 इसकी बराबर सारी तैयारी हुई, इनको स्टेट हाईवे डिक्लेयर किया जाए। इसका निर्माण होने से नागौर की ही नहीं, उससे नागौर की तरफ बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जाने की भी दूरी कम होगी। इसलिए उस सड़क को स्टेट हाईवे घोषित किया जाए और उसकी मरम्मत भी कराई जाए। पहले सड़कों को जोड़ा जाता

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

था उस समय की वे सड़कें बनी हुई हैं, वहां की स्थिति ऐसी है कि कहीं पर डामर की बन गयी, कहीं पर ग्रेबल की है। जो मुख्य रास्ता है वह ऊबड़-खाबड़ इतना खराब है कि आज वहां पर आना-जाना मुश्किल है। न वह किसी योजना में आ रही है। यद्यपि वहां पर ग्राम पंचायत का हैड क्वार्टर है, वहां पर एक हजार से ऊपर की आबादी भी है, परन्तु वह किसी योजना में नहीं आने से कागजों में तो यह हो गया कि वहां पर सड़क बन गयी जबकि वहां पर सड़क है नहीं। वास्तव में वहां पर तकलीफ है, इसलिए यह जो स्टेट हाईवे डिक्लेयर होने वाला है इसमें यदि रास्ते का निर्माण होता है तो पूरी सड़क सब लोगों को आने-जाने के लिए मिलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह सड़क वहां पर बनाई जाए।

इसी प्रकार से घाटबास- कुचामन सड़क जो सी.आर.एफ. में मन्जूर है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ (M.D.R) है, यह सड़क बनाने से सारी मिटने वाली है इसलिए इस सड़क की भी मरम्मत कराई जाए, चौड़ी कराई जाए। सी.आर.एफ. में उसकी मन्जूरी होने वाली है, वह काम यथा शीघ्र कराया जाए। हमारे खातरदी जो गांव है वह नावा तहसील में एक लंका की तरह से है। वहां पर कोई आने-जाने का साधन है ही नहीं बरसात में तो इतनी तकलीफ हो जाती है कि यद्यपि वह गांव पंचायत हैड क्वार्टर है, नावां तहसील में है, कुचामन पंचायत समिति में है, परन्तु परबतसर होकर इधर से, इस रास्ते से चक्कर लगाने से इतनी दूरी बढ़ जाती है कि जिस तहसील का, जिस पंचायत समिति का वह गांव है वहां भी आ-जा नहीं सकता। वह नमक का क्षेत्र है। वहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में तीन करोड़ पन्द्रह लाख की राशि भी स्वीक़त हुई थी, लेकिन वहां पर नमक की झील होने से पानी भरता है, इसलिए वहां पुलिया बनाने की ज्यादा आवश्यकता है। और पुलिया बनाने के लिए यहां पर इस प्रकार का है कि इतनी ज्यादा बड़ी पुलिया नहीं बनाई जा सकती इसलिए इसकी टैक्निकल स्वीकृति नहीं हुई। टैक्निकल स्वीकृति नहीं होने से वह सड़क अभी तक बन नहीं पाई है, तो वहां पर विशेष छूट दी जानी चाहिए। जब नमक की झील है उससे होकर वह सड़क जाएगी तो वहां पर पुलिया की आवश्यकता पड़ेगी। राशि स्वीकृति हो गयी, प्रपोजल स्वीकृत हो गये, लेकिन अभी तक वह सड़क नहीं बनी है। जो एक प्रकार से कट गया है, उस गांव को

(श्री हरीशचंन्द कुमावत)
हमारे साथ जोड़ना चाहिए, इसलिए वह सड़क बननी चाहिए। मेरा विशेष निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में काफी समय से स्वीकृत है, वह सड़क वहां पर बनाई जाए ।

इसी प्रकार से जो हमारे सड़क के पोर्शन टूटे-फूटे हैं, वे भी ठीक किए जाएं। साथ ही मैं हमारे वहां पर जो कमी है स्टाफ की, वह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि कुचामन खण्ड में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद काफी रिक्त हैं और रिक्त पद होने से आज में दिक्कत पड़ती है इसलिए उन रिक्त पदों की भर्ती की जाए।

इसी प्रकार से हमारा जो एक्स.ई.इन. आफिस है वह बहुत पुराने समय से परबतसर में है, जबकि कुचामन का क्षेत्र, नावां का क्षेत्र, मकराना का क्षेत्र अधिकांश काम इस तरफ हैं, परबतसर एक छोर में है। वहां जो अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय है वह वहां पर रहे लेकिन दूसरे कार्यालय की भी आवश्यकता है, इसलिए कुचामन में अधिशासी अभियन्ता का नया कार्यालय स्वीकृत किया जाए, यही मैं अनुराध करना चाहूंगा।

इसी प्रकार से हमारे यहां पर डाक बंगला नावां में बना हुआ तो है लेकिन डाक बंगले में केवल मात्र एक कमरा है, एक कमरा होने से वहां जो महत्वपूर्ण लोग आते हैं उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है। इसलिए उस डाक बंगले का विस्तार किया जाए, वहां पर और कमरे बनाए जाएं तो वहां पर सुविधा उत्पन्न हो।

कुचामन सिटी आज पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, बड़ा कस्बा है, पचास हजार ऊपर की आबादी है, डाइट वहां पर है, नवोदय वहां पर है, सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, सब काम वहां पर करने पड़ते हैं वहां भी डाक बंगले का जो स्वरूप है वह डाक बंगला है ही नहीं, केवल एक उनका आफिस है उसी में एक कमरा बनाकर डाक बंगला जैसा बना रखा है। इसलिए वहां पर एक डाक बंगले की व्यवस्था की जाए। वहां पर भी कमरों की कमी है तो कमरों की कमी की पूर्ति की जाए और विश्राम गृह का उसे दर्जा दिया जाए, वह काम कराया जाए।

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

इसी प्रकार से नावां तहसील के कुछ पशु चिकित्सालयों के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को पशु चिकित्सालय विभाग द्वारा राशि आबंटित हुई है परन्तु अभी तक उनके निर्माण का काम नहीं हुआ। इसलिए माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह जो राशि आपके पास उपालब्ध है उस राशि से वहां का निर्माण का काम करवाया जाए जिससे वहां पर जो धन मिला है, वे काम हों।

अन्त में, मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुचामन का बाई पास, नाबां का बाई पास इसी प्रकार से स्टेट हाई वे, नेशलन हाई-वे जो डिक्लेयर होने वाले हैं, उनसे दूरियां कम होगीं और अपने-जाने की सुविधा बढ़ेगी, इसलिए उनको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करने की आज यहां घोषणा करें और उनका निर्माण कराया जाए।

इसी के साथ मैं मांग संख्या 19 और 21 का समर्थन करता हुआ माननी मंत्री महोदय को, माननीय वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देता हूं कि नया राज आने के बाद जो अपेक्षाएं हम सब लोगों की बढ़ी हैं, उन अपेक्षाओं को आप पूरा करते हुए निर्माण का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग का जिस गति से आज चालू है उसको और गति प्रदान करके यहां पर आवागमन की सुंविधा बढ़ाएंगे तो सारी जनता को लाभ होगा। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मांग स्वीकृति के लिए जो प्रस्ताव रखा उसके ऊपर वाद-विवाद चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा और परिस्थतियां भी हैं, देश को आगे बढ़ाने में, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में सड़क का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन माननीय मंत्री जी, जो विभिन्न विभाग आपकी सड़क का काम कर रहें हैं।

(श्री रामनारायण मीणा)

इनमें तालमेल है या नहीं है ? बहुत-से ऐसे भी काम हैं जिनके लिए प्रजातन्त्र में कहा जा सकता है कि इन कामों का कोई औचित्य नहीं है। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, हम सड़क का निर्माण करते हैं, भूमि आवाप्ति की बात नहीं करते । बूंदी से बमबोरी पंचायत हैडक्वॉटर है... मेरा जहां तक ख्याल है, मंत्रीजी कोई राय लेनी हो तो चैम्बर में चले जाएं, बाद में बात करें।

सभापति महोदय, मैं अर्ज करूंगा मंत्रीजी से...

श्री सभापति : सुन रहे हैं वह, आप बोलिये। सुन रहे हैं मंत्रीजी, आप बोलो।

श्री रामनारायण मीणा : मैं सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोसीजर की बात करता हूं। सदन की कुछ मर्यादाएं हैं और सरकार में अभी तो हमारे वरिष्ठ नेता भी इनको कह सकते हैं, वह बैठे हैं।

मैं, मंत्री महोदय, सभापतिजी के माध्यम से आपसे अर्ज कर रहा था कि हम गांवों की, खेत की, खलिहान की बात करते हैं कि हमने कितना मुआवजा किसान को दिया सड़क निर्माण में। हम डींग भरते हैं कि हमने इतनी सड़कों का निर्माण करवा दिया। जिस गरीब किसान के पास दो बीघा जमीन है, उसकी एक बीघा पन्द्रह बिस्वा सड़क में चली जाती है और उसको मुआवजा नहीं मिलता। एक प्रक्रिया बनायी जानी चाहिये। शहर में आप एक गुमटी नहीं हटा सकते, गांव में सड़क का निर्माण कर लेते हैं। सड़क निर्माण के बाद भी राजनीतिक नेता लोग या वह खुद ही मांग करते हैं तो कहा जाता है कि यह तो जे.आर.वाई. में सड़क का निर्माण पहले हुआ था, अकाल में प्रारम्भ हुआ था इसलिये मुआवजा देय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करूंगा, गये साल आपने केवल मात्र 19 लाख का मुआवजा दिया, अरबों की सड़क की बात करते हैं। मैं केवल जखाना-रायता सड़क के मुआवजे की बात नहीं करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो आपसे आशा करूंगा कि इस तरह के जो भी प्रकरण हैं उनका निस्तारण करें, प्रावधान करें।

(श्री रामनारायण मीणा)

यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में अच्छे काम हुए हैं यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना में अच्छे कमा नहीं होते तो आज हमारी सड़कों की क्या दशा होती, यह भी हम जानते हैं।

माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपका सीधा नाम तो नहीं लेना चाहिये, मैं सभापति महोदय के माध्यम से आपसे अर्ज करूंगा। भले ही आप आपकी जगह बिराज जाएं, कहीं भी बिराज जाएं...

श्री मदन दिलावर : सोनियाजी ने पैसा रुकवा दिया ...

श्री रामनारायण मीणा : मैं बिलकुल आपको भी जानता हूं और हमारी नेता सोनिया जी को भी जानता हूं। आपके नेता +++ आपकी पार्टी में। कानून बना दें... +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य ...(व्यवधान), +++ इनको कार्यवाही से निकाल दें...

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके माध्यम से ही बात कर रहा हूं। वह सीधे बोल गये उनको आप प्रताड़ना दीजिये। मैं आपसे अनुराध करूंगा... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, यह हरिमोहन जी से पूछो तो सही। हरिमोहनजी से पूछो तो सही आपके दर्द को। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैंने पूछ लिया।...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, +++ ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कैसे अवांछनीय हो, पूछों तो सही। और यह एक्सपंज किया जाए, यह किसी के लिये भी कुछ कहते हैं। +++ आप +++ यह तो हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य से पूछो, इनके दर्द को भी जानो आप।...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सचेतकजी, कर दिया एक्सपंज।...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पारीक : ... +++ (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से मैं आपसे...

श्री महीपाल सिंह यादव : यह भास्कर में जोधपुर में हुआ है। प्रेस कार्फ्रेंस में जोधपुर में तोगडियाजी ने कहा है कि +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ...(व्यवधान) बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, बिराज जाएं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : आप थोड़ा लगाम लगाओ इस पर मुख्य सचेतकजी का ...

श्री मदन दिलावर : अब पापियों का भंडाफोड़ होगा।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सभापति महोदय, मैं यहां से वहां चला गया इसलिये आपकी गरिमा के अनुसार मैं नहीं बोला। अभी मुझे मालूम पड़ा तोगडिया जी के बारे में माननीय सदस्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस आपत्तिजनक टिप्पणी को निकाला जाना चाहिये। इनको हिदायत दी जाए कि आइन्दा हमारे प्रवीण भाई तोगडिया के ऊपर बिना तथ्य के कोई आरोप नहीं लगा जाएं ।... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये । वह मैंने कार्यवाही से निकाल दिये।... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हम प्रवीण भाई तोगडिया के समर्थन में कुछ भी कर सकते हैं, यह मैं कह रहा हूं।... (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : इनका ऐसे हैं, इनकी समझ में नहीं आता है, क्या टिप्पणी की है इन्होंने। क्या टिप्पणी की है ? ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अपने आपको, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हो ? ऐसा कहकर अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो ? +++ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। अनावश्यक किसी के ऊपर छींटाकशी करना, इधर-उधर की बात करना यहां आपका एक रोग हो गया।...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : क्या निकाला जाए ?...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिये...(व्यवधान)

श्री सभापति : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं।...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : यह साम्प्रदायिक कीड़े हैं, महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति :- माननीय सदस्यगण, इस तरह से...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : +++ बात कर रहे हो क्या...आठ महीने हो गये आपके राज में, अभी भी वह पेशियों पर है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ उन्हीं की बदौलत आज विपक्ष में बैठना पड़ा है। आज विपक्ष में बैठना पड़ा है और आप भुगतोगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जाएं आप। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : बिहार में लालू ने हवाई अड्डे से भगा दिया उनको (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और ज्यादा बालोगे तो जीरो हो जाओगे।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ हिन्दुस्तान का प्राण है और आप भी...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय सभापति महोदय, यह सदन का बहुमूल्य समय फालतू की बहस में क्यों लगा रहे हैं, हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिये ।

श्री सभापति : बिराजिये ...(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है आप बिराजिये प्लीज आप बिराजिये ।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : यदि आप लोगों को कष्ट हो रहा है... (व्यवधान) मेरी आवाज सुनें, सभापति महोदय। मेरी आवाज सुनें ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : जो आसन की व्यवस्था को नहीं माने उसको निकाला जाए बाहर ।...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप तो मान नहीं रहे हैं, खड़े हो रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब, अनर्गल टिप्पणी न करें।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। आपके मुख्य सचेतकजी को कहा...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको सिर्फ मांग संख्या 19 और 21 पर बोलना है, अननेसेसरी कहां से तोगडियाजी आ गये ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं उसी में आ रहा था ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : +++ (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, बिहार में लालू ने हवाई अड्डे से भगा दिया उनको, उतरने ही नहीं दिया हवाई जहाज।...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बार बार खड़े हो जाते हो। देखिये...

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, इनको तत्काल निकाला जाए +++ जो प्रवीण भाई के लिये आरोप लगाते हैं सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हमारी आत्मा के ऊपर आघात पहुंचा है इन लोगों के कारण। प्रवीण भाई तोगडिया पर आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरहबाने में देखें। हम सहन नहीं करेंगे यह बात। सभापति महोदय, आपके चरणों में निवेदन है

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य। बिराजिये।...(व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारूंगा। आप बिराज जाएं प्लीज।...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : बिराज रहा हूं, आप मेरी आवाज सुनें।

श्री सभापति : आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से सुन ली मैंने। आप बार-बार व्यवधान न करें।...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, इतना उत्तेजित होने की किसी भी माननीय सदस्य को आवश्यकता नहीं है। सदन में बहस हो रही है, चर्चा होती रहती है, इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है ? ...(व्यवधान) बैठिये आप । बिराजिये । यह कोई बात नहीं है। बिना मतलब की बात ...(व्यवधान) भगया तो भगा दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, मैं निवेदन करता हूं, आप बिराजिये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों से मेरा निवेदन है एक तो आपस में टोकाटाकी न करें आरै आप आसन की व्यवस्था के बिना खड़े होकर न बोलें, न बैठे-बैठे बात करें। आप बिराजिये।...(व्यवधान) फिर खड़े हो गये आप। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सभापति महोदय, 31 मार्च को जो आंकड़े पेश किये हैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग, राज्य उच्च मार्ग, जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों का जो आपने दिया है। 158,240 किलोमीटर का।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में आज राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, आज बहुत महत्वपूर्ण गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं यह बात जानता हूं और हम इस बात को समझते हैं कि संसाधनों की कमी है, बिना संसाधनों के सड़क नहीं बनायी जा सकती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से हो या प्रशासनिक कारणों से, हमने सड़कें बनायीं ऐसी जगह कि बीच में रह गयी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र का। हमने अनुरोध भी किया है अधिकारियों से, मंत्री महोदय, क्यों नहीं इस तरह के काम हाथ में लिये जाते है ? नैनवाa से बालूंदा, टौंक जिले का गांव है बालुदा, नैनवा है बूंदी जिले में, उगैन और बीजलवा दो गांव बीच में आते हैं। जब राजाओं का समय था तब से सड़क को लोग जानते हैं, पहचानते हैं। दस किलोमीटर सड़क को जोड़ दिया जाए नैनवाa से बीजलवा, उगैन होते हुए बालुंदा, बालुंदा टौंक जिले का गांव है, जहां तक आपकी पक्की सड़क आयी हुई है। नैनवां से बीजलवा तीन-चार किलोमीटर सड़क बन चुकी है, मिसिंग लिंक में हम हर साल उसको प्रपोज करते हैं। मेरा जहां तक ख्याल है, उसमें 25-30 लाख रुपये यदि सारा मिलाए तो 40 लाख रूपये अकाल में, फूड फॉर वर्क में या दूसरे कामों में एम.पी.लैड में, विधायक कोष में इतना पैसा लग चुका है, दस किलोमीटर सड़क बनाने का मामला है, हम नैनवा से होकर अजमेर को जुड़ते हैं। इस तरह के जो भी मिसिंग लिंक हैं उनको पूरा किया जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि हमारे कुरल नहीं है जखाना से मायजा के बीच में, उस कुरल नदी के पुल की जून,1995 में स्वीकृति हुई लेकिन उसके बावजूद आज तक पुलिया के ऊपर डामर भी नहीं हुआ । पुलिया का निर्माण सही नहीं हुआ।

सभापति महोदय, यह कुरल नदी है जखाना से मायजा के बीच में और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन जो 31 मार्च,2003 को समाप्त हुआ है, उसमें टिप्पणी की गयी है कि काम सही नहीं किया गया। मैंने विधान सभा में प्रश्न रखा था और आपने मुझे आश्वस्त किया था कि यह काम पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से न तो ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की गयी न काम पूरा किया गया।

(श्री रामनारायण मीणा)

सभापति महोदय, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज एक परिपाटी चल पड़ी है, अख़बार में विज्ञापन पढ़ते हैं, ए-2,ए-3 पता नहीं कौनसे होते हैं और बीस सड़कें उसमें शामिल होती हैं। एक ठेकेदार आता है और काम ले जाता है। माननीय मंत्री महोदय, आप जांच करवा लें, ऐसी कौनसी सड़क है जिसको सबलेट नहीं किया गया है। आपसे पहले मंत्री जी थे मैंने उनसे अर्ज किया था, मैं दौरे पर गया, देई से खजूरी सड़क को मैंने देखा, लोगों ने शिकायत की कि पुलिया बनाई गयी है। यहां पानी बहुत आता है। नीचे मिट्टी भर के पत्थर रख दिये और ऊपर पुलिया बना दी। आज नहीं तो पांच साल में गिर जाएगी। आखिर देश का पैसा लग रहा है। उसकी जांच हुई, नतीजा क्या आया, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन पता चला कि उस सड़क को दूसरे आदमी को सबलैट कर रहे हैं। फिर हमने मालूम किया, 99 प्रतिशत सड़कें सबलैट की गयी हैं। करोड़ों अरबों रुपयों का सरकार को नुकसान हो रहा है। एक ठेकेदार गड़बड़ी कर देता है तो आपकी दस सड़कें रूक जाती है। क्या कारण है ? हमारे ठेकेदार परेशान हैं, हम काम नहीं ले सकते, क्योंकि सबलैट होना पड़ रहा है। एक सड़क यदि आपकी 50 लाख की है तो आप उसमें 5 लाख बचा सकते हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसको आप देखें। एक बात आ रही है, हालांकि आज होम पर चर्चा नहीं है, लेकिन यहां हमारे वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हैं, सरकार की नीति क्या है और क्या बनाना चाहती है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी जानकारी में है कि सरकार अव्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं देना चाहेगी। मुझे जानकारी मिली है, सड़क से 150 मीटर, 450 फीट पर शराब की दुकान होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपकी पार्टी का कोई विधायक या शराब का ठेकेदार उसके छापे मत डाले, खूब डालें, बर्बाद कर डालें, लेकिन कम से कम भगवान के लिए कृपा करें। आज एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं ? इसलिए हो रहे हैं कि ट्रक का ड्राइवर वहीं शराब पीता है। रात-दिन परेशान है, दस दिन उसको घर से जाते हुए हो गये। पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आबकारी विभाग वाले नौकरी शराब के ठेकेदार के यहां करते है, यह वास्तविकता है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 450 फीट की जगह 50 फीट में शराब की दुकार हिन्डौली में हैं, मेरे तालेड़ा में दो दुकानें लगी हुई है, लाइसेंस एक का है।

(श्री रामनारायण मीणा)

सभापति महोदय, इस तरह की जो बातें हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी ध्यान देना चाहिए। विभाग को सर्तक रहना चाहिए क्योंकि सरकार का मामला है। सरकार सभी की है। सदन सभी का है। सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष का नहीं, हम सबका मिलाकर सदन है। सरकार चूंकि हमारी सबकी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि जो भी परिस्थितियां हैं, हमें राजस्थान के विकास को गति देने के लिए इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ चूंकि हम सुनते आ रहे हैं, कभी कोटा बाई पास की सुनते हैं कभी किसी सड़क की सुनते हैं, लेकिन बिना किसी लाग-लपेट के मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जो योजनाएं लम्बित हैं, कोटा बाई-पास नहीं होगा, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। वन विभाग की वजह से अटकी पड़ी है या किस वजह से पड़ी है, राजनीतिक रूप से आप उसका फायदा कुछ भील उठावें । मैं चूंकि रावी-व्यास के मामले को नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास के काम में साथ दिया है, यदि केन्द्र सरकार के पास आप भी जाएंगे हम कांग्रेस वाले निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में मदद करेंगे। लेकिन राजनतिक दृष्टि से सोचें तो सम्भव है, हम अपना रास्ता अलग से अख्तियार करें। कई ऐसी योजनाएं है जिनमें केन्द्र सरकार आपको मदद देना चाहती है, हम सब साथ मिलकर चलना चाहेंगे, उसको लें। साथ ही जो आपके सड़क मार्ग हैं और जिस तरह का काम हो रहा है, मैं रामनिवास बाग़ में निकलकर आ रहा था, पानी भर गया, सड़क शायद गये साल बनी है। जिस तरह का अभी काम हो रहा है, उसके कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। हम नई योजनाओं का काम नहीं ले रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि ईमानदार विभाग बने। आपके ब्रिज कंस्ट्रेक्शन कारपोरेशन की क्या स्थिति है ? ऐसे विभाग को आप खतम करें तो भला होगा। देश का भला होगा, राज्य का भला होगा । जिस विभाग ने 2002-2003 का अभी तक वार्षिक प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। कहां कमी है ? कहां लीकेज है ? इसको आप देखें। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, जिस तरह से मिसिंग लिंक की मैंने बात की, बाई पास की मैंने बात की और जो केन्द्र सरकार की मदद आती है, उसके

(श्री रामनारायण मीणा)

माध्यम से आए। पैसा हमारा है उसका दुरुपयोग नहीं हो। ईमानदारी से बने, इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए, आप घंटी बजाए उसके पहले बैठने की परम्परा डाल रहा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द ।

श्री सभापति : माननीय श्री जयराम जी जाटव ।

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के विषय को लेकर चर्चा है, उसमें आपने बोलने के लिए जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हम कभी बैठे-बैठे सोचा करते थे, जब कभी हमें अलवर से जयपुर और दिल्ली जाने का मौका मिलता था, हम यह कहते थे कि जिनको नेशलन हाईवे कहा जाता है उन नेशनल हाई-वे पर कई बार आठ-आठ घंटे तक पूरी रात जाम लग जाते थे। आपस में दुर्घटनाएं हो जाने से बड़े वाहनों को जो आने-जाने में असुविधा होती थी, उसके कारण हर व्यक्ति को बहुत दुःख का सामना करना पड़ता था। पहली बार हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का सोच था। उनका मन था कि इस देश को इन सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाए। बहुत लम्बी दूरी की सड़कें, जिनको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, आज भी वह हैं लेकिन सड़कों का जो काम 4 लेन और 6 लेन बनाने का था उसमें बहुत बड़ा हाथ माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी का रहा।

हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, उस विधान सभा क्षेत्र के पूर्व में पहाड़ और पश्चिम में रेगिस्तान है, रेत है, जहां अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उन गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 15-15 किलोमीटर तक की लम्बी सड़कें निकालीं। उसके लिए आज अटल बिहारीजी वाजपेयी धन्यवाद के पात्र हैं। पांच साल का कार्यकाल कांग्रेस का निकला, आज हमारे दायीं ओर कांग्रेस के माननीय सदस्य बैठे हैं, ये भली भांति परिचित हैं कि पांच साल में राजस्थान में जो सड़के बनी वे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अधिक बनी।

(श्री जयराम जाटव)

विधान सभा चुनाव से पहले सारे कांग्रेस के जो सदस्य थे, विधायक थे, उन्होंने सक बुकलैट छपवाई उसमें लिखा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये-ये सड़कें हमने दीं। वहां सड़कों का उदघाटन करने जब वे विधायक जाते थे तो हमने कइयों को रोका। हमारे यहां जो सड़कों की हालत थी उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्फत सड़कें बनने से गांव के लोगों को पहली बार अटल बिहारीजी वाजपेयी के टाइम में राहत मिली।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बी टी सी की जो सड़कें बनती है, या बन रही हैं, उनमें डामरीकरण तो हो जाता है, लेकिल कई जगह बीच में जहां पानी के बहाव का बहुत बड़ा नाला होता है, उसको बीच में छोड़ दिया जाता है। उन नालों में कई बार बरसात के दिनों में तेज गति से पानी आने से और बहाव से मनुष्यों की दुर्घटनाएं भी होती हैं और कई महीनों तक सड़क पर वहां आने-जाने वालों को उन नालों की वजह से व्यवधान उत्पन्न होता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, जो यहां बैठे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सड़कें कई-कई साल से बनकर कम्प्लीट हो गईं, वहां नालों की वजह से, बरसात के दिनों में ही नहीं, बाद में भी कई महीनों तक व्यवधान होता है, वहां पुल बनाये जाएं ।

सभापति महोदय, मैंने अधिकांशतः देखा है कि गांवों में जो सड़कें बनती है, उन सड़कों की देखरेख के लिए एक कमेटी होनी चाहिए और उसमें जन प्रतिनिधियों का भी हाथ होना चाहिए। वहां सामग्री मूल्यांकन का जो काम होता है, कई उच्चाधिकारी वहां जाते हैं लेकिन उस गांव वालों को तसल्ली कैसे हो ? डामरीकरण हो जाता है और उसके अगले 15 दिन में वह उपड़ जाती है, उखड़ जाती है। मैं इस बारे में खैरथल का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां माननीय मुख्य मंत्रीजी परिवर्तन यात्रा में खैरथल 5 जून को गईं, 4 जून को या 3 जून को रात को उस कस्बे की सड़कें बना दी गईं और 15 दिन के बाद में वह सड़क उखड़ गई । इस तरह उखड़ना हमने पूरे पांच साल कांग्रेस के शासन काल में देखा है। इसलिए गांव में रहने वाले जो किसान, मजदूर लोग हैं उनको भी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। सड़क बनाते समय सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाए।

(श्री जयराम जाटव)

हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य कह रहे थे कि आय-व्यय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए कोई प्रावधान नजर नहीं आता। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी काम होता है उसके लिए नीति निर्धारण पहले से तय होता है, प्रोग्राम तय होता है, सरकार उस नीति निर्धारण के माध्यम से, उस प्रोग्राम के माध्यम से विकास के कार्य करवाती है। ऐसी कोई भी सरकार नहीं होती जो बिना नीति निर्धारण के चल सकती हो।

पिछले दिनों जो डिबेट चली उसमें सारे के सारे जितने विभाग थे, उनके आय-व्यय के बारे में लिखा गया है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बात कहूं कि हमारे यहां अधिकांश रेतीला इलाका है, मेवात विकास बोर्ड की बात कर रहा हूं। नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का मामला है। लेकिन कुछ गांव जो सड़कों से वंचित हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां चाहे विपणन बोर्ड सड़क बना रहा हो, चाहे बी.टी. से बन रही हो, उनके बीच में वन विभाग की कहीं 500 मीटर की दूरी आ गई, उस व्यवधान की वजह से काम रूका पड़ा है। उन कामों के लिए वन अधिकारियों से, वन मंत्रीजी से बैठकर सरकार नीति तय करे। जो गांव 555-56 साल की आजादी के बाद भी सड़क से नहीं जुड़े तो उन गांवों के लोग आपसे आशा करते हैं कि उनको सड़क से जोड़ा जाए। उन नालों को बनाया जाए, जहां जो सड़कें कम्प्लीट हो चुकी हैं।

दूसरा मेरा सामान का था। जो कम्पनी या ठेकेदार सड़क का काम कर रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए जे.ईएन.,एक्स.ईएन. जो वहां बैठे हैं, उनमें गांव का कोई आदमी भी मिला लें तो वहां जो ग़ड़बड़ पाई जाती है, अनुशासनहीनता पर थोड़ा-सा भय उन कर्मचारियों के दिल दिमाग पर इससे होगा।

कहने और करने में बहुत फर्क है, लेकिन 56 साल आजादी के बाद भी, पिछले कई सालों में सड़कों का काम देखा है, कुछ लोग कह रहे थे कि सड़कों की हमारे यहां जो नीति तय होगी उसमें किसी तरह का कोई आय व्यय का प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास से इस सदन

(श्री जयराम जाटव)

में कह रहा हूं कि पिछले दिनों जो बातें हुईं वे खुलकर हुईं। कल ही हमारे माननीय गृह मंत्रीजी बैठे थे, प्रतिपक्ष के जितने माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उनको उन्होंने नोट किया, शाम के समय डिबेट के बाद में उन्होंने सारी बात नोट करके यह विश्वास दिलाया, आश्वस्त किया कि जन मानस में जन हित के सुझाव जितने आये हैं, चाहे प्रतिपक्ष के आए हैं चाहे सत्ता पक्ष के आऐ हैं, उन पर हम लागू करेंगे।

इसलिए हमारी जो राजस्थान की सरकार है वह धन्यवाद की पात्र है, सभी विभगों के मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आज सार्वजनिक विभाग की डिबेट पर बोल रहा हूं। इसका मैं सदन में पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आग आने वाले पांच साल में हमारे सार्वजनिक निर्माण मत्रीजी और उनका विभाग राजस्थान के गांवों की तरु देखकर उनका विकास कराएगा, ऐसा मेरा मानना है, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रोफेसर वीरूसिंह राठौड़ ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले कई दिनों से चर्चा सुन रहा था। कुछ महीनों पहले मेरे गले का आपरेशन हुआ था, इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूं, वैसे मुझे लगातार 3 घण्टे बोलने का अभ्यास है। जब मैंने कांग्रेस सरकार के कार्यों का विश्लेषण किया तो मुझे अकबर का दरबार याद आ गया। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। माननीय अशोक जी गहलोत ने भी पूरे के पूरे नवरत्न अपने दरबार में पाल रखे थे। आपका पहला नवरत्न था अकाल फिर अन्धकार, अव्यवस्था, अराजकता, आतंक, अपराध, अनैतिकता, अमानवीयता, अलोकतांत्रिक ये नवरत्न पाले, इसकी वजह से राजस्थान का पतन हुआ। दूसरी घटना क्या हुई ? (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री हरिमोहन शर्मा : राजस्थान का पतन नहीं हुआ ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : सर, पहली बार बोल रहा हूं, गले का आपरेशन हुआ है, आपसे माफी चाहता हूं, एक शिक्षक के नाते भी। (व्यवधान) मैंने दूसरी घठना यह देखी कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार 9 बार न्यायालयों ने माननीय अशोक जी की सरकार को फटकार लगायी। पहला मामला था अकाल राहत पर सर्वोच्च न्यायलय की फटकार। भ्रष्ट अफसरों के बचाव पर मिली सरकार को फटकार। हैलीपैड निर्माण प्रकरण। इसी प्रकार से जयपुर डेयरी प्रकरण, इसी प्रकार से आंधी खनन प्रकरण। इसी प्रकार से पेड़ कटाई प्रकरण, इसी प्रकार जिला परिषदों के जरिये शिक्षकों की भर्ति प्रक्रिया प्रकारण, पर्यटन की अनदेखी और महिला उत्पीड़न। यह 9 का आंकड़ा इनके पीछे लगा हुआ है। पहली बार 9 बार न्यायालय की फटकर मिली। हमारे यहां एक परम्परा और भी है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका बारहवां करते हैं, इस गहलोत सरकार ने पांच साल में वो 12 पाईट मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रति दिन 12 करोड़ का कर्जा चुकाना पडा। (व्यवधान) मैं सर उसी पर बता रहा हूं कि पिछले पांच साल में आपका विकास क्यों रुका। मैं उसकी भूमिका बता रहा हूं, फिर मैं विकास के काम पर आऊंगा। (व्यवधान) मैं आपसे तो ठीक बोलता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : प्रति दिन 12 करोड़ रुपये का कर्जा चुकाने पड़ा, पर डे। मैं उसी काम पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जो कहा है, किया, यह शब्द निकाल देना ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : मैं उसी पर बोल रहा हूं। चार साल में एक भी नया उद्योग नहीं लगा। 66 हजार लघु उद्योगों को बंद करना पड़ा। राज्य की जनता पर कर्ज में 162 फीसदी की वृद्धि । केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि का केवल 72 फीसदी उपयोग। कृषि क्षेत्र में लगातार गिरावट। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम । कोई विदेशी निवेश नहीं। देनदारी बढ़कर 53 करोड़। यह तो मैंने भूमिका बतायी है, अब मैं मांग संख्या 19 पर बोलना चाहूंगा। मांग सूची पर मैं बोल रहा हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय बीरूसिंह जी, आपसे बड़ी सहानुभूति है, आपका गला खराब है, काम की बात बोलो, ये हमारी बातें तो सारी बाद में बोल लेना। आप पहले काम की बात बोलो।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अब तक काम की ही बात बोली है, असली बात अब बोल रहा हूं। यह मांग संख्या 19 पर जो चर्चा चल रही है, मेरा विधानसभा क्षेत्र मतदाता के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है- लगभग पांच लाख मतदाता, 10 लाख की आबादी, 70 में से 20 वार्ड ,30 बच्ची बस्तियां 40 ढाणियां । एक विधायक को विकास के नाम पर एक साल में केवल 60 लाख रुपया मिलता है। दूसरा जयपुर में हवामहल क्षेत्र है, उसके मतदाता 82 हजार हैं, उनको भी 60 लाख मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया, जो मेरे 20 वार्ड हैं उनमें वार्ड नं. 3 अकेले की मतदाता संख्या लगभग 72 हजार है मेरा माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन है कि बाकी आय 19 बार्ड छोड़ दें, लेकिन मेरा जो बार्ड नं. 3 है जिसमें 72 हजार मतदाता संख्या हैं, मैं उसके विकास के बारे में आपसे निवेदन करूंगा।

वार्ड 3 दो भागों में बंटा हुआ है, एक भाग में तो सारी पाश कालोनियां हैं वैशाली नगर, हनुमान नगर। इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम पृथ्वीराज नगर के नाम से पुकारते हैं, इसमें लगभग 124 कालोनियां है । इस संदर्भ में मेरा आपसे पहला निवेदन है कि पृथ्वीराज नगर को आम्रपाली पथ जोड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसका पूरा रास्ता बंद कर दिया है। अगर आप शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में इसका सर्वे कराएं तो लगभग 3 हजार से 4 हजार व्यक्तियों का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो अगर आम्रपाली पथ पर, इसके बराबर में दूसरी जकह है जिसको हम करणी पैलेस के नाम से पुकारते है, आने-जाने के लिए पुलिया का निर्माण कर दिया जाए तो इससे सारी की सारी 124 कालोनियां कवर हो जाएंगी और उसमें आगे किस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार वार्ड नं. 3 में गांधी पथ से लेकर लालनपुरा, बारागांव आता है और लगभग 40 ढाणियां आती हैं, अगर सड़क का भी निर्माण कर दिया जाए तो आसपास की सारी 124 कालोनीज इसमें कवर हो जाएंगी। इसमें मुख्य बात यह भी है कि यहां पर दो अंडर बाई पास बने हुए हैं। अभी बरसात हुई है उस बरसात के अन्दर जो दोनों अण्डर बाईपास है, इन में पानी भर गया। इसलिए इन 124 कालोनियों के व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता तय करना पडा। कई प्रकार की घटनाएं भी यहां पर हो चुकी है। इसके अलावा मेरे बार्ड के अन्दर पछिले पाँच साल से पुलों का काम चल रहा है। एक तो दुर्गापुरा डालडा फैक्ट्री के पास, वो कभी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है। तो इसको आपको प्राथमिकता से पूरा कराना चाहिए। दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हसनपुरा बाई पास पुलिया बन रही है, वो काम भी धीमी गति के समाचार की तरह चल रहा है। तो इस पर भी जो कार्य योजना है इसको भी तत्काल पूर्ण कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आसपास की कालोनियों को इसके अन्दर फायदा होगा।

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 10 हजार कालोनीज हैं और इस समय सीवरेज का काम चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा सर्वे कराएं कि आने वाले समय में जिस-जिस कालोनी में सीवरेज का काम प्रस्तावित है वहां तो कम से कम आप सड़क का निर्माण न कराएं। लोग तो सड़क की मांग कर रहे हैं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले कए साल में जिन-जिन कालोनीज में सीवरेज का काम प्रस्तावित हैं उन कालोनीज में किसी भी हालत में सड़क का निर्माण न किया जाए और जब सीवरेज का काम पूरा हो जाए तो उसके बारे में सड़क निर्माण का काम कर सकते हैं।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय 20 वार्डों में से 11 वार्डों के अंदर सीवरेज का काम चल रहा है ए.डी.बी. के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से या जे.डी.ए. के माध्यम से। यहां पर सीवरेज का काम पूरा हो गया है। आज की तारीख में सड़कों की स्थति यह है कि कोई भी आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। तो जो भी आपका बजट है उसके माध्यम से इनकी रिपेयरिंग का काम आप चालू करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

(समय-सामसि सूचक घण्टी)

मुझे तो पता नहीं था कि पहली बार बोलने में ही घंटी बज जाती है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, माइक से थोड़ा मुंह दूर रखें, आपका वैसे ही गला खराब है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि वार्ड 3 में एक मेरी कालोनी है वर्धमान कालोनी, कम से कम 900 मीटर की सड़क है, उसको भी अजमेर रोड से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से आम जनता को फायदा होगा। पूरे बनीपार्क में जो 20 वार्ड हैं उसमें से 4 ऐसे वार्ड हैं जो बिलकुल पिछड़े हुए हैं वार्ड नं. एक, वार्ड नं.8 वार्ड नं. 9 और वार्ड नं. 10 इनका सर्वे कराकर इनको लिंक रोड से जोड़ दिया जाए तो इससे काफी फायदा होगा। आप लोगों ने पहली बार मुझे सुना उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं तो वैसे तीन ही सिद्धांत कांग्रेस के बताने वाला था, अगर मित्रों को अभी आपत्ति होगी, मैं दूसरे अवसर पर बोलूंगा। धन्यवाद!

श्री सभापति : माननीय श्री महीपाल सिंह यादव। (अनुपस्थित)

माननीय श्री बाबूलाल नागर माननीय श्री मांगीलाल गरासिया श्री जीतमल खांट। (अनुपस्थित)

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके सम्मुख मांग संख्या 19 पर जो माननीय सदस्य ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, उसमें अपनी बात को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सड़क का जो बिन्दु है, महत्वपूर्ण बिन्दु है। जहां तक सड़कों का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि गांव, ढाणी और मजरे सड़क के मामले में काफी लम्बे समय तक उपेक्षित रहे हैं। देश के अन्दर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि गांव, ढाणी, मजरे, आदिवासी क्षेत्र, कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये डामर की सड़क से जुड़ जाएंगे। लेकिन राजस्थान का पिछला जो पांच साल का कार्यकाल बीता है, चाहे वह नाबार्ड की आर.आई.डी.पी. की परियोजना हो, सड़क उन्नयन परियोजना की बात है। मिसिंग लिंक परियोजना की बात हो चाहे पी.एम.जी.वाई. की बात हो, बी.ओ.टी. परियोजना की बात हो, निश्चित रूप से सड़कों की हालत सुधरी है। मैं राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि इन्होंने अपने शासनकाल में हर विधायक को 60 किलोमीटर का सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष जो एक कार्यक्रम शुरू किया जिससे लम्बे समय से मिसिंग लिंक के रूप में अधूरी पड़ी सड़कों का, पुरानी सड़कों को सुदृढ करने का, नवीनीकरण के माध्यम से कई छोटी-मोटी लम्बित

(श्री जीतमल खांट)

सड़कों का काम पुरा हुआ निश्चित रूप से सड़कों की हालत में सुधार हुआ है। पिछली भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी कि 500 की आबादी वाला गांव भी सड़क से जोड़ा जाएगा। सरकारों का बदलना हुआ यहां पर भी सरकार में परिर्वतन हुआ, मैं समझता हूं कि देश की, प्रदेश की कोई भी सरकार हो, लेकिन ऐसी नीतियों के आधार पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से 55 साल की आजादी में जिन इलाकों का विकास नहीं हुआ है, सड़कों के माध्यम से निश्चित रूप से विकास होगा। हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं सम्माननीय राठौड़ साहब, आपका विभाग बड़ा संवेदनशील है, आप जुझारूपन लिये हुए मंत्री जी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितना जुझारूपन दिखा पाते हैं, वह समय ही बताएगा। आप काफी गम्भीर और संवेदनशील व्यक्ति है, मैं आपके माध्यम से मेरे बागीदीरा विधान सभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपके सामने रखना चाहूंगा जब मंत्रिमण्डल का विस्तार नहीं हुआ था तब सार्वजनिक निर्माण विभाग का दायित्व आदरणीय कटारिया जी के पास में था। मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में आनन्दपुरी पंचायत समिति के पास में एक मानगढ़ की पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर 19 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में गोविन्द गुरु के नेतृत्व में लाखों भीलों ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत की खिलाफत की थी। 1908 के अन्दर वहां पर डेढ़ लाख आदिवासी इकट्ठे हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने मशीनगनों और तोपों के साथ में फायर किया था जिसमें सैंकड़ों आदिवासी वहां पर हताहत हुए थे। माननीय खाद्य मंत्री जी ने भी उस इलाके को देखा है, उस जगह को देखा है। हमारे आदिवासी नेता और कई सामाजिक क्रांतिकारी नेता बार-बार मांग करते रहे हैं कि यहां पर शहीद स्मारक बनना चाहिए। पिछली कांग्रेस की सरकार में अशोक जी गहलोत को भी इस बात का स्मरण वहां के नेता लोग कराते रहे। उन्होंने इस बात को सुना और मैं तत्कालीन सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शहीद स्मारक का शिलान्यास माननीय अशोक जी गहलोत ने 27 मई 1999 को किया। वहां पर उस शहीद स्मारक को बनाने के लिए गहलोत जी ने एक करोड़ 12 लाख रूपये की राशि आबंटित की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शहीद स्मारक जहां पर भी बने हैं, बड़ी अच्छी तकनीक से बने है आपका विभाग

(श्री जीतमल खांट)

तकनीकी विभाग है, आपके बांसवाड़ा के एस.ई. और पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों ने मिलकर सारे प्लान को तैयार किया और विधान सभा चुनावों के नजदीक आते देखकर इस काम को ठेकेदारों के हाथों में सौंप दिया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय शहीद स्मारक को दो महीने के अन्दर तोड़तोड हुए वहां के स्थानीय कार्यकताओं ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पूरा करवा दिया। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आपने पैसा दिया, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी की भी हो। लेकिन बेईमानी करने वाला किसी भी पार्टी में हो, बेईमानी का अपराध करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दो महीने के अन्दर उस कार्यक्रम को ताबड़तोड़ ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया। इतनी घटिया किस्म की सामग्री वहां काम में ली गई। माननीय सभापति महोदय, 20 सितम्बर 2003 को अशोक जी गहलोत के कर-कमलों के द्वारा उसका लोकार्पण किया गया। आज सितम्बर के बाद में आप समय गिनिये 7-8 महीने हो रहे है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे राठौड़ साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं ये तस्वीरें मैं खींचकर लाया हूं, ये सारी की सारी लगी हुई पट्टिया ऊपर से धमाधम नीचे गिर रही है। पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से जितनी भी पट्टियां लगाई गई थी, ये सारी उखड़-उखड़ कर नीचे गिर रही है। (व्यवधान) यह चाहे आशोक महान जी के कार्यकाल के हों, चाहे कोई भी हो, पैसा देने का काम किया था, यह काम सरकारी महकमे के माध्यम से हुआ है। बेईमानी और भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो, राज किसी का भी हो, लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह आरोप लगाता हूं, मेरा यह आरोप है कि ठेकेदारों और वहां के उच्चाधिकारियों ने मिलकर एक करोड़ बारह लाख में से कम से कम 40 लाख रुपये का गबन किया है वहां पर। 40 लाख का गबन किया है, और वो भी वहां पर जहां पर हमारे शहीद होते है। शहीद होते हैं उनका कफन उठाकर लेकर अपने घर में आये है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां शहीदों की स्थली होती है वहां पर तो रुपया दान में दिया जाता है, लेकिन वहां पर से भी कफन उठाकर अपने घर में लाये हैं। हम कहना चाहते हैं, आज हमारे बीच में पूर्व टी.ए.डी. मिनिस्टर दयाराम जी परमार नहीं है, लेकिन उनके सानिध्य में

(श्री जीतमल खांट)

यह सारा काम हुआ और बांसवाड़ा के एस.ई. से लेकर ठेकेदारों ने, सारे लोगों ने मिलकर कम से कम 40 लाख का गबन किया है। उस शहीद स्मारक को हमारे वागड़ के क्षेत्र का कलंक बना दिया है। माननीय राठौड़ साहब, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहें तो इन फोटों को मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा, लेकिन मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्चस्तरीय जांच की जाए। अगर आपने जांच नहीं की तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री राठौड साहब, आपके दरवाजे पर आकर धरने पर मैं बैठूंगा क्योंकि हमारे साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई है, अत्याचार हुआ है। जिन हुकूमतों के खिलाफ हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनके साथ में बईमानी हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, कि इस तरीके में महत्वपूर्ण विषय पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कटारिया जी का भी ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आपने भी इस पहाड़ पर कई दफे भ्रमण किया है। क्योंकि पहले यह डिपार्टमेंट आपके पास में था, मैं सभापति महोदय, ज्यादा बात नहीं कहते हुए जहां पर इस तरीके की संवेदनहीनता का परिचय दिया है उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। अब मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। बनवारीलाल शर्मा।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय सभापति जी, अभी हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे थे जिस जगह की, वह जगह है जहां पर जलियांवाला बाग़ से भी ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। उस जगह को हमने भी देखा है, एम.पी. की कमेटी गई है।

श्री सभापति : श्री सुरेश जी, आप बिराजें आपका समय आए तब बोलना।

श्री सुरेश मीणा : पर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए।

श्री जीतमल खांट : हमारा समर्थन तो करो, जोशी साहब। हमारा समर्थन भी नहीं हो रहा है, बांसवाड़ा जिले में जाकर क्या कहेंगे ? कि जोशी जी नहीं बोले, समर्थन नहीं किया ? आपको समर्थन करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : वैसे हमने जांच के आदेश दे दिये थे उसके।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय सभापति जी, आज पी.डब्ल्यू.डी. पर सदन में चर्चा हो रही है। बहुत-से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, मैं भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धौलपुर के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में माननीय मंत्री महोदय को भी काफी जानकारी है, वहां पर डकैती क्षेत्र है, सड़कों का अभाव है सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि डांग विकास योजना के तहत जो विकास के कार्यों को बीच में बन्द कर दिया गया था पुनः उन्होंने डांग विकास के जरिये से ऐसे क्षेत्रों को विकसित करने की योजना प्रारंभ की है। निश्चित तौर पर मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इस योजना के तहत में ऐसे बिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होगा और उनकी कठिनाई दूर होगी। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डांग विकास योजना के अन्तर्गत आज से 5-7 वर्ष पूर्व उस क्षेत्र में कुछ काम कराये गये थे काम कराने के बाद में उसका बडा भारी लाभ मिला, उस पिछड़े हुए इलाके में विकास के कार्य हुए, लोगों को आने जाने की सुविधा मिली। लेकिन जो सड़कें बनाई गई थीं, आज अगर आप उनको देखना चाहें तो बिलकुल समाप्त हो गई हैं, क्योंकि उनको मैटल रोड से बनाया गया था। आज उनकी स्थिति यह हो गई है कि उनके बोल्डर्स निकल आये हैं, डामर है नहीं, गिट्टी उखड़ गई हैं और आने-जाने में बहुत ही असुविधा हो रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि डांग विकास योजना के अन्तर्गत धौलपुर जिले में खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में विपरपुर से मानपुर तक एक सड़क बनाई गई थी जिसको कि अधूरा छोड़ दिया गया है मानपुर तक नहीं जोड़ा गया है उस अधूरी सड़क को आप चूंकि डांग विकास योजना पुनः शुरू हो गई है, पूरा कराएं। इसके बीच में पार्वती नदी आती है पार्वती नदी पर ग्राम ठेपरी के पास में अगर उसकी पुलिया नहीं बनाई गई तो उस सड़क का कोई भी लाभ उस क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेहरबानी करके ठेपरी पर पुलिया बनाने का कार्य प्रारंभ अवश्य करवाएं, बजट में अपने प्रावधान रखें। इसी प्रकार से, डांग विकास योजना के तहत सरानी खेड़ा से केसरवाट तक के लिए एक सड़क स्वीकृत की गई थी, उसको बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है। उसको मात्र गुनाकेपरात तक जोड़ा गया है, वह भी मैटल रोड है, उसकी भी वही स्थिति हो गई है। तो मेरा यह निवेदन है कि

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

डांग विकास के अन्दर सरानीखेडा की सड़क है, उसे पूरी करें और उस पर डामर कराने की व्यवस्था करावें। इसी प्रकार से कांकरोली से मढ़ा,मढ़ा से मलेला, मलेला से सरेखी, सरेखी से कांकोली, डांग विकास के वहत कार्य कराया गया है। बिछिया से मांरोली से भीखापुर, तचोकी से बड़ापुरा वाया बरेला होते हुए इन सड़कों के निर्माण कार्य आपके डांग विकास योजना के तहत कराये गये हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी मरम्मत कराएं, मतलब डामर कराएं और उस रास्ते में बीच में जो पुलिया नहीं बनाई गई है उन पुलियाओं का निर्माण अवश्य करावें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। इसी तरीके से एक ग्राम टेहरी से मानपुर सड़क को जोड़ा गया है, बीच में पता नहीं कैसे एक दो सौ मीटर का टुकड़ा है उसको अधूरा छोड़ दिया गया है। इसका क्या कारण है, आप विभाग से जानकारी करें। मेहरबानी करके मिसिंग रोड्स में आपको यह काम लेना चाहिए। अभी पिछले साल बरे से पथरोरा एक सड़क है उसका डामरीकरण किया गया था, लेकिन गांव वरे में पास में उसको बीच में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां पानी भरा हुआ था और पानी भरा होने के कारण वहां पर डामर नहीं किया गया था। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके जो बीच में जो छोड़ा हुआ रास्ता था, आज पानी नहीं है वहां पर गांव में पानी भरा रहता है तो या तो पाइप डालकर नाली निकालकर पानी निकासी कराने की व्यवस्था करें या उसको ऊचा उठाकर खरंजे का निर्माण करवाएं जिससे कि सड़क बार-बार नहीं टूटे। खास तौर से यह दिक्कत मेरे आ रही है। धौलपुर में ओंडेला पोला में सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जिरोडी के पास में धौलपुर शहर में, खास शहर के पास में रीको का एरिया पड़ता है और वहां पर सड़क नीची होने के कारण काफी मरम्मत की जाती है लेकिन फिर टूट जाती है। ऐसी स्थिति में उसको जब तक ऊचा नहीं कराएंगे, बगल से नाली नहीं निकालेंगे तब तक उस सड़क का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसी ओंडेला पोला की सड़क पर मोलोनी गांव है, पार्वती नदी के पास में कच्ची पुलिया का निर्माण तो है लेकिन जब तक आप पक्की पुलिया का निर्माण नहीं कराएंगे तब तक उस क्षेत्र की जनता को लाभ नहीं मिल पाएगा। धौलपुर जिले में ग्रामों को जोड़ने के लिए किसी भी योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कें बनाई गई ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : जो भी सम्पर्क सड़कें बनाई गई थीं, 15 वर्ष हो गये उन सड़कों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि डामर उखड़ गया है, सड़कों की गिट्टी उखड़ रही है। आपके रिकार्ड के हिसाब से तो वे गांव जुड़े हुए है लेकिन वे वास्तव में गांव जुड़े हुए नहीं है, उन पर आने-जाने की सुविधा नहीं है। स्थिति यह आ गई हैं कि लोग उससे बगल में जाकर निकलना पसन्द करत है। जो भी आपकी सम्पर्क सड़कें है. आपके कागजों के हिसाब से, रिकार्ड के हिसाब से तो वे जुड़ी हुई हैं लेकिन वास्तव में आने-जाने के लायक नहीं हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेहरबानी करके जितना भी सम्पर्क सड़कें चाहे वे पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ती है, चाहे अन्य सड़कें हैं जिनको 10-10, 15-15 साल हो गये है, उन सड़कों की आप निश्चित तौर पर मरम्मत कराएं। आप सड़कों पर जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, खास तौर से जहां शहर और कस्बा आ जाता है, गांव के पास में, अगर सड़कों पर नालियों का प्रावधान नहीं रखेंगे तो आपकी सड़कों का टिकाव नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या आ रही है ? कि सड़कें बनती हैं और 6 महीने के बाद ही टूट जाती हैं उसका कारण क्या है, इसको आपको गम्भीरता से लेना चाहिए। आज ट्रेफिक इतना ज्यादा हो गया है, इतने हैवी लोडेड ट्रक्स चलते हैं, ज्यादा लोड लेकर चलते हैं और आप जो उसमें ग्रिट की पार्टी है, उसका जो लेयर है उसकी मोटाई भी कम लेते हैं, इसी वजह से वह बार-बार टूट जाती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। ऐसा देखें कि वे सड़कें जितने दिन के लिए बनाई गई है, उतनी वो है। खास तौर से मैं नेशलन हाई-वे (एन.एच.)-3 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। धौलपुर के पास में पहले तो ऐसा था कि नेशनल हाई-वे की अथोरिटी ने आपके एक्स.ईएन. को आपकी सरकार को काम सौंप रखा था मेंटिनेंस का लेकिन वहां पर फोर लेन का निर्माण कार्य हो रहा है तो सारे उन्होंने विथड्रा कर लिये हैं। अब धौलपुर शहर के पास में जो म्यूनिसिपल एरिया है वहां पर फोर लेन का काम तो पूरा हुआ नहीं है और अब चूंकि राजस्थान सरकार के पास में, राजस्थान पी.डब्ल्यू. डी. के पास में फंड नहीं है, ऐसी स्थिति में उस सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गयी है। विभाग के अधिकारियों से हमने सम्पर्क किया, वे मजबूर है, उसके लिए उनके

(श्री बनवारी लाल शर्मा)
पास में बजट नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप नेशलन हाई वे अथोरिटी से केन्द्र जाकर सम्पर्क करें, वहां पर बात करें चूंकि सड़क कहीं भी खराब होती है तो राज्य सरकार की बदनामी होती है, आपके विभाग की बदनामी होती है। तो मेहरबानी करके आप इस चीज को देखें मेरा तो सुझाव है कि जहां भी सड़कों का निर्माण होता है, चाहे वह कृषि उपज मंडी के द्वारा हो, चाहे पंचायत के द्वारा हो, निर्माण तो हो जाता है लेकिन जहां टूट-फूट होती है उसकी मेंटिनेंस के ऊपर आपका खर्चा है नहीं, मेंटिनेंस के लिए आपके पास बजट है नहीं। आप जो मेंटिनेंस के लिए बजट देते हो, वह तनख्वाह में चला जाता है। ऐसी स्थिति में सड़कों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। भला हो, वह तो आशोक गहलोत ने एक पैकेज देकर पिछले साल में उन सड़कों की हालत ऐसी कर दी, वरना आज हम लोग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बसे होने के कारण से परेशानी की स्थिति में होते। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यू.पी. के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का आना-जाना होता है और सड़कों की हालत खराब होने से स्टेट की बदनामी होती है, लोगों को परेशानी होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरा यह सुझाव है...

श्री सभापति : कनक्लूड करें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : जहां भी जिस हैड से सड़के बनाई जाएं, पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा ही बनाई जाएं, क्योंकि सड़कों का जब भी नाम आता है तो विभाग का ही नाम आता है और विभाग कुछ भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से आप जो भी हाईवे निकालते हैं या जो भी सड़क निकालते है, जहां कस्बा आ जाता है, वहां पर आप बीच में होकर निकालते है, हैवी ट्रेफिक होता है, कंजस्टेड एरिया होता है क्यों नहीं बाई पास से डाइरैक्ट जोड़ते हैं ? चिड़ावा के अन्दर बी.ओ.टी.के तहत सड़क निर्माण कर रहे हैं, अब ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर कंजस्टेड एरिया है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, परेशानी होगी। आप क्यों नहीं उसको बाई पास से जोड़कर उस सड़क का निर्माण कराते हो। इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं...

श्री सभापति : कनक्लूड करें।

श्री बनवारी लाल शर्मा : मैं एक-दो मिनट में ही कर रहा हूं। आपके पास में आसानी से डामर उपलब्ध नहीं है...

डा. सी.पी. जोशी : आज डिबेट पांच बजे समाप्त करने की इच्छा है क्या ?

श्री सभापति : नहीं, नहीं, माननीय सदस्य। काफी सदस्य बोलने वाले है।,

श्री बनवारी लाल शर्मा : आज आपके पास डामर आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से, बहुत दिक्कत के साथ में रिफाइनरी से डामर मिल पाता है। तो मेरा तो आप से निवेदन है कि अगर कहीं सीमेंटेड सड़क आप बना पाते हैं तो उससे ज्यादा लाभ मिलेगा और डामर की भी बचत होगी। जहां पानी भरता है, ऐसी जगह पर आप सी.सी. रोड का निर्माण कराएं तो उस स्थिति में निश्चित रूप से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि मेहरबानी करके जो भी धौलपुर की स्थिति है, उस पर गौर करें और सड़कों की मरम्मत कराए। जो जरूरत है, उसको पूरा करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल ।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 19 और 21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में देसूरी विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहती हूं। जैसाकि अभी कई माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा में कहा और सभी जानते हैं, पूरे राजस्थान के लोग, राजस्थान की सारी जनता और माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछली सरकार ने गांवों में सड़कें तो बनाई लेकिन उसमें भी कम गांवों को जोड़ा गया, जबकि 100 दिन में वसुन्धरा जी के कार्यकाल में, पांच साल में कांग्रेस की सरकार ने गांवों को जोड़ा, उससे ज्यादा गांवों को 100 दिन में जोड़ा। मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहती हूं कि देसूरी विधान सभा क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर 17.5 किलोमीटर की नाबार्ड पोषित सड़क बनाई गई है। नाबार्ड पोषित सड़क जो

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

होती है, सभी जानते हैं कि उसमें पांच साल तक ठेकेदार के मेंटिनेंस की एक शर्त होती है। तो उसमें आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जितनी भी सड़कें बनें, नाबार्ड पोषित में यह शर्त है ही, जितनी भी सड़कें बनें, उनमें ठेकेदार से एक विशेष फार्म भरवाया जाऐ कि कम से कम पांच साल तक उस सड़क को जो टूट है, आप ही उसको रिपेयर करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है, उसकी तरफ आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक रमणीक पर्यटन स्थल रणकपुर है। उसके बाद परसराम महदेव और आसापुरा माता, नाडोल है। ये सब एक ही विधान सभा क्षेत्र में है। यहां पर हजारों की तादाद में हमेशा पर्यटक आते-जाते है। प्रति वर्ष रणकपुर में 10 से 12 लाख पर्यटक आते है लेकिन इन स्थान पर पहुंचने के लिए पाली से हेमावास-सोमेसर-नोडोल होते हुए पहुंचना पड़ता है, जिसकी दूरी 70 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग पाली से फालना होते हुए है जिसकी दूरी 110 किलोमीटर है । कम दूरी होने के कारण पाली से हेमावास-सोमेसर-नाडोल वाले मार्ग को ही ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन उक्त मार्ग सिंगल रोड वाला है और मार्ग में पड़ने वाली छोटी-मोटी पुलियाएं ऐसी हैं जहां वर्षा के दौरान बड़ी असुविधा होती है। इसलिए उक्त मार्ग पाली-हेमावास-सोमेसर नालेल के सिंगल रोड को बढ़ाकर डबल रोड में करने व मार्ग के दौरान पड़ले वाली जो पुलिया और रपटें है, उनको बनवाने का मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं।

मैं धन्यवाद देती हूं कि 100 दिन के कार्यकाल में वसुन्धरा जी ने जो कहा करके दिखाया। 100 दिन के कार्यकाल में मेरे देसूरी विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10-12 रपटें बन चुकी हैं, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूं। मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं। साथ ही यह मांग करती हूं कि...

श्री हरिमोहन शर्मा : 100 दिन में टेण्डर ही नहीं होते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, माननीय सदस्या बोल रही है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : बन गई। 100 दिन में कैसे नहीं टेण्डर होते ? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्रीग्राम सड़क योजना शुरू की, उसके तहत ही आपकी सरकार के पांच साल निकले हैं, इसी चीज को आप अच्छी तरह से समझते हैं। आपने कुछ नहीं किया।

इसी प्रकार जवाली से नाडोल तक रोड़ तो बना दी है मगर रपटों का निर्माण नहीं किया है इसके साथ ही सोमेसर से रूंगड़ी को सड़क तो बनाई गई है लेकिन उस पर रपटों का निर्माण नहीं किया गया है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी में, इसके विगत मे नहीं जाना चाहती कि पूर्व में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मगर अब उस क्षेत्र के लोगों की हमसे आकांक्षाएं हैं, वसुन्धरा जी से इस राजस्थान को जनता को ढेर सारी आकांक्षाएं हैं, उनके मंत्रिमण्डल से भी आकांक्षाएं हैं और इस 100 दिन में उन्होंने जो कहा, वह करके दिखाया है, वह रपट बनने से मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी के लोगों का विश्वास बढ़ा है तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो रपटें हैं वे बन जाएं। यह सड़क है, इस सड़क के बारे मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं। मारवाड़ में प्रमुख पर्यटन स्थल रामदेवरा है, वहां हजारों की तादाद में पैदल यात्री जाते है। पैदल यात्री रामदेवरा जाते है, वे परसराम महादेव जरूर जाते है। जिस रोड का मैंने जिक्र किया है, इस रोड से पैदल यात्री के संग जत्थे के जत्थे जाते है और परसराम महादेव जरूर जाते है, उसके बाद में रामदेवरा जाते है। इसलिए मेरा निवेदन है, इस रोड को बनाएं और इस रोड में जो भी आने वाली पुलियां है उन पर पुल और रपट बनाई जाऐं। यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय जोगेश्वर जी गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद आपको। आज हम मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा करने के लिए एकत्र है सदन में। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने, कई सदस्यों ने कई बातों पर चर्चा की और बड़े बडें दावे किये गये कि हमारी सरकार ने यह किया, हमारी सरकार ने वह किया, लेकिन जब कुछ थोड़े-से आंकड़ों पर नजर दौड़ाई तो पता लग गया इनके दावों के खोखलेपन का। आपके पांच साल में सड़क निर्माण पर 888 करोड़ रुपये खर्च हुए, अशोक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

महान के शासनकाल में पांच साल में 888 करोड़। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीया वसुन्धरा राजेजी सिंधिया, मुख्य मंत्री और हमारे ऊर्जावान पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब को, केवल इस वर्ष योजनागत व्यय के लिए 354 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, केवल एक वर्ष के लिए। यह एक तुलना ही पर्याप्त होगी। और यह जो 888 करोड़ इन्होंने पांच साल में खर्च किये उसमें से भी भारत सरकार का हिस्सा कितना था, वह तो निकालना इनके लिए मुश्किल होगा और वह निकलने के बाद तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। अब इस समय मैं समझता हूं कि राजस्थान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा है। एक प्रश्न खड़ा है राजस्थान के सामने ही नहीं, पूरे देश के सामने। यशस्वी प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत आदर्श योजना रखी थी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना। वंचित गांव, जो सड़क से वंचित है, दूर-दराज के गांव है, छोटे-छोटे गांव है, सड़क नहीं बनी, उन सबको सड़क से जोड़ने के लिए एक विशाल योजना उन्होंने बनाई और हजारों करोड़ रुपये उसमें खर्च किये। पिछले पांच महीने से, मार्च में आचार संहिता लागू हो गई थी चुनाव की, चुनाव हो गये, चुनाव के बाद भी दो महीने हो गये, इस योजना में अभी तक एक पैसे का आबंटन भारत सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। मेरे दांयीं तरफ विराजमान माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं, वह पूछें अपने प्रधान मंत्रीजी से, पूछें अपने नेताओं से और स्पष्ट करें कि वह योजना आज की तारीख में चालू है या नहीं। चालू रख पाने की आपकी ताकत है या नहीं है। इच्छा है या नहीं, इरादा है या नहीं। क्योंकि यदि यह नहीं हुई तो इस देश के वे छोटे-छोटे गांव जो उम्मीद लगाकर बैठे है, हजार की आबादी के गांव निपट गये, हो गये सारे, जुड़ गये, सात सौ, साढ़े सात सौ की आबादी के गांव जुड़ गये, अब पांच सौ वालों की बारी आ रही थी, और पांच सौ से नीचे भी बारी आएंगी, इस उम्मीद में जो लोग बैठे थे उनकी आशाओं पर कुठाराघात होने वाला है। इसलिए इन माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि जरा इसकी भी चिंता करें। राजस्थान सरकार क्या करने जा रही है, वह तो आपके सामने है। पर आपकी भारत सरकार क्या करने जा रही है, उसकी चिंता आप करयए। उसमें राजस्थान के हितों का ध्यान रखते हुए कितना प्रावधान आप करवा सकते हैं, कितना पैसा आप ला सकते हैं, उसकी चिंता आप करिए।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ ऐसी बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का, जो बहुत व्यावहारिक किस्म की हैं, जिन पर ध्यान जाना चाहिए लेकिन नजरंदाज हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या अभी एक माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे डब्ल्यू.बी.एम. रोड़, पांच साल पहले जब मैं विधायक था, सुनिश्चित रोजगार योजना में एक हमने ट्रेड बनाया था कि सुनिश्चित रोजगार योजना में डब्ल्यू. बी. एम. करवा लो और उसके बाद विभागीय योजना में उसको डामर करवा लो। अब इन पांच साल बाद दोबारा विधायक बनने के बाद मैं जब अपने क्षेत्र में निकला तो मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, सभापति महोदय, कि जिन सड़कों को पांच साल पहले मैंने डब्ल्यू.बी.एम. करवाकर छोड़ दिया था वे सड़कें आज भी वैसी ही पड़ी है, उन पर डामर की पुताई नहीं हो सकी। पांच वर्ष लग गये, डब्ल्यू.बी.एम.करने के बाद उस मुरड़ से बंधा हुआ पत्थर कब तक टिका रहेगा ? ज्यादा से ज्यादा छह महीने, सात महीने। एक बरसात ऊपर से निकली और वह बिखर जाता है विखरने के बाद यह हालत होती है। कि उस पर पैदल आदमी चलना मुश्किल हो जाता है, गाडिया तो छोडिये। सबसे ज्यादा मुसीबत होती है बैलगाड़ी बालों को, उन मूक पशुओं के पैरों में जो पत्थर लगते हैं। टायर तो फट जाएगा तो आप नया ले आएंगे गाड़ी का टायर कट जाऐगा तो नया आएंगा लेकिन उस मूक पशु के पैर में, खुर में जो पत्थर लगता है, असहनीय दर्द होता है जिसको बेचारा वह बयान नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी सड़कें है- जालौर से बिजोपुरा, बिजोपुरा से तड़बा, तड़बा से केशवनाथ, बिजोपुरा से सोंखबाड़ा, मांडबला से आबलोद से बासन, बासन से बालवाड़ा। ऐसी बीसों सड़कें मैं गिना सकता हूं एक मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जो पांच साल पहले, छह साल पहले डब्ल्यू.बी.एम हो गई थीं और अब तक उन पर डामर नहीं हुआ। लोग वहां के कहते हैं, एम.एल.अ. साहब अपने यहां जो बची है यह कंकरीट, इसको भी उठाकर ले जाओ ताकि हम आराम से चल तो सकें। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि ऐसी नीति निर्धारित करिये कि बीच में डब्ल्यू.वी.एम. की स्टेज नहीं आऐ ग्रेबल रोड बने, ग्रेबल के बाद सीधे डामर बने डब्ल्यू.बी.एम. और डामर एक साथ हो, बीच में वह...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह राजनीति के विहाफ पर डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : हां, धन्यवाद आपने दिया उसके लिए। और इसी प्रकार देते रहिए, हर बार देते रहिये इसी प्रकार।

श्री श्रवण कुमार : वह तो आगे की बात है, बिच को एस्टेबलिश करवाओं पहले।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बिलकुल कराएंगे हम। धन्यवाद उसके लिए।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए । (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : जिसको मैं बखान ही नहीं कर सकता जैसे शक्कर में घी कम डाला जाता है बिखरती है न, उस तरह से आपके कंकरीट बिखर रही है।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : ऐसे ही, माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत के कार्यकाल में जितने भी धर्मस्थान थे, सारे के सारे ढूंढ-ढूंढ कर सड़कों से जोड़े गये । मेरे क्षेत्र में नागनाथ महादेव 13 किलोमीटर दूर पड़ता है मेन रोड़ से, मेरे कार्यकाल में जुड़ा वह। सुंदरा माता इतना प्रसिद्ध स्थल है, पूरा गुजरात वहां आता है, पूरा मारवाड़ा वहां जाता है, उस तक पहूंचने के लिए एक भी रोड नहीं थी, तीन तरफ से रोड वहां बनकर तैयार हो गई थी भैरोंसिंहजी के शासनकाल में। इन पिछले पांच सालों में उस रोड की मरम्मत तक नहीं हुई। आज वहां आने वाले यात्री बहुत पेरेशान हो रहे हैं और बुराइयां करते हुए, गालियां बोलते हुए वहां से निकलते हैं कि यह रोड़ कब ठीक होगी। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि उस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक करवाने की व्यवस्था करें।

ऐसे ही एक मैं इंजीनियर्स जो विराजमान हैं यहां आफिसर्स गैलरी में, उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उनका इंजीनियरिंग कौशल क्या है। मैं देखता हूं, आप भी देखते हैं, सब चलते हैं सड़कों पर, सड़क के बीच में छोटी-सी पुलिया आ गई, अब उस पुलिया और सड़क की एप्रोच, एकदम झटका लगेगा। वह स्मूथ क्यों नहीं हो सकती है ? छोटी से छोटी पुलिया भी होगी, एकदम

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

झटका लगेगा, जम्प मारेगी। फिर जहां पर डीप है, सड़क के बाद डीप आ गई, कोई नाला निकलना, छोटा-मोटा गांव का नाला होगा, उसमें एप्रोच एकदम जब आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई खाई में गिर गये। वह एप्रोच थोड़ी स्मूथ हो सकती है। थोड़ा-सा इंजीनियरिंग कौशल उसमें लगे तो थोड़ा आगे से, थोड़ा पहले से उसको स्लोप देना शुरू कर दें, तो वह ठीक हो सकती है, झटके लगने बंद हो सकते हैं। पर यह नहीं हो रहा। वर्षों से है। इसी प्रकार गांव के बीच में जो सड़कें निकल रही हैं या नगरपालिका के बीच में सड़कें निकल रही हैं पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें है, पूरे सौ किलोमीटर लम्बी सड़क है, बीच में बीस गांव आ गये, उन बीस गांवों के दौरान जहां वो सड़क बन रही है, उसकी मेंटिनेंस ठीक से पी.डब्ल्यू.डी. नहीं करता। कई बार उस पंचायत के लिए छोड़ देते हैं, नगर पालिकाओं के लिए छोड देते हैं। नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं होता, पंचायतों के पास पैसा नहीं होता, वह टूटी-फूटी पड़ी रहती है। दस किलोमीटर तो गाड़ी चल रही है शानदार, अचानक आधा किलोमीटर टूटी-फूटी रोड। इस प्रकार की अजीब स्थिति जो बनती है उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिए।

इसी प्रकार से जो रोड कटिंग होती है, पहले तो सिर्फ शहरों में होती थी, पानी की लाइन निकाली, बिजली के केबल निकाले, टेलीफोन की केबल निकाली, आजकल गांवों में भी यह हो रहा है कि इस खेत से उस खेत तक पानी पहुंचाना है, रोड कटिंग हो गई। रोड कटिंग का नियम है कि पहले पैसे जमा होते हैं उसकी रिपेयरिंग के, उसके बाद कटिंग होती है। लेकिन कटिंग होने के महीनों बाद तक उसकी रिपेयरिंग नहीं होती। अब उसमें तो फण्ड्स भी आड़े नहीं आ रहे, पैसा आपको पहले ही दे दिया। तो वह तुरंत रिपेयरिंग होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान जाना चाहिए।

और एक बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगता है जब मेरे पास आफिसर्स, इंजीनियर्स आते हैं, एक्स.ईएन. या एस.ई., मुझसे सुझाव मांगते हैं कि ये-ये रोड्स हैं आपके, इसमें से ये-ये इस साल रिपेयरिंग में ले लें क्या, यह रिनुअल में ले लें क्या, रीकारपेट में लें लें क्या। तो जब वे लिस्ट बता रहे होते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो रोड अच्छी स्थिति में दिख रही है, उसके

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लिए तो कह रहे हैं रिनुअल में ले लो और जहां हालत खराब है, टूटी-फूटी पड़ी है उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जा रही है। तो आपका क्राइटेरिया क्या है ? ठीक है कि पाँ़ साल से, सात साल से आपको रिन्युअल करना है, ठीक है, पर उसमें भी क्वालिटी देखें कि कौन-सी ज्यादा टूटी है, उसको प्राथमिकता मिलने चाहिए। पर जो अच्छी बनी हुई है उसको प्राथमिकता देंगे। क्या इंटरेस्ट है उनका, क्या उनको उससे फायदा होने वाला है, मुझे नहीं पता। पर अब उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

आखिर में माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी समस्या मेरें क्षेत्र में बनी हुई है, उस सड़क की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। एक सड़क है जालौर से सिणदरी, बाड़मेर जिले में पड़ता है सिणदरी, सौ किलोमीटर लम्बी सड़क है। सौ में से लगभग 83 किलोमीटर सड़क पड़ती है जालौर की सीमा में और 17 किलोमीटर पड़ती है बाड़मेर की सीमा में। भगवान जाने क्या सूझी पिछली सरकार को कि वह रोड सौंप दी मिलिट्री को, बी.आर.ओ. को। अब बी.आर.ओ. उस रोड को अपनी गति से, अपनी स्टाइल से, अपने ढंग से कर रहा है। पिछले डेढ़ साल में उस बी.आर.ओ. ने केवल 17 किलोमीटर रोड बनाकर दी है सिणदरी से जालौर जिला बोर्डर तक। जालौर जिला बोर्डर से लेकर जालौर सिटी तक सड़क की हालत इतनी खराब है कि वहां चलना मुश्किल है। मोटर साइकिल चलना आजकल तो मुश्किल हो गया, चौपहिया तो छोडिये, दुपहिया वाहन चलना मुश्किल हो रहा है। उस सड़क की वह मरम्मत तक नहीं कर रहे। मैंने उनसे खूब एप्रोच कर लिया, मैंने जालौर के एक्स.ईएन. को वहां भेज दिया। ग्रिफ का जो आफिस है बाड़मेर, वहां जाकर वह सम्पर्क करके आ गये, बात करके आ गये। मैं खुद चला गया उस ऑफिस में बीसों बार मैंने फोन कर लिया। उनके सीनियर ऑफिसर जोधपुर में बैठते हैं, उनसे बात कर ली । हमारी सांसद जो इस बार जीती है श्रीमती सुशीला बंगारू, उनहोंने बात कर ली। बीकानेर में जो इनके चीफ इंजीनियर बैठते हैं, उनसे बात कर ली। लेकिन मेंटिनेंस के लिए भी बजट नहीं मिल रहा है। अब उनका बजट कब आएगा, पता नहीं। लेकिन तब तक जनता जो भुगत रही है, वो तो सीधे-सीधे गालियां बोल रही हैं। नंबर-1 में मुझे आती है वो गाली नंबर-2 पर आती है राजेन्द्र जी राठौड़ को कि साहब ये रोड कब बनेगी। उनको क्या पता कि किसके अण्डर में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है ? उनको क्या पता कि इसका धणी-धोरी कौन है ? तो उसको या तो राजस्थान सरकार ग्रीफ से सम्पर्क करके काम करने के लिए दबाव बनाए, नहीं तो अपनी रोड वापस लें और पी.डब्ल्यू.डी मेंटेन करे। वो सारी बदनामी जोहो रही है, राजस्थान सरकार की हो रही है, आपके विभाग की हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है वो, हजारों की संख्या में प्रतिदिन उस पर से वाहन गुजरते हैं इसलिए उस पर तुरन्त प्राथमिकता दें। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से विशेष रूप से मैं व्यक्तिगत आग्रह करूंगा कि प्राथमिकता देकर उस विषय को सुलझाएं और उस सड़क का निपटारा करें। ग्रीफ वाले बनाएं तो स्वागत, आप बनाएं तो भी स्वागत पर सड़क बननी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। इसके साथ ही आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री महीपाल सिंह यादव।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 19 और 21 के सन्दर्भ में मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर में ...

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य की लम्बाई इतनी ज्यादा है कि माइक पर उनको बहुत झुकना पड़ रहा है। यह एक समस्या मेरे ख्याल से अनेक माननीय सदस्यों की है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, इनमें झुकने की आदत है इसलिए सदन में आये हैं।

डा. किरोड़ी लाल : यह मेरे सामने भी समस्या है, साहब, इसका समाधान कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति जी, मैं भी इससे पीडित हूं। मैं भी पीडित हूं सभापतिजी।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, तीनों साथ बैठे हुए हैं, तीनों के साथ समस्या है। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा :- ...(व्यवधान) ... इसमें स्प्रिंग लगा दी जाए।

डा. किरोड़ी लाल : स्प्रिंग से तो और ऊंचा हो जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी के पांव भारी दिखते हैं इसलिए तो माइक छोटा पड़ गया। आपका पाव भारी दिखता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण।

डा. दिगम्बर सिंह : ये जितने भी माइक हैं, माननीय जोशी जी ने अपने हिसाब से सारे माइक लगा दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा मंत्री जी ने जो बात कही है उस पर एक शेर सुन लीजिये।

''हदे आसमां का नजारा करो तुम, जामाने में झुककर गुजारा करो तुम। झुकेगा वही जिसमें कि जान है, अकड़ तो खालिए मुर्दे की पहचान है।''

तो झुक कर बोल लिया करें, क्यों फर्क पड़ रहा है ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ये माइक भाभड़ाजी ने लगवाये थे, जोशी जी का उसमें कोई लेना-देना नहीं था। भाभड़ाजी की हाइट भी 5 फुट 3 इंच है और रतनगढ़ के लोगों ने, भाग्यशाली रहे कि आने ही नहीं दिया दुबारा उनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति जी, यह साइज तो बाद की बात है, यह मॉडल, यह विधान सभा परिसर भाभड़ाजी की देन है, वो आ नहीं पायें संयोगवश।

श्री श्रवण कुमार : यह रतनगढ़ की जनता का भाग्य है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। राठौड़ साहब ने वहां पर मामूसर, षडियारा और तीन-चार गांवों के वोट नहीं दिलाये इसलिए नहीं आये वो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी मेरे क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं मेरे ख्याल से, एक मेरा विधान सभा क्षेत्र ऐसा है, राजस्थान में वैसे तो ये बहुत-से हिस्सों में घूमते हैं लेकिन बानसूर विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका कोई गांव इनसे छुपा हुआ नहीं है और हमारे वैसे पुराने मित्र भी हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे। सवाल यह नहीं है...

श्री रामचन्द्र सराधना : (व्यवधान) वैसे कैसे हैं ? वैसे मित्र कैसे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : सभापतिजी, ये माइग्रेट होकर आये हुए हैं... (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : साफ कर दो न कि जनता दल से आये हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : पुराने मित्र हैं अब नये...

डा. सी.पी. जोशी : इन्होंने राजनीति एक साथ शुरू की है, एक जगह से।

श्री महीपाल सिंह यादव : हम एक पाठशाला में रहे हैं।

श्री सभापति : बीच में नहीं बोलें यह इनका अन्दरूनी मामला है।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय सभापतिजी, बहरोड़ और बानसूर विधान सभा क्षेत्र में तीन पंचायत समिति हैं जिनमें शाहजहांपुर में सिर्फ एक डाक बंगला है और हमें यह आभास हो रहा है कि उस डाक बंगले को जिले के अधिकारी बेचने का प्रस्ताव बना रहे हैं। उस प्रस्ताव को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि उसका पैसा अलवर शहर पर खर्च कर दिया जाए और बहरोड़-बानसूर में कोई डाक बंगला नहीं रहे। एकमात्र डाक बंगला है, आपका देखा हुआ है, माननीय मंत्री जी, और बिलकुल नेशनल हाईवे पर है। कोई भी

(श्री महीपाल सिंह यादव)

अधिकारी या कोई भी नेता या कोई भी हमारे माननीय सदस्य दिल्ली से जयपुर जब जाते है, कई बार मिड–वे की हालत ऐसी होती है कि उसमें बहुत भारी भीड़ रहती है, कमरे उपलब्ध नहीं रहते । कोटपूतली के बाद शाहजहांपुर में वो डाक बंगला है, तो मेरा आपसे निवेदन है उसको नहीं बेचा जाए। बहुत कीमती जमीन है नेशलन हाईवे की। उसमें जो कुछ खामिया है, दो-चार लाख रुपये खर्च हो सकते हैं, वो बहुत अच्छा बन सकता है। मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि उसको न बेचा जाए अगर बेचेने की नौबत आए भी तो आधुनिक तरीके का वहीं पर, उसी जगह बनाया जाए दूसरा या बहरोड़ में बनाया जाए। बहरोड एक बहुत बड़ा उपखंड है, वहां कोई डाक बंगला नहीं है। बहरोड़ में कोई डाक बंगला आज तक नहीं है, न खैरथल में है न मुढावर में है। आपने पूरा यह क्षेत्र देखा हुआ है, कोई सुविधा आज तक वहां पर नहीं है।

दूसरा सवाल है, हमारे यहां गांव में से मिसिंग लिंक रोड्स के प्रस्ताव भेजे हुए हैं कहीं आधा किलोमीटर है कहीं पर एक किलोमीटर है उस मिसिंग लिंक में बहुत बड़ी आबादी जुड जाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छिपारी से लाडपुर मात्र आधा किलोमीटर है जिसमें चार गांव लाभान्वित होते है। दूसरा है छिपारी से भूरियावास, हरसोरा कस्बे से जो सड़क बनी है प्रधान मंत्री योजना में छिपारी तक, उसको छिपारी में छोड़ दिया गया, जबकि आगे भूरियावास गांव है। अगर छिपारी से लाडपुरा आधा किलोमीटर और छिपारी से भूरियावास आधा किलोमीटर सड़क जुड जाती है तो 10 गांव उससे लाभान्वित हो जाते हैं। माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरसोरा कस्बे से एक सड़क गयी है...

डा. सी.पी.जोशी : सभापति महोदय, पाइंट आफ ऑर्डर। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बैठे हुए हैं, यह वार्षिक योजना जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्टेट का तो कोई पैसा है ही नहीं। आपके केन्द्रीय सड़क निधि का एक सौ करोड़ रुपये है, मिसिंग लिंक का पहले से लोन है 151 करोड़ रुपये तो 2004-2005 में जिस एनुअल प्लान को हम डिस्कस कर रहें उस एनुअल प्लान के अन्दर कोई अमाउण्ट तो है ही नहीं जिस पर हम चर्चा करवा रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, हम जिस चीज पर चर्चा कर रहे है उसमें बजट का प्रोविजन हमारे टैक्स के कलेक्शन का तो कोई पार्ट ही नहीं है जो मैंने एनुअल

(डा. सी.पी.जोशी)

प्लान देखा। मंत्रीजी यह हमें स्पष्ट कर दें कि एनुअल प्लान जिस पर आप चर्चा करवा रहे हैं, उस चर्चा में 274 करोड़ रुपये में एक भी पैसा आपके स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं है, तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपके नहीं हमारे स्टेट के।

डा. सी.पी. जोशी : हां, हमारे अपने स्टेट के फंड से नहीं है। मुझे खुशी होगी कि ये जो वार्षिक योजना आपने दी है उसमें कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा जा रहा है, उसको हमें पहले बता दें। फिर चर्चा करें तो मैं समझता हूं, चर्चा सार्थक होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय. जो सवाल अभी माननीय सदस्य ने उठाया है. जब मैं मेरा उत्तर दूंगा तब मैं सारी चीज स्पष्ट कर दूंगा के पूरे फंड में कितना पैसा तो हमें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से मिल रहा है और कितना पैसा स्टेट कंसोलिडेटड फंड से है। आप तो स्वयं मंत्री रहे है, बजट पस्तुत करने के पश्चात भी कई बार बी.ई. भी बदली जाती है और आर.ई. में तो बदलाव आता ही आता है। मैं उत्तर दूंगा तब आपको बता दूंगा। ऐसी बात नहीं है।

(15.00 बजे)

डा. सी.पी. जोशी : मुझे कोई तकलीफ नहींहै, आप बी.ई में आर.ई. कर लेते हैं, आपका अधिकार है। जो चर्चा कर रहे हैं सदन में या सदन में बी.ई.पर चर्चा कर रहे हैं। बी.ई.में आर.ई.लेने का आपका अधिकार है। आज चर्चा बी.ई. पर कर रहे है, what are your Budget estimates ? बजट एस्टिमेंट में आपने जो प्रोविजन कर रखे हैं उस बजट प्रविजन में आप ... केन्द्रीय सड़क निधि से है. यह पैसा आपका अपने स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से नहीं है। नाबार्ड का लोन पिछली सरकार ने ले रखा है आई.आर.डी.पी. तक का लोन उन्होंने ले रखा है। ये सारी स्कीमें चल रही है। यह 2000-05 के एनुअल प्लान की हम चर्चा कर रहे है। नॉन प्लान का पैसा आपके पास है नॉन प्लान में आप तनखाह देंगे, वह सब समझ में आता है पर हम यह प्लान की चर्चा कर रहे है, प्लान की चर्चा में हमारे कंसोलिडेटेड फंड से कौनसे पैसे का प्रोविजन है जो कि प्लान में हम चर्चा कर रहे है ? बी.ई.,आर ई. यह मंत्रीजी खुद जानते हैं, आप बी.ई. की चर्चा कर रहे है, आर.ई. का कहां सवाल उठ गया।

(डा. सी.पी.जोशी)

आप खर्च कर लेंगे उसके बाद आर.ई. में जाएंगे, आज तो चर्चा खाली बी.ई. को करेंगे। इसलिए मैं तो खाली आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं यदि आप बिना बजट में प्रोविजन किये डिस्कस करना चाहें। यह आपकी परम्परा है, करना चाहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं अपने ज्ञानवर्द्धन के लिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस बात पर चर्चा कर रहे है उस चर्चा में एनुअल प्लान का हम डिस्कशन कर रहे है, नॉन प्लान का डिस्कशन नहीं कर रहे है। उस प्लान में स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा है, माननीय मंत्री जी बताएं।

श्री सभापति : जैसा कि मंत्री जी ने बताया वह जब जबाव देंगे, पुरा स्पष्टीकरण कर देंगे और सरकार चाहे पहले वाली हो और सरकार चाहे अब हो, सरकार, सरकार होती है. इसलिए जो भी पैसा है वह सरकार का है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गवर्नमेंट मिनट-मिनट में गौर करती है।

डा. सी.पी.जोशी : हमें बहुत खुशी है, इतने काम्पीटेंट मंत्री चाहिये कि बिना बजट में प्रोविजन किये हुए चर्चा करवा लें और आर.ई. में जाने की व्यवस्था कर लें। इससे ज्यादा काम्पीटेंट मंत्री कोई हो नहीं सकता, आपको बहुत मुबारक,धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, मैंने पहले कहा कि मैं मेरे उत्तर से आपको संतुष्ट करूंगा कि किस-किस मद में कितनी-कितनी और कहां-कहां से व्यवस्था की जाएगी और आमूलचूल परिवर्तन करेंगे सड़क तंत्र में हम। जो आपने नहीं किया वह आमूलचूल परिर्वतन करके दिखाएंगे। हम लफ्फाजी के लिए राजनीति नहीं करते है। (व्यवधान)

डा. सी.पी.जोशी : ...(व्यवधान) माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आमूलचूल परिवर्तन करना आपका अधिकार है...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सड़क मंत्री राजेन्द्र राठौड़ जी सक्षम है और राजस्थान को ऐसा मंत्री मिला है कि हर क्षेत्र में यह परिवर्तन करेंगे। राजस्थान के गांव-गांव ,ढाणी-ढ़ाणी को सड़कों से जोड़ देंगे।

डा. सी.पी.जोशी : मेघवाल साहब, बहुत धन्यवाद। चर्चा करें, परिवर्तन करें, सब करें पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सदस्य, इनके पत्र मोहिनी मंत्र है, यह भारत सरकार पर मोहिनी मंत्र घुमाकर बजट ले आएंगे, क्यों चिंता करते हो आप ?

डा. सी.पी.जोशी : वह हमको मालूम है, मोहिनी मंत्र है तभी मंत्री बने, बाकी मंत्री कैसे बनते हैं ? वह तो सभी जानते हैं कि मोहिनी मंत्र है इसलिए यह मंत्री बने, नाथूसिंहजी नहीं बन सके। हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उस पर मैंने कहा है। बाकी आप काम्पीटेंट है, आप आर.ई. लाएं आप सब करें आपको अधिकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कम से कम कसोलिडेटेड फड की व्यवस्था की चर्चा की जानी चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जब सवाल उठ गया तो मैं समझता हूं कि रिकार्ड को करैक्ट करना जरूरी है। माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो केन्द्रीय सड़क निधि का पैसा है, जो सी.आर.एफ. का पैसा है, जो पैसा सैस द्वारा हमारा हिस्सा है उसमे यह प्लान का हिस्सा है। आप जिस आर.आई.डी.एफ. की बात कर रहे हैं, वह आपके समय भी प्लान का हिस्सा था और इस समय भी प्लान का हिस्सा है। भूमि अवाप्ति है जो पैसा हम दे रहे है, वह प्लान का हिस्सा है। मैं समझता हूं, ऐसा एक कोई मद नहीं है जो प्लान का हिस्सा नही हो। यह पूरा 274 करोड़ का प्लान है। इसके अलावा दूसरी बात तो मैं बाद में कहूंगा, इसलिए आप मिसलीड नहीं करें, यह सारा प्लान का हिस्सा है।

डा. सी.पी.जोशी : I am asking about the consolidated fund. आप जो जनता के टैक्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं उसका पैसा बताइए। भारत सरकार से पैसा मिलेगा, उसका मिलेगा, वह प्लान बताने के लिये अलग है। राजस्थान की जनता से टैक्स का जो पैसा ले रहे है वह टैक्स के पैसे से आप क्या प्लान कर रहे है ? यह पैसा सैंस से आऐगा, लोन से आएगा, यह व्यवस्था अलग है। मैं तो खाली यह पूछ रहा हूं कि जो टैक्स का कलेक्शन आप कर रहे हैं उसमें से क्या प्लान में खर्च कर रहे हैं ? उसके बारे में मैं पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, बजटिंग सिस्टम को जितना आप समझते हो, मैं समझता हूं दूसरे माननीय सदस्य शायद उससे कम समझते होंगे। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना बजट का पार्ट नहीं होगी, हमने जिन वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया है अगर वह बजट का पार्ट नहीं है तो मैं समझता हूं. बजट का पार्ट है क्या ? सबको मालूम है कि आज जिस तरह की स्थिति है, जो आज हमारे खुद का टैक्स रेवेंयू है, हमारी नॉन टैक्स रेवेंयू है वह तो सारा का सारा तनख्वाह और दूसरी चीजों में चला जाता है। इन्होंने भी लोन लिया, हमने भी लोन लिया। मैं सारी बात और स्पष्ट कर दूंगा।

श्री सभापति : ठीक है, विराजो।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरे क्षेत्र की 2-3 मिसिंग लिंक रोड की ओर दिलाना चाहूंगा। एक हरसोरा से नारोल गांव तक सड़क गई है, अगर उसको डेढ किलोमीटर और बढ़ा दिया जाता है, ग्गाडा गांव की सीमा तक अगर उसको मिला दिया जाए तो 10 गांव उससे लाभान्वित हो सकते है। इन मिसिंग लिंक रोड का सबसे बड़ा फायदा है, आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर जो प्रमुख सड़कें बनती है, अगर उनको जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी आबादी को और उन सड़कों को भी जो प्रधान मंत्री योजना में बनी है, उनका लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय, मै यह मिंसिंग लिंक योजना खतम की जा रही है। इसमें कोई प्रस्ताव विभाग की तरफ से नहीं लिये जा रहे हैं और जितने भी प्रस्ताव गये हैं वे भी कैंसिल हो गये हैं। स्पेशल रिपेयर में भी कोई पैसा आप नहीं दे रहे है। सी.आर.एफ.की जो पहले की सड़कें मंजूर हैं वे अधूरी पडी हुई है। सी.आर.एफ.में जो पैसा आगे अलाट होना है वह भी कोई स्थिति विभाग की तरु से नजर नहीं आती है। जो सड़कें सी.आर.एफ में मंजूर हो चुकी है और जो अधूरी पड़ी है उनको पूरा करना चाहिये, मेरा यह सुझाव है।

दूसरा, मिसिंग लिंक में पैसा हम खर्च कर चुके-कहीं 20 लाख, कहीं 50 लाख, उसकी देनदारी कौन देगा ? वह पैसा सब व्यर्थ चला जायेगा।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

सभापति जी, मैं मंत्रीजी से विशेष निवेदन करूंगा कि स्पेशल रिपेयरिंग में सी.आर.एफ. और मिसिंग लिंक इन योजनाओं को बरकरार रखना चाहिये। इससे बहुत बड़ी आबादी को फायदा होगा और छोटे-छोटे गांव अपने आप जुड़ जायेंगे। मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं, मेरा बानसूर जो कस्बा है उस कस्बे में आपने देखा होगा कि बहुत भारी अतिक्रमण हो चुका है। पिछली बार आपने भी चर्चा की कि बहरोड़ में क्या हो रहा है। माननीय सभापतिजी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जमीन को लोगों ने एनक्रोच कर लिया है। वहां न नालियां बन सकती न सड़कें बन सकती। अगद दो गाडियां भी आ जाएं तो बह बड़ी मुश्किल से निकल सकती है। बानसूर विधान सभा क्षेत्र का प्रमुख जो बाई पास रोड बना है उसमें आधे बाई पास को डामर कर दिया, आधे को छोड़ दिया। अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि सी.आर.एफ. का पैसा नहीं आ रहा । वह योजना बंद होती जा रही है। एक तरफ आप जनता की सुविधा के लिये बाई पास बना रहे है और उस बाई पास को आधा तो आपने डामर कर दिया। माननीय मंत्रीजी भी गये हुए हैं, बानसूर कस्बे की स्थिति यह है कि वहां व्हीकल्स नहीं निकलते, घंटों जाम लग जाता है। पी.डब्ल्यू.डी. के ए.ईएन., जो अधिकारी है, वे चिह्नित करके यह तो बताएं कि हमारी जमीन इतनी है। वहां पंचायत और ग्राम पंचायत का यही झगड़ा चलता रहता है कि हमारी जमीन कितनी है। पूरे राजस्थान में आप देखेंगे कि जितनी भी पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन है उस पर या तो अवैध शराब के ठेके खोल रखे हैं या अवैध होटल बने हुए हैं या वहां अवैध कई तरह के निर्माण कर रखे है, दुकानें बना रखी हैं लोगों ने और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग सो रहा है। माननीय मंत्रीजी, अगर आप फीता लेकर थोड़ा इनको निकाल दें एक महीने के लिये तो आपकी बहुत कीमती जमीन निकल सकती है। बड़े-बड़े असरदार लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक एक महीने में एक एक लाख रुपये किराया लेते हैं, जमीन आपकी है। थैला लेकर आते हैं और गरीब लोगों से किराया लेकर चले जाते हैं। पी.डब्ल्यू.डी. की बहुत कीमती जमीन है और पैसा खा रहे हैं बीच के लोग। मेरे बानसूर कस्बे में आज न नाली बन सकती, न सड़क बन सकती। लोग पानी में से निकलते हैं और गिरते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सी.आर.एफ.में या किसी भी योजना में कस्बे की सड़क बनाई जाए और उसको चिह्नित करा कर जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

बहरोड़, बानसूर में आज पी.एच.ई.डी. और विद्युत विभाग के एक्स.ईएन. के आफिस हैं, माननीय सभापति जी, अलवर हमारे यहां से 70 किलोमीटर दूर है, जब जलदाय विभाग और बिजली विभाग का एक्स.ईएन. का वहां आफिस है तो बहरोड़ में भी एक एक्स.ई.एन. का आफिस पी.डब्ल्यू.डी. का बनाया जाना चाहिये। वहां पर फिलहाल ए.ईएन. का आफिस है। यह बहुत बड़ा ब्लाक है खैरथल, बानसूर, मुंडावर और नीमराना। यह जो एरिया है इसमें बहुत लंबे समय के लिये क्यों इंतजार कराया जाए, आप इसी में घोषणा कर दो तो आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। एक्स.ईएन. का आफिस खोल दें, एक भी काम हमारा हो जाएं तो यह बहुत बड़ सैक्टर को फायदा होगा क्योंकि वहां पर पी.एच.ई.डी. और विद्युत विभाग के एक्स.ईएन. कार्यालय है, एक बहुत बड़ा ब्लाक स्तर है और 4 पंचायत समितियां हैं।

तीसरा, हमारे एक नाथूसर ताज है, आप रामपुर गये हैं ? आजादी के 57 साल बाद भी उस गांव में आदमी पैदल नहीं जा सकता है, यह स्थिःाति है मात्र ढाई-तीन किलोमीटर का वह टुकड़ा है, अगर किसी भी योजना में आप उसको ले लें तो इन लोगों को यह हो सकता है। वे पहाड़ के लोग है, अपनी भेड़-बकरियां चराते हैं, गरीब लोग हैं, अगर वह सड़क बन जाती है तो हमारे अलवर की सोलीसेढ़ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी शेष रह जाती है। एक बहुत बड़ा 50 किलोमीटर का चक्कर भी लोगों को नहीं काटना पड़ेगा। तो वह गांव एक ऐसा है हमारे विधान सभा क्षेत्र में जिसमें आज तक 57 साल की आजादी के बाद कोई पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोग गिरते-गिरते वहां जाते है।

एक, बानसूर से खैरथल मण्डी को जो रोड गयी है वह भी सिंगल रोड है। आये दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं। उसको चौड़ा किया जाए ताकि किसानों के टैक्टर बगैरह और लोगों के जो रोज एक्सीडेंट होते हैं उनसे भी बचा जाए। एक हमारा ग्राम डिस और मिल्कपुर, सभापति जी, 2 हजार की आबादी का गांव है। अब उसको कोई 20 साल पहले किसी योजना में ग्रेबल बना दिया या डबल्यू.डी.एम. हो गया होगा. लेकिन आज किसी योजना में नहीं लिया जाता है क्योंकि उसकी आबादी 2 हजार है। यह कहकर अधिकारी उसे टाल देते हैं कि यह किसी भी योजना में नहीं आ सकता है। तो मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बड़ोद से डिस गांव तक 0 मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी है और 2 हजार की आबादी का गांव है, वह 20-30 साल पहले कहीं ग्रेवल हुआ तो उस रोड़ का ही पता नहीं है, सिर्फ कागजों में

दिखाया कि एक बार डब्ल्यू.बी.एम. हुई थी, तो ऐसे गांवों को जिनकी ढाई-ढाई हजार की आबादी है उनको आप दुबारा से विभाग के आदेश जारी करवाएं। जब 5 सौ की आबादी का हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में ले रहे हैं तो 2 हजार जो डबल्यू.बी.एम. 20 साल पहले हुआ, उस रोड का पता ही नहीं है कि रोड है कि नहीं, ऐसे रोड़ों को भी आप आदेश जारी करवाएं कि इनको भी इस योजना में जोड़ा जाए। न कि यह कहकर टाल दिया जाए कि यह डबल्यू.बी.एम. हो चुका है, या ग्रेवल हो चुका है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कनक्लुड करें।

श्री महीपाल सिंह यादव : बस एक मिनट, साहब। माननीय मंत्रीजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेट हाई-वे 14 बहरोड़ जो बीकानेर से गंगानगर से नारनौल होते हुए बहरोड़ से अलवर और आगरा तक जाता है, बहरोड़ पुराने स्टैण्ड से साहबी पुल तक 20 किलोमीटर का यह रोड, रोज एक्सीडेंट होते हैं, हजारों उसमें गड्डे बने हुए है। नेशलन हाई-वे से गुजरता है वह रोड क्रास करके जो बहरोड़ से साहबी पुल तक है, कितनी गाडियों के चैम्बर टूट गये, कितने ही एक्सीडेंट रोज होते हैं। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि सी.आर.एफ. में या किसी भी योजना में इसको लेकर स्पेशल रिपेयरिंग में ही ले लो, कम से कम लोगों के एक्सीडेंट तो रुक जाएं। मैंने बार बार वहां अधिकारियों को भी लिखा। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, मंत्रीजी, आप इसको किसी भी योजना में लेकर स्टेट हाई-वे 14 का यह जो 20 किलोमीटर का रोड है, जो खतम हो चुका है इसको पूरा कराने की कोशिश करें।

जहां तक सवाल है, हमारे बानसूर में जो मिल्कपुर गांव है वह भी इसी तरीके से पहले कोई ग्रेबल हुआ था 20 साल पहले, जिसकी आबदी लगभग पौने-दो हजार की है, तो ऐसे मिल्कपुर गांव को भी आप प्राथमिकता में लें। मैं आपको विशेष आग्रह करता हुआ एक सुझाव और सभापति जी के माध्यम से रखना चाहता हूं कि जो पिलानी बाई-पास रोड है चिड़ावा से, उस बाई-पास रोड को बनाया जाए क्योंकि बहुत बार आपके सामने भी यह बात आयी है कि जब तक बाई-पास नहीं बनेगी तब तक वहां की समस्या का कोई निदान नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : ठीक है। माननीय श्री मुरारी लालजी मीणा। 25 मिनट हो गये हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : सभापतिजी, आधा मिनट। एक हमारे बहरोड़ से साम्दा होते हुए मलवास सड़क है, अगर वह दो किलोमीटर साम्दा से मलबास सड़क बनती है तो 25 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। मंत्रीजी बाम्दा गांव से मलबास सिर्फ 2 क़िलोमीटर की यह सड़क बन जाती है तो बहरोड़ से बानसूर जाने वाले यात्रियों को, जनता को 25 किलोमीटर का जो चक्कर लगाना पड़ता वह बच सकता है। तो वह छोटी-छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे ईंधन की भी बचनत होगी। मैंने कुछ सुझाव सभापतिजी, आपके माध्यम से रखे हैं ज्यादा समय नहीं लूगां क्योंकि आपने 2 बार घण्टी बजा दी है, मंत्रीजी बड़े तेजस्वी है, हमारे पुराने क्रांतिकारी साथी हैं, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं रखी हैं, उनका जरूर ध्यान रखेंगें और उनको पूरा करेंगे और चिड़ावा वाली सड़क का भी करेंगे धन्यवाद।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सड़कों का बहुत बड़ा महत्व होता है। राजस्थान में पिछले समय में गांव को जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और एम.एन.पी. दो ऐसी योजनाएं थीं जिनके अन्दर अधिकतर गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। पहले एम.एन.पी. के अन्दर पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिये सरकार द्वारा नीति बनायी गयी। उसके बाद में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान में 500 की आबादी तक के गांवों को सन् 2007 तक सड़कों से जोड़ने के लिये नीति बनायी गयी। इसमें राज्य सरकार पूर्व और वर्तमान ने बहुत अच्छा कार्य किया और इसमें राजस्थान का स्थान भारत में प्रथम रहा। मैं इस बारे में आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमने पहले पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिये एम.एन.पी. की नीति बनायी थी, उस नीति को छोड़ दिया गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाए क्योंकि कई पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो आबादी के हिसाब से इस नीति के अन्दर नहीं आ रहे हैं राजस्थान के अन्दर 9189 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें बिना जुड़े भी 573 पंचायत मुख्यालय हैं। इनको भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लिया जाए।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

दूसरा, जो आपने आई.आर.डी.एफ. के तहत सड़कों के रिंनुअल का अभियान चलाया था उसमें सरकार द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. व मण्डी समिति, दो विभागों के अन्दर इस कार्य को बांटा गया। दोनों विभागों ने ही अपने-अपने हिसाब से इसमें कार्य किया। कार्य करके विभाग चले गये, मण्डी वाले अपने विभाग में चले गये। लेकिन आम जनता को, मैंने बजट पर भाषण में भी कहीं था कि आम जनता यही समझती है कि सारी सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. की हैं। मण्डी वाले कभी इस मामले में अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि सभी सड़कों की रिपेयर की जिम्मेदारी पी.डब्ल्यू.डी. के पास होनी चाहिए ताकि जनता भी अपनी समस्याओं से विभाग को अवगत करा सके।

दूसरा, मैं मेरे क्षेत्र की अपनी 2-3 समस्याओं के बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूगा । अभी भारत सरकार ने 5 राष्ट्रीय राज मार्ग थोड़े दिन पहले घोषित किये हैं। अभी थोड़े दिन पहले मंत्री महोदय ने भी अपने 4 जो रोड़ काफी महत्वपूर्ण हैं, वे बी.ओ.टी. के तहत मैंने अखबार में पढा था, लिये हैं। उसमें एक रोड भिवाड़ी से अलवर , अलवर से राजगढ़, राजगढ़ से बांदीकुई, सिकन्दरा होते हुए गंगापुर होते हुए सवाई माधोपुर जाता है। यह रूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने जयपुर से दिल्ली तक जो 4 लाइन हाई-वे बना हुआ है इसका एक पैरेलल रूट भी है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राज मार्ग-11 को भी सिकन्दरा के पास जोड़ता है। इस रोड से कोटा से आने वाला सीधे आगरा और इधर बाई-पास होकर सीधे दिल्ली निकल सकता है। मैं निवेदन करूगा कि इस रोड़ के लिए भी आप राष्ट्रीय राज मार्ग के लिए भारत सरकार को पस्ताव भिजवाएं। इस रोड़ की लम्बाई करीब 300 किलोमीटर है और इसमें जुड़ने से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सीधा रास्ता दिल्ली और जयपुर से अपने को मिल जाएगा। जैसा आपने बताया था पेपर के माध्यम से कि आप इसको टू-लाइन बी.ओ.टी. के माध्यम से कर रहे हैं. करीब एक हजार किलोमीटर लम्बाई है वह हमको शार्ट मिलेगी।

मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, जैसे अभी माननीय सदस्य ने बताया कि अपन जितनी भी रोड़ का निर्माण करते हैं, हमारे शहरों और कस्बों

(श्री मुरारी लाल मीणा)

में पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण छह महीने के अन्दर-अन्दर सारी रोड़ खुद जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी शहर और कस्बे हैं उनमें बिलकुल एक यह पॉलिसी बना दी जाए कि वहां पर सी.सी. रोड़ का ही निर्माण होगा। क्योंकि इससे पैसा बहुत खराब हो जाता है। आपने देखा होगा पहले भी जयपुर में अपने घाट की गूणी थी, इस सड़क को हर साल अपन डामर से बनाते थे और हर साल ही यह उखड़ जाती थी। बाद में विभाग द्वारा इसको सी.सी. रोड़ बना दिया गया और वह पिछले आठ-दस साल से अभी तक स्थाई रूप से बनी हुई है। ऐसे जो शहर और कस्बे हैं, उन सबमें यह एक पॉलिसी बना दी जाए कि जहां भी शहर है, कस्बे हैं वहां पर सी.सी. रोड़ का ही निर्माण होगा। इससे लम्बे समय में जाकर सरकार का काफी आर्थिक फायदा होगा।

मैं आपसे एक अतिक्रमण के मामले में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी हम सड़क बना रहे हैं उसमें हर जगह अतिक्रमण की बड़ी समस्या हो जाती है। लोग बाग रोड़ के बिलकुल नजदीक दुकान-मकान बना लेते हैं, आगे मिट्टी डाल देते हैं और सारा का सारा पानी रोड़ के ऊपर आ जाता है। तो एक इसकी पॉलिसी बनाएं. अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करें कि जो भी अधिकारी है, उसके क्षेत्र में अतिक्रमण होगा तो उस अधिकारी को उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य योजनाओं में जो सड़कें बन रही हैं, वे अधिकतर विभाग में होकर स्वीकृत हैं और वन विभाग वाले उन सड़कों का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था उसके तहत मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी अपने नीचे के अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है। उस आदेश की डेट और नम्बर मेरे पास में नहीं है, उसमें यह लिखा है कि जहां से वन विभाग में पुराना ट्रैक बना हुआ है, उसमें होकर सड़क बनाने से वन विभाग रोक नहीं सकता। इसको पूर्णरूपेण लागू करवाएं, क्योंकि काफी सड़कों के कार्य वन विभाग की वजह से रूके हुए हैं।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

मेरे क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव संख्या-21 जिसके अन्दर कि हमने बांदीकुई में एक डाक बंगला बनाने का आपसे निवेदन किया है, बांदीकुई कस्बा दौसा जिले का उप-खण्ड कार्यालय है और यहां पर धार्मिक स्थान बालाजी है, काफी अधिकारी आते-जाते रहते हैं. रेलवे का बहुत पुराना एक डाक बंगला है, पी.डब्ल्यू.डी का वहां पर डाक बंगला नहीं है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप उस डाक बंगले को बनाने की स्वीकृति प्रदान करें।

दूसरा हमारा कटौती प्रस्ताव संख्या-63. बादीकुई से बड़ीयाल आगे मण्डावन तक की सड़क बनी हुई है, यह सड़क सन् 1980 के आस-पास बनी थी। सडक की चौड़ाई मात्र तीन मीटर है जो कि पुराने टाइम की बनी हुई है। इस सडक के दोनों और करीब दो-तीन किलोमीटर लम्बाई में आबादी क्षेत्र अब बस चुका है इस वजह से बहुत ही कंजस्टेड सड़क का मार्ग हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूगा कि इसके चौड़ाइंकरण की स्वीकृति प्रदान करे।

दूसरा, हमारे बांदीकुई से लेकर रेडिया 20 किलोमीटर की एक सड़क बनी है, वहां पर आगे थानागाजी विधान सभा क्षेत्र लगता है जिसमें नारायणी माता धाम एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। नारायणी माता से लेकर थानागाजी के अन्दर भी 10 किलोमीटर का रोड़टुकडा बना हुआ है। इन दोनों रोड़ो को जोडने के लिए मात्र चार किलोमीटर मिसिंग लिंक है, यदि आप इस मिसिंग लिंक को बना देते हैं तो बांदी कुई और आस-पास की जनता को नारायणी माता तक पहुंचने के लिए एक सीधा रास्ता उपलब्ध होगा। अभी सारे लोगों का दौसा होकर या राजगढ़ होकर जाना पड़ता है, पचास किलोमीटर का रास्ता उनको अधिक तय करना पड़ता है।

दूसरा. मैं मिसिंग लिंक के बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि जिस हिसाब से आपने आबादी के हिसाब से रोड्स के प्रस्ताव तैयार किये हैं उसी हिसाब से मिसिंग लिंक की भी कोई ऐसी पॉलिसी तय करें क्योंकि मिसिंग लिंक की जरूरत पूरे राजस्थान में इस टाइम बहुत ही अधिक है। दो-दो तहसीलों को जोड़ने के लिए दस-दस. बीस-बीस किलोमीटर लम्बी सड़कें बन रही हैं। कही डेढ़ किलोमीटर का मिसिंग लिंक है, कहीं पर तीन किलोमीटर का मिसिंग लिंक है, कहीं पर चार किलोमीटर का है। उन मिसिंग लिंक के नहीं बनने के कारण

(श्री मुरारी लाल मीणा)

लोगों को 30-30 और 40-40 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, उसके कारण से धन और समय की बड़ी हानि होती है। इन्हीं मिसिंग लिंक के तहत हमारे बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में एक बांदी कुई से खेड़ी गांव है। खेड़ी से मानपुर, मानपुर विधान सभा क्षेत्र सिकराय में पड़ता है। उसको आपकी पार्टी के आदरणीय विधायक आदरणीय भाई श्री रामस्वरूपजी हमारे यहां पर घोषणा करके आये थे जो दोनों की तहसीलों को जोड़ता है कि इस मिसिंग लिंक को हम बनवा देंगे। तो हमारी दोनों की ओर से हम आपसे एक मांग प्रस्तुत करते हैं। एक मिसिंग लिंक है जो भाई समर्थलालजी और मेरे को, दोनों को जोड़ता है पात्रघड़ा से करणपुरा। इसके लिए भी समर्थलाल जी ने घोषणा कर रखी है और मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस मिसिंग लिंक को भी स्वीकृत करवाने का श्रम करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः माननीय श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-19 व 21 के संदर्भ में विधान सभा क्षेत्र चौमूं की मांग रखने का, विचार रखने का जो मौका दिया, उसके लिए आपका आभार।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी को जिन्होंने प्रधान मंत्री सड़क योजना प्रारम्भ करके व्यापारिक दृष्टि से ही नहीं, गांव और ढाणी में रहने वाले किसानों को ध्यान में रखकर उन गांवों का विकास किया और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहयोग प्रदान किया।

12:26 बजे

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2000 से प्रारम्भ हुई प्रधान मंत्री सड़क योजना दिसम्बर, 2004 तक, इस योजना के तहत राजस्थान में लगभग 918 गांवों को जोड़ा गया और इस योजना के तहत 3770 किलोमीटर की सड़कें बनायी गयीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व माननीय

(श्री राम लाल शर्मा)

जोगेश्वरजी ने बताया कि पिछली सरकार ने पांच साल के अन्दर 888 करोड़ रुपये से सड़कों के निर्माण की योजना रखी और वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस वर्ष जो वार्षिक योजना रखी उसमें 354 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस प्रावधान से यह साबित होता है कि पिछली सरकार गांव का विकास करने के लिए और सड़कों का निर्माण करने के लिए कितनी कटिबद्ध थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं विधान सभा क्षेत्र में चौमूं से लेकर वीर-हनुमानजी तक जो रोड़ बनी हुई है , यह रोड़ इतनी महत्वपूर्ण है कि चौमूं के आस-पास के विधान सभा क्षेत्रों के लोग ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के यात्री इस रोड़ से गुजरते हैं। चौमूं से लेकर वीर-हनुमानजी तक लगभग तीन गांव-पंचायतों को जोड़ने वाला यह रोड़ है आत्मदा, नांगलबरड़ा और सामोद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो रोड़ बनी हुई है बहुत व्यस्त रोड़ है और यदि कृषि की दृष्टि से भी देखा जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ये तीनों पंचायतें महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से ही यह आग्रह नहीं करता, मैं तो वीर हनुमानजी से भी यह प्रार्थना करता हूं कि एक भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का केन्द्र बने तभी जाकर इस रोड़ की चौड़ाई बनेगी। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मंत्रीजी की कृपा के बिना भी नहीं बनेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, हनुमानजी का मुझे आशीर्वाद दिला रहे हो या हनुमान जी से मुझे डरा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा : आप जो समझ रहे हो, वह है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आपकी कृपा के बिना भी नहीं बननी है न।

श्री रामलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव के किसानों की स्थिति को यदि हम देखें तो इस रोड़ से जो किसान अपने खेत में पैदावार करके सब्जी मण्डी में बेचने के लिए लाता है। कभी-कभी तो देखने को मिलता

(श्री रामलाल शर्मा)

है कि वह किसान अपनी सब्जी को मण्डी तक पहुंचा भी नहीं पाता। इस रोड़ की चौड़ाई कम होने की वजह से कई बार ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं जिससे किसान को आर्थिक नुकसान भी सहन करना पड़ता है। कभी-कभी तो एक-एक, डेढ़-डेढ़ घण्टे तक जाम इस रोड़ के ऊपर लग जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही चौमूं विधान सभा क्षेत्र में, पूर्व में भी मैंने जिक्र किया था, करीब तीन मिसिंग रोड़ ऐसी हैं जिनकी लम्बाई एक-एक, डेढ-डेढ़ किलोमीटर है और यदि इन मिसिंग रोड़ को जोड़ा जाए तो ये पंचायतें आपस में जुड़ सकती हैं। इनमें प्रमुख पंचायतें हैं मण्डा-भिण्डा से लेकर हस्तेड़ा तक और एक मिसिंग रोड़ तो ऐसी है जो दो जिलों को जोड़ने वाली है- लानल बगड़ी से लेकर खाटूश्यामजी। यह मिसिंग रोड़ इतनी महत्वपूर्ण है कि सीकर और जयपुर, दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली रोड़ है। दो दिलों को भी जोड़ती है, दो जिलों को भी जोड़ती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही तिगरिया से लेकर जगतपुरा, यह मात्र डेढ़ किलोमीटर की मिसिंग रोड़ है और यह मिसिंग रोड़ चौमूं और विराटनगर विधान सभा क्षेत्र को जोड़ती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक मिसिंग रोड़ और है ग्राम आस्टी पंचायत से लेकर इटावा तक। यह तीन किलोमीटर लम्बी मिसिंग रोड़ है और पिछले 10-15 वर्षों से यह रोड़ वंचित है। इसलिए मैं तो माननीय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इन रोड़ो का जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी निर्माण कराकर लोगों को राहत पहुंचाएं।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बरवाड़ा से लेकर तिगरिया यह रोड़ भी इतनी महत्वपूर्ण है कि यह भी महार कलां और धवली पंचायत समिति को जोड़ने वाली रोड़ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस रोड़ का निर्माण भी अतिशीघ्र करवाया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से तो मैं आश्वासन चाहता हूं, यदि वह सदन में इन रोड़ो को बनाने का आश्वासन दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में तकरीबन 53 नजूल सम्पत्तियां किशनगढ़ शहर में है जिनकी स्थिति बड़ी जीर्ण-शीर्ण है। हमेशा खतरा बना हुआ है कि कभी भी बरसात के मौसम में वो गिर सकती हैं और इससे जन हानि हो सकती है। मैं बड़े दुःख के साथ बड़ी परेशानी से यह कहना चाहता हूं कि पिछले 40 साल से कांग्रेस की सरकार रही है परन्तु उन्होंने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन नजूल सम्पत्तियों पर जो लोग अभी काबिज हैं उनसे किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये किराया वसूल कर रहे हैं और वह किराया भी वे नहीं दे पा रहे हैं। तकरीबन 10 लाख रुपये आज भी किराये के रूप में बकाया है। उस स्थिति में जो लोग वर्तमान में काबिज हैं उन्हीं को यदि वह सम्पत्ति बेच दी जाए तो इससे राजस्व वृद्धि तो होगी ही, उनको भी राहत मिलेगी।

हमारे किशनगढ़ में जो डाक बंगला है, करीबन साढ़े आठ बीघा में वह विद्यमान है। कई वर्षों पूर्व जो डाक बंगला बना है उसमें सिर्फ दो कमरे हैं। लेट्रिन-बाथरूम की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस डाक बंगले का पुनर्निर्माण कराएं। अच्छा गैस्ट हाउस जो शादी या सार्वजनिक, गरीब जनता के काम आएं इस तरह का यदि निर्माण कर दें तो जनता को राहत मिलेगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर स्थित है जो अजमेर जिले का सबसे बड़ा उपखण्ड है, मार्बल की विश्वविख्यात मण्डी है, पावरलूम उद्योग भी है, पेंटिंग की भी विश्वविख्यात मण्डी है, इसलिए वहां हमेशा पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। किशनगढ़ में एक हवाई पट्टी है, अजमेर में दरगाह शरीफ ओर पुष्कर एक धार्मिक नगरी होने की वजह से वहां पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। और किशनगढ़ में कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उस डाक बंगले का नये सिरे से या कोई वहां नया गैस्ट हाउस या इस तरह की एक योजना बनाकर यदि उसको नये ढंग से निर्माण करें तो किशनगढ़ आने वाले जो पर्यटक हैं, क्योंकि मार्बल की विश्वविख्यात मण्डी है उसके ग्राहक आते रहेते है, उनको भी ठहरने की सुविधा मिलेगी।

(श्री भागीरथ चौधरी)

दूसरा, मेरे क्षेत्र के अन्दर मार्बल मण्डी है, मार्बल एरिये में रूपनगढ़ और अजमेर में परबतसर तहसील की सीमा तक जो सड़क है वह बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं। दिल्ली तक वह राजमार्ग जाता है, यह राज मार्ग नं. 7 है। यदि उस सड़क को दुरूस्त करा दिया जाए तो इससे आने वाले ग्राहकों को सुविधा होगी। किशनगढ़ में मार्बल मण्डी ही नहीं, पावरलूम और कृषि मण्डी भी विश्वविख्यात है, उसमें करीबन 100-200 गांवों के किसान और मजदूर रोजाना आते हैं, उनको आवागमन में सुविधा होगी। रेलवे क्रोसिंग पर फास्ट एण्ड हैवी वाहन 11,501 और स्लो वाहन 3,636, मार्बल 72 किलोमीटर पर फास्ट एण्ड हैवी 12,286 और स्लो वाहन 1843 परबतसर रोड़ पर 109 किलोमीटर पर फास्ट एण्ड हैवी वाहन 7,384 और स्लो वाहन 179 की संख्या में गुजरते हैं। इस आधार पर मेरा, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दे ताकि किशनगढ़ का सर्वांगीण विकास हो और सबको एक सुविधा मिले।

दूसरा, सरवाड़ की ओर से रूपनगढ़ रोड़ जो भी राज मार्ग नं. 7 पर विद्यमान है, उस पर भी करीबन सवा लाख की आबादी किशनगढ़ में है। उसके आसपास जो गांव वाले हैं वे हमेशा मण्डी में आते है, मार्बल मण्डी में मजदूरी करने आते हैं। उनको भी इस रोड़ से दिक्कत आ रही है। तीस-चालीस वर्षों पुराना यह रोड़ बना हुआ है, वह ज्यों का त्यों है। उबड़-खाबड़, बड़े-बड़े खड्डे उसमें पड़े हुए हैं। बरसात के दिनों में गंदी पानी उसमें भर जाता है। इसलिए, उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी दुरुस्त कराने की कोशिश करें।

इसके अलावा अजमेर जिले में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र सबसे बड़ा उपखण्ड है, उसमें तकरीबन 210 गांव है। कई सारे गांव छोडी-छोटी मिसिंग सड़कों से जुड़ने बाकी है। इनके लिये भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनको भी जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि जो किसान और मजदूर हमेशा मण्डी में आए, उनको सहायता मिल सके। दूसरा. किशनगढ़ कृषि मण्डी अपना विशेष स्थान रखती है, उसमें कई सड़कें ऐसी हैं जो डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़ी हुई है। हरमाड़ा से छोटा नारायणा जो कि 11 किलोमीटर है, आज के करीबन 50 वर्ष पूर्व वह डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़ी हुई है लेकिन आज तक उसका डामरीकरण

(श्री भागीरथ चौधरी)

नहीं हुआ है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस सड़क का भी जल्दी से जल्दी डामरीकरण कराएं। एक बहुत बड़ा कस्बा है छोटा नारायणा, जब मैं चुनाव में वहां गया था तो वहां एक बैनर लगा हुआ था कि रोड़ नहीं तो वोट नहीं और मैंने उनसे वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जल्दी से इस सड़क का निर्माण होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस सड़क का जल्दी डामरीकरण कराने की कृपा करें।

दूसरा, मेरे अराई के क्षेत्र में किशनगढ़ में सात ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, वे सभी डब्ल्यू.बी.एम. से बनी हुई हैं। वहां मुर्रम ज्यादा है और बरसात के दिनों में गांव वालों का अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अधिकतर गांवों की सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. से बनी हुई है, डामर की कोई सडक वहां बनी हुई नहीं है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सात ग्राम पंचायतों का विशेष ध्यान रखें। वहां जो डब्ल्यू.बी.एम. की सड़कें हैं, कहीं तो बिलकुल कच्ची सड़क बनी है, उनको पक्की करवाने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में राजस्थान सरकार द्वारा अरबन डवलपमेंट के अन्तर्गत सड़कों के डामरीकरण के लिए दो करोड़ की स्वीकृति पहले से है, उसमें 54 लाख रुपये बचे हुए हैं जो कि अजमेर पश्चिम की सड़कों के डामरीकरण के लिए स्वीकृत हैं। पहले विधान सभा के चुनाव आ गये थे, आचार संहिता लग गयी थी फिर पार्लियामेंट के इलैक्शन आ गये। जब माननीय कटारियाजी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री थे, उस समय भी उनको इस बात से अवगत कराया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जो 54 लाख रुपये शेष बचे हुए हैं, अजमेर पश्चिम में जहां की ज्यादातर गरीब बस्ती है, एस.सी., एस.टी. का बिलकुल गरीब बस्ती है, उन 54 लाख रुपये को जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं ताकि वहां जो गरीब तबका रहता है उसको मदद मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली दफे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे विश्वास है कि मैंने आपके माध्यम से मंत्रीजी से जो निवेदन किया है उस पर मेरी प्रार्थना पर गौर फरमा कर मेरी जो क्षेत्र की समस्या है उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। राजथान में वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर 19 जिलों में सड़क बनाने का काम हाथ में लिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, 925 की आबादी वाले गांवों को या उससे ज्यादा आबादी वाले गांवों को इसमें लिया गया है। एक तरफ इस योजना में जिन जिलों को लिया गया है उनमें कोई टेण्डर की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की गयी, कोई काम शुरू नहीं किये गये और दूसरी तरफ पी.एम.जी.एस.वाई. में 877 से 924 की आबादी वाले गांवों को लिया गया है वहां काम चालू हो गये हैं। तो गांव वालों में प्रदेश में एक विरोधाभास बना हुआ है कि ज्यादा आबादी वाले गांवों में तो सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ और कम आबादी वाले गांवों में शुरू हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, पी.एम.जी.एस.वाई. योजना में पहले फेज में उन सड़कों को शामिल किया गया था जो मैटल सड़कें थीं और अब उन गांवों को शामिल किया जाता है जिनमें किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनी। शुरू में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें उसके माध्यम से बना दी गयी और अब उन्हीं सड़कों को ले रहे हैं जिनमें डब्ल्यू.बी.एम. सड़क नहीं हो। तो उन गांवों में, जिनकी आबादी हजार से ज्यादा है 2001 की गणना से नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 1991 की गणना से जिनकी आबादी हजार से ज्यादा है पंचायत मुख्यालय है, उन गांवों को सड़क से जोड़ा गया और जिनमें 2001 में 877 की आबादी है उन गांवों को सड़क से जोड़ दिया गया। राजस्थान में इतना जबरदस्त यह विरोधाभास चल रहा है। पहले उनके डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बन गयी तो उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जबकि उनके गांव में आने-जाने का रास्ता नहीं है।

डा.सी.पी.जोशी : सरकार को कहो, भारत सरकार को रिकमण्ड करें। यह बोलो।

श्री बाबूलाल नागर : क्योंकि यह प्रधानमंत्री सड़क योजना केन्द्र से सम्बन्धित है तो राजस्थान को चाहिए कि इसमें प्रस्ताव बना कर अपनी तरफ से दें ताकि इस तरह की जो राजस्थान में दुविधा है वह दूर हो। राजस्थान सरकार को दिल्ली में इस तरह का प्रस्ताव भेजना चाहिए। मेरे क्षेत्र की पांच

(श्री बाबूलाल नागर)

ऐसी सड़कें हैं छापरवाड़ा जिसमें 1991 की आबादी के अनुसार 1000 से ज्यादा है, अखेपुरा जो पंचायत मुख्यालय है, झरना जो पंचायत मुख्यालय है, मोखमपुरा पंचायत मुख्यालय है और इसी तरह से लाकोडिया जिसमें हजार से ज्यादा आबादी है, यहां सब जगह डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बनी है। अब इनसे छोटे-छोटे गांवों में बन गयी तो मैं आपसे चाहूंगा कि यह केन्द्र सरकार को आप प्रथम प्राथमिकता से दें। वैसे राजस्थान सरकार के इस बजट में केन्द्र सरकार के अलावा कुछ है ही नहीं जो कुछ है केन्द्र का ही मामला है इसलिए इसको भी आप प्राथमिकता से कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मैं सी.आर.एफ. के सम्बन्ध मे आपका ध्यान अकर्षित करना चाहता हूं। सी.आर.एफ. में मैं समझता हूं कि बड़ा पक्षपात चलता है।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल में जो किया न पक्षपात जब हम उधर बैठे थे और सी.आर.एफ. में एक पैसा नहीं लगाया।

डा.सी.पी. जोशी : सी.आर.एफ. में अभी जो पैसा लगाया, मंत्रीजी बता दें कि कहा कितना लगाया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, अभी तो सी.आर.एफ. का पैसा... (व्यवधान) पहले वाला आया हुआ है, इस बार हो तब बता देंगे। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि पांच साल में जो भेदभाव किया. इनको तो पता है न पहले। इनको पता है भेदभाव किया हुआ है, पहले से डर रहे हैं यह।

श्री बाबूलाल नागर : मैं निवेदन करूं कि एक वर्ष में 75 करोड़ रुपये राज्य को मिलते हैं।

श्री श्रवण कुमार : धर्मपालजी, भेदभाव कहां किया ? तीन करोड़ रुपये हमें दिये तो तीन करोड़ आपको भी दिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह सी.आर.एफ. का पैसा नहीं था। वह तो जो पैसा था...(व्यवधान) वह तो सड़कों को ठीक करने का था, जो सड़कें खराब हो गयी थीं उसका रिपेयर का पैसा।

श्री श्रवण कुमार : भावना तो शुद्ध करें। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : भावना है शुद्ध। सी.आर.एफ. का पैसा नहीं दिया ।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, था ही नहीं।...(व्यवधान) सब जगह बराबर दिया गया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह तो मंत्री जवाब दे देंगे इस बात का तो।

श्री श्रवण कुमार : मंत्रीजी उदार दिल के आदमी हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मैं तो दो मिनट बोलूंगा फिर आप करते रहना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि कोई ऐसी नीति बनाएं कि सब जिलों में विशेष तौर से जो बहुत उपयोगी सड़कें हैं, जिनमें काफी आवागमन कवर हो, ऐसी जगह, ऐसे स्थानों को पहली प्राथमिकता से लें। मैंने सुना है कि इस बार सी.आर.एफ. का सारा का सारा पैसा ही झालावाड़ में देंगे। माननीय मंत्री महोदय, यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। राजस्थान का सी.आर.एफ. का 75 करोड़ रुपया, मैं जो सुन रहा हूं, मैंने कई ऐसे विभाग के अधिकारियों से चर्चाएं की, मेरे सी.आर.एफ. में यह रोड़ है, 9 किलोमीटर का यह टुकड़ा है। इसको...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौन से अधिकारी ने आपको कहा कि सारा पैसा झालावाड़ में दे दिया जाएगा सी.आर.एफ. में, नाम बताओ जरा।

श्री बाबूलाल नागर : हां, मैं बताता हूं।...(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : नाम यह तो बता देंगे, आप कार्यवाही करेंगे इसलिए नाम थोड़े ही बता सकते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अधिकारी का नाम बताओ, कार्यवाही होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : सोर्स आफ इन्फार्मेशन डिसक्लोज करना जरूरी नहीं है।

श्री बाबूलाल नागर : मंत्री महोदय, मेरी बात तो सुन लें। अधिकारियों ने यह कहा कि सी.आर.एफ. में अबके आपके एरिया का नम्बर नहीं आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसे अधिकारियों ने कहा ?

श्री बाबूलाल नागर : ऐसा लग रहा है, प्रस्ताव हम सोच रहे हैं लेकिन मुश्किल बैठे अब के मामला। मैंने दो-चार-पांच बार इस तरह की बातें कहीं, लेकिन मुझे यह सुनने में आया, जब कभी बात करता हूं कि अबकि तो सी.आर.एफ. का सारा का सारा मामला झालावाड़ जा रहा है। मैं यह चाहूंगा कि झालावाड़ की माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, वहां तो बनें, लेकिन सी.आर.एफ. में कम से कम सारे राजस्थान का पैसा है, यह कोई एक जिले का पैसा नहीं है, इसलिए बांट बांटकर जो प्राथमिकता से ज्यादा उपयोगी सड़कें हों उन सब सड़कों पर सी.आर.एफ. का पैसा आना चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं तो इसमें आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में 38 किलोमीटर सड़क का सी.आर.एफ. में पिछले तीन-चार साल में नम्बर आ गया। आगे से आ गया, पीछे से आ गया। खाली नौ किलोमीटर रोड़ बची है आप जानते हो, दूदू नेशनल हाईवे पर स्थिति है, दूदू-मौजमाबाद रोड़ पर दूदू से मालेडा इस बीच में यह 9 किलोमीटर रोड़ है। पूरी करीब पचास-साठ किलोमीटर को सी.आर.एफ. से बहुत बिढिया बना दिया गया, पिछले चार-पांच साल में पिछली सरकार ने इसका बहुत सुन्दर तरीके से काम कर दिया। इतनी बढिया बनी है कि सब दुआएं देते हैं। उन्होंने बनाया उनको दुआएं देते हैं लेकिन इस सरकार को भी लगता है कि चलो सड़क का मामला है, थोड़ी-थोड़ी दुआएं उनके काम की हुई आपको भी आ रही हैं।

मंत्री महोदय, तो यह 9 किलोमीटर जो बच रहा है..

श्री टीकम चन्द कान्त : 9 किलोमीटर की दुआएं कितनी होंगी ?

श्री बाबूलाल नागर : वह इतनी होंगी कि राजेन्द्र राठौड़ जी वापस और उन्नति कर जाएंगे। (व्यवधान) एक बार और उन्नति कर जाएंगे। मेरे तो बड़े भाई हैं इसलिए मैं तो हमेशा ही शुभकामनाएं रखता हूं इनके प्रति।

श्री महीपाल सिंह यादव : हमारे माननीय सदस्यों को एक शंका हो रही है बार-बार कि सारा पैसा उधर चला जाएंगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मंत्रीजी बड़े विद्वान और बहुत जस्टिफिकेशन करने वाले हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं, मैं जानता हूं।

एक माननीय सदस्य : वह चढ़ाने से नहीं चढ़ रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर : यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीन दिन पहले मेरे पास चूरू के लोग आये तो वे बहुत उत्साहित हो रहे थे। यह सी.आर.एफ. की चर्चा चल गयी तो उन्होंने कहा कि अबके तो चूरू में भी सी.आर.एफ. की बात हमने मंत्रीजी से कही तो है कि हमारी सड़कों को जोड़ें। पर वहां यह सुनने में आया है कि सी.आर.एफ. का पैसा तो झालावाड़ जा रहा है। मुझे मेरे सोर्स से जो मेरे चूरू के मित्र थे, उन्होंने यह जानकारी दी, मंत्री महोदय, तो मुझे यह शंका हुई कि इस बात को मैं आपके सामने कह दूं।

इस तरह से 312 से 321 के बीच का 9 किलोमीटर का मामला है, अगर यह 9 किलोमीटर सी.आर.एफ. में जुड़ जाता है तो 60-65 किलोमीटर फागी से, फुलेरा से आगे नागौर रोड़ राज्य सड़क नम्बर-2 इतनी बढिया हो जाती है कि बहुत अच्छी लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। आपको दुआएं मिलेंगी, आप तंदुरूस्त रहेंगे, आपकी लम्बी उम्र होगी और आप राजनीति में और लम्बे समय तक कायम रहेंगे, यह मेरा विश्वास है क्योंकि दूदू के दो स्थान ऐसे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तो बंधे के बालाजी का स्थान है..

श्री राकेश मेघवाल : माननीय मंत्रीजी, यह सड़क तो बनाओ, आपको इतनी दुआएं दे दीं। हम भी नागौर जिले में जाएंगे, परबतसर, मकराना में जाएंगे, इसको प्राथमिकता दें।

श्री बाबूलाल नागर : आपका भी आता है इसमें शाकम्भरी माता है, मंत्री महोदय एक तो और एक बंधे के बालाजी का स्थान है। आठवें दिन वहां जबर्दस्त मेला भरता है। अभी माननीय सदस्य ने चर्चा की, उनके क्षेत्र से भी, परबतसर से भी शाकम्भरी माता के बहुत लोग आते हैं, फुलेरा के भी बहुत लोग आते हैं। ऐसे ही बंधे के बालाजी हैं, यह इतना बढिया स्थान है कि जयपुर

(श्री बाबूलाल नागर)

के ही नहीं राजस्थान के लोग यहां आते हैं। यहां नवीनीकरण का काम पिछली कांग्रेस सरकार ने कराया था, कुछ तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर रोड बच गयी, इसलिए मैं चाहूंगा इन दोनों सड़कों को..

श्री रामप्रताप कासनिया : पिछली सरकार करतीतां इस तरह से गुणगान करने की आवश्यकता ही क्या थी ?

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछलजी सरकार ने आर.ई.पी. फर्स्ट फेज और सैकिण्ड फेज चलाया, पूरा राजस्थान जानता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि केनद्र सरकार ने भी राजस्थान की सड़कों के बारे में खुले दिमाग से चाहे केन्द्रीय सड़क मंत्री हों चाहे केन्द्र के उस समय प्रधान मंत्री वाजपेयी जी हों, राजस्थान की तारीफ की थी, राजस्थान को भलाई दी थी कि राजस्थान में सड़कों के सम्बन्ध में पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा काम हुआ है।

मैं आपको कहना चाहता हूं, आर.ई.पी. योजना में फर्स्ट फेज और सैकिण्ड फेज, हर जगह साठ-साठ किलोमीटर, हम माननीय विधायकों को भी अनुशंसा पर दी गयी थी अपने-अपने क्षेत्रों में विधायकों से, जन प्रतिनिधियों को इस तरह साठ-साठ किलोमीटर रोड़ का मुझे पता है। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई सताए हुए सदस्य थे या कोई अपोजिशन के थे। सभी सदस्यों ने ये नवीनीकरण का काम शुरू किया तो पहला फेज हो गया, सैकण्ड फेज हो गया। मंत्री महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 120 किलोमीटर रोड़ ऐसी बच गयी जहां 10-12-15 साल से कोई नवीनीकरण नहीं किया गया। मैं यह चाहता हूं कि तीसरा जो फेज आप चलाएं, आपको खुद को इस बात का अन्दाजा है कि सड़कों की कितनी बड़ी आज से छह-सात साल पहले दुर्दशा थी, लोग चल नहीं पा रहे थे उस समय, कुछ बच गयी हैं, सब सड़कें हम उस आर.ई.पी. में नहीं करा पायें, इसलिए यह तीसरा फेज चलाएं जिससे टूटी-फूटी सड़कों का जो मामला है इसको और आगे बढ़ाया जाए।

मंत्री महोदय, मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि डाक बंगले जो पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बेचे जा रहे हैं, ये डाक बंगले..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भी ले लो।

श्री बाबूलाल नागर : मैं भी ले लूंगा। ये डाक बंगले, मंत्री महोदय, आप जानते हो आम लोगों के काम आते हैं, विभाग की मीटिंगें होती हैं और अच्छे ढंग से सुपरविजन हो, इन सब बातों के लिए बहुत जरूरी है। यह डाक बंगले वगैरह बेचने का जो मामला है, इसको मैं समझता हूं, आपको यह तय कर लेना चाहिए कि हम इनमें सुधार करेंगे। इनमें कोई अव्यवस्था है तो उसको ठीक करेंगे और बढ़िया तरीके से इनका रख-रखाव करवाएंगे तो इन डाक बंगलों वगैरह को नहीं बेचें। मंत्री महोदय, दूदू नेशनल हाईवे पर है, आप जानते हो, आए दिन रास्ता जाम हो जाता है और दूदू में डाक बंगले की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है। एक्सीडेंट होते हैं, जाम हो जाते हैं। मैं ही नहीं, राजस्थान की मुख्य मंत्री भी बिना कोई कार्यक्रम, राजस्थान के बड़े से बड़े अधिकारी, राजस्थान के मंत्री महोदय भी बिना कार्यक्रम एक महीने में जब भी कभी उधर निकलते हैं तो निश्चित रूप से दो-तीन-चार मंत्री तो ऐसे होते हैं जो रूकना नहीं चाहते, फिर भी रास्ता जाम हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो वहां रूकना पड़ता है। इतनी महत्वपूर्ण जगह है, बहुत व्यस्त रोड़ है जयपुर से अजमेर तो मैं यह चाहता हूं कि यह डाक बंगले का जो मामला है, निश्चित रूप सेइस पर पुनर्विचार किया जाए। इसमें अच्छी व्यवस्था की जाए जिससे कि ये काम आ सकें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वैसे भी बहुत कम बोलता हूं, मैंने पहले ही कहा, समय बहुत कम ले रहा हूं, मैं मंत्री महोदय का।

यह जो बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट है, यह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से सड़कें जैसे मेरे यहां बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्का हो गयी। लेकिन, मंत्री महोदय मैं यह चाह रहा हूं कि जैसे केन्द्र में सेण्ट्रल रोड़ फण्ड बना हुआ है इसी तरह आप स्टेट में भी स्टेट रोड़ फण्ड बनाएं जिसके माध्यम से इन सड़कों का काम हो बी.ओ.टी. में आम आदमी को, गरीब आदमी को कितना बड़ा जयपुर है, आप जयपुर से दिल्ली आजो, कितना रुपया लगाना पड़ जाता है, कहीं भी आप चार सौ पांच सौ किलोमीटर चले जाओ, तो यह स्टेट रोड़ फण्ड बनाएं, उसमें बजट रखें और इसके माध्यम से इस तरह सड़के बनाएं, इसमें बजट रखें और इसके माध्यम से इस तरह सड़कें बनाएं।

(16.00 बजे)

(श्री बाबूलाल नागर)

2001 में 85 वां संविधान संशोधन हुआ था 8 उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति में वरिष्ठता लागू करने के लिए प्रोवीजन किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हमारी सरकार ने यह आदेश निकाला हो, राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला 11, 2000 और 12; 2000 को इस आदेश के तहत वरिष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया। अगेन सीनियरिटी, जिसके तहत पुनः वरिष्ठता से एस.टी., एस.सी. के अधिकारियों को नीचे कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जब संविधान संशोधन हो गया तो इस संशोधन के बाद जो वरिष्ठता सूची है वह पुनः बनाएं। अभी तक वरिष्ठता सूची नहीं बनायी है, इसलिये मैं यह चाह रहा हूं कि हमारे एस.टी., एस.सी. के अधिकारियों को लाभ नहीं मिल रहा है तो इसको बनाएं जिससे हमारे गरीब अधिकारी आपको दुआएं दें। संवैधानिक होने के साथ..

एक माननीय सदस्य : कौन से विभाग के अधिकारियों की बात कर रहे हैं ?

श्री बाबूलाल नागर : पूरे डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी हैं, जिनका हक बनता है, वरिष्ठता में वे नीचे आ गये। जब संविधान संशोधन हो गया तब तो इसको लागू करने के लिये अब दुबारा आप सूची बनाएं और सबको इसका लाभ दें, यह मेरा आपको सुझाव है।

120 किलोमीटर रोड मैंने आपको बतायी, ऐसी है, लेकिन 3-4 रोड़ एक तो बंधे के बालाजी..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पी.डब्ल्यू.डी. वाले गरीब होंगे, शिक्षा वाले अमीर होंगे..

श्री बाबूलाल नागर : शिक्षा के बारे में आपसे बात करेंगे।

बंधे के बालाजी रोड, शाकम्भरी माता रोड, ये दो तो पवित्र स्थल हैं। मेरे अकेले के विधान सभा क्षेत्र में नहीं, नागौर, अजमेर, जयपुर, वहां मेला भरता है जबरदस्त तरीके से। इन दोनों रोड का रखें। ऐसे तो 14-15 रोड़ हैं लेकिन एक आसनपुर गांव की रोड है। मत्री महोदय, वहां वह रोड ही गायब हो

(श्री बाबूलाल नागर)

गयी है ...(व्यवधान) 9-10 किलोमीटर रोड़ आर.ई.पी. में बनायी लेकिन यह गांव वाली रोड़ पिछली सरकार में भी मैं नहीं बना पाया। उस समय 120 किलोमीटर दी हमें दो साल में, अब सौ किलोमीटर में जितना बंदरबाट कर सकते थे, जितना दे सकते थे। रोड़ ज्यादा टूटी हुई थीं, गरीब एरिया है, ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए यह पांच किलोमीटर का मामला है। इनमें रोड़ का अस्तित्व ही खतम हो गया है, कहीं रोड़ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने संक्षेप में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़क एक ऐसी चीज है जो हर इन्सान के जीवन से सम्बन्ध रखती है। जिस देश में अच्छी सड़कें हुईं, उस देश की हमेशा तरक्की हुई, विकास हुआ। यह सामाजिक क्रांति लाती है, यह आर्थिक क्रांति लाती है, यह सुरक्षा देती है, यह टाइम इकोनोमी देती है। सड़क का बहुत महत्व है जीवन में।

शेरशाह सूरी ने सबसे पहले अपने जीवन में ग्रांड ट्रक रोड़ बनायी जिसका देश को काफी फायदा हुआ। उसी के सिद्धान्त से मैं समझता हूं, हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने ग्राम सड़क योजना बड़े-बड़े शहर और देश में बनायी जिससे पूरे देश में एक बहुत बड़ी क्राति हुई है। इस बात को तो मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया कि यह कौनसा गांव है, कौनसा शहर है, कौनसा कस्बा है। उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि इतनी लम्बी सड़क होनी चाहिये। ग्राड ट्रंक रोड़ में जो गांव आ रहा है, चाहे कोई गांव आए, कांग्रेस का आए, भारतीय जनता पार्टी का आए, उन्होंने इस बात को कभी नहीं देखा..

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय अटलजी की राय जो थी, या अटलजी थे, वह पूरे राष्ट्रीय नायक हैं। यह तो सारा सब कुछ राष्ट्र के हित में किया है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : इसको मानता हूं। यही मानकर चलता हूं। और यही परिणाम निकला। यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन मैंने विशेष बात देखी। ये सड़कें जिसको आप रोड़ कहते है, सब इस बात को जानते हैं कि उसमें परसेण्टेज वाला मामला सबसे खतरनाक है। अरबों रूपये की रिश्वत कोई 5 परसेंट ले रहा है एस.ई., 5 परसेंट एक्स ईएन., 5 परसेंट जे.ईएन., मैं तो उसको सबसे बड़ा पाप समझता हूं। दुर्भाग्य की बात है। इसका निर्णय यह हुआ...(व्यवधान) हर कोई जानता है, हर देश का आदमी जानता है, हम जानते है। इसका उपाय जानना चाहते हैं। क्या इसका भी कभी उपाय होगा ? परसेंटेज बंद होगा कि नहीं होगा ? जब तक परसेंटेज बंद नहीं होगा तो सड़कें कमजोर बनेंगी। 50 परसेंट से सड़कें बनेंगी, कमजोर बनेंगी। उसकी गुणवत्ता कम रहेगी।

श्री श्रवण कुमार माननीय सदस्य, घोड़ा कभी घास खाना बंद कर सकता है क्या ? मैं कह रहा हूं घोड़ा घास खाना बन्द कर सकता है क्या ?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : मेरी बात सुनो। मैं तो कोशिश करूंगा। मैं तो मेरी बात कहता हूं, मैं किसी का ठका नहीं ले रहा हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैं मोरेलिटी की बात करता हू और मोरेलिटी पर चलता हू। जिसने रिश्वत खायी है उसको मैंने पकडा है। मै इसलिये कह रहा हूं कि हमें इस बात की कोशिश करना चाहिये। और कोई भी क्यों न हो मैं बात इसलिये कहना चाहता हू कि यदि आप लोग इसमें सीरियस नहीं हुए तो यह देश के लिये एक बहुत बडा कलंक है। यह परसेंटेज जब तक बंद नहीं होगा तो आप सडकें बनाते जाइये. बना देंगे, अरबो रूपयों का सडकें टूटेंगी। फिर पैसे चाहिये फिर लगाओ, फिर डिमाण्ड करो।

मैं निवेदन करना चाहता हू कि सडकों की गुणवत्ता कम हुई, मेरे मकराना क्षेत्र की बात कहना चाहता हू। मैं कुछ सड़कों के नाम जो प्रधान मंत्रीजी ने अपनी नीति से बनायी हैं, उनमें सात-आठ के नाम देना चाहता हूं, वे सड़कें बहुत कमजोर बनायी गयी हैं। बोरावड़-सबनपुर, बोरावड़-मंडाणा, बिल्लू-नारोली, मांगरोली-मंडाणा, हरियाजून-देलासर, लादडिया-बोरावड़, राजडिया-भीचाला, देवरी-गूदसू, कचोलिया, ये सड़कें एक साल रही और अब टूट चुकी हैं। जो तो ज्यादा बरसात नहीं आयी वर्ना पोल खुल जाती। सड़कें हम बनाएं,

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)
अरबों रूपये हम सैंक्शन कराएं और आधा रूपया रिश्वत में चला जाए तो मैं समझता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आपने जिन सड़कों की चर्चा की है, आप इन सारी सड़कों को लिखकर मुझे दें, मैं एडिशनल चीफ इंजीनियर से इसकी जांच कराऊंगा। जांचकर्ता जब जांच के लिये जाएगा तो आपको साथ लेकर जाएगा।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। मेरे बोरावड़ में एक बी.ओ.टी. सड़क बनायी गयी, बोराबड़ जो मेरा गांव है। पिछली कांग्रेस सरकार ने एक तोहफा दिया बोराबड़ में बी.ओ.टी. के नाम से। बी.ओ.टी. सड़कें हमेशा शहर के बाहर-बाहर निकला करती हैं। बीस-तीस सालों में हमको किसी सरकार ने बोरावड़ में कोई सड़क नहीं दी। ऐसी बी.ओ.टी. सड़क दी जो गांव के आठ वार्ड के अन्दर बिलकुल बीचों-बीच निकाल दी। निकालने से यह फायदा हुआ कि यदि हम सड़क को इधर से यहां पार करें, पोस्टकार्ड आठ आने, एक रूपये का पोस्ट आफिस से लेने जाओ तो बी.ओ.टी. की सड़क का पन्द्रह रूपये दो। स्कूल जाओ तो बी.ओ.टी. पैसा दो।

श्री श्रवण कुमार : कांग्रेस सरकार ने किया, आप भी मेरे साथ यह कहना चाह रहे हो क्या ? चिड़ावा में भी यही स्थिति है।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : कहने का मतलब बी.ओ.टी. के नाम से लूटा जा रहा है। पब्लिक चिल्ला रही है साल भर से। वहां पर एजीटेशन हुआ, भूख हड़ताल पर बैठे। और तो और, जो उनके नियम बनाए, एक उन्होंने फ्रेम किया, कौनसे कहां बनने चाहिये। 415 नाम पर जो पाइंट था उसमें 413 अपनी मरजी से बना लिया गांव के बाहर निकलते ही। कोई व्हीकल नहीं निकलता है। वैकल्पिक कोई दूसरी सड़क नहीं है और यदि उस सड़क पर चढ़ जाएं और चढ़ना पड़ता है क्योंकि एक ही सड़क है तो लाओ पन्द्रह पैसे। हमने एजीटेशन किया, हम राज्य सरकार के नोटिस में लाए, मंत्री महोदय के नोटिस में लाऐ, इसको हटाया गया।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

मान्यवर, आपकी सरकार ने फैसला किया कि बी.ओ.टी. का टोल उठना चाहिये, आपके आदेश के बाद भी वह नहीं उठा और उनको फायदा हो गया। वे कोर्ट में चले गये और स्टे ले लिया। हमारे लिये फिर वही बात है, हमें तो कोई रिलीफ मिला नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्या बी.ओ.टी.? आप हमारे फायदे की बात सोचते हैं कि नुकसान की बात सोचते हैं ? गांव को एक दंड दिया, बाहर निकलते ही पैसे लाओ। बी.ओ.टी. सड़क बनाने से पहले मेरा एक निवेदन है कि उसको शहर के बाहर निकालें जिससे कम से कम लोगों को ज्यादा नुकसान न हो मकराना एक बहुत ही घना सिटी है वहां रश नहीं होगा और उसकी रेट भी कम हो।

दूसरा, मैं आपको शार्ट में निवेदन करना चाहता हूं, मैं कुछ सड़कें आपको प्रस्तावित करता हूं जिससे इकोनोमी हो, शार्टकट में हो, जिससे राज्य को फायदा हो। फ्यूल की इकोनामी हो, टाइम की इकोनामी हो। मैं कुछ सुझाव आपको दे रहा हूं। एक सड़क जो मैं डिमांड कर रहा हूं, वह है मकराना से कुचामन सिटी, वाया जूसरी, यह 10 किलोमीटर सड़क है, जिससे कुचामन पहुंचने के लिए हमको 15 किलोमीटर का फायदा होगा। और तो और वहां दो रेलवे फाटक भी आते हैं, उसमें आधा-एक घंटा इंतजार करना पड़ता है। यदि यह सड़क बन जाती है तो वहां रश नहीं होगा और यह शार्ट कट हो जाएगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना से गांगवा की 6 किलोमीटर की सड़क बनने से परबतसर जाने के लिए 8-9 किलोमीटर का हमको फायदा होगा। इससे टाइम की बचत होगी, सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं होगी। मैं इस सड़क के लिए आपको सुझाव देना चाहता हूं, एक गैलासर से बेड़वा दो किलोमीटर की सड़क है, जहां हमारे भंवरसिंहजी शहीद हुए थे, सरकार ने कहा था कि हम उनके नाम से सडक बनायेंगे, मान्यवर , आप तीन किलोमीटर की सड़क लिंक रोड़ कहकर दे देते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ही एहसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी है गैलासर से लादरिया, भीसावर से कचोलिया, लालोसी से सिरसू, बोरावर से बिललू, बलवाली से टोलड़ा और राजापुरा से परोड़ी, इन सड़कों को जो कि तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर की

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)
सड़कें हैं, ये लिंक रोड़ हो जाएँगी तो आपको भी फायदा होगा। लम्बे रोड़ से ट्रेवलिंग करने के बजाय शार्ट कट से हमको फायदा हो जाएगा, में इसकी डिमांड करना चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में कई बार बहस भी हुई है, मान्यवर, मंत्री महोदय, इन सड़कों पर पूरे राजस्थान में अतिक्रमण हुआ है, मैं पूरे राजस्थान में घूमता रहता हूं। नागौर जिले में करीब-करीब सारी सड़कों पर अतिक्रमण है। यहां यह तय हो चुका है कि अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक कमेटी बैठेगी। मान्यवर, कलक्टर, एस.पी. और न मालूम किस इंजीनियर की एक कमेटी बैठी। वह कागजों में ही कमेटी बैठी हुई है, अतिक्रमण ज्यों के त्यों हैं। अतिक्रमण होंगे तो सड़क टूटेगी, तो सरकार का पैसा खर्च होगा तो नुकसान जनता का है। पैसा जनता का ही तो है। जनता का बिना मतलब पैसा खर्च होगा। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अतिक्रमणों को हटाने की आप शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें। जयहिन्द। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा चल रही है, मैं तो दो-तीन सुझाव आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत अच्छी योजना है। पहले हजार तक के गांव जोड़े, अब पांच सौ तक के गांव जोड़ रहे हैं। परन्तु उसमें एक शिकायत यह है कि जो मैटल रोड़ हो गयी है वह प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना क्राइटेरिया में नहीं आती है। मैटल रोड़ एक बार बन गयी, उसको बने तीन-चार साल हो गये और उस गांव की आबादी हज़ार से भी ज्यादा है, वह मैटल रोड़ हो गयी इसलिए वह प्रधामंत्री ग्राम सड़क योजना के क्राइटेरिया में नहीं आती है। किसी दूसरी स्कीम में नहीं आने से वह रोड़ वैसी की वैसी पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय जोगेश्वरजी गर्ग ने बताया, ऐसी हालत है कि वहां पर न तो आदमी चल सकता है न बैलगाड़ी चल सकती है, न साइकिल लेकर जा सकते हैं, न वाहन लेकर जा सकते हैं। इतनी दयनीय

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

स्थिति में वे सड़कें हैं जिनका मैं मेरे शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूं। मेरे क्षेत्र में भी ऐसी दो-तीन रोड़ हैं, जेसे गांव ठाकुरवास वाली दो किलोमीटर की रोड़ है। जैसे जारणवास से जिला सीमा दो किलोमीटर रोड़ है। जैसे कुड़की से बीजाथल दो-ढाई किलोमीटर रोड़ है। जैसे निबौल से लीतरिया तीन किलोमीटर मैटल रोड़ है, अब ये दोनों मिसिंग लिंक हैं, पूरा सपोर्ट करें, निबौल से लीतरिया जुड़ जाती है तो इधर से 50 किलोमीटर और उधर से भी 50 किलोमीटर, पूरा एरिया जुड़ जाता है। परन्तु वह तीन किलोमीटर मैटल रोड़ होने के कारण से, गांव की आबादी भी लीतरिया में हजार से ज्यादा है परन्तु वर क्राइटेरिया में नहीं आती है इसलिए वह नहीं जुड़ता है। मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं जोड़े तो उसको मिसिंग लिंक में लेकर या दूसरी कोई अन्य स्कीम में लेकर मैटल रोड़ जो हो गयी हैं उनको वीरयता देकर पहले उनके ऊपर वर्क करवाया जाए और फिर बाद में दूसरे रोड़ लिये जाएं जिससे कि वह पैसे राज्य सरकार के व्यर्थ नहीं जाएं वह सड़क गांव वालों के लिए उपयोगी साबित हो, गांव वालों के वह काम आए।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक सैकिण्ड आप वाली बात है। यह जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट आफ इंडिया की, गाइडलाइन में यह डिफैक्ट है कि जो मैटल रोड़ या कुछ रोड़ बने हुए हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : यह मैंने निवेदन कर दिया है...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हां, एक सैकिण्ड, सड़क योजना में नहीं लेंगे। मेरा तो अनुरोध है कि हमें गाइडलाइन को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया से रिक्वैस्ट करें, क्योंकि यह पूरे राजस्थान में हर जिले का मामला है। आपके यहां की दो जूड़ ही जाएंगी, वह अलग बात हुई। यह महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन इस गाइडलाइन में चेंज करने के लिए प्रस्ताव बनाकर गवर्नमेंट आफ इंडिया को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भिजवाया जाना चाहिए ताकि इस पर नये सिरे से विचार हो।

श्री सुरेन्द्र गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज रोड़ पर गवर्नमेंट करोड़ों रूपया खर्च कर रही है, जैसे एक पैकेज है 2 करोड़ का,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

एक पैकेज है 4 करोड़ का, एक पैकेज है 5 करोड़ का, उनके टेंडर होते हैं, जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, जिनके पेवर प्लांट लगे हुए हैं वही उस टेंडर को ले सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं। छोटे-छोटे ठेकेदार आज सब बेरोजगार हो गये हैं। राज्य सरकार की मंशा है कि रोजगार दिये जाए। गरीबों को रोजगार दिया जाए। पढ़े -लिखे लोगों को रोजगार दिये जाए। जो ठेकेदार हैं, जो दस-दस साल से, पंद्रह-पंद्रह साल से ठेकेदारी कर रहे थे, पिछले दो-तीन साल से उनकी हालत दयनीय हो गयी है कि वे किसी काम के नहीं रहे। एक ठेकेदार है, उसने ठेका ले लिया पांच करोड़ का, अब वह भी दु:खी है। वह इसलिए दु:खी है कि आज जैसे जोधपुर संभाग में दो या तीन पेवर प्लांट हैं, करोड़ों रूपयों के स्वीकृत हुए हैं तो पाली जिले में जैसे सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर हो गया, टेंडर में लिमिटेड टाइम दे दिया कि आप तीन महीने में इस सड़क को पूरा करेंगे। तीन महीने का समय तो दे दिया लेकिन वह तीन महीने में कर नहीं सकता। तो उसके भी पैनल्टी लगेगी। किसी के दस लाख की लगी , किसी के दो लाख की पैनल्टी लग गयी, तो वे भी दु:खी हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि इसमें भी कोई न कोई ऐसा सरलीकरण किया जाए ऐसी व्यवस्था की जाए कि छोटे-छोटे ठेकेदार भी टुकड़ों के रूप में काम ले लें और अपनी उदरपूर्ति कर लें, रोजगार प्राप्त कर सकें। उनका भी काम हो जाए और अपनी भी रोड़ बन जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसे ये मिसिंग लिंक्स हैं, 40 किलोमीटर इधर हैं, 40 किलोमीटर उधर हैं, मैं पिछली गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 15-15 किलोमीटर मिसिंग लिंक दिये हैं एक-एक एम.एल.ए. को ऐसे मिसिंग लिंक जो दो-दो किलोमीटर हैं या तीन-तीन किलोमीटर हैं, उनको भी प्रायोरिटी दी जाए जिससे मिसिंग लिंक पूरे हो जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में दो-तीन मिसिंग लिंक्स हैं, जैसे एक तो कुड़की से कोटडिया, कल एक क्वेश्चन में था, कुड़की मीरा की जन्म स्थली है। पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और लोगों का आना-जाना भी रहता है। अब आप देखें, जिला अजमेर हैं, अजमेर से चलें तो ब्यावर होते हुए, रास होते हुए सेवरिया और कोटडिया तक जाता है, बीच में चार किलोमीटर का

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मिसिंग लिंक है। उधर से आप चाहे नागौर आ जाएं चाहे पाली आ जाएं पूरा डामर रोड़ है परन्तु वह चार किलोमीटर न तो कच्ची रोड़ है, न मैटल रोड़ है और न डामर रोड़ है। तो उस चार किलोमीटर के कारण पूरी व्यवस्था बेकार हो रही है और रास्ता अवरूद्ध है, न कोई आ-जा सकता है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसी जो मिसिंग लिंक हैं, छोटी-छोटी हैं, चार-चार किलोमीटर की हैं, एक तो लीतरिया से निबौल है, कुड़की से कोटड़िया है, इनको आप प्राथमिकता से पूरा करिये। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो जिला जोड़ते हैं जैसे मेरे जांजनवास से जिला सीमा दो किलोमीटर हे, बाकी रोड़ बना हुआ है, जांजनवास से दो किलोमीटर मैटल रोड़ हो चुका है परन्तु वह जोधपुर जिले की सीमा है, जोधपुर जिला सीमा वहां से दो किलोमीटर है। जैसे कुड़की स बीजाथल, वह अजमेर जिला पड़ता है, दो-ढाई किलोमीटर है, यह पर्यटन स्थली है इसलिए उसको जोड़ा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चूंकि मेड़ता से कोई अभी एम.एल.ए. नहीं है, एक भंवाल स्थान है, इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है कि वहां पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं परन्तु दो किलोमीटर का मिसिंग लिंक है। मैटल रोड़ हुआ है, दो किलोमीटर आगे से जुड़ा हुआ है। दो किलोमीटर पड़ा है तो वह दो किलोमीटर चाहे धार्मिक स्थल जोड़ने के मामले में लें, चाहे राज्य सरकार सुओ मोटो अपने विवेक से वह जोड़ने का प्रोग्राम लें।

श्री राकेश मेघवाल . माननीय मंत्रीजी, वहां माताजी ढ़ाई प्याला लेती हैं, भुवाल माताजी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : आपको बोलना चाहिए, आपके जिले की पंचायती मैं कर रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल : आपको सौंपी तो है हमने करने के लिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल : भुवाल स्थान को जोड़ने के लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हू, वह लें।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन बड़े पंचायत मुख्यालय हैं, वहां डामरीकरण हो चुका है, परन्तु कॉज-वे नहीं बना हुआ है। अब बरसात का समय आ गया, बरसात आ गई, आप जाइए नीम्बोल, नीम्बोल एक ऐसा गांव है उसमें चारों तरफ से रोड़ बनी हुई है पर काज वे नहीं होने के कारण से बरसात के समय उसमें जा नहीं सकते । उस तरफ से रोज 100-150 ट्रक लाइम स्टोन के, चाइना क्ले के निकलते हैं और आगे तीन पंचायत मुख्यालय हैं, पर सब मामला हैल्ड-अप हो जाता है, वह कॉज-वे के कारण बरसात में मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो नीम्बोल वाला पंचायत मुख्यालय, उसको जोड़ने वाला कॉज वे और एक आसनलाई पंचायत मुख्यालय जहां पांच-छह हजार की पापुलेशन है वह आसनलाई वाला काज-वे और एक मोराइवाला, ये तीन इतने इम्पोर्टेण्ट हैं, मैं पिछले 15 सालों से दे रहा हूं, वह रोड़ बन गये पर काज-वे नहीं बने।

दूसरा, जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्राइटेरिया में आते हैं, छोटे-छोटे गांव हैं वे भी कॉज-वे से जुड़ गए हैं। जैसे लासनी है, अब वह भी जुड़ गया है। 63 लाख खर्च हुए हों चाहे, परन्तु वह बन गया है। जैसे मालपुरिया, वह भी क्राइटेरिये में आ गया। जैसे पीपलिया, वह भी क्राइटेरिये में आ गया। परन्तु जो पंचायत मुख्यालय है और पांच-पांच, छह-छह हजार की पापुलेशन है और उन गांवों का दूसरा कोई अल्टरनेटिव-वे भी नहीं है, उसी रास्ते से उनको जाना पड़ता है, बरसात के दिनों में पूरा मार्ग अवरूद्ध हो जाता है, मेरा निवेदन है कि इन तीनों काज-वे को प्रायोरिटी पर लें।

मेरा एक निवेदन है, मंत्रीजी, स्टेट हाइवे नम्बर-39 जो सतूर से नागौर है, वह सैंक्शन है आपका । मेरे ब्यावर से होकर उसका डाइवसन ब्यावर, बाबरा रास होता हुआ इधर नागौर की तरफ जाता है, अभी तक उस पर कोई सैंक्शन नहीं हुई है। उस रोड़ पर दो-तीन बड़े-बड़े, छह-छह सौ. सात-सात सौ करोड़ के प्लांट, अम्बुजा सीमेंट और श्री सीमेंट के लगे हुए हैं और नागौर से जाने का एक मात्र रास्ता है। उधर लाइम स्टोन, चाइना क्ले की गाडियां बहुतायत में निकलती हैं, तो मेरा निवेदन है कि इस स्टेट हाई वे नम्बर 39 का जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए और इनको बाबरा के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

बाहर बाईपास होकर निकाला जाए जिससे वहां पर लोगों को सुविधा मिल सके।

इसके अलावा मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात के दिनों में, अब बरसात हो रही है, बरसात ज्यादा हो (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बात सुनिए तो, मैं बहुत कम बोलता हूं अब बरसात हो रही है, अपन क्या करते हैं कि अक्टूबर-नवम्बर में पेच वर्क का काम चलाते हैं। मेरा निवेदन है कि जैसे हाइवे रोड़ हैं, 50-50 किलोमीटर पर ऐसे पांच-पांच, दस-दस आदमियों की या ऐसी व्यवस्था की जाए कि ज्यों ही बरसात ज्यादा हो और वह पेच पड़ जाए तो तुरन्त उनको रिपेयर कर दिया जाए तो ज्यादा नुकसान राज्य सरकार का न हो और इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है, यह पूरे राजस्थान का मैटर है, कि एक रोड़ का डामरीकरण हुआ उसमें 8 लाख का खर्चा आया, दूसरे डामरीकरण पर 6 लाख का खर्चा आया, तीसरे डामरीकरण पर 5 लाख का खर्चा आया एक किलोमीटर का यह क्या क्राइटेरिया है ? किस हिसाब से उस पर खर्चा हो रहा है ? आप कम से कम अपने विभाग के अधिकारियों से पूछें कि एक किलोमीटर रोड़ बनाने में 10 लाख कैसे खर्च हुए। पास में ही दूसरी रोड़ बनी गांव में, वह 5 लाख में ही कैसे बनी, उसका क्या क्राइटेरिया है ? उसमें क्या ज्यादा माल लगा, उसमें काम क्या कम लगा ? क्योंकि वही मां परोसने वाली और वहीं बेटा जीमने वाला, वही एस्टीमेट बनाने वाले और वहीं टण्डर करने वाले, वही उसको कार्य रूप में परिणत करने वाले। इसकी जांच होनी चाहिए। जो-जो ज्यादा एस्टीमेट कास्ट से सडकें बनी और जो कम कम हुई हैं, तो कौन-कौनसी ऐसी कम है और कौन-कौनसी ऐसी ज्यादा है इनके बीच का रास्ता निकाल कर ज्यादा खर्चा क्यों हुआ, उसकी जांच आप लोगों को करवानी चाहिए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल ।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,

(श्री सुन्दर लाल)

हमारे भालोट से किनालिया एक किलोमीटर सड़क मिल जाए तो हमारा हरियाणा से जोड़-तोड़ हो जाए। चुडीना से दो किलोमीटर मिल जाए तो हरियाणा-नारनौल से बिलकुल सही हो जाए। डालवा से जैतपुर दो किलोमीटर मिल जाए तो सही हो जाऐ।

हमारे सत्तर छोरा तो क्वांरा रहेगा, सड़का की वजै सूं कि भई हरयाणा में सड़क और म्हारे सड़क कोनी तो कोई जाई कोनी। हरयाणा में नहर, हरयाणा में सड़क और हमारे 104 किलोमीटर हरियाणा लगता है। सब दो -दो किलोमीटर हमारे बोर्डर पर ल्या-ल्या कर उन्होंने सड़क छोड़ दी। हमारे सड़क नहीं है। अब जो बनाते हैं, डेढ़ साल पेली एक सड़क सिंघाना से चिड़ावा, वह चलने योग्य नहीं है। कितना ही आदम्यां की तो धरण डिगगी, उण सड़क पर। होस्पिटलां में भर्ती होर्या स। खड्डा पड़्या स, चार-चार साल होगी, कोई सम्भाल्या ही कोनी। एक दिन दो साल पेली में पूछया, या सरकार थी जद, जद परात माय तो कांकरा घाल राख्या औ एक दो किलो की पीपी में डामर घाल राख्यो हो, पूछयो कै करों हो ? बोल्या, सड़क ठीक करां हाँ बोल्यो, तेरा बाप का सिर ठीक करे स, कद कितनी सड़क ठीक होसी, दो किलो डामर, चार किलो कांकरा, या तो सड़क ठीक कर है, इनका हिसाब तो देख्यो थम।

सूरजगढ़ से पिलानी, सूरजगढ़ से भुवाना सड़क चलने योगय नहीं है। कई बार उसका जिक्र कर दिया, लिख कर दे दिया, पहले भी कई बार लिखा मैंने। पहले राज में दो बार हरेन्द्र मिर्धा से मैं मिला, बोल्या इब काल ठीक कर दयांगा। तो बा थी उणही न फुड़वा गेरी, बा ठीक थी बान भी कर दी ठीक।

एक सड़क ऐसी है जो हरियाणा से जोड़ती है, कई दिन से पड़ी हुई है, भुवाना से बलोदा। 4 किलोमीटर सड़क जुड़ जाए तो सतनाली तक पक्की सड़क हो जाए। हमारी सड़क इतनी खराब है, जिनकी मरम्मत भी नहीं कराओ कोई सुणो भी कोनी। मेरे से पहले जो एम.एल.ए. था वो था तो कांग्रेस का पण उसने एक भी दिन कहा नहीं कि मेरे सड़क होनी चाहिए कठै रह्या कै, पता ही नहीं लगा, इसलिए 10 साल का कार्यकाल का बरोबर कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : क्वांरे जो लड़के रह गये, उनकी सूची सदन के पटल पर रखें।

श्री सुन्दर लाल : वह सदन की टेबल पर शिक्षा हाले दिन रखूंगा, आज कुछ दूसरा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : भई साहब, अगर वो सड़क की कहतो तो थाणे कण आवण देतो, जद ही तो बदल्यों कि आप सड़क की कहोगे, तभी बदल दिया उनको।

श्री महीपाल सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य एक सड़क भूल रहे हैं, मोहनपुर मोड़ से घसेड़ा तक, वह आप भूल रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल : वह भी खराब है, यादव साहब, बैठो तो सही आप। एक आपके घसेड़ा से मोहनपुर तक दो किलोमीटर बाकी है। फिर नारनौल जुड़ जाएगी। हमारे तो ये छोटी-छोटी सड़क जुड़वा दो, आपको धन्यवाद। हमने तो कोई दसां साल से लगातार ही देख्यां हां, उणके बाद भी न जुड़वावों तो फिर हाथ जोड़्या बैठ्या रहवंगा और करां कै ? यही कहणा था। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (व्यवधान) महिलाएं ही हैं, महिलाओं का नाम तो देते नहीं हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 व 21 में सम्मिलित होती हुई मैं जोधपुर शहर की सड़कों के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगी। हालांकि शहर के अंदर न तो कोई ग्रामीण आता है। नगर निगम ज्यादातर काम करती है। मैं जब 1982-83 में नगर पार्षद थी तो मुझे सड़कों के बारे में बड़ी तकलीफ आ रही थी, लोग आकर कहते हैं कि आप सड़कें ठीक करवाओ। कांग्रेस का बोर्ड था तो हमारी सुनने वाला नहीं । तो मैंने एक रोज कलक्टर का जाकर घेराव किया और कलक्टर साहब को कहा कि आप सड़कें ठीक करवाओ, मैं भी तो नगर पार्षद हूं। तो किसी भले आदमी ने जो बाहर खड़ा था, उसने कहा कि आप तो सर्किट हाउस जाएं, वहां चीफ मिनिस्टर साहब आये हुए हैं, उनको जाकर कहो। मैंने सोचा कि कौन सुनेगा हमारी। उस समय का मुझे खयाल पक्का है कि 1982-

श्रीमती सूयंकान्ता व्यास)

83 में शिवचरणजी माथुर साहब, चीफ मिनिस्टर थे। उस समय मैं उनके पास गई और मैं उनको धन्यवाद दूंगी, मैंने उनको जाकर कहा कि साहब, शहर में नगर निगम काम करती है, वह नगर निगम के पास पैसा नहीं है। मैं यह चाहती हूं कि ये सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप लिखकर दो तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई लेटर पैड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप सादे पन्ने पर ही लिखकर ले आओ। मैंने उनको सादे पन्ने पर ही लिखकर दिया, हम पांच-दस औरतें थी, साथ में हम गई। उन्होंने 15 दिन के अन्दर, मुझे जो ध्यान है, उस समय चार सड़क आई थी, उन्होंने चारों सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. को हैण्ड ओवर करवा दी। वह शहर की सड़कें आज भी पी.डब्ल्यू.डी. के पास हैं।

मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि पांच साल तक कांग्रेस का पिछला राज रहा और पांच साल तक उसी विधान सभा में वहां का जन प्रतिनिधि रहा, मगर एक भी सड़क पी.डब्ल्यू.डी. ने ठीक नहीं करवाई और खड्डे पड़े रहे। एक सड़क है जो खाण्डा फलसा से सिंवाणची गेट जाती है, वह ऐसा रास्ता है कि मरने वाला भी उधर जाता है, जन्मने वाल भी उधर जाता है, सामान लाने वाला भी उधर ही जाता है, मगर वह सड़क ठीक नहीं की। मैंने और जाकर कलक्टर का घेराव किया कि यह क्या बात हो गई कि हमारे सड़कें ठीक नहीं होती। सड़कें ठीक तो करो। जो पी.डब्ल्यू.डी. की हैं वो तो करा सकते हैं तो वहां सड़क ठीक कराने के लिये आदेश दिया। उपाध्यक्ष महोदय, घंटी मत बजाना, क्योंकि मैं अपनी पूरी बात कहना चाहूंगी, आप बीच में टोक दोगे तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी।

उपाध्यक्ष महोदय मैं उस सड़क के बारे में गई और सड़क ठीक कराने के आदेश हुए। (व्यवधान) आपको मैं यह बता दूं कि उस सड़क को खोदकर रख दिया और 15 दिन तक उस सड़क को नहीं देखा। वहां पी.डब्ल्यू.डी. ने एक्स. ई. एन. तक है। मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने जिलाधीश को फोन किया, इधर-उधर कहा। मेरे पास पब्लिक आ गई कि यह हुआ क्या ? आप जाकर देखें, बड़े-बड़े खड्ढे पड़ गये, उस सड़क को ठीक ही नहीं किया। मैंने कहा यह क्या बात हुई। मैंने वहां पर जो एक्स. ई. एन. साहब थे उनको फोन किया। वहां पर क्या किया कि सामान डाल रहे हैं वह सामान इकट्ठा किया।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जैसे सुन्दरलाल जी कह रहे थे, वह सही बात है। मैं तो न तो कोई व्यापारी हूं, न कोई ठेकेदार हूं, मैं तो एक गृहिणी हूं, मैं तो घर के काम में ज्यादा समझती हूं। मुझे लोगों ने कहा कि यह कैसे करोंगे, यहां तो खड्डे तो पड़ने ही हैं, यहां तो एक और 10 का माल डालते हैं। मैं समझी नहीं कि एक और 10 का माल क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। मैने पूछा कि एक और 10क्या होता है, मुझे समझाओ तो सही। तो कहा कि एक तगारी सीमेंट डाल दो और 10 तगारी बजरी डालते हैं। सड़क बन गई, ठीक हो गई, उस सड़क का कल्याण हो गया। मैंने एक्स.ईएन. साहब को खूब कहा कि आप पधारिये, तो उन्होंने कहा कि आपका राज है क्या ? मेरी मर्जी आएगी जैसी सड़क करूंगा। मेरे खयाल से उसका नाम आर.एस.सांखला है, या ऐसा कुछ नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आता है, जो अपने आपको मिनी सी.एम. जोधपुर का कहता था। आज मेरे खयाल से जोधपुर के अंदर चीफ इंजीनियर का पी.ए. बना हुआ बैठा है। मुझे जहां तक याद है और मैं समझती हूं मैं सही हूं, उसने इस तरीके से व्यवहार किया। उस सड़क को इस तरीके से उसने बनाया कि अभी डेढ़ साल नहीं हुए और सडक के सारे खड्डे पड़ गये। आप अंदाजा लगाएं कि क्या सीमेंट की सड़क के खड्डे पड़ सकते हैं ? यह कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसे-ऐसे माल डालते हैं यह भी सही है कि कांग्रेस सरकार थी, सड़क बने या नहीं बने, मगर अपना तो मतलब सीधा किया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को बधाई देती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं। जालोरी गेट से फतेह पोल की सड़क है वो भी पी.डब्ल्यू.डी. की है और ए.डी.बी. का पैसा खूब आया हुआ था, इन्होंने बाहर अंधाधुंध काम कराया, लेकिन शहर में पैसा नहीं दिया। मुझे कुछ ऐसी भनक पड़ी कि शहर का एक टेंडर हो रहा है और साल भर से पड़ा है, काम नहीं हो रहा है। मैंने मुख्य मंत्रीजी को फोन किया कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है मगर अभी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अपने पी.एस. गोविन्द मोहनजी को कहा और सारी जानकारी करके मुझे तुरंत फोन किया और फोन करने के बाद उस सीमेंटेड सड़क को शुरू कराया। आज वहां इतनी सुन्दर सड़क बनी है, मैं आपको क्या बताऊं। लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं। जब मैं मंदिर के अन्दर दर्शन करने जाती हूं तो लोग मुझे रोज-रोज कहते हैं भला हो राजमाता साहिबा की बेटी का कि ऐसी बढिया सड़क बनी है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास,

यानी ऐसी आवाज में बोल जैसे हमारे जाधपुर की भाषा है उस भाषा में बोलते हैं मैं कहती हूं मुझे मन्दिर में जाने दो, दर्शन करने दो, वैष्णव का मन्दिर है, लेकिन वे हमारी बात ही नहीं सुनते। इतनी बढिया सड़क बनी है। अब कोई करौती से काट लं तो बात अलग है, बाकी उस सड़क में खड्डे पड़ने का सवाल नहीं है। वह ए.डी.बी. परियोजना में सड़क बनी है, मैं उन ए.डी.बी. के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा है, यह धीमी गति से हो रहा है, लेकिन सड़क बहुत बढिया बन रही है, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मुख्य मंत्रीजी को बधाई कि ऐसी बढिया सड़क बनाई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह कहना चाहती हूं, जोधपुर शहर में इस तरीके से चार सड़कें है, लेकिन मैंने आठ सड़कों के लिए निवेदन किया है। मैं चाहती हूं जो प्रमुख सड़कें हैं उनको इस तरह से सीमेंटेड किया जाए, क्योंकि जोधपुर शहर में पानी का अभाव बहुत रहता है। बरसात आने पर अगर ये सड़कें इस तरह से बन जाएंगी तो मैं समझती हूं। जोधपुरी शहर बहुत सुन्दर शहर बन जाएगा जिसका सपना राजा-महाराजाओं के टाइम में देखा था। जोधपुर शहर को सोने की चिडिया कहा जाता था। सड़कें सुधरने से लोगों को आवागमन में बहुत आराम होगा। विशेषकर बूढी औरतें हैं बुजुर्ग आदमी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बरसात आएगी तो उनको पानी से बचाव होगा। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सड़कों के नाम बताना चाहती हूं, वैसे मैं लिखकर भी दे दूंगी। मुख्य सड़कें चांदपोल से सिवान्ची गेट वाया बकरा मण्डी, गांधी अस्पताल से पुंगलपाड़ा, वाया भजन चौकी, आडा बाजार से घण्टाघर वाया तम्बाकू बाजार, जालोरी गेट से सोजती गेट (नई सड़क) नगर निगम से वागर चौक वाया हाथीराम का ओडा का रख-रखाव, ये सड़कें हैं, जिनके लिए मैं चाहती हूं इनको आप बनाएं। औरभी कई सड़के हैं, मैं एक-एक को पढ़ूं तो मेरा टाइम समाप्त हो जाएगा। मंत्रीजी को मैंने 5-7 सड़कें है वे लिखकर दूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इन सड़कों को सीमेंटेड करवाएं। हमें डामर नहीं चाहिए। मैं सड़कों को वैसे करना चाहती हूं जैसे जालौरी गेट से फतेहपोल बनी है। जालौरी गेट से फतेहपोल जो सड़क बनी है वहां हर वक्त नगर निगम या पी.डब्ल्यू.डी. की जी-हजूरी करनी पड़ती थी। जब रामजी की सवारी फतेहपोल

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

किले से निकलती थी तो कहते थे कि खड्डे पड़ गये, सड़क ठीक कर दो। मगर अब मुझे ऐसा लगता है 10-20 साल इन सड़कों की मरम्मत की जरूरत नहीं है। मंत्री महोदय, मैं यह चाहूंगी कि इस तरीके की सारी सड़कें बनायी जाएं।

मेरी दूसरी मांग है, दो ब्रिज बनाये जाएं एक तो सोजती गेट के ऊपर और एक रानीसर पदमसर के ऊपर। रानीसर पदमसर में तो इसलिए निवेदन करना चाहती हूं कि वहां जनसंख्या बढ़ गई है. वहां जोधपुर दरबार की अनुमति के बिना ब्रिज नहीं बन सकता। सोजती गेट के ऊपर भी आप विचार करें तो मैं समझती हूं काफी कुछ फायदा होगा।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहती हूं। चौपासनी की तरफ जाते हैं तो सिद्धनाथ का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और जिस टाइम ललित किशोर जी यहां सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे तब हमारी मांग थी। मंजूर हो भी गया, लेकिन वह काम आज तक हुआ नहीं है। मैं चाहती हूं वहां एक सड़क बनायी जाए। बहुत ऊंचाई पर है, आप वहां सड़क बना दें ताकि लोगों को आवागमन में बहुत आराम मिले।

दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि चौपासनी मंदिर के पास जो सड़क है वहां सात कोसी परिक्रमा होती है। मैं आपको सही बात बताऊ, मैं परसों मेरी आंखों से देखकर आई हूं, दण्डवती परिक्रमा करते हैं, घुटनों के बल चलकर जाते हैं, उनके घुटने छिल गये, कम से कम 150 लोग होंगे। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगी, उस सड़क को आप थोड़ा प्राथमिकता से कराएं। वह कोई ज्यादा सड़क नहीं है मुश्किल से एक-डेढ़ किलोमीटर होगी, उस सडक को आप तुरन्त बनाने की व्यवस्था करेंगे।

इसी तरीके से सिंवाची गेट के ऊपर रामऋषि महाराज की गद्दी है, वह बहुत धार्मिक स्थान है लेकिन सड़क खराब पड़ी है। जब भी कोई महिला मिलती है तो यही बात कहती है कि आप जालौरी गेट जैसी सड़क बनाएं। मैं चाहूंगी कि इन सड़कों के ऊपर विशेष ध्यान दें और जोधपुर शहर के ऊपर आप ध्यान देवें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया (अनुपस्थित) श्री श्रवण कुमार ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 आज चर्चा हो रही है, पहिये का विकास, देश का विकास है और पहिये का विकास हुआ तभी देश का विकास हुआ और पहिया जहां चलता है उसका नाम सड़क है। राजेन्द्रजी, आपके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। मैं शेर से शुरू करता हूं-

"आप जब निकलते हैं चूरू में लोग रास्ता अपना छोड़ देते हैं। राजेन्द्र तो वो हस्ती है जो आंधी और तूफान चिराग में बदल देता है।"

श्री रामप्रताप कासनिया : आप तो उन कामों का नाम बता दो, क्या-क्या कराने हैं।

श्री श्रवण कुमार : मांग की बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूं सत्यता से परे नहीं है। राजेन्द्र जी पर कोई डाउट की बात नहीं है चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, यह सत्य है। चूरू में जब राजेन्द्रजी निकलते हैं तो लोग उपना रास्ता छोड़ देते हैं। राजेन्द्र जी तो वह हस्ती हैं जो आंधी और तूफान को चिराग में बदल देते हैं। तो क्या पिलानी विधान सभा की छोटी-छोटी सड़कों को डामरीकरण में नहीं बदल देंगे ? मुझे विश्वास और भरोसा है कि मेरे क्षेत्र की सड़कों को डामरीकरण में जरूर बदल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : फिर तो सड़कें गिना दो आप तो इनको।

श्री श्रवण कुमार : यह तो राज की बात है।

श्री रामप्रताप कासनिया : थोड़ी बहुत सड़कें हैं, वह हमें पता है आप इस तरह से करके ले जाओगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार जी, अब तो 1-2 सड़क प्राथमिकता वाली बता दो आप तो।

श्री श्रवण कुमार : सड़कों की बात अभी सुन्दरलालजी जो हमारे भाई साहब है, वह कह रहे थे सूरतगढ़ से गुहाना सड़क, यह वाकई में सही बात है कि 13 किलोमीटर सड़क है, बहुत इम्पोर्टेड सड़के है और उसको बनाने में पता नहीं त्रुटि मेरी रही है या हनुमानसहायजी की रही, पर वह सड़क वाकई में चलने लायक नहीं है। (व्यवधान) एक ही बात है, दोनों का Heart is one but pars are two सुन्दरलालजी की ओर मेरी राशि एक है। Heart is one but parts are two. No difference.

तो वह कहते हैं तो हम लिख देते हैं, मैं कहूंगा तो वह लिखेंगे। (व्यवधान) वह तो दो बात हैं, मोहन लाल जी "हिन्दुस्तान के भाव तो बहुत बड़े धान के, विदा न हो सकी बेटी किसान की। बेवफा नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सूरत बिगाड़ी हिन्दुस्तान की।" हिन्दुस्तान में पैसे की कमी नहीं है पर नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे हिन्दुस्तान की सूरत खराब कर दी। हां, राजेन्द्र जी के पास कोई पैसे की कमी है क्या ? थोड़ी देर पहले कह रहे थे, बजट में प्रावधान नहीं रखा।

श्री रामलाल शर्मा : राजेन्द्रजी नेता नहीं हैं क्या ?

श्री श्रवण कुमार : Powers are not delegated but acquired.

श्री रामलाल शर्मा : राजेन्द्रजी नेता नहीं हैं क्या ?

श्री श्रवण कुमार : पावर लिये जाते हैं।

श्री रामलाल शर्मा : मंत्री महोदय की इतनी तारीफ करके हमारे कोटे की सड़कें मत ले जाना, श्रवण कुमार जी।

श्री श्रवण कुमार : ना..., ना..., चौमूं का तो वही आदमी ले सकता है जो चौमूं की भाषा जानता है। चौमूं में कौन. रहेगा, ? चौमूं में तो आप ही रह सकते हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो आपके मंत्री पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और आप अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं, यह फर्क है।

श्री श्रवण कुमार : चौमूं में तो वही लोग रह सकते हैं। (व्यवधान) अब की बार सड़क आई तो टूटने की बात, बरसात है ही नहीं, अभी सुरेन्द्र जी कह रहे थे कि बरसात में ऐसी सूरत है कि पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी है ही नहीं पानी जहां नहीं, हो सड़क कहां से टूटेगी ? अब की बार तो सबसे बढिया काम तो यह हो गया है कि पानी बरसा नहीं, सड़क कहां से टूटेगी ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अब आएगा।

श्री श्रवण कुमार : कब आएगा ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप चिन्ता मत करो, मुख्य मंत्री यहां की महारानी है, बरसात खूब आएगी, आप चिन्ता मत करो। क्या किया है, कहां से आप भी कांग्रेस का राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राज है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य, पानी आंखों में आएगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : ऊपर राज कांग्रेस का आ गया, आप देखो थोड़ी बरसात में कमी आई है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्रीजी, मैं आपको 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि एक सड़क के ऊपर कहीं भी पानी का निकास शुरू हो जाता है। जो पाईप टूट जाता है, आपने देख होगा कि 10 दिन में कोई ए.ईएन. और जे.ईएन. उसको चैक भी नहीं करता है। एक सड़क दो किलोमीटर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो जाती है उसके बावजूद उसको कोई चैक नहीं करता है। आप देखिये, सड़क बनाने में लाखों रुपये लगते है, एक कर्मचारी की छोटी-सी नैग्लीजेंस की वजह से दो किलोमीटर रोड़ टूट जाती है और उसके बाद वह देखता है यह जिम्मेवारी उस पर डेप्यूट करिये कि जो इस तरह की गलती करेगा, ए.ईएन. या जे.ईएन. करेगा, उस क्षेत्र में कोई इस तरह की गलती होगी तो वह स्वयं जिम्मेवार होगा। उसको चार्जशीट करिये। जब तक जिम्मेवारी नहीं देंगे तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी।

नम्बर दो, आपने देखा होगा, सड़कों के ऊपर, अभी महीपालजी बता रहे थे, कि सड़कों पर अतिक्रमण करके चाहे जहां चाय की दुकान लगा लेते हैं,

(श्री श्रवण कुमार)

थड़ी लगा लेते हैं, चाहे जहां कूडिया डाल देते हैं गांव में। आपने देखा होगा, उसको 91 का नोटिस देते हैं कलक्टर और एस.डी.एम., एक्स. ईएन. उसकी कमेटी के सदस्य होते हैं परन्तु कोई भी इस तरह का तत्काल एक्शन नहीं होता है कि उसको हटा दिया जाए। आपको कानून में एक प्रावधान करना पड़ेगा कि सड़कों के ऊपर जो भी अतिक्रमण किया जाता है उस पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। एक्शन जब तक नहीं होगा जब तक उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा तब तक कोई फायदा ही नहीं है। आपने देखा होगा, अभी सुन्दरलाल जी बता रहे थे, कि पैचेंज के अन्दर क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना चाहिए, चाहे पैचेज करवाएं नहीं करवाएं पर करवाते हैं तो वह सही करवाना चाहिए। 1/10 का जो माल बता रहे थे, थोड़ी-सी डामर डालकर उस पर कांकरी डाल देते हैं। मैंने जे. ईएन. से पूछा यह कितने दिन चलेगी? बोलता है, चले यान चले यह तो हमें आदेश यही है डामरीकरणका मालूम होना चाहिए कि पैच हुआ है। मैंने कहा, कंकरी डाल दी और कल गाड़ी आएगी उसके टायर के साथ ही उड़ जाएंगे। आपने देखा होगा कि 10 दिन में जहां पैच किया जाता है उस पैच का मालूम ही नहीं होता है तो यह पैच भी इस तरह का एस्टेब्लिश होना चाहिए कि वास्तव में पैच करने वाले को और कराने वाले दोनों में शांति होनी चाहिए। जहां भी सड़कें बन रही है, एक व्यक्ति ने स्टे ले लिया, 10 वर्ष तक वह स्टे नहीं टूट रहा है और आपने 50 लाख रूपये चाहे उस सड़क पर लगाये हैं, वे 50 लाख रूपये फेल हो जाते हैं। एक खेत वाले ने स्टे ले लिया और सड़क मिसिंग लिंक रोड़ हो जाती है। इस तरह का कोई एक सैल बनाना चाहिए, उसका एक अधिकारी ए.ईएन. हो चाहे जे.ईएन. हो या ए.ई.ओ. हो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वह कोर्ट में जाकर तत्काल एक्शन ले और इस तरह के स्थगन आदेश पर तत्काल कार्यवाही करवाएं। जब तक इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती, स्टे लेने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी और सरकार का जो पैसा है वह वेस्टेज जाता है।

अकाल राहत कार्यों के अन्दर आपने देखा होगा कि ग्रेवल सड़कें बनाते हैं। ग्रेवल सड़कों का मतलब यह नहीं है। पहाड़ के सौ ट्रकों के आधे ट्रक

(श्री श्रवण कुमार)

कंकरियों के होने के बाद ग्रेवल बन जाता है, उसका ग्रेवल सड़क के नाम पर पैसा उठा लिया जाता है और 6 माह के बाद उसका अस्तित्व भी नहीं मिलता है कि सड़क बनाई है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसमें केवल थोड़ी-सी देखरेख की कमी है। अगर इस तरह की कोई गलती करने वाला अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो उसको अगर पनिश नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। आपको एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 8 माह पहले, कांग्रेस सरकार के समय से ही 10 महीने हो गये होंगे, बी.ओ.टी. सड़क मंजूर हुई थी। बी.ओ.टी. सड़क सीकर से लुहारू बन रही है। एक खेत में स्टे लें रखा था, बाई पास सूरजगढ़ से, मैंने उस आदेश को भी निरस्त करवा दिया ओवरथ्रू बाई पास सीधा बाई पास बना हुआ है परन्तु पहले से ही चिड़ावा के अन्दर उस बी.ओ.टी. को मंजूर कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री महोदय, यह सड़क चिड़ावा के अन्दर से बनती है तो बड़े जितने भी ट्रेलर हो जाएँगे, जनता को जाने लाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। बंजस्टेड प्लेस है, नगरपालिका क्षेत्र है, उसकी सूरत सारी खराब हो जाएगी। पैसेंजर गांडियां जब तक आती हैं तब तो हम आ जाते हैं। बढिया, आनी चाहिए, पर गुड्स के आने से यहां कोई फायदा नहीं मिलेगा, इधर से मिट्‌टी उड़ाते हुए आएंगे उधर से मिट्‌टी उड़ाते हुए निकल जाएंगे, जनता को फायदा नहीं मिलेगा। बी.ओ.टी. का बेनिफिट भी मिलना चाहिए, पर बेनिफिट कहां मिलेगा ? उल्टे वहां नुकसान होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा बदलने के लिए मैंने कई बार मंत्रियों से निवेदन भी किया पर पहले वाले मंत्री जी ने भी कहा दिशा नहीं बदल सकते। अधिकारियों से भी निवेदन किया। स्थिति से अवगत करा दिया उसी को आप देखिये, सब अधिकारियों को मैंने स्पाट वेरिफिकेशन करा दिया। उसके बाद भी कहते हैं बदल नहीं सकते। ऐसी कौन सी दुनियां की दिक्कत है कि बदल ही नहीं सकते। जब आप सीकर से लुहारू बी.ओ.टी. मंजूर कर सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। मैंने स्थिति से सारा अवगत करा दिया, रास्ता है ही नहीं, गाड़ी जा ही नहीं सकती, सारे शहर में दूषित वातावरण हो जाएगा, धुंआ ही धुंआ हो जाएगा, हजारों गाडियां उसके अंदर से निकलेंगी, दुकानदारों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। पर आप सुखदायी हो दुखदायी क्यों करा रहे हैं ? मैं चाहूंगा कि आप इसको तत्काल एक्शन में

(श्री श्रवण कुमार)

लें। अस तरह की जो थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शहर के अन्दर से सड़क बना दी, बड़ी दिक्कत हो गई, उसी प्रकार से दिक्कत पैदा हो चुकी। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हम होने जा रही है उसको आप दूर कर सकते है। कुंछ सड़कों के ऊपर 10-15 साल से गिट्टियां पड़ी हैं, न तो वह सड़क बन रही है, न गिट्टियां उठ रही है। जिस आदमी को रात को 12 बजे जरूरत पड़ जाती है वह एक गाड़ा भरकर ले जाता है। मतलब इस तरह की स्थिति बना दी कि लाखों का सामान खराब पड़ा है और 10 वर्षों से पड़ा है। न तो वह सड़क बन रही है न सरकार के यूज आ रही है। तो मेरी मंत्री जी, आपको विनती है कि इस तरह जो सड़कों पर सामान पड़ा है उसको तत्काल सड़क के रूप में परिवर्तित किया जाए और सड़क बनाई जाए। एक सुझाव मेरे को और देना है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जवाब तो वह देंगे।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, जवाब तो वह देंगे। प्रधान मंत्री के माध्यम से जो सड़कें बन रही थी, अब की बार मुझे लगता है कि वह बन्द कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं कर रहे है, यह है कि प्रधान मंत्री योजना के अन्तर्गत जो सड़कों का प्रावधान है नये प्रधानमंत्री भी उसको यथावत् चालू रख रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : मैं समझता हूं यह प्रधान मंत्री जी के रिप्रजेंटेटिव बोल रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी...

श्री हरिमोहन शर्मा : कार्यक्रम निर्धारित किया है गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने उसमें कहा है कि हम इस प्रधानमंत्री सड़क योजना को यथावत् चालू करेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि इसी सदन में मुख्य मंत्रीजी के रिप्रजेंटेटिव बैठे हैं और प्रधानमंत्री के रिप्रजेंटेटिव बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी ?

(श्री श्रवण कुमार)

माननीय मंत्रीजी, और ज्यादा सुझाव की बात नहीं है मेरा सुझाव यह है कि नरहड़ दरगाह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जिसको पिलानी से जोड़ने के लिए केवल मात्र ढाई किलोमीटर की रोड़ की जरूरत है, अगर नरहड़ दरगाह पिलानी से जुड़ जाता है जहां पूरे देश , प्रदेश और विदेश से लोग भी आते हैं, ओर जो पागल लोग हो जाते हैं वो वहां पर ठीक हो जाते हैं.....

डा. किरोड़ी लाल : वहां किसको भेजें, फिर आप बताओ ?

श्री श्रवण कुमार : अगर कोई हो तो बता दो, मैं ठीक करवा दूंगा। अगर कोई हो ता बता दो, मैं वहां ठीक करवा दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल : अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री श्रवण कुमार : यह बात मैं तो नहीं कह सकता। पर यह बात सत्य है कि बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। आप जानते हो। इसलिए वहां की सड़क बनाना अति आवश्यक है।

मिसिंग लिंक रोड़ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिसिंग लिंक रोड़ जब आपने बनाई थी, साढ़े तीन किलोमीटर रोड़ एक गांव की। मंजूर कर दी जागोद से खुड़ोत की उसकी दूरी थी ढाई किलोमीटर, एक किलोमीटर सड़क वहां बच गई। मैं चाहूंगा कि एक किलोमीटर रोड़ के अगर बचे हुए पैसे का यूज कर लिया जाए तो मेरे गांव की सड़क खुद की नहीं बनी हुई है और कितना बड़ा योगदान इसमें आपका होगा। मारवामें कहा करते हैं कि "मामा को ब्याह औ माँ पुरसगारी, अब पाछै भी टाबर भूखा रह जाए तो रही जाए'' राजेन्द्रजी जिस डिपार्टमेंट के मंत्री और श्रवण कुमार हो पिलानी विधान सभा का संतरी और फिर भी वह सड़क नहीं बने तो मैं समझता हूं कि फिर भविष्य में आशा कब रखेंगे ? (व्यवधान) शांति रखें।

अभी जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या सूर्यकान्ता जी कह रही थीं कि जोधपुर में सड़कों की दिक्कत है मुझे इस बात की पीड़ा हो रही है कि जिस जिले का मुख्य मंत्री पांच साल रहा अशोक जी गहलोत और वहां

(श्री श्रवण कुमार)

भी- "अन्न की मां भी तिसाई" रह गई तो हम क्या पियेंगे ? अब झालावाड़ के लोग यह कहेंगे पांच साल के बाद कि सड़क नहीं बनी तो फिर और लोग क्या कहेंगे ? (व्यवधान) आज या तो आपकी आवश्यकता बढ़ गई या आपको मालूम नहीं है, जोधपुर में रामसिंह जी आ गये, रामसिंह जी आ गये, जोधपुर में सड़कों की कोई दिक्कत नहीं थी और न आज दिक्कत है कि वहां पांच साल मुख्य मंत्री जी रहे हैं। पांच साल के बाद कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि झालावाड़ में सड़क नहीं बनी तो पिलानी के लोग क्या कहेंगे ? इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जहां भरा हुआ है वहां भरने की जरूरत नहीं है, जहां खाली है उनको भरो, आप एक उदार दिल बनाओ, साहस और हिम्मत के साथ।

तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं,
तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं।
जो लोग जिया करते हैं दूसरे के सहारे,
उन्हें जमाने की जरूरत नहीं।।

जो किसी के सहारे जिन्दा रहता हो तो उसको जमाना किसके लिये चाहिए। वो तो किसी के साथ जाकर बैठ जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे, राजेन्द्र जी, आपको दुबारा कहना चाहता हूं कि बहादुरी, हिम्मत और साहस के साथ दिखा दो राजस्थान की जनता को कि सड़क विकास का पहिया है और पहिये का विकास सड़क है और उसके साथ चुनौती देने वाला राजेन्द्र सिंह राठौड़ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाता है।

श्री मदन राठौड़ ।

मांग संख्या-19 व 21 पर विचार

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संदेह व्यक्त किया है कि पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो योजना प्रारम्भ की थी, हो सकता है कि यह सरकार उसको समाप्त कर दें, हालांकि अभी प्रधान मंत्री जी के जो प्रतिनिधि यहां विराजमान हैं...

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कि हम इन योजनाओं को, प्रधानमंत्री सड़क योजना को चालू रखेंगे। आप शंका का वातावरण जान बूझकर बनाना चाहते हो। आपको पूर्व प्रधान मंत्री के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे देना चाहिए।

श्री मदन राठौड़ : मैं तो माननीय सदस्य पिलानी से आने वालों ने जो बताया कि प्रधान मंत्रीजी के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं...

श्री रामप्रताप कासनिया : प्रधानमंत्री सड़क योजना का कहीं जिक्र नहीं किया गया है केन्द्र के बजट के अन्दर।

श्री मदन राठौड़ : प्रधान मंत्रीजी के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, उन्होंने जब बात की पुष्टि की इस पर पिलानी के माननीय सदस्य जो उन्हीं की पार्टी के हैं, उनको भी शक हुआ। खैर, कोई बात नहीं। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हैं वो अपने प्रभाव का उपयोग करें और दिल्ली में जाकर यह दबाव बनाएं कि पूर्व की जन हितकारी योजनाएं हैं वे उनको निरस्त नहीं करें, उनको चालू रखें। इस प्रकार का आप प्रयास करें।

अभी दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जोरदार मजाक किया था, ऐसा मजाक जो सदन में शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारीजी वाजपेयी ने राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री की सड़क के निर्माण के मामले में प्रशंसा की है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा मजाक उन्होंने किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो रिकार्ड की बात है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने धन्यवाद दिया है और कहा है कि राजस्थान ने यह जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें हिन्दुस्तान में सफलता के साथ क्रियान्वयन किया है। यह तो रिकार्ड की बात है।

श्री सी.डी.देवल : यह तो रिकार्ड में है, आप इसको मजाक मान रहे हों।

श्री मदन राठौड़ : मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में जो योजनागत व्यय हुआ, 1999 में बजट अनुमान था 385 संशोधित अनुमान 137 और वास्तविक खर्च हुआ 104.29 इसी प्रकार से 2000-2001 में बजट अनुमान था 240.87, सशोधित अनुमान था 268 और वास्तविक खर्च हुआ 168 इसी प्रकार 2003 में बजट अनुमान था 322.88, संशोधित अनुमान 231.66 और वास्तविक खर्च हुआ 174.19 अब आप खुद ही अंदाज लगा लें कि मुख्य मंत्री नम्बर वन ने क्या किया। इसी से आपको अनुमान लग जाना चाहिए। बजट अनुमान से वास्तविक खर्च कितना कम हुआ, वास्तव में इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए आप चाहे उनको मुख्य मंत्री नम्बर वन कहें या क्या कहें, मैं तो जानता हूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, इस प्रकार की टिप्पणी उस समय की है। इससे ज्यादा और आपको क्या सबूत चाहिए ? मैं विपक्ष के सदस्यों को इससे अधिक और कोई बात नहीं कहना चाहूंगा।

श्री श्रवण कुमार : खड़ी गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो ? चलती गाड़ी में क्यों नहीं बैठते ? भूतकाल की बातें क्यों कर रहे हो, प्रजेंट की बात करो न। खड़ी गाड़ी में बैठोगे तो पागल हो जाओगे। चलती गाड़ी में बैठो न. प्रजेंट की बातें करो, भूतकाल की बातें करोगे तो भूत हो जाओगे। प्रजेंट की बातें करो।

श्री मदन राठौड़ : अभी हमारे खाद्य मंत्रीजी ने पूछा था कि किसको भेजना, अब यह विचार उन्हीं को करना है कि किसको भेजना है पागलखाने में।

श्री श्रवण कुमार : दुनिया चांद पर चली गई और आप जमीन पर खड्डे खोद रहे हो।

श्री मदन राठौड़ : कांग्रेस शासन में 918 गांवों को जोड़ने के लिए, पूरे पांच वर्ष का मैं आपको बता रहा हूं, केवल 3770 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ था जबकि हमारी सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना में 986 गांवों को जोड़ा और 3056 किलोमीटर सडक का निर्माण किया।

श्री जुबेर खान : यह राजेन्द्रजी बैठे हैं 100 दिन में तो टेण्डर भी फाइनल नहीं होता। कुछ शर्म करो।

श्री मदन राठौड़ : आपने टेण्डर जरूर दिये होंगे और ठेकेदारों से धन जरूर वसूल लिया होगा टेण्डर देने के समय, लेकिन कोई...

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं, बनी बनाई सड़कों का उदघाटन जरूर किया होगा, लेकिन सड़क नहीं बना सकते 989 गांवों में 100 दिन में।

श्री मदन राठौड़ : आपने टेण्डर जरूर दिये होंगे, मैं मानता हूं, प्रधान मंत्रीजी के प्रतिनिधि महोदय हो सकता है कि आपने टेण्डर दिये हों, टेण्डर देकर ठेकेदारों से कमीशन जरूर लिया होगा लेकिन उनको फाइनेंशल सैंक्शन नहीं दी, इसलिए काम नहीं हो पाये। वह काम हमारे समय में हुआ है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री सी.डी.देवल : ठेकेदार टेण्डर पर कमीशन नहीं देता यह तो आपको मालूम होना चाहिए। यह तो कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने इतने करोड़ रूपये की स्वीकृति की। आपने तो 100 दिन की योजना में केवल उनके जो काम चल रहे थे, उन पर बोर्ड लगाये हैं जा जाकर। कहीं एक भी की हो तो बता दें।

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वह ग्वाल माता मंदिर का कोई उदाहरण दे रहे थे। एक दूसरे माननीय विधायक ने कहा, वो प्याला-व्याला की कोई बात कर रहे थे। माननीय कांग्रेसी सदस्य तो मन्दिर नाम से इतना भय खाते हैं कि यदि मन्दिर का नाम ले लिया तो हो सकता है कि हम साम्प्रदायिकता का आरोप लग जाए। इस कारण से अपने नाम में भी, जब उनका जन्म हुआ तो उनके माता-पिता ने बड़ी खुशी से किसी भगवान के नाम पर नाम रखा था

(श्री मदन राठौड़)

लेकिन कोई सी.डी. बोलता है अपने आपको, कोई सी.पी. बोलता है तो कोई बी.डी. बोलता है। और ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। इस प्रकार से अपने नामों को भी अपभ्रंश करके, इनका भगवान का नाम चावंडदान कितना बढिया रखा होगा माता-पिता ने लेकिन वो सी.डी. बुलवाना पसंद करते है। कोई बी.डी. बुलवाना पसंद करते हैं, कोई सी.पी. बुलवाना पसंद करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय, हो सकता है सी.डी. तो आपकी जेब में ही मौजूद हो।

(17.00 बजे)

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मन्दिर है, जो धर्मस्थल है, जहां पर लाखों श्रद्धालु लोग आया करते हैं, उनको निश्चित रूप से सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना बनाई जानी चाहिए और कम से कम विधायक कोष से उस पर विकास का काम करवा सकें, इस प्रकार की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जो पहले थी लेकिन कांगेस के शासन में यह अधिकार भी छीन लिया गया। मन्दिरों को किसी प्रकार से यानी सब प्रकार से अलग-थलग करने का इनका षडयंत्र था, इस प्रकार का उनका यह प्रयास रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये विधायक बार-बार प्रवीण भाई तोगडियाजी की बात करते हैं, हमारे कांग्रेसी विधायक हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी.डी. देवल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बीच में तोगडियाजी की बात कैसे आ गई, यह मेरी समझ में नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : नहीं, वह याद दिलाने की बात है। मेरे पड़ौसी सिरोही से माननीय विधायक हैं, वे जब भी इस सदन में शान्ति होती है और थोड़ा-सा नीरस वातावरण होता है, उसमें और सजगता लाने के लिए तेजी लाने के लिए प्रवीण भाई तोगडियाजी का नाम याद करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, एक मेरे कांग्रेसी मित्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें क्यों आते हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : ये प्रवीण भाई तोगड़िया का नाम इसलिए ले रहे हैं कि प्रवीण भाई तोगड़ियाजी ने प्रेस में सम्माननीय +++ शब्द का प्रयोग किया है। अब आपकी पसंद देख लो। आपको अटलजी चाहिए या आडवाणीजी चाहिए या तोगड़ियाजी चाहिए, फैसला आपको करना है। यह पब्लिक स्टेटमेंट है उनका (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि +++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलेखित कि गई है। यह उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मुझे बोलने दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मुझे तो एक दृष्टान्त याद आ रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मांग पर बोलें।

श्री मदन राठौड़ : मेरे एक कांग्रेसी मित्र थे, उनके कोई औलाद होने वाली थी और डाक्टर के पास वह अपनी पत्नी को लेकर गये जांच करवाने के लिए डाक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि लड़का होने वाला है। किसी कारण से उनके लड़की हो गई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप में इसमें प्रवीण भाई तोगड़ियाजी का हाथ है। अब इस प्रकार के मजाक की स्थिति ये कर सकते हैं इससे ज्यादा दया की स्थिति और कोई नहीं है।

मैं डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के बारे में जिक्र कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपका वक्तव्य है ना, भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है और इसका यह चरम है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अब यह किसका चरम है, यह अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां भेजना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण दे रहे हैं कि लड़की हो गई लड़के की जगह, इसका तो कोई स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का जिक्र कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया मांग के सम्बन्ध में बात करें।

श्री सी.डी. देवल : लड़के की जगह लड़की कैसे हो गई ? उपाध्यक्ष महोदय, तोगड़ियाजी ने लड़के की जगह लड़की कैसे कर दी, यह तो बताओ ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पी.डब्ल्यू.डी. की मांग है।

श्री मदन राठौड़ : मैं डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का जिक्र कर रहा था। सड़कों का जहां तक सवाल है, हमारी पाली पंचायत समिति में भी पादड़ला से गुढ़ा प्रतापसिंह और गुढा प्रतापसिंह से सालेसर महादेव, सालेसर महादेव से साली, साकदड़ा और चाणोद, यहां पर डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क बनी हुई है लेकिन उस पर कोई भी वाहन लेकर जाने की स्थिति में नहीं है। बैलगाड़ी या बैल ले जाना भी बिलकुल सम्भव नहीं है। पार्थ से होकर, खेतों से होकर लोगों को रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि इस प्रकार की कोई योजना बन सके तो इस मार्ग का भी डामरीकरण करवाना चाहिए।

मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव है खिदारा जिसने मतदान का बहिष्कार किया था, वह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। फालना औद्योगिक क्षेत्र से लेकर खिंदारा गांव और खिंदारा गांव से लेकर पराठिया-जाखोड़ा तक तो है, लेकिन पराठिया खिंदारा और खिंदारा से औद्योगिक क्षेत्र फालना को सड़क मार्ग से जोड़ने की निश्चित रूप से योजना बननी चाहिए, इस प्रकार का मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है।

पाली जिले के बिंठिया से रसियावास, पाली जिले में तो बिंठिया है लेकिन रसियावास जालौर में है , जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं उसी प्रकार से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह दो जिलों को जोड़ने वाली सड़क है, केवल दो किलोमीटर है, यदि यह केवल दो किलोमीटर की सड़क जोड़ दी जाए तो निश्चित रूप से करीबन 40 किलोमीटर जो घूमकर आना पड़ता है, वह बचाव हो सकेगा। इसी प्रकार से

(श्री मदन राठौड़)

तख्तगढ़ से पादड़ली, पादड़ली जालौर जिले में है, केवल ढाई किलोमीटर का मार्ग है, लिंक है, यह जोड़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से पावा से गुढ़ा इन्द्रपुरा, गुढ़ा इन्द्रपुरा जालौर क्षेत्र में है, पावा मेरे पाली जिले के सुमेरपुर विधान सभा में है, इनको भी सड़क मार्ग से जोड़ने का मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर में कोई डाक बंगला नहीं है। यह कोई गलती से छप गया होगा कि डाक बंगले को और सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। सुमेरपुर पाली जिले का अन्तिम केन्द्र है, उप खण्ड कार्यालय है। उसके बाद में सिरोही जिला शुरू हो जाता है और यहां पर कई दर्शनीय स्थल है। बामनेरा कोयटा, मैं सोचता हूं मेरे पड़ौसी विधायक भी इसका समर्थन करना चाहेंगे, बामनेरा कोयटा जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति उस समय की जब भगवान महावीर स्वामी स्वयं थे, बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और उस तीर्थ स्थल पर कई श्रद्धालु आया करते है यही नहीं, पास में जवाई बांध है। कई ऐसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। यहां पर निश्चित रूप से डाक बंगले का निर्माण कराया जाना चाहिए, मैं आपके माध्यम से इस प्रकार की मांग भी मंत्री महोदय से करना चाहूंगा। इसके अलावा...

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीशंकर भूतड़ा माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। बाकी आप मंत्रीजी को दे दीजिये लिखकर आपकी सारी मांग। श्री देवीशंकर भूतड़ा।

श्री मदन राठौड़ : धन्यवाद।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व की सरकार के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है और मैं सदन का समय ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं।

आपके माध्यम से कि पिछले कार्यकाल के अन्दर सड़कों की हालत बहुत खराब रही है और कोई सड़क बनी नहीं, बल्कि जो सड़क की चौड़ाई थी, उसको और छोटा कर दिया गया। उसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रख

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

रहा हूं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 8 से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 14, जो कि ब्यावर शहर के मध्य से होकर गुजरता है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है।

10 मीटर की उस सड़क को जबकि जनसंख्या बढ़ने के साथ और ज्यादा चौड़ा किया जाना चाहिए, वह 12 या 13 मीटर तक बन सकती है, लेकिन उस सड़क को बीच-बीच में सात मीटर, कहीं छह मीटर, इस तरीके से उस सड़क को और छोटा कर दिया है। इससे बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि वहां पर उस राष्ट्रीय राज मार्ग को 10 से 12 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य जगहों पर जहां सड़क चौड़ी की जा रही है, वहां पर सड़क को संकड़ा कर दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का इस बात के लिए ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि पुनः उस सड़क को चौड़ा किया जाए क्योंकि अब यातायात का दबाव बढ़ा है और जनसंख्या भी जो पहले सवा लाख-डेढ़ लाख थी, बढ़कर दो लाख हो गई है। यातायात का दबाव भी बढ़ा है चुंगी नाके से लेकर जोधपुर चुंगी नाके, उस सड़क को चौड़ा करके वहां डिवाइडर बनाकर वन-वे किया जाना चाहिए। उसका विभाग द्वारा 1.62 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उसे इस बजट में लेकर स्वीकृत कराया जाए।

इसी पकार से मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। टाडगढ़ से दुधालेश्वर महादेव जो भीम से होकर टाडगढ़ और दुधालेश्वर महादेव जाया जा सकता है, वह पांच किलोमीटर का रास्ता है इसके अन्दर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण टाडगढ़ है जो आज माउंट आबू के बाद सबसे ऊचाई पर स्थित है। वहां से दुधालेश्वर महादेव पांच किलोमीटर पर है भीम से दुधालेश्वर महादेव से यह जुड़ जाएगा। इसका भी प्रस्ताव बनाकर विभाग द्वारा भेजा हुआ है।

नेशनल हाईवे नं. 14 और नेशनल हाईवे नं. 8 दर्जी के फाटक से लेकर राजावास को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर इस सड़क का राम्ता यदि बन जाए तो भीलवाड़ा और जोधपुर के बीच, पाली, सोजत और उस साइड से 60 किलोमीटर रास्ता कम हो सकता है। काफी समय पहले यह भी भेजा हुआ है,

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

जिस पर मिट्टी भी बिछी हुई है, इसको भी लिया जाए। इसी तरीके से ब्यावर क्षेत्र से दुधालेश्वर महादेव तक 6 जीरो से लेकर 14 जीरो तक पेवरीकरण कार्य का आर.यू.पी. फेज तृतीय में प्रथम प्रस्ताव भेजा गया था जिसकी स्वीकृति हो गई थी। यहां पर पूरे अजमेर जिले के लोगों का धार्मिक स्थल होने के कारण आना-जाना लगा रहता है। बराखण से इसकी 14 किलोमीटर की सड़क है जिसके अंदर 5 किलोमीटर की सड़क का तो आर.यू.पी. फेज तृतीय में पेवरीकरण हो गया है। इस बचे हुए आठ किलोमीटर पर भी पेवरीकरण होने से रास्ता एकदम बिना किसी अवरोधक के साफ हो जाएगा। उसके लिए 32 लाख रुपये का तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भेजा गया है, उस पर यदि गौर कराएं तो जो प्रमुख सड़कों की ओर मैंने ध्यानाकर्षित किया है, इनके बन जाने से इन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन है, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस आधुनिक युग में सड़क का बहुत बड़ा महत्व है। पहले गांवों में बैलगाड़ी, ऊटगाड़ी और बड़ी मुश्किल से साइकिल होती थी। आज लोगों के पास साइकिल की जगह स्कूटर और मोटर साइकिल हो गई और कार, जीप और ट्रैक्टर साधन हो गये ये साधन जब तक सड़क नहीं हो, चल नहीं सकते, इसलिए सड़क का बहुत बड़ा महत्व गांव के विकास में हो गया। अभी प्रतिपक्ष के बहुत से माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो हमने सड़के बनाई तो प्रधान मंत्रीजी ने बहुत उनकी बड़ाइयां की, अखबार में पढ़ा। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा ? राजस्थान हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों को क्लीन चिट देने के मामले में राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की। उच्च न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामूली-सी बारिश में राज्य में 30 करोड़ की सड़कें बह गई। बात यहीं खतम नहीं हो जाती, अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामले में तो अपने आदेश में न्यायालय ने

(श्री धर्मपाल चौधरी)
एक राज्य मंत्री पर भ्रष्ट अधिकारी को सहायता देने का आरोप लगाया। न्यायालय ने यहां तक कहा कि सरकार की मंशा अवैध निर्माण पर रोक लगाने की नहीं दिखती। आपकी सरकार के बारे में कितनी ही बार हाई कोर्ट में...

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आपके पास आ गया सारे का सारा हाई कोर्ट का फैसला माननीय मंत्री महोदय इस फैसले के हिसाब से जिन-जिन अधिकारियों ने किया, क्या एक्शन लेते हैं, हम साल भर बाद आपसे पूछेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, जब चुनाव में गये तो हमने यह पांच साल का खाका तैयार किया कि आपने पांच-पांच साल के अंदर क्या किया। अभी हम आये हैं। हम काम करेंगे तो अगली बार कहना कि आपने गलत किया तो मंत्रीजी जो बैठे हैं, वह उन पर अधिकारियों की जांच करेंगे, आदेश देंगे नहीं देंगे तो वह उसका जवाब सुनेंगे। लेकिन हम जो आपके बारे में... (व्यवधान) आपने जो बात कही कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारी सरकार की प्रशंसा की, उसका जवाब दिया है। कोर्ट्स में बहुत बार इसका निर्णय हो चुका। इसके अलावा आपने क्या किया है, आपकी सरकार में हरेन्द्र मिर्धाजी मंत्री थे, वह बैठते थे इधर और हम बैठते थे सामने की साइड में और जब सामने की साइड में बैठते थे तो बजट में घोषणाएं होती थें लेकिन बजट में घोषणाएं होने के बाद होता क्या था ? आपने 1999-2000 में बजट में अनुमान किया, प्रस्ताव किया 385 करोड़ का, फिर संशोधित अनुमान लगा दिया 137 करोड़ का और खर्च कितना किया ? 104 करोड़ 29 लाख। 2000-01 में आप चले, आपने बजट में अनुमान लगाया. प्रस्ताव किया. बजट में यहा पर कहलवाया, खर्च करेंगे 240 करोड़, 87 लाख, फिर आपने संशोधित कर लिया बीच में ही कि हम करेंगे 268 करोड़ 60 लाख, फिर आपने खर्च क्या किया 168 करोड़ 90 लाख। फिर 2001-2002 आया, फिर आपने किया 166 करोड़ 86 लाख, फिर आपने उसमें संशोधन किया। आपने इस बार थोड़ा बढ़ाकर किया क्योंकि थोड़ा-सा चुनाव के नजदीक पहुंची गाड़ी. तो आपने संशोधित करके किया 285.35 करोड़ लेकिन खर्च किया 203.89 करोड़। 2003-04 में जो चुनाव का साल था, आपने बजट में रखा 322.88 करोड़, संशोधित अनुमान 231.66 करोड़ और खर्च किया वास्तव में 174.19 करोड़ आप राज्य

(श्री धर्मपाल चौधरी)

में सड़कें बननी चाहिए, इसके बारे में कितने जागरूक थे, कितनी सड़कों को बनाने की बात करें, यह तो आपके बजटों से ही लगता है। हां, भला हो, क्योंकि कोई चीज अगर कोई आदमी करता है तो बुराई करने के बाद कोई भलाई हो तो भलाई की बात भी कहनी चाहिए। हां, पन्द्रह किलोमीटर की मिसिंग लिंक वह मंत्रीजी ने सबको दी। उसमें हम बैठे थे, हमारे को भी मिसिंग लिंक से... (व्यवधान) लास्ट में, आप कहते न, वह जो रिपेयर का राज्य सरकार ने पैसा दिया, बात को साफ कहने में कोई बुरी बात नहीं है, हम जब उधर बैठे थे तो जो दिया.. (व्यवधान)। आप तसल्ली से सुन लोगे तो सारी बातें बता देंगे। अब नहीं सुनोगे तो आप बीच में बोले जाओ। हां, एक सौ तीन-तीन करोड़ रुपये, छह सौ करोड़ रुपये लास्ट के दो साल में जब चुनाव होने थे उस समय जो रोड़ रिपेयर का पैसा था, वह तीन-तीन करोड़ रूपये, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये एक साल में दो साल में तीन-तीन करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक को, सब को मंत्रीजी ने पत्र लिखा कि आपके कहां-कहां सडकें खराब हैं, आप 120 किलोमीटर सड़कों के प्रपोजल दीजिये। और लिये पन्द्रह किलोमीटर मिसिंग लिंक की सड़कें भी हर विधायक के कहने से, उन्होंने हमसे ही प्रस्ताव लिये और बनाये, इस बात में कोई.. (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : ऐसे प्रस्ताव माननीय मंत्रीजी से करवाओ।

श्री सी.डी. देवल : यह मंत्रीजी अब भी बोलें, आपकी सरकार कितनी बढ़ोतरी कर रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी तो मंत्रीजी कहेंगे तब सुनना न, अभी पहले ही क्यों चिंता करने लग रहे हो। दे देंगे आखिर में।

(17.16 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

पहली बार देश के प्रधानमंत्री, जो पूर्व में थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने सोचा कि गांव का विकास सड़कों के बगैर नहीं हो सकता। देश में या तो शेरशाह सूरी को याद किया जाता है जिसने जी.टी. रोड़ बनाई थी या देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। जिस योजना के बारे में

(श्री धर्मपाल चौधरी)
आज जिक्र था, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उन्होंनें चालू की कि गांव के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी अच्छी सड़क पर चले। यह शहर के अंदर ही नहीं है कि चार-चार बार एक-एक सड़क बनती है। गांवों में अच्छी पेवर सड़कें बनें, इसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आये और उस प्रधानमंत्री सड़क योजना में उन्होंने कहा कि एक हजार की आबादी के गांव से हम चालू करेंगे और पांच सौ की आबादी तक के गांव को 2007 तक सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। अब उसमें भी कई बार बैठे-बैठे पेट में दर्द हो जाता है। प्रधानमंत्री कोई हो, उसमें कोई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं लिखा हुआ था। आज कोई सड़क बनेगी तो उसमें कोई सोनिया गांधी या मनमोहन सिंहजी का नाम नहीं लिखा जा सकता। देश का प्रधानमंत्री कोई भी योजना बनाता है.. (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी का पूरी सड़कों पर फोटो लगाया हुआ है, नाम क्या होता है ? बड़ी मुश्किल से उसे हटाना पड़ा। (व्यवधान) हाथी-हाथी लगाकर फोटो को हटाना पड़ा, हाथी लगवा करके।

श्री टीकमचन्द कान्त : सड़कें तो बनवाओ। सड़कें तो बनवाओ, मनमोहन सिंहजी का लगा देना।

एक माननीय सदस्य : मनमोहन सिंहजी का फोटो वापस लगा लो आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपको तो बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने राजीव गांधी पाठशाला नाम रखा था लेकिन हमारी सरकार ने राजीव गांधी का नाम मिटाया नहीं। यह तो..

श्री सी.डी. देवल : वह तो इलेक्शन कमीशन ने हटवाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हटवाया, हमारी सरकार ने नहीं हटाया अटलजी को।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, चुनाव आयोग ने तो उस पर पर्दा लगवाया था। रोड़ राज अगर हमारा आ जाता तो वह पर्दा उठ जाता। वह तो हमारा राज अगर.. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : जनता ने हटवा दिया। चुनाव आयोग ने पर्दा लगवाया, जनता ने हटवा दिया, हम क्या करें इसमें ?

श्री धर्मपाल चौधरी : आपमें और हममें तो ज्यादा फर्क थोड़े ही रहा (व्यवधान) 137 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की हैं और 145 सीटें आपकी है, आप भी उधार के खाते में बने हुए हो, कौन-सा आपको जनता ने जिता दिया। 145 सीटों के साथ काम करने लग रहे हो कल कम्युनिस्ट आपकी टांग खीचेंगे, उसी दिन आपकी सरकार चित पड़ेगी।

श्री रामप्रताप कासनिया : हमारी चर्चा ही नहीं है, आप अपनी ही अपनी संख्या गिनते जाओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं आपको नहीं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, यहां की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में 145 और 137 हैं, यह राजस्थान की विधान सभा की संख्या नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नाई : हमारी वजह से तो आप आये हो..

श्री अध्यक्ष : यह क्या हमारी-तुम्हारी लगा रखा है आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे कारण ही तो आप जीते हो।

श्री अध्यक्ष : यह क्या हमारी-तुम्हरी लगा रखी है ?

श्री धर्मपाल चौधरी : तो जो हम जिक्र करने लग रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने, अब ये शंकाएं पैदा होने लग रहीं, जैसे कह रहे थे, कोई भी योजना जो बनती है, अब राम सिंहजी, आप बहुत सिनियर आदमी हो..

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने क्या बुरा कहा ? मैंने कहा हमारे..

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने कोई बुरा नहीं कहा, हमने कौन-सा बुरा कर दिया ?

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने गुनाह किया तभी तो जीते हो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, यह बात तो सही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : तो आप धन्यवाद दें हमारे को।

श्री धर्मपाल चौधरी : हम तो जब उधर 33 बैठते थे तो हम कहते थे कि हम 33 करोड़ देवी-देवता हैं, और कि अगली बार हम तो होंगे उधर और आप होंगे इधर वो ही हुआ, भगवान ने 33 करोड़ देवी-देवताओं की सुनी। हमको इधर बैठाया.. (व्यवधान).. चलो, अब कुछ भी आप तो साहब अंगुली उठाओ अभी। आपने आई.ए.एस. की नौकरी बहुत लंबे समय तक की और आपका भी भाग्य है कि यहां बैठे हो। तो प्रधानमंत्रीजी ने जो सड़क योजना बनायी है जिसके कारण से सड़कें बनने लग रही है, उससे राजस्थान को 851 करोड़ रुपये की सड़कों का काम मिला। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनायी जिससे दिल्ली से बाम्बे की जो सड़क बनने लग रही है, उसमें राजस्थान का करीबन साढ़े सात सौ किलोमीटर का हिस्सा बन रहा है। इतनी अच्छी सड़क तो उसकी सोच भी देश के प्रधानमंत्री की रही। पहले नेशनल हाइवे क्योंकि हमारे क्षेत्र से यहां से दिल्ली की तरफ जाते हैं बहुत-सी बार जब सड़क पर जाते थे तो आये दिन जाम लगा रहता था, बहुत एक्सीडेंट होते थे तो देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। तो पूरे देश में जिस तरह का सड़को का वातावरण बनाया, यह पहले इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी। आपने अच्छा किया तो आपको भी कहा लेकिन जिसने अच्छा किया उसको कहने में कोई बुराई नहीं है, उसको आपको भी मानना चाहिए। अब जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बनी हुई हैं चाहे वो एम.एल.ए. कोटे से बने चाहे सांसद कोटे से बनें, चाहे वो अकाल राहत के अन्दर बनीं, सबसे बुरी अगर हालत है तो उन सड़कों की है। सरकार को सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पर न आदमी चल सकता है, वहां पर न कोई जानवर चल सकता है, न वहां पर कोई साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलती है। वो भी सारे नीचे से साइड के रास्ते से जाते हैं तो सबसे पहले मंत्रीजी को मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप इन सड़कों के बारे में पहले खयाल कीजिये और जो सड़कें डब्ल्यू.बी.एम. हैं उन सड़कों का पहले डामरीकरण कीजिये। उसका अगर डामरीकरण करेंगे तो राजस्थान के विकास में अवश्य तरक्की होगी। अन्य प्रदेशों का और राष्ट्रीय औसत जो है, सड़कों के मामले में राजस्थान की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

गिनती वैसे भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। सड़कों का हमारा राष्ट्रीय औसत है 76.80 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का है 46.20 किलोमीटर प्रति सौ वर्ग किलोमीटर तो राजस्थान का 26 में से 18वां स्थान है। सड़कों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप मुख्य मंत्रीजी के नजदीक हैं, बजट में चाहे पैसा और लीजिये। आपने इसमें जो प्रावधान रखा है 354 करोड़ की डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के लिए तो चाहे कुछ भी करके इन डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों का आप समाधान कीजिये।

अब इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका मित्र भी हूं। अभी हमारे दूदू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सी.आर.एफ. में तो पहले वाली सरकार ने एक किलोमीटर की हमारे यहां सड़कें बनायी। जो भी पैसा लगा सी.आर.एफ. में, हमारी जो सड़कें बनी, जो सड़कों की मरम्मत का पैसा दिया था जिसमें 6060 किलोमीटर की सड़कें थीं, उसमें पहले तो यह था ग्रामीण क्षेत्र में सी.सी. रोड़ बनेगी। लेकिन फिर गवर्नमेंट के पास जो 3-3 सौ, 6-6 सौ करोड़ रुपये थे, उसमें 60 किलोमीटर सडकें बनीं। फिर गांव में सी.सी. रोड बनी। इतना पैसा तो था नहीं, इसलिए जहां-जहां गांवों में पानी से बहने की आशंका वाली सड़कें थी वो बनायी नहीं। न तो वो डामर की सड़क बनी और न वो सी.सी. रोड़ बनी। आज मुण्डावर कस्बे में ऐसी हालत है कि उस कस्बे में जब बारिश हो जाती है तो आम आदमी रास्ते में जा ही नहीं सकता। तहसील हैडक्वार्टर है और अब सब डिवीजनल हैडक्वार्टर बन गया। सब डिवीजनल हैडक्वार्टर के ऊपर सड़कों की ऐसी हालत हो तो इन्होंने तो ध्यान दिया नहीं लेकिन अब आप ध्यान दें क्योंकि इस रोड़ को आपने क्रमोन्नत कर दिया। पहले यह ग्रामीण रोड़ में थी अब आपने इसको एम.डी.आर. में क्रमोन्नत कर दिया। इस बार जो सी.आर.एफ. में पैसा आया, जिस तरह से इन्होंने भेदभाव बरता था आप भी उसी तरह से जो-जो आपके विधायक हैं जिनके यहां समस्या ज्यादा है, आप उनको लेकर उन सड़कों का काम कराएं।

इसके अलावा मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है हरियाणा के बार्डर पर और हरियाणा की सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। हरियाणा बॉर्डर तक तो वो सड़क बना देते हैं लेकिन राजस्थान बार्डर और उसके बीच में जो गांव तक

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सड़क बनी हुई है उसमें दो-दो ढाई-ढाई किलोमीटर की सड़कें ग्रेवल रोड़ हैं और वो बहुत खराब हैं। हमारे उधर की सब रिश्तेदारियां हरियाणा से पड़ती हैं वो लोग जब राजस्थान में घुसते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे राजस्थान की हालत बहुत खराब है हमारी देखो सड़कें कितनी अच्छी हैं और आपकी सड़कों की हालत देखिये। तो दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर की जो मिसिंग सड़कें हैं उनके बारे में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। उसमें सांचौर है, हमारा गांव है उसमें हरियाणा बार्डर तक ढाई किलोमीटर की सड़क है, माणका गांव है उससे हरियाणा बार्डर ढाई किलोमीटर है। जो सबसे बड़ी मेरे क्षेत्र में एक दिक्कत है वो है साबी नदी। 50 किलोमीटर के लगभग साबी नदी निकलती है उस क्षेत्र से और उस पर कोई पुल नहीं है। एक पुल बना हुआ है जो सिर्फ सोडावास में है और उसके बाद में ठेठ आगे अगर हम हरियाणा बार्डर तक जाते हैं तो उसमें कोई पुल नहीं है। पुल नहीं होने की वजह से जब भी, अब तो भगवान की दया से मेह ही कम बरसने लग गया, नहीं तो अगर पहले जो बरसात होती थी तो आवागमन के सब साधन बंद हो जाते थे। माणका जो हमारा बीजवाड़ चौहान गांव है, उससे मुण्डावर से जुड़ता है तो उसमें जसाई गांव पड़ता है उसके बीच में सड़क बनी हुई है, अगर वहां पर पुलिया बन जाए या पुलिया नहीं बने तो रैम्प ही सही, उससे एक साधन बन जाए। क्योंकि लोग स्वयं भी पैसा खर्च करके, अपनी जेब का पैसा खर्च करके जो बसें चलती हैं उसमें पानी डलवाते हैं या कोई भी साधन करते हैं वहां पर लोगों को बड़ी भारी गर्मी में दिक्कत हो जाती है, तो उसका भी आप ध्यान देंगे। आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया बोलने के लिए इसक लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान : भरत सिंह जी हमारे यहां से बोलेंगे, पहले उनको बुला दीजिये हम तो आखिर में बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां, भरतसिंह जी।

श्री भरत सिंह (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सड़कों के विषय में चर्चा हो रही है, राजस्थान देश की तुलना में सड़कों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में भी हमारा जो औसत है सड़कों का, उसमें कुछ संभाग और कुछ जिले राजस्थान में भी पिछड़े हुए हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि आजादी से पूर्व कोटा संभाग में राजस्थान की सबसे अच्छी सड़कें थी, चाहे वों कम रही होंगी। उस समय की आवश्यकता के अनुसार जहां भी नदी-नाले थे, उन नदी नालों पर पुलियाएं थीं। आज 50 साल बाद कोटा संभाग सड़कों की दृष्टि से, राजस्थान के जो संभाग हैं उनमें से एक पिछड़ा संभाग है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नदी-नालों का इलाका होने के कारण कोटा संभाग के जो गांव हैं, अधिकांश गांव छोटे गांव हैं और उनकी जनसंख्या कम है। राजस्थान सरकार की जो सड़क नीति बनी है वो जनसंख्या पर आधारित है और उसी के अनुसार जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा आ रहा है जनसंख्या के आधार पर जो बड़े गांव हैं, एक हजार से पन्द्रह सौ के गांवों को पहले लिया गया। एक हजार के गांवों को लिया जा रहा है, उसके बाद साढ़े सात सौ की आबादी के गांव हैं, पांच सौ की आबादी के गांव हैं जैसा कि हमारे वितीय साधन हैं, अधिकांश कार्य केन्द्र सरकार से जो सहायता प्राप्त होती है उसी के ऊपर आश्रित हैं और उसी के माध्यम से पैसा खर्च हो रहा है। एक ओर जो माध्यम था, जिसके द्वारा सड़कों का काम कराया जाता था, वो कृषि उपज मण्डी था। कृषि ऊपज मण्डी का जब गठन किया गया, बोर्ड का गठन किया गया तो उसका लक्ष्य यह था कि जिस क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी है वहां से मण्डी में अनाज, गांवों से अनाज कृषि उपज मण्डी में लाते हैं तो रास्ते में सड़कों में कठिनाई होती हैं, गांवों में सड़क न होने की वजह से लोगों को दिक्कत होती है तो जिन गांवों को अपनी उपज मण्डी तक लाने में दिक्कत होती थी। उनको इस योजना का लाभ मिले। क्योंकि राजस्थान सरकार के पास खुद के साधन कम रहे हैं इसलिए कृषि उपज मण्डी में जो आमदनी होने लगी वह पूरा पैसा भी चैनलाइज कर दिया गया उसमें पी.डब्ल्यू.डी. कार्य में। मैंने आपसे चार-पांच दिन पहले एक प्रश्न किया था। पी.डब्ल्यू.डी. से जानकारी चाही थी कि आपके प्रदेश में सड़कों का घनत्व क्या है। मुझे आश्चर्य हुआ उन्होंने जो उत्तर दिया है। उन्होंने जो उत्तर दिया उसमें यह तो स्वीकार किया है कि हमारा औसत राष्ट्रीय औसत से कम है

(श्री भरत सिंह)

और हमारा घनत्व 44 दशमलव कुछ प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर है। मगर उन्होंने उसमें यह भी कहा है कि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क इस औसत से सिर्फ आधी है। अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी इस बात को कहते हैं कि राजस्थान में जो सडकें हैं सिर्फ आधी सड़कों का मालिक पी.डब्ल्यू.डी. है और बाकी की सड़कों के मालिक अन्य विभाग हैं चाहे कृषि उपज मण्डी होगी चाहे यू.आई.टी. होगी चाहे बार्डर रोड़ होगी या सेंट्रल की अन्य योजना से बनी हुई होगी। मगर आज जो डिबेट हो रही है इसमें इनका जो उत्तर है, यह कहते हैं कि हमारे राजस्थान में जो सड़कें बनी हुई हैं वे केवल आधी सड़कें ही पी.डब्ल्यू.डी. की हैं। यह जानकारी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, पूरे सदन के लोगों को भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आम आदमी जो गांव में रह रहा है उसके लिये तो यह और भी कठिन है, उसको क्या मालूम कि कौनसी सड़क कहां है ? मगर उसे यह जरूर मालूम है कि उसकी सड़कों की हालत खस्ता है। वह सोचता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी के पास जाएगा तो वह सड़क जोड़ देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग कृषि उपज मण्डी का पैसा तो पूरा ले रहा है मगर उन सड़कों का समाधान सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्रीजी जब जवाब दें, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा और इस सदन को आप इस बात की जानकारी दें कि कृषि उपज मण्डी का जो जैसा है, जिस लक्ष्य से कृषि उपज मण्डी का गठन किया गया था, यह पैसा आपकी मेहरबानी पर खर्च नहीं होवे। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि सुल्तानपुर की एक किलोमीटर की सड़क जो स्टेट हाईवे नंबर 51 पर आती है, वह इतनी खराब है पूरी कृषि उपज मण्डी का माल उस सड़क पर से आता है, उस सड़क पर लोगों को दिक्कत होती है। आपने असमर्थता जाहिर की थी कि हमारे पास उसको ठीक कराने के लिये पैसा नहीं है। पैसा हमारा है। कृषि ऊपर मंडी में हमारे किसानों की उपज का पैसा हम जमा कराते हैं। कोटा संभाग में 20 करोड़ रुपया हम जमा करा रहे हैं और हम एक किलोमीटर सड़क के लिये तरस रहे हैं कि हमारे पैसे को हमें दिया जाए। मैं मांग करता हूं इस सदन में कि जो कृषि उपज मण्डी का पैसा है उसके लिए उस क्षेत्र के लोग एक-एक किलोमीटर सड़क के लिये मांगते नहीं फिरें। संभागीय स्तर पर जो संभागीय आयुक्त हैं उसके माध्यम से जो जिले की आयोजना समिति है उसमें चर्चा कर के उस पैसे को उसी क्षेत्र में खर्च किया जाए और पी.डब्ल्यू.डी. की जो सड़कें

(श्री भरत सिंह)

हैं वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से या अन्य योजना के माध्यम से कराई जाएं। यह इसलिए आवश्यक है कि इसके कारण व्यापक असंतुलन हो रहा है। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से इस बात की जानकारी क्षेत्रीय लोगों को हम देंगे और कहेंगे कि हमारी सड़क इसलिए ठीक नहीं हो पा रही कि आपकी कृषि उपज मंडी का जो पैसा है, 160 करोड़ रुपये जो पिछले वर्ष खर्च हुए थे, वह आपके क्षेत्र में खर्च इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार अपनी इच्छा के अनुरूप योजनाओं में मिलाकर पैसे को खर्च कर रही है। आज राज का जो पैसा सड़कों पर खर्च हो रहा है उसमें बहुत बड़ी मात्रा कृषि उपज मंडी से जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, उसकी है और उसका हक उस क्षेत्र की मंडी, उस क्षेत्र के गांवों को मिलना चाहिये जिससे पैसा प्राप्त हो रहा है एक तो मेरा आपसे यह निवेदन है।

दूसरा, जो हमारे पी.डब्ल्यू.डी. सचिव हैं वह यहां पर विराजमान हैं, आज से 25 साल पहले जब यह नौकरी में शामिल हुऐ थे तो यह रामगंज मंडी में एस.पी.ओ. के रूप में लगे थे। 20 साल पहले जो हमारे यहां पुलियाएं थीं, आबादी से पहले की जो रपटें बनी हुई हैं, आज तक हम उन रपटों का उपयोग कर रहे हैं। नई-नई सड़कें बन रही हैं, आज एक पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के लिए आप एक करोड़ खर्च कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री सड़क योजना में कहीं भी पुलियाओं का उल्लेख नहीं है। स्टेट हाईवे पर भी आने वाली पुलियाएं, विरासत के जमाने की 100 साल पुरानी रपट पर आज तक आदमी इसलिए खड़ा हुआ है कि नदी पर जो मौसमी पुलिया थी, एक मौसम में लोग उस रास्ते पर चल सकते थे, वह डूब रही है। कहीं पी.डब्ल्यू.डी. में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि इन पुलियाओं का पैसा कहां से करें। बी.ओ.टी. से आप सड़क बनाने की बात करते हैं, जो बी.ओ.टी. में सड़क बनाएगा, वह वहां सड़क बनाएगा जहां पर उसको दो पैसा मिलेगा। जो आपकी नीति है उसमें भी परिवर्तन करें। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से इन पुलियाओं को लिया जाए या स्टेट अपने फंड से इसको कराएं मगर जहां-जहां भी आज से 100 साल पहले रियासत के जमाने में बिना राजनीतिक भेदभाव के पुलियाओं की आवश्यकता महसूस की गयी थी और पुलियाएं बनाई गई थीं, वहां आजादी के पांच दशक बाद भी अगर नई पुलिया नहीं बन सके तो यह चिंता का विषय है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मेरी संगोद तहसील का मैं उल्लेख करूं, वहां चार

(श्री भरत सिंह)

पुलिया है दो काली सिंध पर और एक पुलिया परीवन नदी के ऊपर 50 साल पहले थी। आजादी के 100 साल पहले बनी हुई है और आज तक लोगों को यह पता नहीं, हम जवाब देने की स्थिति में नहीं कि कब पुलिया बनेगी। इस प्रकार की जो पुलियाएं रियासत के जमाने में बनी थी, उनको कम से कम सबमर्सिबल ब्रिज ही बनाएं ? मगर नई पुलिया तो बने ताकि जिन सड़कों को विकास की धमनियां कहते हैं उन धमनियों का कम से कम सही प्रकार से बाई पास तो हो जाएं मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब आप चर्चा का उत्तर देंगे इसका भी उल्लेख करेंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने आज जिस मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा होनी है, उसमें मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र के विषय में कुछ माननीय मंत्रजी से निवेदन करना चाहूंगी। बिना किसी भूमिका के मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगी। मैं माननीय मंत्री का ध्यान अजमेर में पी.डब्ल्यू.डी. की जो सड़क हैं और जो अन्य बिल्डिंग हैं, उनके विषय में आकर्षित करती हूं। माननीय मंत्रीजी को मैं बताना चाहती हूं कि अजमेर पुराना शहर बसा हुआ है और पुराने शहर की बसावट उस समय का जो यातायात था उसको ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन आज इस समय उन सड़कों पर जो वाहन चलते हैं उनकी संख्या 10 गुना बढ़ चुकी है ऐसी स्थिति में आये दिन दुर्घटना होना, जाम लगना ऐसी समस्याओं को नागरिकों को सहन करना पड़ता है। अजमेर शहर की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो चारों ओर अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ शहर है जहां पानी की निकासी का कोई प्राकृतिक रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में आना सागर झील से जो एस्कैप चैनल निकलता है उसके सहारे-सहारे भी पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें बनी हुई हैं। उस एस्कैप चैनल की स्थिति आजकल यह हो गई है कि लोगों ने उसको कचरा घर बना दिया है, सारा कचरा उस एस्कैप चैनल में डम्प करते हैं जिसके कारण से थोड़ी भी बारीश यदि हो जाए तो पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता है और वे सड़कें बर्बाद हो जाती हैं। वहां पर लोगों का चलना

(श्रीमती अनिता भदेल)

मुश्किल हो जाता है। यदि 10 दिन तक भी पानी उस सड़क पर भरा रहा, यहां पी.डब्ल्यू.डी. के कुछ टैक्निकल अधिकारी बैठे हैं और वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डामर और पानी का बहुत बैर है। जहां पानी है वहां डामर की सड़क किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकती। इसलिए अजमेर की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एस्कैप चैनल के सहारे-सहारे जो भी सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. की बनी हुई हैं वहां या तो सी.सी.की सड़क बनाई जाए या पानी के लेवल को देखते हुए इतनी ऊंची सड़क बनाई जाए कि वहां पर पानी नहीं भरे।

एक दूसरी समस्या है जो भी यातायात से सम्बन्धित है। अजमेर में ब्राडगेज की लाइन शहर से निकल रही है और शहर का विस्तार सुदूर क्षेत्रों तक हो चुका है, वहां कालोनियां बस चुकी हैं और नागरिकों को आवागमन के लिये रेलवे क्रोसिंग को पार कर आना पड़ता है। दो मुख्य रेलवे क्रासिंग बिलकुल शहर के बीचों बीच बने हुए हैं। जोंस गंज रेलवे क्रासिंग और तोप धड़ाका रेलवे क्रासिंग दोनों क्रासिंग 24 घण्टे में शायद ही 5-6 घण्टे खुलते होंगे। एक रेलवे क्रासिंग जोंस गंज वाला, वह अजमेर के दो विधान सभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है, अजमेर का विधान सभा क्षेत्र पूर्व और विधान सभा क्षेत्र पश्चिम। एक तरफ गवर्नमेंट कालेज बना हुआ है और दूसरी तरफ कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं। वहां के छात्रों को कालेज आने-जाने के लिये, नागरिकों को वर्कशाप, जो रेलवे का वर्क शाप बना हुआ है उसमें भी नागरिकों को जो वर्कशाप में जाते हैं बहुत, जब रेलवे फाटक बंद रहता है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और सही समय पर उनको पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। परीक्षाओं के दिनों में छात्रों की परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती है और उनको सिर्फ यही चिन्ता लगी रहती है कि पता नहीं हम समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, फाटक बंद होगा खुला होगा। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से मेरा बहुत-बहुत निवेदन है कि दोनों रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाने का इस बजट में यदि प्रावधान रखेंगे तो अजमेर के नागरिकों को बहुत-बहुत राहत मिलेगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके अलावा अजमेर शहर में जो यातायात बढ़ा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि अजमेर की सड़क जो बीच से निकल रही है, वह एक ही सड़क है जो पूरे क्षेत्र को आपस में जोड़ती है। यह मार्टिनल ब्रिज से निकलती हुई सीधे जयपुर रोड को मिलाती है और यदि उस तरफ जाएं तो नसीराबाद रोड को मिलाती है। एक ही रोड पर पूरे शहर का दबाव बना रहता है। आदर्श नगर रेलवे पुलिया के नीचे नसीराबाद से बाई-पास, रेवेन्यू रेकार्ड में एक बाई-पास दर्शाया गया है और आज भी उस रेवेन्यू रेकार्ड में बाई-पास को यदि निकालकर देखें तो हम उस बाई-पास को निकालकर उसमें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा सड़क का निर्माण करवाकर अजमेर शहर के यातायात के दबाव को उस सड़क से कम करके दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, इस सड़क की भूमि जो रेवेन्यू रेकार्ड में दर्शायी गयी है, उससे हम इस भूमि को बचा पाएंगे दूरगामी योजना बनाते हुए क्योंकि यह निश्चित है कि जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों का विकास बढ़ रहा है, शहरों का विस्तार बढ़ता जा रहा है और यदि हम आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आगे के 10 सालों की कल्पना भी करें तो भी मैं समझती हूं कि वह सड़क बहुत जरूरी है। आज ही हम उसकी रूपरेखा तैयार करें तब हम कहीं जाकर आने वाले 4-5 सालों में उसको वास्तविक रूप दे पाएंगे और जब वास्तविक रूप देंगे तभी उसका निर्माण सम्भव हो पाएगा, यह भी मेरा मंत्रीजी से निवेदन है ।

एक और मुख्य सड़क है नसीराबाद रोड़ और ब्यावर रोड को जोड़ने वाली सड़क ब्यावर रोड पर कृषि मण्डी बनी हुई है, वहां पर अनाज मण्डी भी है और कृषि मण्डी भी है, नसीराबाद रोड से ब्यावर रोड को जो जोड़ती है सड़क, वह आदर्श नगर रेलवे फाटक से गुजरती हुई विज्ञान नगर और सुभाष नगर होते हुए ब्यावर रोड को जोड़ती है। एस्कैप चैनल यहां पर भी पूरे शहर से गुजर रहा है एस्कैप चैनल का जो एस्कैप चैनल है, पी.डब्ल्यू.डी. की उस पर पुलिया बनी हुई है लेकिन वह पुलिया ऐसी स्थिति में है कि कभी भी बारिश आती है तो पूरा पानी खेतों में से बहुता हुआ उस लिंक सड़क पर चला जाता है और इससे पूरी सड़क तबाह हो जाती है। पिछले कार्यकाल में जब रमजान खानजी पुष्कर के एम.एल.ए. थे, उन्होंने उस सड़क को बनवाया था। लेकिन एक साल भी वह सड़क नहीं चल पायी और पानी के आने के कारण से

(श्रीमती अनिता भदेल)

फट गयी। इसलिये मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि यदि आप उस सड़क को सी.सी. की सड़क बनवा दें, या फिर सी.सी की सड़क नहीं बनवाएं तो उस पुलिया को इस तरह से ठीक कर दें कि पानी का बहाव अपने रास्ते चला जाए और पानी के कारण से उस सड़क को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। उससे बहुत बड़ा फायदा यह है कि जो गांव आस-पास में बसे हुए हैं माखेपुरा, पर्वतपुरा, नसीराबाद रोड, उन लोगों को अपना उत्पादन होता है, सब्जियों का उत्पादन होता है, उसे उस सड़क से ट्रैक्टरों के द्वारा उस मण्डी तक लाने में उनको सहूलियत मिलती है और शहर के बीच में जो सड़क निकलती है वहां पर उनको ट्रैक्टरों को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिये ट्रैक्टरों का दबाव उस सड़क पर भी नहीं होता है। एक मेरा मंत्री महोदय से निवेदन और है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करने की कोशिश करें, आपका समय हो गया।

श्रीमती अनिता भदेल : हां, बस मैं दो पाइंट और बोलूंगी। दो पाइण्ट और बोलकर, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं।

एक ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में सड़कों को खोदकर सीवर लाइन डाली जा रही है। यह जो ए.डी.बी. प्रोजेक्ट है वह शहरों के सौंदर्यकरण के कारण से अमल में लाया गया और लागू किया गया। लेकिन अजमेर शहर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं यह सौंदर्यकरण के बजाय शहर को बर्बाद करने की योजना तो नहीं है। ए.डी.पी. ने पूरे शहर की पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क हो चाहे यू.आई.टी. की सड़क हो, चाहे नगर परिषद की सड़क हो, सारी सड़कों को सीवर लाइन डालने के लिये खोद दिया। लाइनें डाल दीं लेकिन उनको वापस रिपेयर करने के लिये जब उनसे कहा गया तो बहुत टाइम के बाद उनको रिपेयर किया। रिपेयर की क्वालिटी पहली जो बारिश हुई थी उसमें देखने को मिली कि सारी सड़कें आधी जो खोदी थीं, उन्होंने खोदा था वह नीचे बैठ गया। जो औरिजनल पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें हैं वह ऊपर हैं। यदि किसी को चलना पड़ता है तो एक पहिया तो ऊपर रहता है और दूसरा पहिया उसका नीचे रहता है। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ए.डी.बी. प्रोजेक्ट

(श्रीमती अनिता भदेल)

की तरह जो भी काम हो रहे हैं, हमारे जो टैक्निकल अधिकारी वहां हैं उन लोगों को यहां से हिदायत दी जाए कि वह ठीक ढंग से मेंटिनेंस कर दें तभी रोड़ को वह अपने हाथ में अन्यथा उनको वापस कर दें कि उनको पूरी तरह से जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक हम उन रोड को वापस नहीं लेंगे, नहीं तो पूरे शहर की सड़कों जिन पर लाखों रुपये बजट के रूप में व्यय होगा यह सारी लायबिलिटी पी.डब्ल्यू.डी. के ऊपर फिक्स होने वाली है। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश या प्रदेश का मापदण्ड इससे देखा जाता है कि वहां के ट्रांसपोर्टर कम्युनिकेशन की क्या स्थिति है। जहां ट्रांसपोर्ट का सवाल आता है, निश्चित रूप से सड़कें एक विशेष महत्व रखती हैं। आंकड़ों के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग दो प्रमुख कार्य करता है इस प्रदेश में। यहां की सम्पदा का संरक्षण-चाह वह इमारत हो, चाहे वह कोई कलात्मक इमारत हो, इन सम्पदा का भी संरक्षण करने का तकनीकी दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। इस युग के अन्दर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्ति कमाकर जो बचाता है, एक जमाना था कि सोने और चांदी के अन्दर अपनी जमा पूंजी को निवेश कर बचाता था। आज के युग के अन्दर जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं उस सम्पदा के अन्दर वह लगाता है। यह इस प्रदेश की खुशकिस्मती है कि ऐसी बहुत सी सम्पदा इस प्रदेश के अन्दर आज राजस्थान सरकार की धरोहर है और उसके संरक्षण का काम और जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी प्रदेश के विकास के लिए यहां की सम्पत्तियों और यहां की परिसम्पत्तियों का आंकलन करके चाहे कोई फाइनेंशल इस्टीट्यूशन हो, नेशनल कैटेगरी का हो या इंटरनेशनल कैटेगरी का हो, मापदण्डों को भी बहुत ध्यान में रखता है कि ऐसी कौनसी परिसम्पत्तियां हैं जो रियल एस्टेट के नाम पर इस प्रदेश के अन्दर विद्यमान हैं। यह दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का कि कलात्मक दृष्टि से जितनी भी यहां इमारतें थीं. जो किसी न किसी स्वरूप में राजस्थान सरकार के अधीनस्थ हैं और उनके उपयोग में आ रही थी. उदाहरण के तौर पर मैं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज से पूर्व की जो विधान सभा थी, कुछ समय पूर्व जो चलती थी, वह इमारत भी एक कलात्मक इमारत है, जिसका ऐतिहासिक इतिहास है, उस इतिहास से जुड़ी हुई इमारत की जो आज की तारीख में दशा है उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी भी इस प्रदेश में परिसम्पत्तियां हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या उनको संरक्षण करने की परिस्थिति में है या नहीं इस पूरे बजट के अन्दर सब कुछ कहा गया है। हम क्या करेंगे, कौनसी नई योजना लागू करेंगे, कितने नये गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि जो गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जो इमारतें खड़ी हैं उन इमारतों का रख-रखाव क्या सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नई चीज खड़ी करना बहुत आसान है। यह पुरानी कहावत है कि पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसे को जोड़कर और पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। ठीक यही कहानी सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। सम्पत्तियां हैं, सड़कें हैं, हजारों किलोमीटर की सड़कें हैं, नई सड़कें बनाने का हमारे पास में प्लान है लेकिन जो सड़कें पहले से हैं, जो इमारतें पहले से खड़ी हैं, क्या हम उनका रख-रखाव उस स्टैण्डर्ड और उस क्वालिटी से कर रहे हैं, जिसके लिए हमें करना चाहिए। उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो हमारी सम्पत्तियां हैं, खासकर ऐसी सम्पत्तियां प्रत्येक दिन सैंकड़ों की संख्या में यहां की जनता यहां के नागरिक किसी न किसी कारण से उन बिल्डिंग या भवनों में जाते हैं, उदाहरण के रूप में ले लीजिए एक अस्पताल को, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है लेकिन जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं वहां एक शाहपुरा में 50 बैड का अस्पताल है। 1968 से 70 के समय उस समय के मुख्य मंत्री सम्माननीय मोहनलालजी सुखाड़ियाजी द्वारा उसका उदघाटन हुआ तब से 50 बैड का अस्पताल शाहपुरा में चल रहा है। जिस दिन वह बना था, जिन लोगों ने उसे बनाया था, उस दिन के बाद आज 2004 चल रहा है, शताब्दी बदल गयी लेकिन उस इमारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक पैसा नहीं लगा। यह परिस्थिति यहां की राजस्थान सरकार की परिसम्पत्तियों की है। अब वह सम्पत्ति मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट की है और उसका रख-रखाव पी.डब्ल्यू.डी. को करना है या नहीं करना है, यह आपस के विभागों का मामला है लेकिन पचास बैड का अस्पताल है और सैंकड़ों लोग-बाग यहां आते हैं,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हालत यह हो जाती है। जब बरसात आती है तो डाक्टर अपने कमरे के कोने-कोने में अपनी टेबल लेकर घूमता रहता है। पूरी वह छत टपकती है और जीर्ण -शीर्ण हालत में आज की तारीख में वह अस्पताल है। यह तो उन बिल्डिगों के हाल हैं जो 70 से और 60 के दशकों में बनी थीं। उन कलात्मक बिल्डिगों का क्या हाल है जो 100 वर्ष पहले बनी थीं, 150 वर्ष पहले बनी थीं ? लोग-वाग देश–विदेश से उनको देखने आते हैं। बड़ी-बड़ी इमारतों के अन्दर स्कूल चल रहे हैं। ऐसी इमरतें हैं जिनका कलात्मक दृष्टि से कोई आज मुकाबला नहीं है। महाराजा स्कूल को देख लीजिए। एक हमारे यहां आर्ट स्कूल चल रहा है हवामहल के सामने, इमारत को आप देखिये। यहां स्कूल चल रही है और जब रख-रखाव का जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जाता है तो उसमें जो गुणात्मक तत्व लगते हैं और जिस ढंग से उसको रिपेयर किया जाता है, वह उस कलात्मक दृष्टि की इमारत के लिए कदापि उचित नहीं है। न ऐसे संसाधन हैं उनके पास में कि उसको उसी तरीके से रिपेयर कर दिया जाए। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि जानकारी रखने की कभी आवश्यकता ही नहीं समझी गयी।

मैं एक ध्यान ओर आकर्षित करना चाहूंगा सम्मानीय मंत्री महोदय का। हमारे कई कस्बों और गांवों के बीच से नेशनल हाइवे नम्बर-8 गुजर रहा है और नेशनल हाइवे का अभी टू से फार लेन हो रहा है और फोर से कहीं-कहीं सिक्स लेन भी हो रहा है। आपके पास में था जब आप यहां सड़क बनाते थे। इस नेशनल हाइवे नम्बर-8 के कई कस्बों के भीतर सड़के आती हैं या यह किसी कस्बे के बगल म गुजर गया। अब शाहपुरा का ही आप उदाहरण ले लीजिए। नेशनल हाइवे नम्बर-8 फोर लेन हुआ, फोर लेन होने के बाद नेशनल हाइवे नम्बर-8 के तल को ऊंचा कर दिया गया। जब तल ऊचा कर दिया गया तो उसके ड्रेनेज सिस्टम को भी ऊंचा कर दिया गया। जब तल ऊंचा कर दिया गया तो उसके ड्रेजेज सिस्टम को भी ऊंचा कर दिया गया। यह किसी ने भी ध्यान नहीं रखा, न सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ध्यान रखा कि आखिर इस शाहपुरा कस्बे का तल तो ऊपर नहीं हुआ। यहां की बसावट का तल तो ऊपर नहीं हुआ। इसका पानी कहां से निकल कर जाएगा। पूरे कस्बे का पानी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहता है और पूर्व की तरफ आपने नेशनल हाइवे नम्बर-8 का ड्रेनेज सिस्टम का तल उंचा उठा दिया। अब आप बताइये कि अगर बरसात हो जाएगी तो यह पानी कहां

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जाएगा ? मैंने यह सूचना एकत्रित करनी चाही। जवाब हमें यह मिला कि नेशनल हाइवे अथोरिटी के जूरिस्डिक्शन की बात है, यह वह बता सकते हैं। हमने जब इनको पूछा कि यह पानी कब निकलेगा तो जवाब यह आया कि जब हमारे पास में संसाधन होंगे तो हम पानी निकाल देंगे। तो न तो उनके पास कभी संसाधन होंगे और जब होंगे तब तक या तो शाहपुरा का नगरवासी उस पानी की डूब में बैठा रहेगा या नाव के साथ में नेशनल हाइवे नम्बर-8 को पार करेगा। तो बात यहां पर सड़कों की हो रही है। सड़क बनाने की बात हो रही है। उन कस्बों का क्या हाल है ? (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो पृथ्वीराज नगर है उसकी भी यही कहानी है। 124 कालोनीयां हैं जो इससे प्रभावित हो रही हैं। नेशनल हाईवे के अन्दर मेरे पृथ्वीराज नगर की भी यही हालत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : यह परिस्थिति अध्यक्ष महोदय, उस नेशनल हाइवे के उन सैक्टर्स की है, ये पहले जिस फेज में यह बने तो यह ध्यान नहीं रखा गया। अब तो जो बन रहा है उसमें तल भी नीचा है, नीचे काज-वे भी बना दिया गया है। लेकिन जयपुर से दिल्ली का जो भी फेज बना, उसके अन्दर यह नहीं रखा गया ध्यान। जगह-जगह इन्होंने मार्ग अवरूद्ध कर रखें हैं। जब इनसे सूचना लेते हैं या इनको कहते हैं तो या तो यह कहकर टाल देते हैं कि नेशनल हाइवे अथोरिटी का काम है या यह कह देते हैं कि हमारे पास में कोई संसाधन नहीं है। हम एक बात और आपको सूचना के लिए दे दें कि नेशनल हाइवे नम्बर-आठ का शाहपुरा म्यूनिसिपल लिमिट्स में, जो किसी जमाने में ग्राम पंचायत थी, जब यह बाई पास बना था, तब पश्चिम दिशा के अन्दर नोट लगा हुआ है, 70 और 71 की फाइल में कि 55 फुट ही आफ साइड था तो जितना भी नेशनल हाइवे ने एक्वायर किया, वह आपकी सम्पत्ति एक्वायर कर ली। जब नेशनल हाइवे अथोरिटी सम्पत्ति एक्वायर सार्वजनिक निर्माण विभाग की कर रहा है, आपकी फैसिलिटी पर एनक्रोच कर रहा है तो आप कम्पनसेशन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

क्यों नहीं लेते, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो काश्तकारों को कम्पनसेशन मिला है, दुकानदारों को उनकी सामने की जमीन का कम्पनसेशन मिला है। तो जब आपकी फैसिलिटी पर एनक्रोच किया है, 55 फीट से 75 फीट आ गया और अब 120 फीट आ गये तो कम्पनसेशन लीजिए। पैसा लीजिए और काम करवाइये। यह मेरे ख्याल से जानकारी इसलिए नहीं है कि 60 से पहले की फाइल को किसी ने उठाकर देखने की कोशिश ही नहीं की होगी। (व्यवधान)

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि शेरशाह सूरी की एक बहुत बड़ी बात हुई कि सड़क बनाने में शेरशाह सूरी सड़कों का पितामह बताया गया। दुर्भाग्य यह है, अध्यक्ष महोदय कि शेरशाह सूरी का लालन-पालन उस जगह हुआ जो मेरे क्षेत्र में आता है। महाराज शेखाजी के नाम से जिसे शेखावाटी कहा जाता है, शेरशाह सूरी के पिता उसमें सिपहसालार थे। और अमरसर, जिस जगह में उनका लालन-पालन हुआ, अब सार्वजनिक निर्माण विभाग को और कहीं कोई पैसा हो या नहीं हो, अमरसर की सड़कों की यह हालत है कि शेरशाह सूरी अपनी कब्र में भी करवटें बदल रहा होगा। शेखावाटी के नाम को देश-विदेश में पर्यटन के महत्व से भी देखा जाता है। हमारे शेखाजी की जन्म स्थली का यह हाल है कि अगर आप अजीतगढ़ से पधार जाएं कभी नीम का थाना तो या तो गाड़ी खराब हो जाएगी या आपको कहीं आगे जाकर आराम की आवश्यकता पड़ जाएगी। यह तो अजीतगढ़ कस्बे की हालत है। शाहपुरा से अजीतगढ़ पहुंचने में जो समय लगता है वह अजीतगढ़ के कस्बे से निकलने में आपको समय लगेगा और अगर कभी आप सामोद से होते हुए अजीतगढ़ पधार जाएं तो हालत यह है कि सड़क की उतनी-सी चौड़ाई है कि अगर सामने से ट्रक आ जाए तो गाड़ी को बगल में पार्क करना पड़े, क्योंकि न तो उसके बगल में कोई बरम है, आप गाड़ी उतार नहीं सकते, चला नहीं सकते। आपको खड़ी करनी पड़ती है। वह ट्रक निकल जाता है और उसके बाद में आपको वह गाड़ी चलानी पड़ती है और ट्रक इतने आते हैं क्योंकि नेशनल हाइवे नम्बर-8 पर टोल लगा हुआ है इसलिए सारे के सारे बड़े ट्रोलर, दो पहिये से लेकर 20 पहिये तक वाली गाडियां अजीतगढ़ होती हुई चौमूं होती हुई नेशनल हाइवे नम्बर-8 को पकड़ती है। जब भी बात करते हैं तो आप यह कहते हैं कि साहब, अभी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। हम यह कहते हैं कि अगर संसाधन उपलब्ध

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं हैं तो जो साधन हैं और जो चीज आपने मुहैया करवा रखी है, जो फैसिलिटी है कम से कम उनको मेनटेन कर दीजिए। यही एक अच्छी सरकार के लक्षण होते हैं कि जो है उसे तो ठीक रखें और फिर बाद में दूसरों को सब्जबाग दिखाएं। यह छोटी-सी बात थी, आपके सामने मैंने कही। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया।

(18.00 बजे)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। और कुछ मेरे क्षेत्र की मांग है वह भी मैं आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें, सुझाव भी दिये। छोटी-सी बात है लम्बी बहस करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया ? जो किया है उसको वह भुगत रहे हैं और भुगत चुके हैं। अब हमें इनकी रोड में बनाये हुए जो गड्ढे हैं जगह-जगह जो कंकरीट सड़क पर बिखरा पड़ा है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। राजस्थान के जो 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, उन सब में एक जैसी स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.डब्ल्यू.डी. का अगर एस्टीमेट देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय है। इनके एस्टीमेट से ऊपर किसी विभाग का एस्टीमेट नहीं है लेकिन जब इनका निर्माण कार्य देखा जाए तो फिर बहुत ही दयनीय बात है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हास्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से हुआ, जिसकी प्रशंसा आपने यहां सुनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पी.डब्ल्यू.डी. का जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक उदाहरण के तौर पर आप एक किलोमीटर सड़क बनाकर सौंप दें अगर वह सड़क दस साल तक टूट जाए तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं चाहे पानी कितना ही आए, चाहे वर्षा कितनी ही हो, चाहे हवा कितनी चले। एक वर्षा का सीजन निकल जाए अध्यक्ष महोदय, ये कह देते हैं कि रोड तो पानी में बह गयी और आंधियां

(श्री रामप्रताप कासनिया)

चलीं, साइड में जो बरम है वह हवा से उड़ गये क्योंकि वह मिट्टी थी। अध्यक्ष महोदय, ये दोनों चीजें हर वर्षा में होती है। आंधियां भी चलती है। वर्षा भी होती है। यह कहना न्यायसंगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। हमें पूर्व सरकार से अलग हटकर कुछ नया दिखाना पड़ेगा, यह अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ताकि जनता में यह मैसेज जाए कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो कुछ किया है उससे अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी के शासन में नये दिशा-निर्देश अधिकारियों को प्रदान करके निर्माण कार्य में गुणवत्ता लाये हैं। इस तरह का आप कोई उदाहरण प्रस्तुत करो।

अध्यक्ष महोदय, रोड की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। पूर्व में गंगानगर जिले की जितनी कृषि उपज मंडियां हैं उनके बारे में तो मुझे पता है पूरे राजस्थान के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। वहां का करोड़ों रुपया यहां बोरों में मंगवाकर और वहां कृषि उपज मंडियों में खर्च नहीं करके अन्यत्र दूसरी जगह उस रुपये को खर्च किया है। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था उचित नहीं है। वहां के काश्तकारों का पैसा, मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि जिस कृषि उपज मण्डी की आय हो वहीं के काश्तकारों को उसका लाभ मिलना चाहिये। वहीं पर रोड का निर्माण होना चाहिये। इस बात से शायद पूरा सदन सहमत होगा। हो सकता है कोई एक दो कृषि उपज मण्डी नहीं जिनकी आय कम हो। अध्यक्ष महोदय, लास्ट के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने जो पैसा खर्च किया था उसके अंदर ज्यादातर पैसा कृषि उपज मण्डी का था। यह तो वही बात हो गयी- ''खाणो-पीणो करें खसम को, गीत गावै बीरा का। पीसों गंगानगर को खर्च कठै ही जाकर कर दयो'' '' रेवड़ चरावै हरियाणा में और खाद राजस्थान में आकर करे'' यह उचित कोनी। जठै को पीसो है ही लगानों चाहिये। जठै की जनता की खून-पसीने की कमाई है या बी क्षेत्र के भले खातिर ही लागणी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कि सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन बना है, उससे पल्लू तक रोड बनवाने की घोषणा पूर्व मुख्य मंत्रीजी थर्मल के अंदर दो बार कर चुके हैं, पर रोड तो अभी तक वहां बनी नहीं। निर्माण की बात हुई, घोषणा हुई । दो बार पूर्व मुख्य मंत्रीजी

(श्री रामप्रताप कासनिया)

थर्मल गये थे, वहां घोषणा करके आये थे। उस रोड के बनने से सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जयपुर से सामान लाने-लेजाने मे कम से कम 50-60 किलोमीटर की दूरी कम होगी। उस रोड के बारे में मैं यह भी कहना चाहूंगा, सुझाव देना चाहूंगा कि कम से कम 20 किलोमीटर रोड पहले से बनी हुई है। यह रोड गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार के भी हित में है। हर वर्ग के हित में है। चाहे ट्रांसपोर्ट कम्पनी हो, चाहे कोई आम नागरिक हो। जयपुर आने-जाने के रास्ते में कम से कम 50-60 किलोमीटर की दूरी कम होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह एक जेसावटी गांव है मेरे विधान सभा क्षेत्र में और टीबी विधानसभा क्षेत्र में अरदासवाली गांव है। चार और पांच किलोमीटर के टुकड़े से कम से कम 30-35 गांव जुड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से घग्घर डिप्रेशन हमारे यहां जो मैं सेम-सेम चिल्लाता रहता था, वह डिप्रेशन है पानी के उन डिप्रेशनों के ऊपर पुल बना हुआ नहीं है। दोनों तरफ पक्की रोड का निर्माण हो चुका है पर बीच में पुल नहीं होने के कारण 30-35 गांवों का आपस में सम्पर्क टूटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। तो काज वे पुल जो बनता है वह कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ज्यादा पानी आए तो उस पुल के ऊपर से निकाला जा सकता है। और अगर थोड़ा पानी आए तो पुल के नीचे से निकाला जा सकता है इस तरह के काज वे नाली के अंदर कई जगह बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि यह मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं है, दूसरे विधान सभा क्षेत्र भी उसके इर्द-गिर्द लगते हैं, उनका भी उस रास्ते पर आना-जाना होता है। काश्तकारों को अपनी जिंस लाने-ले जाने में ट्रैक्टर, ऊंटगाड़े को कम से कम 40-50 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। सरकार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, 15-20 लाख रुपये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। 35-40 गांवों को इसकी सुविधा मिलेगी। माननीय मंत्री महोदय, आपके पास बजट है तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस पुल का आप निर्माण अवश्य करवाएं। एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि फिर वहीं आर बात अटकेगी। अगर आप एस्टिमेट बनवाओंगे तो मुझे लगता है वह

(श्री रामप्रताप कासनिया)

एस्टिमेट बहुत हाई जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर, अध्यक्ष महोदय, जो भी एस्टिमेट , जो भी इनका तरीका है वह तो विभाग जाने, पर इतनी बात मेरी समझ में जरूर आ गयी कि इनका जो एस्टिमेट है उसके मुताबिक अगर मुझे कोई भी काम चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, एक किलोमीटर देकर देख लें दस साल की गारंटी लेता हूं। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में खतरनाक से खतरनाक जो जगह है, जहां ज्यादा पानी बरसता है वह जगह मुझे सौंप दें, अगर रोड टूट जाए तो मै इस बात की गारण्टी लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर कोई ऐसे दिशा-निर्देश दें जिससे पूर्ववर्ती सरकार से निर्माण कार्य हो वह अलग दिखाई देने चाहिये। पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नया स्ट्रक्चर डवलप करने से पहले राजस्थान में जितनी सड़कें बनी हुई हैं उनमें तो कम से कम सुधार हम कर लें। नई सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहावत है ''गोदी हालो मार गयो, पेट हाला की आस ना करूं।'' जको मौजूदा है बी न संभालो। अध्यक्ष जी, टाइम दियो ईं खातिर बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ठेकेदार बन जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामप्रताप कासनिया : ठेकेदार की बान नहीं है बुद्ध की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके सदस्य खड़े हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : ठेकेदारी नहीं होती, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं इस विधान सभा के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जब आप अपनी रिप्लाई दें

(श्री जुबेर खान)

तब जवाब दें अध्यक्ष महोदय, आसन पर आप विराजमान थे और माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे, एक सवाल आया था कि सड़कों पर अतिक्रमण होता जा रहा है आप गौर करिये कि जब दिल्ली जाएं तो राजस्थान के हिस्से के कस्बों में किस तरह के और कितने करीब दुकानें और मकान बने हुए हैं जबकि हरियाणा की वही सड़क है, नेशनल हाइवे नम्बर आठ पर, वहां कितनी-कितनी दूर दुकानें और मकान बने हुए हैं। मंत्रीजी ने उस समय आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे। मंत्री महोदय, आपको याद हो ललित किशोर जी चतुर्वेदी जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, एक विधेयक लेकर आये थे और पी.डब्ल्यू.डी. के जे.ए.इएन. को कानूनी अधिकार दिलाया था। उसमें आप लोगों ने 91 के, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क से सीमा निर्धारित की थी कि सेण्टर से इतनी दूरी तक अगर कोई मकान या दुकान या कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 91 के आपके अधिकारी और कर्मचारियों को अधिकार होते हुए भी सड़कों पर आये दिन अतिक्रमण होते जा रहे हैं। आप कस्बे से बाई पास बनाते हैं और पांच साल में नौबत आ जाती है दूसरा बाई पास बनाने की। अब आप उदाहरण के लिए देखिए, आप बहरोड़ में कहां से बाई पास बनाएंगे ? बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लग गयी। शाहपुरा में किधर से बाई पास बनाएंगे ? आप कभी भी यहां से चले जाइये, आप व्यवस्था कीजिये आगे के लिए। पुराने निर्माण जो हुए हैं, लेकिन नये निर्माण वहां नहीं हों, यह पाबंदी लगाएं आपके अधिकारियों पर और मैं तो इस सदन में एक सुझाव देता हूं कि दिल्ली की तरह से अगर हो सके तो थानेदार को यह जिम्मेदारी दें दीजिए कि आपके इलाके में सड़कों के ऊपर अगर अतिक्रमण हुआ तो आपकी जवाबदारी होगी, ताकि यह अतिक्रमण रूक सकें। क्योंकि लाखें लोगों को नुकसान होता है, दो-तीन दुकानदार आकर बैठ गये इसकी व्यवस्था कीजिए।

एक सड़क से ऊंचाई बना कर लोग दुकान बना लेते हैं, पानी सारा सड़क पर आता है। पानी सड़क पर आएगा सड़क टूट जाती है। वहां हर कस्बे में यह हालत है। इस पर आप जरूर कोई न कोई विचार करिये।

मंत्री महोदय, एक आपका विभाग रोड कटिंग लेता है। जब कोई विभाग नल की खुदाई करता है या केवल डालता है या अन्य कोई पाइप

(श्री जुबेर खान)

डालता है तो रोड कटिंग के चार्जेज लेते हैं। उसके बाद में एक्सीडेंट हो जाते हैं, नालियां पड़ी रहती है। आपका विभाग रोड कटिंग के पैसे लेने के बावजूद भी उस सड़क की मरम्मत नहीं करता है। इसका उपाय आपको देखना चाहिए।

एक निवेदन यह है कि जब आप सड़क बनाते हैं पुलियाएं बनाते हैं, पुलियाओं की देखरेख करते नहीं साफ-सफाई करते नहीं तो स्थान निकास का है, वहां पर मिट्टी जमा हो जाती है, सिल्टिंग हो जाती है और पानी का निकास बंद हो जाता है बरसात होती है जब फिर पानी पानी सड़क को नयी जगह से तोड़ता है। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए आपको।

एक निवेदन यह है कि पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग इस राज्य का है पर्यटन स्थलों की सड़कों के लिए आपको चाहे स्पेशल योजना लानी पड़े, चाहे कहीं से आपको पैसे लाने पड़े, आप पर्यटन स्थलों की सड़कों का जरूर नवीनीकरण कराएं, उनका अच्छा रख-रखाव करावें ताकि पर्यटकों को आने-जाने में सुविधा मिल सके।

पिछली सरकार ने जो शुरू किया था कि 60-60 किलोमीटर दो साल आर.यू.पी. में सड़कें ली थी, व कुछ सड़कें अभी भी बच गयीं, आप उनको चालू रखिये। पिछली सरकार ने मिसिंग लिंक 15 किलोमीटर की दी थी. आज भी मंत्री महोदय, ऐसी-ऐसी मिसिंग लिंक पड़ी हैं, एक या डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा बना देते हैं तो काफी दूरी कम हो जाती है। इससे गांवों में आपस में आने -जाने की सुविधा बढ़ती है। आप मिसिंग लिंक योजना को भी किसी न किसी तरह से चालू रखें।

एक मेरा निवेदन यहां विधायक महोदय से भी है कि जो एम.एल.ए. लैड का पैसा मिलता हैं अस्पताल का मामला हो, चाहे गांव में सड़कों का मामला हो, चाहे सीमेंट का मामला हो, चाहे विश्राम गृह का मामला हो सारी जनता की सुविधाएं हैं, हमें अपने पैसे से जहां ऐसी आवश्यकता है, पी.डब्ल्यू.डी. के पास पैसा नहीं है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने कोटे से प्राथमिकता के आधार पर चाहे अस्पताल हो, चाहे कालेज हो, चाहे

(श्री जुबेर खान)

विश्राम गृह हो, अगर आवश्यकता है तो हमें भी पैसा लगाना चाहिए क्योंकि यह पैसा भी जनता के विकास के लिए है, हमारे स्वयं के लिए नहीं है। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए।

मंत्री महोदय, एक हमें समझा दीजिए कि आपके विभाग में ये 15 परसेंट प्रो-राटा चार्जेज क्या हैं ? आपके विभाग को तनख्वाह का पैसा नहीं देते हैं या क्या मांग में यहां तनख्वाह के लिए पैसा मंजूर नहीं कराएंगे ? फिर ये प्रो-राटा चार्जेज जो 15 परसेंट अलग से है वह छोड़ दीजिये। जे.इएन. का कितना परसेंट है, ए.इएन. का कितना परसेंट है ? 15 परसेंट आपका विभाग निर्माण कार्यों पर लागत के ऊपर प्रो-राटा चार्जेज लेता है, इसको समझिये और हमें भी समझाइये कि यह 15 परसेंट पैसा जाता कहां है ?

मंत्री महोदय, एक निवेदन यह करूंगा, आपने जो बजट पेश किया था उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं का जिक्र किया है। जो टूटी सड़कें हैं, जो पुरानी सड़कें है, जैसे कई माननीय सदस्य कह रहे थे, उनके ऊपर कहां से पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ? आपकी कोई योजना है या नहीं है, उस पर आप जरूर अपनी रिप्लाई में बात कहें सड़कों का रख-रखाव नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं सड़कों की हालत बहुत जगह खराब है, कई जगह तो सड़कें नाम की रह गयी हैं हालत बिलकुल खराब हैं। आप इसके ऊपर विचार करेंगे, यही आपको निवेदन करना चाहता था।

माननीय सदस्य कासनियाजी कह रहे थे, यह पहले मंत्री भी रहे थे और एम.एल.ए. भी रहे थे, और भाजपा की सरकार थी तब भी ऐसे ही कहते रहते थे तो इनका तो मान-सम्मान करिए। आपको बहुत तमगे दिये, हमारे माननीय सदस्यों ने भी दिये लेकिन ऐसा नहीं हो कि सारा समय उसी में चला जाए कि आप मुख्य मंत्रीजी को रिसिव करने जाएं, सी-आफ करने आएं और विभाग की तरफ ध्यान नहीं दे। आपको मंत्री बना दिया, उससे बड़े तो बन नहीं सकते, अब विभाग के बारे में कुछ करिये ताकि लोग कह सकें कि राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर हैं ये-ये सुधार हुए, ये-ये कार्य हुए। ये गिनती में आएंगे रिसिविंग और सी आफ काम में नहीं आएगा। यही सब कहना चाहता था धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले के कार्यों से संतुष्ट हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं, बहुत विकास हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशबीर सिंहजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान मांग संख्या 19 और 21 पर आकर्षित करवाना चाहूंगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अवगत करवाना चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय सक्षम हैं, जब यह चिकित्सा मंत्री थे मैं प्रधान था, तो एक अनुरोध पर 10 सब-सेंटर खोले थे, उसके लिए धन्यवाद। और अब भी मुझे विश्वास है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, मैं उनके बारे में अवगत करना चाहूंगा। सड़कों की दृष्टि से पाली जिला राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है और मेरे जिले के माननीय सदस्य भी शायद यहां होंगे, एक माननीय सदस्य विराजमान हैं, मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है सड़कों की दृष्टि से। पिछली बार राजस्थान के अन्दर कुल 13547 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ लेकिन उसमें से पाली जिले में मात्र 191 किलोमीटर की ही सड़क निर्मित हुई है। अब तो वहां से 6-6 विधायक और सांसद आप ही की पार्टी के हैं, तो इस बार तो इस जिले को सड़कों की दृष्टि से पीछे मत रखना, यही चाह रहे हैं हम।

मैं एक मेरा सुझाव देना चाहूंगा, मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्य यह सुझाव दे चुके हैं कि जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क है, मंत्री महोदय, नयी सड़क बने या नहीं बने लेकिन जो पूर्व में डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें बन चुकी हैं, उस सड़कों को आप पहले टेकअप करें पक्की सड़क बनाने के लिए आज उन सड़कों की स्थिति ऐसी है, सभी माननीय सदस्यों ने सदन को, सरकार को इसके बारे में अवगत करवा दिया है कि इंसान क्या जानवर भी पैदल नहीं चल सकता वहां पर।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

साथ ही मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो लाइंग एरिया है गांवों के अन्दर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बराबर दस कस्बे हैं उनमें से होकर सड़क को गुजरना ही है, बाई पास बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, उन सड़कों की आज ऐसी हालत है कि हालांकि बारिश नहीं है फिर भी थोड़ी बहुत बारिश से भी 15 दिन तक पानी भरा रहता है, पैदल तो निकल ही नहीं सकता है। तो वहां पर बार-बार डामर रोड टूट जाती है और सरकार को नुकसान हो रहा है। उसकी रिपेयरिंग के लिए मैं चाहता हूं सी.सी.रोड का प्रावधान माननीय मंत्री महोदय, इसमें आप लें जहां लो लाइंग एरिया हैं गांवों के अन्दर बस्ती में वहां पर सी.सी.रोड़ होनी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको एक बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं वे सड़कें क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो अच्छी हुई हैं। सबसे बड़ी बात उन सड़कों में यह हुई कि एक भी सी.डी. वर्क पीछे नहीं बचा है। साथ साथ में अगर सड़क दो किलोमीटर है और उसमें सी.डी. वर्क का पैसा भी ज्यादा है तो उस सड़क को सी.डी. वर्क के साथ पूर्ण किया गया है मैं चाहता हूं, अन्य सड़कें अन्य योजना में जो भी बनें, उन सड़कों का भी सी.डी. वर्क साथ-साथ पूरा हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे करीब दस सी.डी. वर्क रह गए हैं अधूरे। उनमें एक मुख्य है नीपल से नाडोल, नाडोल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वहां पर बिलकुल नदी के अन्दर जा नहीं सकते, सड़क दोनों तरफ बनी हुई है लेकिन बारिश के अन्दर वहां जाना बिलकुल दूभर हो जाता है। तो वह सी.डी. वर्क अगर हो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा।

हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र और सोजत विधान सभा क्षेत्र का सड़कों का जो टेंडर होना था प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जान-बूझकर उस सड़क को डिले करने के लिए पैकेज बनाकर किया गया, अधिकारियों की मिलीभगत से और इन बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। सात माह हो गये तीन बार टेंडर हुए, किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि पता लग चुका था कि जन प्रतिनिधि जागरूक हो गए। न जाने किसको फायदा देना चाह रहे थे। मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, आपको यह अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसे पैकेज की जगह अगर छोटे-छोटे ठेकेदारों को ठेका दिया जाए तो उनको रोजगार भी मिलता है। बड़े ठेकेदार सबलैट करते हैं, तीसरी पार्टी

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

काम करती है और इसकी जांच के कोई मापदण्ड नहीं है। हालांकि, साल दो साल पहले याद नहीं मुझे मैंने पत्रिका में पढ़ा था, कि नेशनल हाइवे पर सड़क की जांच की गयी। एक दिन के अन्दर 200 या 250 किलोमीटर, मुझे याद नहीं है, अधिकारियों ने जाकर जगह-जगह से सैम्पल लाकर जांच की । उसी दिन उन्होंने लेबोरेटरी टैस्ट किया और उसी दिन रिपोर्ट दे दी कि बिलकुल सही हुआ तो उसी दिन से हमें यह भी पता चला कि इसकी जांच का भी कोई मापदण्ड है। आज एस्टिमेट बनाने वाले ये ही और काम करवाने वाले वो ही अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहूंगा कि कितने एम.एम.डब्ल्यू.बी.एम. हुआ है, कितना एम.एम. पेवर डला है, कितनी एम.एम. गिट्टी डाली गई है, एस्टीमेट जो बना उसके आधार पर काम हुआ या नहीं, आप जांच करवा लें अगर फर्क नहीं आ जाए। कोई भी सड़क ऐसी नहीं है कि उसमें फर्क नहीं हो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डी द्वारा दो सड़कों का पेवर करवाया गया है। ज्योंही पेवर हुआ, पीछे ही पीछे पन्द्रह दिन, महीने-दो महीने के अन्दर-अन्दर टूट गई सड़क। मैंने एक्स.ई.एन., पी.डब्ल्यू.डी., सोजत को पत्र लिखा। चिट्ठी का उन्होंने जवाब दिया इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे जवाब में यह लिखा कि यह कार्य हमारे द्वारा नहीं हुआ है, यह कृषि उपज मण्डी द्वारा हुआ है, इसलिए कृषि उपज मण्डी इसके लिए जिम्मेदार है। अब जिम्मेवार कौन है, मंत्री महोदय, आप देखें।

कृषि उपज मण्डी का भी मेरे ख्याल से कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि सड़क कितने टाइम तक रहे। यह भी फिक्स किया हुआ है अभी तो उसको बढ़ाना चाहिए। पांच साल के दस साल हों, सड़क की गारंटी कार्य की गुणवत्ता के आधार पर हो।

जो सड़क के अतिक्रमण हो रहे हैं, माननीय सदस्य ने अभी बताया, वास्तव में हकीकत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी सड़क ऐसी गांव के अन्दर वंचित नहीं रही है जहां अतिक्रमण नहीं हो रखे हैं। बाई पास बनता है और तुरंत उसके ऊपर आकर अतिक्रमण। जब मैंने जे.ईएन. और

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)
ए.ई.एन., पी.डब्ल्यू.डी. से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास में कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और न ही हमारे पास इसका रेकार्ड में इन्द्राज है कि यह पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क है, यह राजस्व के अन्दर है तो यह राजस्व और पी.डब्ल्यू.डी. का खुलासा, मंत्री महोदय, जरूर आप करवा लें, यह राज्य के हित के लिए अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सड़कें हैं, मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, उनको आप स्टेट हाइवे या एम.डी.आर. घोषित करें जिससे सी.आर.एफ. से पैसा भी मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं पर्यटन की दृष्टि से भी और एतिहासिक दृष्टि से भी एक सड़क तो है फलौदी-भीलवाड़ा वाया जोधपुर सरदारसमंद, जाड़न मारवाड़ जंक्शन होते हुए करमाल चौराहा, देवगढ़ और भीलवाड़ा। जोधपुर और भीलवाड़ा के लिए इससे जनदीक कोई सड़क नहीं है। बहुत ही कम डिस्टेंस है। करीब 115 किलोमीटर डिस्टेंस कम होता है जोधपुर भीलवाड़ा के बीच में।

दूसरी सड़क, माननीय मंत्री महोदय, बिलाड़ा-देसूरी, इसका स्टेट हाइवे का प्रस्ताव भिजवाया गया है लेकिन किन्हीं कारणों से रह गया है तो अगर आप कर लें बहुत ही आवश्यक है बिलाड़ा-देसूरी।

मेरे जो मिसिंग लिंक्स गांवों में हैं विधान सभा क्षेत्र के, उनमें मैं अनुरोध करना चाहूंगा, पनोता से मेरी कलां, गुढारामसिंह से गुढा केसरसिंह, धामली से निमालिया, इन्द्रवाड़ा से पांचेतिया, गुढा मोकमसिंह से बाग तलाई और कुछ सी.डी. वर्क्स अधूरे हैं। सड़क बनी हुई है लेकिन सी.डी. वर्क्स अधूरे हैं तो मंत्री महोदय उनको भी पूर्ण करने का आदेश करावें।

अन्त में एक मेरा सुझाव है। जो जनसंख्या के आधार पर कार्य निर्धारित होता है कि इतनी जनसंख्या है तो जल योजना होगी, इतने हजार की जनसंख्या है तो यह कार्य होगा, एक तरफ जनसंख्या घटाने की बात, दूसरी तरफ जनसंख्या के आधार पर काम, तो उसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। आबादी के अनुपात में जिस वर्ष गांव की जनगणना में कमी आई, हर

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)
जिले में एक गांव ऐसा चयनित करके उस गांव को आपके विभाग द्वारा कोई न कोई योजना द्वारा सड़क से जोड़ने का भी प्रावधान रखें।

सबसे महत्वपूर्ण जो गांव के अन्दर बार-बार डामर रोड़ टूट जाती है उसको सी सी रोड़ बनाने के लिये आप जरूर इसमें प्रावधान रखें। पिछली सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी माननीय सदस्य ने हमें जानकारी दी कि प्रत्येक विधान सभा सदस्य को पिछली सरकार ने 15-15 किलोमीटर सड़क मिसिंग लिंक अपनी अनुशंसा के आधार पर की थी। तो मेरी पुरजोर मांग है सरकार से, मंत्री महोदय से, आप तो सक्षम हैं बहुत.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मैं अंत में यही कह रहा हूं, मंत्री महोदय, कि कम से कम प्रावधान तो रखें इसके अन्दर। 25 किलोमीटर तो आप सड़क एक विधायक को मिसिंग लिंक की अनुशंसा पर करने की दें। पिछली बार आर.यू.पी. ने एक विधायक को 120 किलोमीटर दी, वह भी आर.यू.पी. में विधायक की अनुशंसा पर, मेरे ख्याल से दो सौ विधायक में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस मांग के समर्थन में नहीं होगा। अगर एक भी विधायक इस मांग पर अपनी असमर्थता जाहिर कर दे तो आप इसका प्रावधान मत रखना। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बत्तीलाल।

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। मैंने कटमोशन नहीं दिये थे, मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन एक तो जयपुर-अजमेर यह सिक्स लेनिंग हो रहा है, यह कब पूरी होगी ? दूसरा, गंगरार से चित्तौड़गढ़ यह जो जयपुर-अजमेर...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले जिन्होंने...

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट सिर्फ..

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुनूंगी..

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पाइंट आफ इन्फार्मेशन है ? इन बुद्धिजीवियों का क्या होगा, अध्यक्ष महोदय ? इनको या तो प्रिविलेज है जो कोई किसी भी वक्त में कभी पाइंट आफ आर्डर, कभी पाइंट आफ इंफ़ोर्मेशन करके चालू हो गये।

श्री विष्णु मोदी : नो पाइंट आफ आर्डर, नो पाइंट आफ इंफोर्मेशन' मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से..

श्री अध्यक्ष : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको मौका दूंगी लेकिन पहले जिन लोगों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, वे बोल लें। उसके बाद आप भी बोल लीजिएगा। आपको पूछना है आप भी बोलिएगा।

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : (व्यवधान) चल दिये आप तो। अब चल दिये आप तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर आपके माध्यम से चर्चा करना चाहूंगा।

सड़कों का महत्व बहुत बड़ा है। सड़क वह पैमाना है जिससे किसी भी राष्ट्र, किसी भी प्रदेश का विकास मापा जाता है। किसी भी देश या प्रदेश के आर्थिक ढांचे में यदि उद्योग धंधे उस देश के अस्थिपंजर हैं तो सड़कें और यातायात के साधन वे रक्त शिराएं हैं जिनके आधार पर सारा आर्थिक ढांचा चलता है। सड़कों के लिये हमारी सरकार ने बजट में जो प्रावधान रखे हैं उसके लिए मैं सरकार को बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा। तीन विशेषता हमें गिनायी गयी हैं, कि सड़कों से आर्थिक निवेश बढ़ता है। सड़कों के द्वारा किसान को उसके उत्पादन को कृषि उपज मण्डियों में ले जाने के लिये उसकी विपणन सुविधा बढ़ती है और सड़कों के माध्यम से हमारी सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। राजस्थान की परिस्थिति ऐसी है कि हम सीमा प्रान्त के निवासी हैं, हमारा सीमा प्रान्त के निवासी हैं, हमारा देश के लिये सामरिक महत्व है, यह बात और जोड़ी जानी चाहिए और केन्द्र सरकार से यह आग्रह किया जाना चाहिए

(श्री बत्तीलाल मीणा)

कि हमें विशेष दर्जा दिया जाए। बिहार के लिये बत्तीस हजार करोड़ का पैकेज दिया, केवल राजनीतिक दृष्टि से। पर राजस्थान जो देश का एक सीमा प्रहरी प्रान्त है, वहां की हर वस्तु राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भीख के लिये नहीं हमारा अधिकार है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिये जो राजमार्ग हमारे हैं उन राजमार्गों के पैरेलल में इस तरह के मार्ग बनाने चाहिये ताकि जब भी सामरिक स्थिति पैदा हो, देश को युद्ध का सामना करना पड़े। जैसे 71 की बार का हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे राज मार्गों पर जब हमारी फौजें मूवमेंट करती हैं तो सिविलियन सारे साधन बंद हो जाते हैं और देश के लिये बड़े भारी खतरे की स्थिति पैदा हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से हमारे परम पूजनीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की दूरदर्शिता के बारे में कहना चाहूंगा कि उनकी दूरदर्शिता थी देश के मामले में कि देश का विकास सड़कों की अन्तरात्मा में निहित है। उन्होंने देश की अखण्डता के लिये राज मार्गों को फोर लेन, सिक्स लेन का किया और सबसे ज्यादा महत्व सड़कों के विकास को दिया। इसके अन्दर जो उनकी भावना निहित थी, वह बड़ी भारी दूरदर्शिता थी। गरीबी हटाओं का नारा बहुत समय से लगा चला आ रहा था। बचपन में हम कई बार देखते थे तो बहुत-से इलेक्शन इसी बात पर जीते गये कि फलां आया है नेताजी, नयी रोशनी लाया है और गरीबी हटा देंगे। लेकिन उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। सड़कों के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है, देश का विकास होता है। सारा कुछ सड़कों के माध्यम से होता है।

हमारी सरकार ने अल्प समय में, सौ दिवसीय कार्य योजना में जो कुछ कार्य किये वे पिछली सरकार की कार्य योजना से बहुत ज्यादा हैं। केवल सौ दिन में हमने जो लक्ष्य प्राप्त किया है 3056 किलोमीटर और 986 गांवों को जोड़ने का, तो 986 गांव पूर्ववर्ती सरकार पांच साल में भी नहीं जोड़ पायी। जो मंथर गति रही उसका परिणाम भोग रहे हैं, हमें इस बारे में कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन बहुत-सी चीजें हैं जो हमें इसमें मे ग्रहण करनी चाहिए।

(श्री बत्तीलाल मीणा)

मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र टोडाभीम की सड़कों की जो स्थिति है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। टोडाभीम के अन्दर 66 ग्राम पंचायत, एक नगर पालिका और दो तहसील हैं जो टोडाभीम नगर पालिका शहर में हैं। इसके अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क है वहां नगर पालिका अपनी सड़क नहीं बना सकती। लेकिन उस पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क की हालत इस प्रकार की है कि वहां मनुष्य तो क्या जानवरों का चलना भी दुर्लभ है। इतना बड़ा कस्बा है, इतनी बड़ी नगर पालिका, इतना प्रोग्रेसिव सिटी और वहां पर सड़कें, केवल पी.डब्ल्यू.डी. की दृष्टि से ऐसी हो रही है कि देखते ही बनती है उसकी दुर्दशा। मैं उन लोगों की वेदना आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहूंगा कि उस रोड़ को सी.सी. बनाना है या सीमेंटेड बनाना है, पी.डब्ल्यू.डी. शीघ्र बनवाएं। अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय अधिकारी कभी इसके बारे में ध्यान देते नहीं। बड़े अधिकारियों का वहां कभी दौरा होता नहीं है। सात ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार डामर से जुड़े हैं, लेकिन ग्राम पंचायत दरपुरा का हैडक्वार्टर ऐसा है कि वहां किसी भी प्रकार की रोड़ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल 5-6 किलोमीटर की वजह से सात गांव सड़क सुविधा से महरूम हो रहे हैं। गंगापुर से अलवर वाला रोड़ गुढ़ाचन्द्रजी होकर गुजर रहा है, गुढ़ाचन्द्रजी से दरपुरा हैडक्वार्टर को जोड़ दिया जाए तो पांच किलोमीटर सड़क में सात गांव जुड़ जाएंगे। उन प्रत्येक गांव की आबादी पांच सौ से कम नहीं है जो सड़क बनाने में सारे मापदंडों को पूरा करती है। हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि वहां के लोग केवल पार्टी विशेष के खिलाफ रहने से, उनकी विजय से, उनको सड़क से महरूम रहना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो सड़क बनाने की गति है वह इतनी तेज है कि 11 किलोमीटर सड़क रोज बनती है, सात गांव रोज जुड़ते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि केवल एक दिन का समय मेरे मांगने से उस हैडक्वार्टर के लोगों को दे दिया जाए तो वे हमेशा आपका गुणगान भी करेंगे। मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि अगले बजट पर जब हम चर्चा करें तो कम से कम इस बात को तो हम नहीं दोहराएं कि यह पांच किलोमीटर का टुकड़ा बचा है। मात्र आपसे पांच किलोमीटर का टुकड़ा मांग रहा हूं, उस जनता के लिए मांग रहा हूं। कितना बड़ा बाजार, पांच किलोमीटर, सात गांव, आप कल्पना कीजिए, जनसंख्या का

(श्री बत्तीलाल मीणा)

कितना बड़ा भारी घनत्व लेकिन वह सड़क से महरूम । यह सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कई बार आपको मैंने पत्र लिखे जब माननीय कटारिया साहब के पास यह विभाग था, अतारांकित प्रश्न के बारे में जवाब भी आया कि हां सात गांवों की आबादी पांच सौ से ज्यादा है। सात गांव पांच किलोमीटर के दायरे में हैं। दरपुरा पंचायत हैडक्वार्टर सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। जवाब में आया कि संसाधन उपलब्ध होने पर इस हैडक्वार्टर को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। मान्यवर, साधन तो हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व वाले मिनिस्टर के लिये यह कोई बड़ी भारी बात नहीं है। यह कोई मजबूरी नहीं है कि केवल पांच किलोमीटर सड़क भी जिसके लिए आपको एक जन प्रतिनिधि कहे और आप नहीं दे सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप देंगे। मेरी ओर से, जनता की तरफ से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं उसको आप अवश्य सुनेंगे और यह पांच किलामीटर की सड़क दी जाएगी।

पुनरूत्थान में, आपने सड़कों के जीर्णोद्धार में बहुत कुछ किया है। आपने पांच राज मार्गों को राष्ट्रीय राज मार्गो क्रमोन्नत कराया, 940 किलोमीटर जो सड़क राजस्थान के लिए प्राप्त की उसके लिए हमारी सरकार बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। आपने जो जीर्णोद्धार के लिए 960 करोड़ रुपये इस बजट में रखे हैं वह भी एक कीर्तिमान है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यह जो 15 किलोमीटर धवान-धलोटा रोड़ मेरे क्षेत्र में है, वहां एक बार सड़क बनने के बाद में किसी ने जाकर ही नहीं देखा कि यहां पर सड़क नाम की कोई चीज है। ये अधिकारी पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहां होकर निकलते हैं ? वहां किसी ने नहीं देखा, न बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट में लायी गयी इस तरह की बात । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि धवान-धलोटा रोड़ का पुनरूद्धार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भवनों का और बिल्डिंगों का सवाल है, हम इनको कई कैटेगरी में रखते हैं। बहुत-से ऐसे ऐतिहासिक भवन हैं जो सरकार के संरक्षण में तो हैं लेकिन ऐतिहासिक धरोहर होते हुए भी वे बड़ी जीर्ण-शीर्ण दशा को प्राप्त हो रहे हैं। उनका रख रखाव किया जाए। वे केवल पत्थर ही नहीं बल्कि हमारे इतिहास की गाथाओं को गाते हुए सजीव हैं। चाहे

(श्री बत्तीलाल मीणा)

रणथम्भौर का किला है या चित्तौड़ का किला है, उसको सिर्फ पत्थर समझ लें या सिर्फ साधारण बिल्डिंग समझ लें, तो मैं कहूंगा कि यह हर आदमी के समझ के बाहर की बात है। वहां एक-एक पत्थर के साथ में कितना इतिहास है जो पुस्तकों में हमें देखने को नहीं मिलता है, पढ़ने को नही मिला है। कुर्बानी की चीज उनमें लिखी हुई है। ऐसी बातों को देखा जाए। ऐसे ही राजस्थान में हर जगह देवस्थान हैं, हर जगह हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। वर्तमान की बिल्डिंगों की तो कहने ही क्या है। आप चाहे अस्पताल की ले लीजिए या किसी तरह की बिल्डिंग ले लीजिये, बिल्डिंग बनाकर पूरे नहीं हुए कि उसके बाद में तो वह जीर्ण-शीर्ण हो गयी। इस तरह की क्वालिटी को आप सुधारे, इस ओर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, साधन हमेशा सीमित होते हैं, लेकिन सीमित साधनों से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति यह एक बुद्धिमता का काम है। कोई आदमी, कोई सरकार यह नहीं कह सकती है कि हमारे पास असीमित साधन हैं। यदि साधनों को अच्छी तरह काम में लेना नहीं आता है या उनका प्रयोग करना नहीं आता है तो कितने ही साधन हों, वह आदमी, वह सरकार अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकती है। वर्तमान जो साधन हैं, परिस्थितियां हमेशा आगे आती हैं लेकिन परिस्थितियों को पार करके लक्ष्य को प्राप्त करना यही तो हमारा ध्येय है। आप इस तरह के सक्षम मिनिस्टर हैं कि सीमित साधनों से राजस्थान की अधिक से अधिक मांगों की आप पूर्ति करेंगे यह हमारा पूरा विश्वास है। जो आपको डिपार्टमेंट दिया है हमारी सरकार ने वह आपकी योग्यता के अनुसार दिया गया है। आपके यह बात बिलकुल आड़े नहीं आएगी कि हमारे खजाने में कुछ नहीं है, हमारे खजाने का दिवालिया आउट हो गया है, मेरे विभाग में बजट ही नहीं दिया गया है। हमें विश्वास है कि साधन नहीं होते हुए भी जो लक्ष्य हमारे सामने रखें हैं उन लक्ष्यों की आप पूर्ति करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अधिक समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि जो बात मैंने निवेदन की है इन बातों को दुबारा बताना नहीं पड़े। विपक्ष को भी यह नहीं कहना पड़े कि इन्होंने हवाई उड़ान जरूर भरी थी, इन्होंने धरती की बात कभी नहीं सोची, इन्होंने अनुमान बहुत ज्यादा लगा लिया लेकिन वास्तविकता पर आकर ठहरे। बजट अनुमान लगाया

(श्री बत्तीलाल मीणा)

385 और रिजल्ट रहा 104, अब बताइये ये चौगुना तो वैसे ही सोचते हैं। हां, ज्यादा लक्ष्य रखना चाहिए लेकिन लक्ष्य के बाद आसमान में उड़ान भरें तो पैर धरती पर टिके रहने चाहिएं। इनके पैर कभी धरती पर टिके नहीं उसका रिजल्ट सामने आ गया।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि चाहे आप पांच किलोमीटर ही सड़क दें, चाहे आप एक ही किलोमीटर सड़क दें लेकिन उसमें जनभागिता हो, जन प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। आप तो सक्षम हैं, आप तो योग्य हैं, आप तो इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे लेकिन बहुत-से अधिकारी, हमने पिछली सरकारों में कई बार देखा है कि वह बजट बनाकर रख देते हैं और उसी को पास करवा देते हैं कि इतना बनाया गया है। जब तक सड़क बनाने का या कोई कार्य होने का श्रेय जन प्रतिनिधि को नहीं जाएगा, वह पब्लिक जो हमें चुनकर भेजती है वह कैसे विश्वास करेगी कि आपके माध्यम से बनाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो हम इसको भी गिना सकते हैं कि नेशनल हाई-वे इतने निकल रहे हैं इससे कोई अर्थ नहीं है। जो सदन में माननीय सदस्य चुनकर आते हैं हमसे जनता यह अपेक्षा करती है कि आपके माध्यम से सड़क बने या कोई इर्रिगेशन का मामला हो या कोई और विकास हो, उसका श्रेय हम लोगों को जाना चाहिए, चाहे वे पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों। उनसे जनता अपेक्षा रखती है। हमारा व्यवहार व्यक्तिश: रूप में आपके साथ में बहुत ही मधुर है। लेकिन जब हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो बहुत-से कठोर वचन भी निकल सकते है। बहुत-सी जिन चीजों को सामान्य रूप से कहना चाहिए, जनता का दुःख-दर्द उसका अनुभव हम कुछ रखते हैं। अब यह दरपुर वाला रोड़ है लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे गांव जाने का रास्ता भी वही है और वहीं होकर जाता हूं। कहते हैं कि सड़क कब पड़ रही है ? हम कब तक उनको आश्वासन दें, मान्यवर, ? हमारे तो सात महीने आश्वासन में ही बीत गये हैं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि 5 किलोमीटर सड़क को आप जरूर बनाएं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग संख्या 19 और 21 सड़क एवं पुल के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मेरा निवेदन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख 239 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 5 करोड़ 64 लाख 73 हजार 122 है। यह पूरा का पूरा राजस्थान गांवों का प्रदेश है, गांवों के इस प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। दूरदराज के इलाकों में कई ऐसे गांव और ढाणियां हैं जो आवागमन के साधनों से वंचित रह गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करूंगा कि हमारे उदयपुर जिले में 29 सड़कें बिना डामरीकरण के कच्चे रूप में भी नहीं जुड़ी हैं, पंचायत मुख्यालय हैं। 50 ऐसे पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर डामरीकरण नहीं हुआ है। दूसरा, उदयपुर जिले में 500 से 700 की आबादी वाले 942 ऐसे गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े हैं। आवागमन की असुविधा के साथ कई तरह के लाभों से वंचित रह जाते हैं वहां के लोग। किसी भी क्षेत्र के आधारभूत विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है, सड़कों के विकास से औद्योगिक निवेश बढ़ाने, कृषि उत्पादन की विभिन्न सुविधाओं में वृद्धि होने, क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ-साथ सम्पर्क सुविधाओं के विकसित हो जाने से सामाजिक जागरूकता भी बढ़ती है। इसी में मेरा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जो पूरा ही आदिवासी अंचल का है और भौगोलिक दृष्टि से अरावली श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होने के साथ-साथ दूरगामी क्षेत्रों में फैला हुआ है। वहां पर मुख्य सड़कों के रूप में कड़ेच से कोलवा की सड़क है, यह सड़क पांच किलोमीटर में यदि पक्की हो जाती है तो जो हमें 70 किलोमीटर का रन करके मुख्य सड़क को मिलना पड़ता है, दूरी कम होने से लोगों को आने-जाने की समस्या दूर हो जाती है। यही नहीं, बिश्मा पावा से गोरैया सड़क भी एक महत्वपूर्ण सड़क है और यह सीधी अरूणपुर रेलवे स्टेशन से सम्पर्क करती है और यह भी आवागमन में बहुत ही सुलभ और सुगम पड़ती है। तीसरी सड़क हमारे मादड़ा से कुबड़ा काठा सुमेरपुर को लिंक करती है कोटड़ा अंचल में, जिससे कि हमारे पूरे बांगड़ क्षेत्र को कोटड़ा तहसील हैटक्वार्टर से जोड़ने में बहुत बड़ी सुविधा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सायरा से बोखड़ा खुर्द तेजा का वास से भीमाणा सड़क और गायफाल से रायड़ा सड़क महत्वपूर्ण सड़क है, यह मुख्य सड़क यहां पर बनाने से एक तहसील का दूसरी तहसील से जुड़ाव हो जाता है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कई धार्मिक स्थान हैं। एक स्थान जरगाजी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष हजारों लोगों का आना-जाना होता है। यहां पर श्रृद्धालुओं को सुविधा होगी। यह सड़क पलासमा से जरगाजी जुड़ रही है, केवल 8 किलोमीटर की सड़क है और उसके बीच में जरगाजी बनास नदी का पुल है, यदि यह बन जाता है तो हमारे कई श्रृद्धालुओं के पर्यटन के लिए बहुत अच्छा स्थान होगा जो नए कीर्तिमान लिए हुए होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर पुलों के बारे में मैं विशेष रूप से मांग करना चाहूंगा कि हमारे कोटड़ा अंचल में बांका का वास गांव है बांका का वास गांव में जब भी साही डैम में नदी आ जाती है तो बांका का वास का सम्पर्क हर जगह से टूट जाता है। उसके आने से कई बार आने-जाने और खाद्य सामग्री की समस्या भी बन पड़ती है। इसलिए पीलका से साही डैम के बीच साही डैम की नदी पर यदि पुल बन जाता है तो बांका का वास के कई भाई लोगों को आने की समस्या से निजात मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भंवड़ा खेत की जो पुलिया है, यदि यह पुलिया नहीं बने, यह कॉज-वे भी बन जाए तो उन लोगों को आने-जाने में सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19 और 21 में वाद विवाद, उत्तर और उसके पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय जब तक मांग पूरी हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

सदन का समय तब तक के लिए बढ़ाया जाता है जब तक मांग संख्या 19 और 21 पारित हो।

मांग संख्या-19 व 21 पर विचार

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : तीसरा मैं निवेदन कर रहा था, अवाणी की महत्वपूर्ण पुलिया है। रावल्या कलां और हत्थन्यावल के बीच की मिसिंग लिंक सड़क के जोड़ने के साथ में एक महत्वपूर्ण पुलिया है। यही नहीं मिसिंग लिंक सड़कों में कई ऐसी सड़क हैं, रावत से यार का खेत का मिसिंग लिंक, केवल 2 किलोमीटर का यदि पक्का डामरीकरण हो जाता है तो हमें 25 किलोमीटर का रन नहीं करना पड़ेगा। बगूंदा से बावड़ी का मिसिंग लिंक सड़क, कायफल से रोहिड़ा का मिसिंग लिंक सड़क, हत्थन्यावल से रावल्या कलां का मिसिंग लिंक सड़क, ये 4 सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत टाइम में माननीय अशोक गहलोतजी के समय में मिसिंग लिंक सड़कों में 15 किलोमीटर सड़कें देकर हमारे आदिवासी अंचल को सड़कों से जोड़ने का काम किया। मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मिसिंग लिंक सड़कों में 50 किलोमीटर तक का प्रावधान कराया जाए जिससे इस एरिये की सड़कों का निर्माण करा सकें। मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है, मेरी महत्वपूर्ण सड़कों की बात मैंने निवेदन कर दी और आपका इस ओर ध्यान दिलाया। हमारी इन सड़कों को बनाने में आप भागीदारी निभाने का काम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद बहुत-बहुत। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आप और हम लोग बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग विकासशील से विकसित देश होने जा रहे हैं लेकिन जब हमारी सड़कों की दुर्दशा देखें तो साथ ही हम सोचते हैं कि हम 100 साल पीछे हैं अभी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं। वैसे आज हम सोचते

(श्री हरिसिंह रावत)

हैं कि हम आज 21वीं सदी में जा रहे हैं लेकिन 21वीं सदी में जाने के लिए अभी हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। हमारे देश को आजाद हुए 56-57 साल हो गये, इन सालों में 50 साल तक कांग्रेस का राज रहा। 50 साल के कांग्रेस के राज में इन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन हमारे छोटे-से काल में जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल विहारी जी बाजपेयी बने, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की। उसके तहत आज हमारे देश में छोटे-छोटे गांव से लेकर शहरों तक, शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर ढाणी तक रोड़ बनी और बन रही है। लेकिन अभी थोड़ा बीच में दुर्भाग्य हुआ कि हमारी सरकार बदली और वापस कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने भला तो कुछ किया या नहीं, लेकिन पहले तो हमारा पानी रूकवा दिया। मैं भगवान से आशा करता हूं कि भगवान उन्हें सदबुद्धी दें, कम से कम हमारे रोड़ का कार्यक्रम तो नहीं रूकवाए।

इसके बाद मैं मेरे क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे में बताना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से हमारी रोड़ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मान लो कभी किसी गांव में किसी औरत को कोई डिलिवरी हो या किसी के कोई समस्या हो जाए या बड़ बिमारी हो जाए तो कम से कम दो किलोमीटर तक उसको खाट पर लिटाकर कंधे पर रखकर पैदल चलने के बाद फिर कहीं जाकर बस, गाड़ी या जीप की व्यवस्था होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि हमारी कुछ मिसिंग लिंक्स हैं उनको पूर्ण करने का आदेश प्रदान कराएं। राजवा बिलियावास तीन किलोमीटर दूसरी है, आमेठ से तीतरी तीन किलोमीटर, शेखावास से रतनपुरा आठ किलोमीटर, काछवली से मेडिया तीन किलोमीटर, करकाला से राजवा आठ किलोमीटर, वाया बाथी ठिकरवासे महलां दो किलोमीटर, नंदावत से ढोटी तीन किलोमीटर, खातून बावड़ी से बोरवा सात किलोमीटर, सांगवा से काछली आठ किलोमीटर, तवाला से मेडिया तीन किलोमीटर, बीचमाला खेत से अजीतगढ़ वाया समेलिया, सेली घाटी चार किलोमीटर और आस पहाड़ की धूनी एक किलोमीटर। मेरे देवगढ़ पंचायत में ताल लसानी, इसरमठ, मालकोठ, कांकरोद, ये पांच गांव को लिंक करता है, आठ किलोमीटर की एप्रोच रोड़ मियाला से ठिकरवास दो किलोमीटर, देवगढ़ से

(श्री हरिसिंह रावत)

माण्डावाड़ा चार किलोमीटर और देवगढ़ से आमेठ जाने वाली सड़क का डामरीकरण बहुत जरूरी है आमेठ तक, क्योंकि इस रोड़ की भी बहुत दुर्दशा है। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 वाया ब्यावर, भीम और राजसमंद, नादा होकर, उदयपुर होकर जाता है, लेकिन इसमें हमारी कुछ कमजोरी रही हो या हमारे जो तत्कालीन सांसद थे, जो तत्कालीन हमारे विधायक थे भीम के और वर्तमान विधायक सी.पी. जोशीजी, विराजमान हैं उनकी रही हो अगर आप चाहते तो यह रोड़ जो किशनगढ़ से भीलवाड़ा होकर निकला है फोर ट्रैक रोड़, वह यदि अच्छा ध्यान रखा होता तो शायद यह रोड़ भीम राजसमंद और नादा होकर निकलता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस रोड़ को आने वाले प्रोजेक्ट में लेवें और हमारे इस रोड़ को वापस वाया भीम और गोमती रासमंद और नादा होकर निकालें ताकि हमारे जिले का विकास हो सके, क्योंकि रोड़ अगर होता है तो हमारे विकास के कई रास्ते खुलेंगे।

(19.00 बजे)

दूसरा यही रोड़ हमारा वी.आई.पी. रोड़ कहलाता है, भीम डाक बंगला बहुत ही अच्छी जगह है और पूरी पहाड़ी पर बसा है, तो इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस डाक बंगले को भी कुछ अपग्रेड करने के लिए कुछ व्यवस्था करावें या आर.टी.डी.सी. को दे दें। हमारे जितने भी वी.आई.पीज. हैं, जितने भी आई.ए.एस., आई.पी.एस. या हमारे कोई मंत्री जो भी गुजरते हैं, वो वहां भीम में जरूर रूकते हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात का होता है, वहां जब पता करते हैं तो बताते हैं कि चार्ज 8 रुपया और अन्दर जाते हैं और बैडशीट देखें या कप-प्लेट देखें तो टूटे-फूटे मिलते हैं। यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे भीम के डाक बंगले का अपग्रेडेशन करने के लिए कुछ विशेष फण्ड की स्वीकृति दिलाई जाए ताकि अपने आने-जाने वाले लोगों के लिए व्यवस्थित हो सके। हो सके तो उसमे अपना चार्ज, किराया वगैरह बढ़ा दें, उससे भी थोड़ा मैंटिनेंस हो सकता है। आज 8 रुपये चार्ज होता है, 8 रुपये में एक बैडशीट तक नहीं धुल सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आर.टी.डी.सी. की या इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए तो उसकी व्यवस्था हो जाए।

(श्री हरिसिंह रावत)

दूसरा डाक बंगला है हमारे जस्साखेड़ा, जस्साखेड़ा में भी यही स्थिति है। वहां तीन कांस्टीट्यूएंसी का संगम है। कुछ समय पहले निविदा निकाली थी कि इसको भी हम ऑक्शन करने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उसको ऑक्शन नहीं किया जाए। वहां तीनों विधायकों का संगम है, उसको अगर हास्पिटल में परिवर्तित कर दिया जाए तो तीनों विधायकों के एरिया में एक हास्पिटल स्वीकृत हो जाएगा, उससे भी हमारे काफी लोगों को सहूलियत मिलेगी।

इस प्रकार से दूसरा जो हमारे रोड़ की व्यवस्था है, छोटे-छोटे रोड़ हैं या जो हाई-वे की साइडों में रोड़ हैं, उनमें नाली निकाली जाए ताकि यह रोड़ डैमेज होने से बच जाए। आज जो भी टेण्डर होते हैं, बड़े-बड़े ठेकेदारों के होते हैं और बड़े ठेकेदार दे देते हैं सैकिण्ड में या थर्ड में पेटी कांट्रेक्टर को तो जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए वह मेंटेन नहीं होती, क्योंकि क्रीम-क्रीम तो जो बड़े कांट्रेक्ट हैं वो ले लेते हैं, सैकिण्ड जिसको देते हैं वो ले लेते हैं और फिर लास्ट में खुरचन होती है, खुरचन वाला ठेकेदार उस काम को क्या करेगा ? उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इसलिए आपसे निवेदन है कि छोटे-छोटे जो भी हमारी लिंक रोड़ हैं, 2-3 किलोमीटर के रोड़ हैं, ऐसे मीडियम क्लास ठेकेदार को दिये जाएं ताकि सही ढंग से क्वालिटीवाइज काम किया जा सके। इसी आशा के साथ जय भारत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि किसी ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और पार्टी ने नाम नहीं दिया है फिर भी यदि बोलना चाहें तो मैं उनको नाम पुकार सकती हूं, वो खड़े हो सकते हैं। बाकी एक निवेदन और कर देती हूं। लोगों ने एक प्रैक्टिस बना ली है कि कटौती के प्रस्ताव नहीं देते, पार्टी को जाकर कहते हैं नाम दो, पार्टी नाम दे देती है। लेकिन आप यह मानकर चलिये, यह जानकारी होनी चाहिए कि जिस कटौती के प्रस्ताव को आप पूर्व में देते हैं उसका जवाब तो विभाग से आता है और इसलिए मंत्री भी उसका जवाब देने में सक्षम होता है। लेकिन एकदम खड़े होकर के आप अचानक जो बात कहते हैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये, उस बात का कोई अर्थ नहीं रहता क्योंकि मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाते और लिखित में कुछ होता नहीं है आपका इसलिए विभाग भी नहीं दे पाता है। इसलिए आइंदा केवल उसी सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

को बोलने का मौका मिलेगा जो कटौती के प्रस्ताव पूर्व में प्रस्तुत करेगा। आज के बाद ऐसा ही होगा। लेकिन आज जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं वो यदि बोलना चाहें तो वो 5-5 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं और जिनके कटौती के प्रस्ताव नहीं हैं उनको बाद में दूंगी। (व्यवधान) आप अपना अब उठा लीजिये क्या पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन है, उठाइये।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कुछ जानकारी चाहता हूं कि जयपुर-अजमेर...

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारा तो नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपको दूंगी।

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव दो दिन पहले दिन होते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : कटौती प्रस्ताव दे रखें हैं और नाम भी हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री टीकम चन्द कान्त : दो दिन पहले देने होते हैं इसी कारण से आप व्यवस्था करें तो तरसों के बाद की करें।

श्री अध्यक्ष : दोनों ही पार्टी की लिस्ट के अंदर एक भी नाम ऐसा नहीं बचा है जिसने कटौती प्रस्ताव दिये हों और बोलने में जिसका नाम पार्टी ने नहीं दिया हो। इसलिए पार्टी ने जो नाम दिये हैं, कटौती प्रस्ताव है...

श्री हरिमोहन शर्मा : मैडम, नाम दिया है।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देख लीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक और है। अशोकजी देकर आये हैं, लिस्ट देकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : अशोक बैरवा का नाम कटौती के प्रस्तावों में नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं, ये मेरा नाम देकर आये हैं उप मुख्य सचेतक की हैसियत से।

श्री अध्यक्ष : सी. पी. जोशी बोलना चाहें तो बोलें, आपका कटौती का प्रस्ताव है। आप बोलना चाहें, बोलें। हरिमोहनजी का कटौती का प्रस्ताव है, बोलना चाहें तो बोलें। लेकिन इसमें जो नाम दिये गये हैं, एक भी नाम बचा नहीं है, ये सारे नाम पुकार लिये हैं। प्रतिपक्ष के नेता, सुनिये। फिर भी यदि कोई बोलना चाहता है, जिसके द्वारा कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हो, तो बोल सकता है, कह सकता है पांच मिनट में अपनी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, सदन का आज तक ऐसा कोई मैं सारी आपको रूलिंग पढ़कर सुना सकता हूं, इस सदन में जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उनकी प्रायोरिटी बनती है लेकिन इस सदन में जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव नहीं दिये हैं, परम्परा यह रही है, अलग-अलग पार्टियों के चीफ व्हिप लिस्ट दे देते हैं उसके बाद में आप उनको क्रम से बुलाते हैं। कटौती के प्रस्ताव कई बार कोई माननीय सदस्य नहीं भी दे पाता है तो कटौती के प्रस्ताव जिन्होंने नहीं दिये हैं उनके उत्तर आप नहीं देंगे, लेकिन बोलने का अधिकार, मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री यहां विराजमान हैं, ये सारे के सारे इस बात के साक्षी हैं, इस सदन में बिना कटौती के प्रस्ताव के भी जिन लोगों के चीफ व्हिप ने नाम दिये हैं।...

श्री अध्यक्ष : मैं भी नई नहीं हूं। यह आसन भी नया नहीं है और आसन भी परम्परा इस सदन की जानता है। आसन भी नया नहीं है कि आप मुझे परम्परा बता रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यहां पर चीफ व्हिप ने जो नाम दिये हैं उनके अनुसार बोले हैं और मैं समझता हूं कि नई परम्परा उचित नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : नई नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियमों के अन्तर्गत तो जो आप व्यवस्था बता रहे हैं वही है, लेकिन पिछले बहुत-से वर्षों से कटौती प्रस्तावों की जब बहुत भारी संख्या होती थी और 200-200, 300-300 कटौती प्रस्ताव आते थे तो पूरी रात बैठने की व्यवस्था हो सकती है इसलिए हमेशा से नीति तय हुई है कि सारे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए मान लेते हैं और दोनों दलों के जो सचेतक होते हैं वो जो नाम देते हैं उन नामों से बोलने के लिए हमेशा आसन बुलाता रहता है और उसी के हिसाब से आज तक परम्परा चल रही है। उसमें फिर भी, उन नामों के अलावा भी आपकी अनुमति लेकर कोई बोले तो माननीय सदस्य का उसमें माना जाएगा। इसलिए जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था में अपन चलेंगे तो लाभदायक रहेगा, मेरा यही निवेदन करना है आपसे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से..

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं, एक मिनट इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री विष्णु मोदी : इजाजत दी है।

डा. सी.पी. जोशी : इसमें अध्यक्षजी को व्यवस्था देनी है।

श्री अध्यक्ष : इस सदन की परम्परा तो पूर्व में यही रही है कि जो कटौती के प्रस्ताव देते हैं उनको यहां पर प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाता है, लेकिन कटौती के प्रस्ताव देने वालों को भी सबको बोलने का मौका नहीं मिलता है, बाकी पार्टी देती है लेकिन उन्हीं में से देती है। पिछले कुछ वर्षों से यह परम्परा चल पड़ी है कि बिना कटौती के प्रस्ताव दिये भी लोग जिद्द करने लगे और लोगों का नाम दिया जाने लगा और लोग बोलने लगे लेकिन मैं समझती हूं कि स्वस्थ परम्परा यही होगी तभी माननीय सदस्य थोड़ी मेहनत भी करेंगे। दो दिन पूर्व जब अपने कटौती के प्रस्ताव देंगे, सरकार की तरफ से उनका जवाब दिया जाएगा उसी का कोई अर्थ होगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि अच्छा हो, यह कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा हो कि हम अपने नियमों

(श्री अध्यक्ष)

के मुताबिक जो परम्परा पूर्व में चली आ रही थी उस परम्परा के मुताबिक यदि हम करें तो मैं समझती हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है इस सदन में आप कहते हो तो इस सत्र में यह भी किया जा सकता है कि जो अपने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करें उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगले से करें। इस बार तो बोलने दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर भी मैंने यह कहा कि पहले वो लोग बोलें जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं, उसके बाद में उन लोगों को भी 2-2, 4-4 मिनट का मौका दूंगी जिन लोगों ने कटौती के प्रस्ताव नहीं दिये हैं

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी तो चलने दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : फिर भी अपनी कोई बात कहना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो परम्परा यही रही है कि बिना कटौती प्रस्ताव के बोल सकते हैं, तो इस सैशन में तो आप यही परम्परा रखें और अगले साल भर बाद दुबारा होगा तो उसमें आप कोई व्यवस्था कर दें।

श्री विष्णु मोदी : मननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जयपुर-अजमेर, मुझे पुकार लिया है, जयपुर-अजमेर जो सिक्स लेन हाईवे है...

डा. सी.पी.जोशी : आपकी व्यवस्था के अनुसार कटौती प्रस्ताव नहीं देने वालों को बाद में मौका मिलेगा।

श्री विष्णु मोदी : लिस्ट खतम हो गई कटौती प्रस्ताव की।

एक माननीय सदस्य : प्रस्ताव वाले अभी बाकी है।

डा. सी.पी.जोशी : फिर बेकार हैं जो कहते हैं वो भी। हम सुबह से बैठे हुए हैं सुबह से काम ही यही है हमारा। हम सब बैठे हुए हैं सुबह से, हमारा काम ही यही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप तो बिना बुलाये ही खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, वो बोल नहीं रहे हैं पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन पर कोई सूचना सीक कर रहे हैं। इंफोर्मेशन सीक कर रहे हैं, इंफोर्मेशन दे रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन सीक कर रहे हैं, सूचना दे नहीं रहे हैं वो तो सूचना ले रहे हैं, मंत्रीजी को सीक थोड़े ही कर रहे है।

श्री अध्यक्ष : सीक कर रहे हैं न आप तो। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : जयपुर-अजमेर जो सिक्स लेन हाइवे बन रहा है वह कब तक पूरा हो जाएगा ? इसी हाइवे पर आगे गंगरार पर काम बंद हो गया है, तो गंगरार से चित्तोड़गढ़ 27 किलोमीटर जो है फोर लेनिंग नहीं हुआ है, वह कब पूरा हो जाएगा ? निम्बाहेड़ा से अभी एक नया हाई-वे सैंक्शन हुआ है बड़ौदा तक वाया प्रतापगढ़-बांसवाड़ा, उस पर कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है ? और आगरा-जयपुर फोर लेनिंग का मैंने अखबार में पढ़ा था तो वास्तव में उसका फोर लेनिंग का काम तो कब शुरू होगा, कब खतम होगा ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या कंटीन्यू करेगी ? और जिस प्रकार से अभी आपकी सरकार ने कई विभागों को मिलाकर एक विभाग बनाया है तो यह जो कृषि उपज मण्डी का है, जो अभी माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, तो क्या यह कृषि उपज मण्डी को भी सड़क बनाने का काम आपका विभाग करने वाला है या नहीं ? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, चलिए।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जैसे अभी माननीय मोदी साहब ने बताया कि जयपुर से आगरा रोड़ वह रोड़ है जिसमें दौसा से लेकर जयपुर तक के बीच में हर महीने में..

श्री अध्यक्ष : पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा : हां, हर महीने में करीब 25 व्यक्तियों की मौत होती है। औसतन यह रोड़ जब तक फोर लेन नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही एक्सीडेंट होते रहेंगे। अभी अग्रवाल कालेज के तीन छात्र जो नई का नाथ मन्दिर जाकर आये, आते ही तीनों छात्र एक साथ खतम हो गये, तीन-चार दिन पहले की बात है। इसी प्रकार से आये दिन दुर्घटनाओं में ऐसी मौतें होती रहती हैं, इसलिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फोर लेन की व्यवस्था करवाई जाए।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रोड़ को यदि समय रहते नहीं बनाया गया तो लोगों को सड़क को छोड़कर कच्चे में से होकर जाना पड़ेगा। खास कर आगरा रोड़ से नई का नाथ रोड़ है बांसखो होते हुए, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टौंक और आस-पास के अनेक जिलों के लाखों लोग वहां पर हर एकादशी को हर छठे महीने जो मेला भरता है उसमें इकट्ठे होते हैं, ऐसा वह रोड़ है उसको पुनः डामरीकरण कराया जाए जिससे आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। आगरा रोड़ रेलवे फाटक से नई का नाथ है, नई का नाथ रोड़ से लवाण वाया राजपुरा बूड़ला इस रोड़ की हालत बहुत खस्ता है। आगरा रोड़ से भटेरी वाया हंसमहल कानेटी होते हुए 6 किलोमीटर रोड़ है उसकी भी बहुत दुर्दशा है। इसी प्रकार से लवाण से चाकसू वाया तूंगा कोटखावदा जो स्वीकृत भी है, लेकिन इसका कार्य चालू नहीं हुआ, 38 किलोमीटर है। खातेपुरा से मोरंडी सड़क साढ़े तीन किलोमीटर है। बेनेड़ा से बावपुरा सड़क साढ़े 3 किलोमीटर है। आगरा रोड़ से बासर ईसरवाला वाया हनुमानसर-खेड़ी, दांतली से बूरथल वाया करड़वास, चाकसू से गरड़वासी वाया राजपुरा, दूला रोड़ से नांगल वेरसी वाया पड़ासोली, चाकसू गरड़वासी के मत्थे जो ढूंढ की नदी है, करीब 12 ग्राम पंचायतों के लोग उधर से आते-जाते हैं, उस पर अगर काज-वे भी बना दिया जाए तो लोगों को आने-जाने की बड़ी आसानी होगी। जैसे कई बार डिलीवरी केस को लेकर आते हैं तो 20 किलोमीटर राउण्ड करके वापस बस्सी से होते हुए उनको जाना पड़ता है। बस्सी में एक विश्राम गृह के लिए मैंने निवेदन किया है कि विश्राम गृह का निर्माण करवाया जाए आगरा रोड़ के ऊपर।

मैं मिसिंग लिंक रोड़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि रलावता बेरी से सुमेल वाया खेजड़ी करीब 37 गांवों को इससे फायदा होता है। एक रोड़

(श्री कन्हैया लाल मीणा)
और है करीब 11 किलोमीटर है रलावता बेरी से सुमेल वाया खेजड़ी कुशलपुरा-खाजरिया वाया बोर का बास 8 किलोमीटर रोड़ है बांसखो से मानपुरा वाया क्षेत्रपाल सात किलामीटर है नई का नाथ रोड़ से मनपुरा वाया खारवाल की ढाणी साढ़े 7 किलोमीटर है सामरिया से बाड़ा पदमपुरा वाया हनुमानपुरा में गोनेर जो जगदीश महाराज का मन्दिर है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं उधर से आने-जाने के लिए अगर मिसिंग लिंक 7 किलोमीटर बन जाता है तो काफी सारे लोगों को लाखों लोगों को इससे फायदा होगा। सामरिया से गोनर वाया बरेला पीपल्या रवाना होकर। बस मैं इतना ही कहकर निवेदन करना चाहूंगा कि खासकर जयपुर से ये रोड़ तो है इसके अलावा जो जयपुर तक कम से कम महुवा तक का फोर लेन का यह रोड़ जरूर बनाएं।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथनाड़ा गौशाला के नाम से प्रख्यात है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कि उन्होंने पथनाड़ा गौशाला को विशेष पैकेज देने की घोषणा बजट में की है। मैं पथनाड़ा गौशाला की 6 किलोमीटर सड़क की घोषणा बजट में की है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि उस पैकेज में पथनाड़ा की 6 किलोमीटर सड़क का जो डामरीकरण होना है अगर है तो वह खुशी की बात है और अगर नहीं है तो कृपया उस सड़क को अति महत्वपूर्ण सड़क समझकर उसका निर्माण करवाने की कृपा करावें।

दूसरा, एक मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में गुजरात से एक रास्ता आता है धानेरा से, धानेरा से जैसे ही नैनावा होकर राजस्थान में प्रवेश करते हैं वह 6 किलोमीटर सड़क इतनी खराब है उसमें इतने बड़े-बड़े खड्डे हैं कि सड़क में खड्डे नहीं हैं उन खड्डों के अन्दर वह सड़क है बाहर से जब गुजराती बंधु आते हैं और जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है इतने बडे-बड़े खड्डे है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये दो सड़कें अति महत्वपूर्ण समझकर इनको जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

जयहिन्द। आपने मुझे समय दिया उसके लिए आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले जिनके कटौती के प्रस्ताव दिये हुए हैं उन्हें बोल लेने दें, उसके बाद आप बोलें। बोलिए, प्रारम्भ करिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं कटौती का प्रस्ताव भी दे रखा है। ये नाम इधर से आये हैं, कटौती का प्रस्ताव भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद आपको पुकार लुंगी] नाम।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-19 और 21 के लिए आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आंकड़े काफी कुछ आ गये हैं, काम पहले क्या हुए, अब क्या हो रहे हैं, वह भी बहुत कुछ हो गया है। एक भैरोंसिंहजी की सरकार में ललित किशोर चतुर्वेदी जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने देवस्थानों को पक्की सड़कों से जोड़ा। यह एक अहम मुद्दा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने प्रस्ताव में इस प्रकार की कोई रीति-नीति बनावें कि जितने भी प्रमुख देवस्थान हैं, श्रद्धा के केन्द्र हैं, जहां वर्ष में एक बार कोई न कोई मेला भरता है, लाखों लोगों की पब्लिक आती है, वैसी जगह को कम से कम सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव आप बनाएं।

दूसरी एक खास बात, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेलड़ी से लगाकर घाणा बरवा तक 18 किलोमीटर की रोड़ पी.एम. कोष से पिछले पांच सालों में तीन बार पास होकर आयी, उसका पैसा मंजूर होगर आ गया लेकिन उस समय के विधायक महोदय, ने आपसी रंजिश के कारण उस सड़क को पूरा नहीं होने दिया। नहीं बनने दिया, उस पैसे को वापस भिजवा दिया। मैं आदरणीय गुलाबजी कटारिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनके थोड़े-से प्रयास के कारण वह 18 किलोमीटर की सड़क और एक करोड़ 42 लाख रुपया पास होकर आ गया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं।

एक मुख्य बात जालौर जिले को जयपुर, राजस्थान की राजधानी से जो सड़क जोड़ती है वह मेरे विधान सभा का साढ़े 14 किलोमीटर का हिस्सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि स्टेट हाइवे हैं, आये दिन एक या दो एक्सीडेंट वहां सड़कों की गड़बड़ के कारण, सड़क छोटी है, साइड में खड्डे हैं इसलिए होते हैं। आप वहां

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

से पुलिस से, थाने से रिपोर्ट मंगा सकते हैं, प्रतिदिन एवरेज साढ़े 14 किलोमीटर की सड़क में एक एक्सीडेंट, कभी दो एक्सीडेंट होते है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी जो सी.आर.पी.एफ. से पैसा पास हो चुका है या आपकी फर्स्ट प्रयोरिटी में है उसे करवाएं क्योंकि यह मुख्य सड़क है जो जयपुर से जालौर जिले को जोड़ती है। (व्यवधान) जोधपुर-जयपुर का यह एक सेंटर पाइंट है मेरे आहोर में जो जालौर और आगे जाकर बाड़मेर की तरफ जाती है सड़क वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक गैस्ट हाउस हो, हमारा एस.डी.एम. कोर्ट है वहां पर इसलिए मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : बाकी काफी चीजें आ गई हैं, फिर... (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : एक मिनट, 100 दिन के राज में जैसा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं यह कह रहा हूं देखां, पीछे पड़ने वाला चाहिए, 100 दिन में एक साथ 9 सड़कों का आर्डर पास करवाकर आज की तारीख में काम चालू है। कैसे हुआ, क्या हुआ, यह महादेव की कृपा है, लेकिन होता है। हमारे जमाने में हुआ है। धन्यवाद, मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं बोल लूं, उसके बाद आप बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पुकार तो रही हूं आपका नाम। हरिमोहन शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय अध्यक्षजी, आपने झुंझुनुं जाते समय देखा होगा, मेरे यहां नवलगढ़ रोड़ इतनी खराब है..

श्री अध्यक्ष : सीकर से आने वाली माननीय सदस्या, मैंने नाम पुकारा है हरिमोहनजी शर्मा का। आप एक बार विराजें, इसके बाद पुकारूंगी आपका नाम।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क और पुल से सम्बन्धि मांग संख्या 19 और 21 पर मैं अपने विचार सदन के सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सन् 2003-2004 के लिए संशोधित बजट रखा 231.66 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें इस वर्ष में जो इन्होंने खर्च किया है, केवल मात्र 174 करोड़ रुपये ये खर्च कर पाये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत सन् 2002-2003 में राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 101 करोड़ रुपये खर्च किये और वर्तमान सरकार ने 2003-2004 में केवल मात्र 49 करोड़ रुपये खर्च किये। इसी प्रकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मामले में 2002-2003 में कीर्तिमान स्थापित किया तत्कालीन राजस्थान सरकार ने, 93.79 करोड़ रुपये खर्च किये और इस वर्तमान सरकार ने सन् 2003-2004 में केवल मात्र 46 करोड़ रुपये खर्च किये। जो बजट प्रावधान था...

श्री अध्यक्ष : 2003 में तो कांग्रेस की सरकार थी।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हमने ज्यादा किया। यही तो कह रहे हैं, यही तुल्नात्मक बात है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सर्वाधिक पैसा खर्च किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपनी पोल अपने आप क्यों खोल रहे हो ?

एक माननीय सदस्य : खुद के भाषण से खुद की बोल क्यों खोल रहे हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : वह तो आप जवाब दे देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सरकार तो नवम्बर में आई है, इससे पहले तो आपका ही शासन था।

श्री अध्यक्ष : नवम्बर में नहीं, दिसम्बर में आई है।

श्री हरिमोहन शर्मा : यही मैं कह रहा हूं, यह सरकार नवम्बर में आई है।

श्री अध्यक्ष : यह सरकार दिसम्बर में आई है, नवम्बर में नहीं आई।

श्री हरिमोहन शर्मा : यही कहना चाहता हूं, यह सरकार दिसम्बर में आई है। इस सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा है कि ये 100 दिन के अंदर-अंदर 3056 किलोमीटर की सड़क बना सकते हैं, 986 गांवों को जोड़ सकते हैं, तो चार महीने में बजट खर्च नहीं कर सकते ? एक ओर हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, कितने किलोमीटर सड़क ये 100 दिन में बनाने की घोषणा करते हैं ? दूसरी ओर इनको चार महीने मिल रहे हैं, फिर ये बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं आपको हम डाक में डालेंगे, किस हिसाब से आप डाक में डालेंगे ? आपका ही बजट प्रावधान है, आपने बजट में लिखा है, बजट भाषण में लिखा है। कि 100 दिवसीय कार्य योजना के अंदर 3056 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाकर 986 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया। इस रफ्तार से, माननीय, आपके पास तो चिन्ता करने वाला विभाग आ गया। आप अब निश्चित रहें इस विभाग से, यह बिना चिन्ता का विभाग माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राठौड़ साहब को उनकी प्रकृति के हिसाब से दे दिया, आप पूरे पांच साल चिन्ता में रहेंगे और ये पूरे पांच साल निश्चित होकर शासन करेंगे। (व्यवधान) मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब 100 दिन में आप आसमान छू सकते हैं, जनता को झांसा दे सकते हैं, दिशाभ्रमित कर सकते हैं, करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं तो सन् 2003-04 में जब चार-साढ़े चार महीने भी आपको मिले तो आपसे यह पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ ? आप तो हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं, आप तो 100 दिन में कार्य योजना बनाने वाले हैं तो आपको सड़कें.. (व्यवधान) बिरला साहब, थोड़ा तसल्ली रखें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने बजट प्रावधान किया 275 करोड़ रुपये का डा. सी. पी. जाशी ने एक प्रश्न उठाया था कि 275 करोड़ रुपये का जो बजट प्रावधान है, आपने किया था ? कोई नया काम किया, कोई नयी अकल लगायी, कोई नये ढंग से बजट बनाया ? हम जिस परिपाटी पर चल रहे थे उस लीक से हटकर आपने कोई काम

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किया ? आपने क्या किया ? आपने वही 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय फण्ड से ले लिया, 151 करोड़ रुपये आपने नाबार्ड से ले लिया, कंसोलिडेटेड फण्ड से जो इन्होंने प्रश्न उठाया था वह क्या किया ? हमने जो किया, बताइए, उस लीक से हटकर आप एक काम नहीं कर सके। मुझे तो चिन्ता इस बात की है, मैं मानता हूं कि राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, हो सकता है किन्हीं ने कोई आरोप लगाये हों, हो सकता है भ्रष्टाचार से कोई भी विभाग मुक्त नहीं है, लेकिन हम डंके की चोट पर कह सकते हैं राजस्थान के पास ऐसे इंजीनियर्स हैं ऐसे काम करने वाले हैं जिनके सामने यह भवन जो हमारा बना हुआ है, जो जयपुर का निर्माण हुआ है, जो विकास की गति हुई है, जो जयपुर का व्यू बना है वो भी राजस्थान के अधिकारियों ने ही किया है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनका जिम्मा अब माननीय राजेन्द्र सिंहजी के पास है, जो हाई कोर्ट में लिखा है राजेन्द्र सिंहजी इस आगे आने वाले समय में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं जब अगले सत्र में यह डिमाण्ड आई और इस विभाग की बात आई तो पूछेंगे कि जिन लोगों ने आरोप लगाया था, जिन लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट के मामले में चर्चाएं की थीं मौजूदा सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या काम किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आशातीत प्रगति हुई है। मैं कई लोगों से सहमत नहीं हूं। ठीक है, कमियां रही हैं, सड़कों का जाल कम है, और बातें कम हैं, लेकिन सन्1952 को जिन लोगों ने देखा, जिन बुजुर्ग विधायकों ने, उस 1952 की कल्पना करो, आज इस 52 साल की आजादी के राज में राजस्थान का कायापलट हुआ है। जगह-जगह सड़कों का निर्माण हुआ है, नयी सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, स्टेट हाई वे बने हैं अच्छी से अच्छी इमारतें बनीं हैं, यह राजस्थान के इस लोकतंत्र की परिपार्टी की देन हैं हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं जो बन जाता है उसका तो हम धन्यवाद देने से रहे और जो बन जाता है उसको मतदाता भी धन्यवाद नहीं देता। आपने देखा होगा, आप जिस प्रधानमंत्री सड़क योजना की तारीफें कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री की इतनी बढ़िया योजना है, चुनाव के नतीजे में क्या हुआ ? हमारी तारीफें हो रही थी कि हमने 5 साल में इतने विकास के काम किये, इतने विकास के हमने जाल बिछा दिये, सड़कें बिछा दीं, सब काम कर दिये। मतदाता का जो सोचने का

(श्री हरिमोहन शर्मा)

ढंग है, वो विकास के साथ मतदान को आप मत जोडिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार पूर्व की सरकार ने विधायकों को चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी राजनैतिक दल का हो, किसी भी पार्टी का हो उसको 120 किलोमीटर सड़क की चॉइस दी, मिसिंग लिंक रोड़ के लिए 20 किलोमीटर की सड़क दी चाहे किसी भी राजनैतिक दल का हो। आप यह वहम मत कीजिए कि आप हमसे 10 किलोमीटर ज्यादा सड़क बना देंगे तो आप वोट ज्यादा ले जाएंगे इस गलतफहमी में मत रहना। इस गलतफहमी में आप रहेंगे और दूसरे पक्ष के साथ अन्याय करोगे तो जनता बहुत बारीक नजर से आपको देख रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार की भावना से पूर्ववर्ती सरकार ने इन सड़कों के निर्माण के समय में नीति निर्धारित करके 120 किलोमीटर प्रत्येक विधायक को सड़क दी थी, आप अगर कर सकें तो उस सड़क को 120 किलोमीटर तक बढ़ाएं उसको कम मत कीजिए। राजनैतिक दृष्टिकोण से उसका फैसला मत कीजिए। मिसिंग लिंक रोड़ की जो बात है, उस सम्बन्ध में भी मेरा आपसे निवेदन है कि मिसिंग लिंक रोड़ का आप सर्वे कराएं। अपने-अपने दृष्टिकोण से देख लिजिए, सरकारी अधिकारियों को भेजिए, मिसिंग लिंक जो रोड़ हैं, उनसे (व्यवधान) गुंजल साहब, आप शुक्रगुजार रहो रामकिशन जी के कि आप वहां आ गये, नहीं तो कोई चांस नहीं था।

श्री भवानी सिंह राजावत : रामगंज मण्डी की जनता के शुक्रगुजार होंगे, रामकिशनजी के क्यों ?

श्री ओम बिरला : रामकिशन जी कमजोर उम्मीदवार थे, यह कहना चाहते हैं आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो, बिरला साहब, टिकट लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, मैदान छोड़कर भाग रहे थे। यह तो किस्मत थी जो पीछे आ गये आप।

श्री ओम बिरला : टिकट लेने की हिम्मत थी, और ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने टिकट लेने की हिम्मत की।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह तो वक्त के ऊपर आ गये।

श्री ओम बिरला : वक्त नहीं जनता की है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, हां, वो वक्त ही होता है, जनता का भी वक्त ही होता है। यह तो वक्त की उपज है। काम की उपज होती तो धारीवाल जी आते। यह वक्त की उपज है कि आप आ गये।

श्री प्रहलाद गुंजल : जनता ने उनके राजनीतिकरण को नकार दिया। जिसका कि आप बखान कर रहे हो, उल्लेख कर रहे हो, आपके हर काम का जो राजनीतिकरण किया है, उसको नकार दिया।(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आपने, माननीय सदस्य, जो सड़कें बनवाई कोटा में वे सड़कें कैसी बनी, वह कोटा की जनता ने चुनाव में बता दिया धारीवालजी को। एक ही बरसात में पूरी सड़क टूट गई।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैंने कह दिया ना (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : यह सन् 1952 नहीं है जो टिकट लेने वाला नहीं था, टिकट के लिए तो आजकल लाइन लगी रहती है। यह कितनी गलत बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन कुछ सीटों पर नहीं थी, आपको पता नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज जयपुर की काया पलट हो गई चाहे जे.डी.ए. के माध्यम से हुई हो चाहे अपनी योजनाओं के माध्यम से हुई हो, विकास का काम का वोट से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है और निवेदन है इन भावनाओं के साथ कि आप अपने-अपने क्षेत्र में अधिक विकास का काम करवा देंगे तो आप उससे अधिक वोटों से जीतकर आ जाएंगे, इस दृष्टिकोण से हमारे साथ अन्याय करोगे तो वह निर्णय आपका ठीक नहीं होगा।

मैं दो तीन बातें आपसे और निवेदन करना चाहता हूं। जो मिसिंग लिंक वाली बात है, मिसिंग लिंक रोड़ का आप सर्वे करवाइये विभाग से कितनी ही ऐसी रोड़ हैं जिनके जुड़ने से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का पूरा का पूरा राउण्ड कम होता है। आप उन रोड़ को प्रायोरिटी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

के आधार पर अपने हिसाब से अलग से सर्वे करवा लीजिए विधायकों से अलग राय आप ले लीजिये और उस हिसाब से आप फैसला कीजिये।

मैं इसके साथ यह निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि अनेक पंचायत मुख्यालय इस नीति के अभाव में अभी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। माननीय कटारिया ने जवाब दिया है, कई ऐसे पंचायत मुख्यालय है, जिन पर आबादी कम है और वह प्रधान मंत्री सड़क योजना में नही आ पा रहे हैं और स्टेट से भी उनको फण्ड उपलबध नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए। नीतिगत आधार पर राजस्थान में जो-जो पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ने से रह गये हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए।

इसके साथ नाबार्ड के द्वारा कितने ही स्थानों पर रोड़ बनाई गई, वह बी.टी. ही नहीं हुई , वहां वैसी ही पड़ी हुई है वह, गिट्टी रोड़ है न तो वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आती है। जो प्रिंसिपल उनमें तय कर रखे हैं, उसमें चाहे आबादी उसकी अधिक हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सड़क वहां बनी हुई है चाहे वह गिटटी बनी हुई है चाहे वह ग्रेबल की हो, अगर वह सड़क वहां पर बनी हुई है। तो प्रधानमंत्रीजी की योजना के अन्तर्गत वह चीज नहीं आ सकती। इस प्रकार से आज जो गिट्टी की सड़क है, जहां लाखों रुपया आपका और हमारा खर्च हो चुका है, आप राजस्थान में उसका भी सर्वे करवाइये। एक प्रायोरिटी तय करें कि जहां लाखों रूपये आपने और हमने खर्च किये हैं, उस पर बी.टी. कैसे करवाई जाए और कि योजना के अन्तर्गत करवाई जाए।

कृषि उपज मण्डी का सवाल है, आपका तालमेल होना चाहिए। विभाग एक तरीके से सोचे। कृषि उपज मण्डी के द्वारा सड़क बनाई गई है, रिपेयर पी.डब्ल्यू.डी. नहीं करता है। कोई दूसरा विभाग कोई सड़क बनाता है, इर्रिगेशन विभाग ने अगर कैनाल डवलपमेंट के आसपास सड़क बना रखी है तो उसका काम पी.डब्ल्यू.डी. नहीं करता है। ऐसी अनेक समस्याएं है कि जिन सड़कों को बनाया सरकार ने है, चाहे किसी भी एजेंसी ने बनाई हो, लेकिन उस एजेंसी के बनाने के बाद उस एजेंसी के पास तो पैसा रहा नहीं, उस एजेंसी के पास तो बजट रहा नहीं और उस बजट के अभाव में वह सड़क का निर्माण होने के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

बावजूद भी लाखों करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी हम रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं।

आखिरी में मेरा विनम्र अनुरोध है, आपने देखा होगा, जब आप नेशनल हाइवे पर जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करने की ओर अग्रसर हों।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक मिनट में आपके आदेशों की अनुपालना कर रहा हूं। आपने नेशनल हाइवे के ऊपर जाकर देखा होगा, जहां भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ग्रामीण लोग, सड़क के किनारे रहने वाले लोग, सड़क पर बसे हुए लोग अपने मनमाने ढंग से स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं उन स्पीड ब्रेकरों से ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे अनेक लोगों की मृत्यु होती है। आपके पी.डब्ल्यू.डी. इंजीनियर्स उस रोड़ पर जाने के बावजूद भी, उन जगहों पर जाने के बावजूद भी इस प्रकार के अवैध रूप से निर्मित किये गये स्पीड ब्रेकर को हटा नहीं पाते हैं। स्पीड ब्रेकर बनाए विभाग से बनाए जो इस ढंग का तो हो, यह इंडीकेशन तो हो कम से कम कि यहां से हम निकलेंगे तो स्पीड ब्रेकर आएगा। इन सब बातों पर मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है और प्रार्थना है। सन् 1952 से लेकर आज तक ऐतिहासिक काम करके राजस्थान जो पिछड़ा प्रदेश था, आज हिन्दुस्तान के बहुत गिनु-चुने प्रदेशों के आसपास आ गया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो पैसा उपलब्ध कराया गया था। उसका काम राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने बड़ी ईमानदारी से, बहुत कार्यकुशलता से टाइम बाउण्ड प्रोग्राम में सब ठीक कराया और इसलिए केन्द्र की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रियों ने राजस्थान सरकार की तारीफ की है। इन सब बातों की भावनाओं के साथ, आप अपनी भावना के हिसाब से काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया.. (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : इन्होंने केवल धोखा दिया, कुछ भी नहीं किया। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया। आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदयाजी, आज जो मांग संख्या 19 और 21 पर चर्चा हो रही है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधा के अन्दर जो चीजें हैं उनमें सड़क भी आती है। सड़क के बिना हमारे प्रांत का विकास सम्भव नहीं है। महोदयाजी, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर हरियाणा से चिपका हुआ क्षेत्र है। हरियाणा की सड़कों की हालत देखें तो वहां बहुत अच्छी सड़कें हैं। आप चाहें तो हिसार को देख लीजिये, दूसरी जगहों को देख लीजिये, वहां अच्छी सड़क है जब कोई भी यात्री अच्छे सड़क मार्ग से बस से आता है, कार से आता है या दूसरे अन्य साधनों से आता है, हरियाणा से जब वह राजस्थान सीमा में प्रवेश करता है तो उसको यह महसूस होता है कि हम राजस्थान में प्रवेश कर गये। हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, सड़कों के बारे में हम बहुत पीछे हैं। मेरे क्षेत्र में राजगढ़ से भर एक मार्ग है जो बीकानेर दिल्ली के बीच में सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। उसमें 16 किलोमीटर का क्षेत्र हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और बाकी हरियाणा में पड़ता है। उस 16 किलोमीटर के पोर्शन में 0.0 से 0.6 किलोमीटर के पोर्शन की यह हालत है कि वहां जगह-जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। वाहन चल नहीं सकते, ऊंटगाड़ी वहां चल नही सकती। पिछले साल हमारे बैरासर में एक व्यक्ति जो ऊंटगाड़ी से उस सड़क से जा रहा था, गड्ढे के कारण गिरकर उसकी मृत्यु हो गई । बार-बार बसों की, ट्रकों की कमानियां टूट जाती है। मैं तो कहता हूं, हमारे यहां पर एक कहावत भी है कि यदि किसी

(श्री नन्दलाल पूनिया)

औरत के डिलीवरी नहीं हो तो उसको जीप में बैठाकर उस राजगढ़-भर सड़क पर ले जाओ, शर्तिया डिलीवरी होगी। बड़े शर्म की बात है। मंत्री महोदय हमारे जिले के हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण सड़क है जो दिल्ली और बीकानेर मार्ग से जुड़ती है। और इससे दूरी कम होती है। इस सड़क की तरफ आप तुरन्त ध्यान दें। यह महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है।

दूसरा मेरे क्षेत्र से राजगढ़-झुंझुनु सड़क है, उस सड़क से हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी लम्बी दूरी की बस चलती है। जयपुर से कटरा चलती थी, आजकल जालंधर तक चलती है। उसकी दूरी वह जो अन्तरराष्ट्रीय बस सेवा लाहौर से दिल्ली है, उससे ज्यादा है लेकिन उस सड़क की हालत क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर है। लेकिन उस 62 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को करीब ढाई घंटे लगते हैं उसकी चौड़ाई दो मीटर है, आज वहां साइड देने के लिए कोई सुविधा नहीं है। वह सड़क जगह-जगह से टूट गई है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क है जो पंजाब, सिरसा, भटिण्डा, गंगानगर को जयपुर से जोड़ती है। उस सड़क को भी यदि आप बाइडनिंग करके उसका पुनर्निर्माण कराएं तो मैं समझता हूं यह आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

दूसरे, पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कें हैं उन सड़कों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। डेजर्ट और पहाड़ी क्षेत्र में जो आज पांच सौ की आय बता रहे हैं यह जनसंख्या लागू नहीं है, उसमें ढाई सौ की लागू है। हमारा आपका जिला एक ही है, आप भी डैजर्ट जिले में हो, तो आप इस बात को सुनिश्चित कीजिये कि यदि डैजर्ट जिले में और पहाड़ी जिले में ढाई सौ की संख्या है उसको अब आप उसमें कंसीडर करेंगे। दूसरे, मैं मिसिंग लिंक रोड़ के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बेवड़ से खूंडिया बास, सदाऊ से सूरतपुरा, ददेऊ मोहन सिंह से हमीरवास, ऐसी सड़कें हैं जिनके बनने से उन मार्गों की दूरी काफी कम हो जाएगी, मेरा आपसे निवेदन है कि मिसिंग लिंक रोड़ के बारे में भी आप जरूर से ध्यान दें। दूसरे, मेरे क्षेत्र में पी.एम.जी. एस.आई. की जो सड़क बन रही है, उसके बारे में मेरा निवेदन हैं कि सड़क बनती है उनका जो रूट ट्रैक है, जिस मार्ग से जाती है कटानी रास्ते से, उसका निर्धारण ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने प्रस्ताव से

(श्री नन्दलाल पूनिया)

करती है और उसके बाद मुख्य अभियंता उसकी स्वीकृति जारी करता है। लेकिन आज हमारे क्षेत्र में दो ऐसी सड़कें हैं, एक तो हमीरवास से बास किरतान और एक बेवड़ और हमीरवास सड़क से भरिण्डा, उन पर काफी काम हो गया, फेमिन में भी दो-दो लाख का काम हो गया था, उस रेवेन्यू ट्रैक पर अर्थवर्क सारा हो गया है, लेकिन अब वह ए.ईएन. वगैरह कहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण किसी खेत को बचाने के लिए वह कहते हैं कि हम इस ट्रैक को बदलेंगे। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो स्वीकृति जारी हुई पंचायत से, पंचायत समिति ने, जिला परिषद ने जिस ट्रैक को मंजूर किया है, जिस कटानी रास्ते से वह मंजूर हुआ है, कृपया उस कटानी रास्ते को आप चेंज मत हो जाने दीजिये कुछ स्वार्थी लोगों के लिए, नहीं तो ग्रामवासियों को बेकार में कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा।

मैं तो आपसे निवेदन यही करना चाह रहा था कि हमारे राजगढ़ में दो सब डिवीजन हैं। दो सब डीवीजन और काफी लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, काफी योजनाएं पी.एम.जी.एस.वाई. की और दूसरा वहां वर्क चल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वहां कम से कम एक डिवीजन आफिस जरूर क्रियेट करें वहां ताकि लोगों को वहां सारी सुविधा उपलब्ध हो सके। दूसरे, इसके अलावा भी काफी सड़कें हैं जैसे राजगढ़-पिलानी, राजगढ़-सिद्धमुख और दूसरी जिनकी हालत बहुत खराब हैं तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय से कि उन सड़कों पर भी आप अवश्य ध्यान दें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में भी काफी सड़कें ऐसी हैं जो टूटी-फूटी हैं।

इसके साथ ही गुणवत्ता का, क्वालिटी का जिक्र यहां चला है, मैं मंत्री महोदय से स्पेशली इस बात का निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक गुणवत्ता नहीं आएगी सड़क के काम में, तब तक काम कितना ही करा लो, वह पूरा ठीक नहीं होगा। जहां तक गुणवत्ता का सवाल है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन-चार साल पहले मैं जिस राजगढ़-बैर सड़क का जिक्र कर रहा हूं, उसके कारपेट के टेण्डर हुए थे। आज देख लीजिये, चार साल में आज उस सड़क की क्या हालत हो गई ? आज विभाग में प्रवृत्ति आ गई है कि

(श्री नन्दलाल पूनिया)

बी.एस.आर. रेट से ऊपर टेण्डर चला जाता है तो उसको असैप्ट नहीं करते और बिलो आ जाता है तो उसको असैप्ट कर लेते हैं। आज जो बिलों की प्रवृत्ति है, जब तक इस प्रवृत्ति को विभाग नहीं छोड़ेगा तब तक उस काम में गुणवत्ता की हम कैसे आशा कर सकते हैं। महोदय जी, उस सड़क का आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस सड़क के टैण्डर 23 परसेंट बिलो हुए थे, राजगढ़ से बैर जो सड़क है छह किलोमीटर के पोर्शन के 23 परसेंट बिलो उसके टेण्डर हुए। जिसने यह ठेका लिया था उसने दस प्रतिशत प्रोफिट लेकर आगे सबलेट कर दिया तेईस और दस, 33 और विभाग वाले पन्द्रह प्रतिशत तो लेंगे कमीशन, चाहे सड़क बने। या न बने यह कोई जरूरी नहीं है, सड़क बने या नहीं बने, वह तो पहले ले लेते हैं, वर्क आर्डर जारी करने का भी पैसा पहले लेते हैं। मैं कुछ वह भी कमाएगा जिसने सबलैट करके लिया है, पांच-दस प्रतिशत वह भी कमाएगा। तो इस प्रकार सारा मिलाकर वह... (व्यवधान) आज 48 प्रतिशत बैठता है। यह अब 48 प्रतिशत में सौ पैसे का काम 48 पैसे में करवाने की इच्छा रखते हो और उसमें आप क्वालिटी की बात करते हो, यह कभी सम्भव नहीं है। आप अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि जो बचत की इच्छा रखकर इसका पैसा कम रखना चाहते हैं, इसको छोडिये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता था, आप क्वालिटी की जहां बात करते हैं तो सारी इस व्यवस्था को आपको बदलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा भी कटौती प्रस्ताव है मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो मिनट ही बस। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कटौती प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की क्या मंशा है ? क्या सब को बोलने दिया जाए या कोई समय नियत किया जाए, मंत्रीजी के उत्तर के लिए, कुछ सदन बताए कि क्या करें आखिर ?

एक माननीय सदस्य : पांच मिनट का टाइम दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : सब को बोलने दिया जाए, जो बोलना चाहें बोलने दें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मात्र दो मिनट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 38 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं...

एक माननीय सदस्य : पांच-पांच मिनट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष : राजकुमारी शर्मा ।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत कृपा हुई कि लम्बे इन्तजार के बाद में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी को यह बताना चाहूंगी, जिस सड़क से, अध्यक्षजी, आप गुजरती हैं, वह सड़क क्षतिग्रस्त है नवलगढ़ रोड। (व्यवधान) क्षतिग्रस्त है, उसके निर्माण के लिए बहुत पैसा खर्च हो गया है। आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी को बताना चाहूंगी कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और अपने चूरू-झुंझुनूं और पिलानी मार्ग, बहुत से लोग उस मार्ग से गुजरते है, कृपया उस पर थोड़ा ध्यान दें।

सालासरजी मार्ग पर नानी एक गांव है उस पर मेरी सड़क इतनी क्षतिग्रस्त है, वहां पानी इकट्ठा होता है, उस पर ध्यान दें। एक मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयजी को बताना चाहूंगी, बजाज रोड पर तीन स्कूलें हैं, वहां पर एक नाला है। दस साल हो गये, कांग्रेस का राज है नगर परिषद में, हर साल बरसात के मौसम में वह खोल दिया जाता है, हर साल उसमें कितना पैसा खर्च होता है, कितना नहीं खर्च होता है, किसी को पता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगी, उसकी आप जांच करवाइये। तीन स्कूलें उससे प्रभावित होती है, बच्चे स्कूल जाने से वंचित रहते हैं बरसात के मौसम में सबसे बड़ा स्कूल जैन विद्यालय, बालिका विद्यालय और एक चितलांगिया स्कूल, तीन-तीन स्कूलें और वंचित रह जाते हैं बच्चे स्कूल जाने से। न तो उस सड़क का निर्माण हो पाता है, न वह नाला अभी तक सही

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

हुआ है, न पानी कि निकासी सही है। मंत्री महोदयजी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप उसकी नगर परिषद से या किसी अधिकारी से जो भी उसमें लिप्त हो, आप जांच कीजिये और उस पर आप जरा ध्यान दीजिये।

अध्यक्ष महोदयजी, पिपराली मार्ग और एक लालसिंह कालोनी है, लालसिंह कालोनी का पानी मोडी कोठी के पास मेरे आता है। अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदयजी को बताना चाहूंगी कि मोडी कोठी के लोग इस तरह का जीवन यापन कर रहे है, वहां एक तालाबनुमा पानी इकट्ठा हो गया है, सारी लाल सिंह कालोनी का पानी वहां उधर आता है, कृपया आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिये। यह यदि नगर परिषद का दुरूपयोग है तो आप तुरन्त कार्यवाही करके जो अधिकारी वह पानी सारा मोडी कोठी में खोल रखा है, उस पर आप जरा ध्यान दीजिए।

एक मेरे पिपराली रोड पर और धोद रोड पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। धोद रोड़ पर लीलगरों का मोहल्ला है, वहां से कोई निकल भी नहीं सकता है। आप तो जाते ही हैं और अध्यक्ष महोदयजी भी वहां से गुजरती रहती हैं। अध्यक्ष महोदयजी, आपको मेरे सीकर की पूरी-पूरी बात मालूम है, धोद रोड़ पर जो नीलगरों का मोहल्ला है, वहां पर कीचड़ क्या, बरसात के दिनों में तो उनको निकलना दूभर हो जाता है। जो हमोर नीलगर भाई हैं उन्होंने मुझे वोट इसलिए दिये थे कि मैडम, सबसे पहले आप हमारा यह काम जरूर करवा देना। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे जो नीलगर भाई हैं, मेरी बहनें हैं उनका जरूर से जरूर ध्यान दिया जाए। मेरे गांव की स्थिति, अपनी लोहागरजी परिक्रमा, अध्यक्ष महोदय जी, आपका भी क्षेत्र आता है। आधा आपका क्षेत्र और आधा मेरा क्षेत्र है, 24 कोस की परिक्रमा भादवे में अपने लगती है, उसके परिक्रमा मार्ग में पहाड़ी इलाका है। मैं मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगी कि वो पर्यटन स्थल भी शकम्भरी माता का मंदिर भी है। लोहागरजी भी है, खाकी खेड़ा है, रघुनाथगढ़ है, खोरी है, नागकुण्ड है उसमें सड़क की ओर जो परिक्रमा मार्ग है वहां पर कुछ जैसे खुर्रे बनाते हैं, शोभ है। शोभ अपना पर्यटन स्थल है वहां ऋषि पंचमी को सभी लोग जाते हैं। शोभ के लोग गेहूं की बोरी अपने सिर पर रख कर ले जाते हैं, वहां पर ऊंटगाड़ी भी नहीं जा सकती है। इसलिए मैं

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)
आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आप यहां पर खुर्रे बना दीजिये। लोहागरजी परिक्रमा के बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी इसका पत्र लिखा है, उनका जवाब भी आया है, आप इस पर कृपया ध्यान दें। और बातें तो बहुत सारी हैं। मैं कुछ भाषण नहीं देना चाहती, अध्यक्ष महोदय जी के माध्यम से मंत्री महोदय जी को बताना चाहती हूं कि लिखित में विवरण आपके पास लिख दूंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम हीरालाल जी का पुकार लिया है।

श्री हीरालाल (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग संख्या 19 व 21 पर विचार हो रहा है, मैं भी इस मांग का समर्थन करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के बारे में बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें आप कृपया।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सूची दी है मैंने।

श्री हीरालाल (निवाई) : मेरे क्षेत्र की सड़कों की हालत अत्यंत खराब है। जगह-जगह टूट गयी है, जर्जर हो गयी है, इन सड़कों की मरम्मत करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं मरम्मत योग्य सड़कें निवाई बाई पास से टोंक बाई पास जो शहर में गुजर रही है, शहर में गौशाला से पुरानी चुंगी नाका रोड़ की स्थिति खराब है। बरसात में पानी भर जाता है, जयपुर से कोटा जाने का मार्ग बीच में रूक जाता है। इसको भी दुरूस्त कराने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में कुछ नयी सड़कें भी मैं प्रस्तावित करता हूं। नला से मंडाला रोड़ तीन किलोमीटर, राबली से डेडावता रोड़ तीन किलोमीटर, रजवास से बगड़ी तक तीन किलोमीटर मूंडिया से झाबडी दो किलोमीटर सिरस से मेहतापुना तीन किलोमीटर।

(श्री हीरालाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में तकनीकी पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण है उस हिसाब से पद नहीं भरने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पदोन्नति में जो जोन आफ कंसीडरेशन बनाया जाता है उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाता, जबकि नियमानुसार आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट भी दे सकते हैं लेकिन छूट देना तो दूर नियमानुसार भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाता। आज विभाग में सीधी भर्ती में कनिष्ठ अभियंता पदों पर बैकलाग चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप विभाग में बैकलाग पदों के बारे में जानकारी कराएं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने पद बैकलाग हैं। उन्हें भरने के लिए टाइमबाउंड प्रोग्राम तय करें और विशेष भर्ती अभियान चलाएं। यदि आपको आरक्षित वर्गों को अनुभव या योग्यता में छूट देनी हो तो वो भी देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक जी, यह बहुत गलत परम्परा है। हर सदस्य आकर यहां पर खड़े होकर अध्यक्ष से बात करते हैं, बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह दोनों तरफ का ही मामला है।

श्री अध्यक्ष : हां, मामला दोनों तरफ का ही है, प्रतिपक्ष के भी आते हैं। प्रतिपक्ष के भी आकर गये हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तीन आदमी आपके अभी आकर गये हैं। नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके अशोक जी बैरवा आकर गये हैं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, मैं डिप्टी चीफ व्हिप हूं, मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा ? आप मेरा नाम पता नहीं क्यों ले रही हैं ? मैं डिप्टी चीफ हूं पार्टी का और मैं सूची लेकर आया था आपके पास।

श्री हीरालाल (निवाई) : माननीय सदस्य, डिस्टर्ब नहीं करें, मुझे बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : जब परम्परा की बात चलती है तो प्रतिपक्ष के नेता खड़े होकर कह देते हैं। नियमों की बात चलती है तो परम्पराओं की दुहाई देते हैं और परम्परा हम डालते जा रहे हैं। वो परम्पराएं हैं जैसे हैं.....

श्री हीरालाल (निवाई) : वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में तीन मुख्य अभियंता...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा न, आप नियमों से चलें, तब बात है। आप परम्पराओं की दुहाई देने लग जाते हैं और परम्परा हम गलत डाल ही रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई) : आप इसके तथ्य इकट्ठे कराएं कि इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अभियंता हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण के भण्डारों के भौतिक सत्यापन की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भण्डारों में आज 10-10 साल से वोही कर्मचारी जमे हुए हैं जिससे भण्डारों का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं होता। कितना सामान आता है, कितना जाता है इसका सही ढंग से हिसाब-किताब नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें भारी घोटाला होता है। आप एक आदेश जारी करें और भण्डारों का एक निश्चित समय में भौतिक सत्यापन करें। आस-पास भण्डारों के कर्मचारियों को बदलकर नये कर्मचारी लगाएं ताकि भ्रष्टाचार नहीं पनप सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान अभियंताओं एवं ठेकेदारों के मध्य सांठ-गांठ होने व भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहूंगा। ठेकेदार और अभियंता मिलकर घटिया क्वालिटी की सड़कें बनाते हैं और उनमें भारी भ्रष्टाचार करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ईमानदार मंत्री है, आप ऐसे भ्रष्ट अभियंताओं की पहचान करें और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर भेजें ताकि भविष्य में भ्रष्टाचारियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जय हिन्द। जय भारत

श्री अध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिहं (बाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाली विधान सभा क्षेत्र की जो मुख्य सड़क है बाली से पिण्डवाड़ा जो आज सेवाडी से पिंडवाडा एम.डी.आर. में है और वाली से सेवाडी तक ओ.डी.आर. में हैं। बाली विधान सभा क्षेत्र की इस पर 65 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी गांव व ढाणियां इसी मुख्य सड़क पर आती है। आपसे निवेदन है कि इस सड़क को क्रमोन्नत करके स्टेट हाई वे में कराया जाए क्योंकि यहां पर काफी बड़ी इण्डस्ट्रीज भी है। बिनानी सीमेन्ट, बोल्कर माइन्स कभी-कभी नेशनल हाई-वे नंबर 1 जब बंद होता है किसी कारणवश तो ट्रैफिक का संचालन सभी इस रास्ते से होता है। यह सड़क एक मामूली ग्रामीण सड़क है, जब भारी व्हीकल इस पर से निकलते हैं तो इस सड़क को मात्र 6 महीने से ज्यादा समय खराब होने में नहीं लगता है। आपसे निवेदन है कि इस सड़क को आप क्रमोन्नत कराएं, उस पर विशेष ध्यान रख कर स्टेट हाइवे के दर्जे में इसको एक अच्छी सड़क आप बनाएं। सबसे जयादा आबादी इस सड़क पर है और यह मेरा सबसे बड़ा काम है। मेरे क्षेत्र में आदिवासी भी रहते हैं, लगभग 12 पंचायतें हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय महामहिम भैरोंसिंह जी शेखावत को, जब वो मुख्य मंत्री थे उन्होंने हमारे वहां कोई एक भी रेवेन्यू विलेज, एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जो सड़क से नहीं जुड़ा हो। परन्तु आदिवासी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि दो सौ-ढाई सौ की आबादी वाले जो छोटे गांव हैं वो भी हमारे जुड़ गये हैं, परन्तु मेरा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है जहां यह लोग जो पंचायत है जैसे मैं विमाणा का विवरण करता हूं वो 12 किलोमीटर रेडियस में है और विमाणा अगर आप गांव में रोड़ ले गये, वहां से दूरदराज ढाणियों में जो आदिवासी रहते है, जहां ढाणियों की संख्या पांच सौ से भी ज्यादा है, मैं कह सकता हूं उनको आप प्रायोरिटी पर करें। आपके पास एक क्लाज है पी.एम.जी.वाई. में जनजाति क्षेत्र में और मरू क्षेत्र में ढाई सौ से ज्यादा आबादी को जोड़ने का आपका जो प्रावधान है कृपया इस दृष्टिकोण को देखते हुए मेरे इस आदिवासी क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं। आज भी मजबूरन लोग बीमार को चार पहियों में डालकर 10-10 किलोमीटर सवार होकर बस स्टैण्ड पर जाकर होस्पिटल तक ले जाते हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिये

(20.00 बजे)

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

यह सड़क है बेड़ा से सरोनवाड़ा, 8 किलोमीटर की रोड़ है। लुन्दाड़ा से मालदर ढाणी, मन्दर से भारला, भीमाणा से कालीपोर, भीमाणा से तणी, गोरिया से सांभरवाडा, कोयलवाव से सचिंगटाभाटा, और कोयलवाव से चौपारी नाल, ये सड़कें आदिवासी क्षेत्र में हैं। इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। एक-एक पंचायत 12-13 किलोमीटर की रेडियस में आती है। वे स्कैटर्ड पापुलेशन में रहते हैं, सामूहिक रूप से नहीं रहते हैं। इस पर विशेष ध्यान रखते हुए इनको आप स्वीकृत कराएंगे, मुझे यह आशा है।

दूसरे, मेरे क्षेत्र में कुछ मिसिंग लिंक की भी आवश्यकता है बाली से सेसली, भीमाणा से तणी, भीमाणा से कालीबोर, कागडी से धणी, गोरिया से सांभरवाड़ा और फालना से खिदारा गांव। मेरा आपसे एक और निवेदन है कि बाली और फालना ये नगर पालिका क्षेत्र ऐसे हैं, हमारे यहां जोधपुर से उदयपुर जो वाहन जाते हैं या जो हाई-वे है, वह बाली और फालना से होते हुए जाते हैं, शहर से गुजरते हैं, उन सड़कों की चौड़ाई इतनी कम है कि वहां हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है इससे लोगों को और दुकान वालों को काफी परेशानी रहती है। वहां काफी जगह भी है। सड़क की चौड़ाई अगर और हो जाए तो इससे ट्रैफिक संतुलित चलेगा। यह मेरी आपसे मांग है।

मेरा एक और निवेदन है कि गोरिया से पदराड़ा, पदराड़ा से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का गांव है वह मात्र 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो बाड़मेर, जालौर और सुमेरपुर से कोई भी व्यक्ति अगर उदयपुर जाना चाहे तो 50 किलोमीटर की कम डिस्टेंस से लोग वहां पहुंच सकते हैं। अगर यह सड़क पास हो जाती है तो हमारे आदिवासी लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको काम करने की एक सुविधा मिलेगी और इससे काफी बचत राज्य सरकार और लोगों को होगी। जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटमोशन प्रस्ताव हैं, नाम भी है मेरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस सदन में अपने विचार रखते हुए.. (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको पुकारा क्या ? यह खुद ही बोलना शुरू कर देंगे ? आप पूछो तो सही, परमिशन तो लो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने मंत्री जो को अलाउ ही नहीं किया।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी थी कि आपको पांच मिनट का मौका दिया जाएगा और मैंने पर्ची भी दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आसन पांवों पर होता है तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये, अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिये। सवाल यह है कि मैंने मंत्री जी को जवाब देने के लिये नहीं कहा था, लेकिन सवाल यह है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना यह जिस तरह आपने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि आखिर कब तक बैठे रहेंगे, कब तक बैठना है। और कितने लोगों को सुनना है, यह फैसला सदन कर ले पहले। मैं सदन की सहमति जान रही हूं, सदन की राय जान रही हूं कि आखिर कितने समय और बैठना चाहते हैं आप लोग।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अब तो मंत्री जी से जवाब दिलवाइए।

डा. सी.पी. जोशी : सदन ने तो पहले फैसला कर लिया कि मंत्री जी के जवाब तक बैठेंगे, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह : इसीलिए कह रहे हैं, मंत्री जी का जवाब दिलवाइए अब।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के जवाब तक तो आप बैठेंगे, सदन चलेगा लेकिन सवाल यह है कि कितने सदस्य और बोलेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं समझता हूं दो माननीय सदस्य इधर से बोल लें और दो माननीय सदस्य इधर से बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तीन इधर से बोल लें और तीन-चार उधर से बोल लें। अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग पर 2-2 बजे तक बैठे हैं। मुझे याद है हम 2 बजे तक बैठे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 3 इधर से बोल लें ओर 5 इधर से बोल लें (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नाम पुकारेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक बैरवा। पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, बहुत मेहरबानी आपकी, काफी मशक्कत के बाद आपने मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम से इस मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूं और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मात्र दो-तीन मेरे सुझाव हैं। सारे दिन सदन में चर्चा रही कि सारे क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब है और सभी सदस्यों ने सड़कों को ठीक कराने के लिये अपनी मांग रखी। चाहे वह भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे निर्दलीय साथी हों, सभी लोगों ने मिसिंग लिंक सड़कों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये। मेरा तो यह निवेदन है कि बड़े उत्साह के साथ जो यह बजट पेश किया गया है, भागमभाग में यह बजट पेश किया गया है बिना पैसे के, बिना फंड के जो आज हमारी दिनभर की चर्चा रही, पैसा है नहीं सभी ने सड़कें मांगी है आप दोगे नहीं। सभी सदस्यों ने मांगी है। आलोचना करना अलग बात है पर सभी सदस्यों ने सड़कें ठीक कराने की बात कही है। आप सही बात को सही कहना नहीं चाहते, सही बात को मानना नहीं चाहते। जब भारत सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना अच्छी लगी और पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा तो वर्तमान में जो केन्द्र में भारत सरकार है, उस बात को सही माना उन्होंने उस योजना को लागू करने का मन में विचार रखा और प्रदेश को यह

(श्री अशोक बैरवा)

आदेश दिया कि ये सड़कें बनी रहेंगी, आप बनाते रहिए। अब सही बात आपने नहीं मानी। पिछली हमारी कांग्रेस सरकार ने मिसिंग लिंक सड़कें बनाई। गावों की जो सड़कें थी, 15-20 साल से टूटी-फूटी, जीर्ण-शीर्ण थीं, उनको ठीक करने के लिये बहुत बड़ा मन बनाया। 120-120 किलोमीटर हर क्षेत्र में सड़कें बनाई और उस का लाभ सबको मिला है। चाहे यह असत्य बोलें या सही बोले, परन्तु सबको लाभ मिला है। सबकी अभी मांग है कि एक-एक विधायक को कम से कम 50-50 किलोमीटर सड़क दें। टूटी-फूटी सड़कें जिनका आर.यू.आई.पी. के माध्यम से हमारा प्रथम चरण चला, द्वितीय चरण चला और मिसिंग सड़कों का निर्माण भी हुआ परन्तु मुझे उम्मीद है कि आज आपके पास पैसा नहीं है इसलिए इस बारे में भी महोदय का विचार नहीं होगा।

मेरा यह निवेदन है कि दो-तीन चीजें जो आपने मेरे क्षेत्र की भूली हैं, मेरा 163 नंबर का प्रश्न था उसमें मैंने अपने क्षेत्र की सड़कों का, जो टूटी-फूटी रह गई हैं, 120 किलोमीटर बाकायदा मैंने जिम्मेदारी से ठीक कराई थी, और 15 किलोमीटर मिसिंग सड़के भी मैने ठीक कराई थी परन्तु जो सड़कें रह गई उनका मैंने जिक्र किया और आपने यह जवाब दिया कि गांव में सरकार सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य करना चाहती है, पर यह राज्य सरकार की वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करेगा। आज बजट देखा, इसमें पैसा नहीं है। फिर भी मैं अपनी बात को निवेदन करूंगा कि जो मेरी 81 किलोमीटर की सड़कें रह गई हैं उनको आप ठीक कराने का मन बनायें, कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र से माननीय मुख्य मंत्री जी के गांव का रास्ता जाता है मध्य प्रदेश-ग्वालियर का। आपने पांच राष्ट्रीय राज मार्ग बनाये और मेरे क्षेत्र से बहुत छोटा रास्ता है ग्वालियर जाने का वाया शिवपुरी, उसको आप भूल गये। भागमभाग में, उत्साह में सब चीजें भूलते चले गये। अपना गांव भूल गये, अपना धौलपुर भूल गये, पूरा राजस्थान भूल गये और झालावाड़ भूल गये। मेरा निवेदन है कि उस गांव को जरूर याद रखें मुख्य मंत्री महोदया। ग्वालियर जाने के लिये सीधा रास्ता है खण्डार होते हुए, इस से कम से कम सवा सौ

(श्री अशोक बैरवा)

किलोमीटर की बचत होगी। इसलिए उसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित करें और जो सड़कें हमारी रह गई हैं, उनको ठीक करने का मन मानस बनाएं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पैसा नहीं है तो इस मांग को मुखबंद करके पास कराने की कृपा कर लेते। अगर आप मानस बनाएं तो एक-एक विधायक के विधान सभा क्षेत्र में 50-50 किलोमीटर की घोषणा करें, नहीं तो दिनभर की यह चर्चा बेकार है। मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके आसन तक आया। आपके दिल को ठेस लगी, इसके लिये मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। सबको जो पांच मिनट दिये मेरे पांच मिनट को बढ़ाकर 10 मिनट कर दिये जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय की उच्च सोच के कारण वर्ष 2004-05 के लिये 302.81 करोड़ रुपये की कार्य योजना के नियमित आवंटन के तहत 296.22 करोड़ रुपये के कार्य विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 877, व उससे अधिक की आबादी के सड़क से नहीं जुड़े 1343 गांवों को भी डामर सड़क से जोड़ने के कार्य के लिये गये हैं। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदया और सार्वजनिक निर्माण मंत्री का मैं बहुत-बहुत आभारी हूं दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि राज मार्गों पर छोटे-छोटे गांव बसे हुए हैं। छोटी-छोटी ढाणियां बसी हुई हैं। उन ढाणियों में गरीब तबके के व्यक्ति रहते हैं। उनके वहां रोड़ को क्रास करने के लिये आना-जाना पड़ता है। अचानक किसी वाहन के क्रास करने पर वह गरीब व्यक्ति मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे स्थान जहां रोड़ के किराने ढाणियां बसी हुई हैं, वहां थोड़े-से बैरियर लगा दिये जाएं ताकी वाहनों की गति रूक जाए और उनके ऊपर कोई ऐसा आघात नहीं पहुंचे। उसे स्पीड ब्रेकर कहते हैं।

(श्री बंशीलाल खटीक)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं जाकर समय की सीमाओं में बंधा हुआ हूं और आपके आदेशों की पालना करूंगा। अब मैं आता हूं मेरे क्षेत्र के ऊपर। मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजसमन्द पंचायत समिति के बाड़ा से तासोल रोड़, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बाड़ा से तासोल रोड़, मिसिंग लिंक नेशनल हाई-वे देवथड़ी रोड़, पिपरांथड़ी से ओडीवाड़ा मेरी रेलमगरा पंचायत समिति में खण्डेल से बगतपुरा और खटूकड़ा से बनेडिया, सूरजबाड़ी माताजी से मालीखेड़ा और कुरत से मऊ रोड़, इनको जल्दी बनाने की आप कोशिश करें, ऐसा मेरा आपने से निवेदन है। अकाल राहत में बनी हुई ग्रेवल और गिट्टी सड़कों में, वह अकाल राहत में ऐसे ही बना दी जाती है और उनके बाद में कोई ऐसी योजना उनके ऊपर लागू नहीं होती है कि उनका डामरीकरण कर दिया जाए। इसमें मेरा निवेदन है कि कोई न कोई ऐसा तरीका निकालें क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो चुका होता है और कोई काम की नहीं रहती है वह सड़क, जर्जर अवस्था में रहती है। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि उनका भी डामरीकरण कराने की व्यवस्था कराएं। अध्यक्ष महोदय, मादड़ी चौराहा से देवगढ़ तक रोड़ के लगे हुए बहुत से गांव हैं, वहां यदि रोड़ बन जाती है तो वह मार्बल होने के कारण से वह मण्डी विकसित होगी, ऐसा मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा एक निवेदन है कि हमारी केलवा-आमेट रोड़ जो पहले स्वीकृत थी, 89 लाख रूपये उसके ऊपर स्वीकृत हुए, पर न जाने क्या हुआ, वापस उसका कोई अता-पता नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से यह अरदास करता हूं कि कृपया उस ओर ध्यान देवें। जब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाता हूं तो यह एक रोड़ मुझे सताता है कि यह रोड़ क्यों नहीं बनी। आपने वादे किये थे कि यह रोड़ बना देंगे पर अभी तक नहीं बना। मैं मंत्री महोदय से एक यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें कच्ची हैं, कितने रोड़ से जुड़े हुए हैं, यह सब जानकारी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मुझे मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र का पूरा एक मेप बनवाकर देने का आपके अधिकारियों को आप निर्देश दें और मुझे अवगत कराएं वह मुझे एक सूची उपलब्ध करवाएं तो मैं भी देख सकता हूं कि उसमें कौनसा कच्चा है, कौनसा जुड़ा, पक्का है।

(श्री बंशीलाल खटीक)

अध्यक्ष महोदय, मैं समय-सीमा में बंधा हुआ हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ, अन्त में आपका बहुत-बहुत अभिवादन, अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। वैसे भी मुझे आप बारबार टोकते रहते हैं, आज दिन तक के लिये आपने मुझे टोका इसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, बहुत-बहुत। श्री सी.पी.जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का ज्ञानवर्द्धन करना जरूरी है, मैं कुछ बिन्दुओं पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा फिर अपनी बात संक्षेप में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, पेज 33 पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो व्यय राशि बतायी है वह 1706 करोड़ रुपये बतायी है और 2002-2003 में 377.10 करोड़ व्यय राशि बतायी है। 2003-04 में 231.66 संशोधित राशि के मुकाबले 174.19 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 2002-03 में 377 करोड़ रुपये खर्च किये, 2003-04 में 174 करोड़ रुपये और उसके बाद में जो भी नयी योजना बनायी है उसमें आपने प्रस्तावित किया है 274 करोड़ रुपये मैं मंत्री महोदय का खाली यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब आपकी दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 की 1706 करोड़, रुपये की है, ये जो 3 साल की आपकी वित्तीय उपलब्धियां हैं, क्या अगले 2 साल में आप एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की स्थिति में होंगे। कृपया आप जब उत्तर दें तो इस पर जरूर ध्यान आकर्षित करें कि हम आखिर में कर क्या रहे हैं।

मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने उपलब्धियां की हैं उन उपलब्धियों के सम्बन्ध में माननीय कटारिया साहब पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे, तब जो हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें 2002-03 तक हमारे पास राशि उपलब्ध थी 531.83 करोड़ रुपये, उसके अगेंस्ट में हमने खर्च किया 190.63 करोड़ रुपये 2003-04 में क्युमेलेटिव उपलब्ध राशि 712.99 करोड़ रुपये थी, हमने खर्च किये 450.05 करोड़ रुपये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...(व्यवधान) थोड़ी देर और होने दो, फिर ठीक कर लेंगे अपन।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें। बैठेबैठे नहीं बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित इसलिये करना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, कि जिस तरह का एक पैकेज बना दिया गया, अलग-अलग रोड़ का एक पुल बना दिया है, 4 करोड़, 5 करोड़ का क्लब बनाकर यह सारा जो विभाग ने निर्णय लिया है, यह अनसांइटिफिक है। यह टोटल व्हिमसिकल है अपने ठेकेदारों की कैपेसिटी के आधार पर अलग-अलग रोड़ को क्लब बनाकर हमने पूल बना दिया कि इससे नीचे कोई काण्ट्रेक्टर काम नहीं कर सकेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि पूल कराकर बड़ा काण्ट्रेक्टर काम ले रहा है और छोटे काण्ट्रेक्टर को सब-लैट कर रहा है और हमारी क्वालिटी के साथ कम्प्रोमाइज हो रहा है इसलिए फिजीकली हमने 450 करोड़ की उपलब्धि की होगी 2003-04 में, लेकिन 2001, 2002, 2003 में हमारी उपलब्धि केवल 190 करोड़ रूपये की है। मैं आपका खाली यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कृपया अब समय आ गया है, हमने फिजीकली उपलब्धियां प्राप्त कर लीं। लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना चलेगी, इस सड़क योजना में जिस तरह की व्यवस्था विभाग ने की है वह व्यवस्था कण्ट्रेक्टर के पक्ष की व्यवस्था है। उसने सबलेट कर दिया, पैरी काण्ट्रेक्टर को आदमी पैसा कमा रहा है और क्वालिटी से कम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं आपसे सानुरोध करना चाहता हूं कि कृपया इस बारे में दुबारा रिव्यू करें। और रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जो हमारा काण्ट्रेक्टर, ठीक ढंग का काण्ट्रेक्टर है उसकी हैसियत ठीक है, ठीक ढंग का काम कर रहा है तो उस आदमी को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। यह पूल करके काण्ट्रेक्टर जिस तरह से विभाग के साथ ज्यादती कर रहे हैं...(व्यवधान) हां, मेरे टाइम पर हुआ तभी मैं कह रहा हूं हां, मैंने बेईमानी की तभी बोल रहा हूं मैं।

मैं इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि यदि समय रहते माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यदि इस व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे तो प्रधान मंत्रीयोजना का जितना पैसा हम उपयोग में ले रहे हैं उस पैसे के उपयोग का हमारे को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिये मैं आपसे जरूर आशा करता हूं।

(डा. सी.पी. जोशी)

आपने परिवर्तन किया, सब जगह परिवर्तन किया है, परन्तु पी.डब्ल्यू.डी. में कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन इसलिये नहीं किया, 2003-2004 और 2004-2005 के आप देख लें। 2004-2005 में जो आपने बजट दिया है 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय सड़क निधि में दिये, मिसिंग लिंक के नाबार्ड आर.आई.डी.पी. में 151 करोड़ रुपये। 151 करोड़ रूपये पर पिछली सरकार जो आपका पैसे का कम्पोनेंट है लोन लेने का, उससे वह जुड़ा हुआ है। आपने उस समय पूछा कि कंसोलीडेट फण्ड में कितना पैसा होगा ? यह व्यवस्था तो हम भी कर रहे थे। उस व्यवस्था में आप नयी व्यवस्था क्या कर रहे हो ? जो व्यवस्था कांग्रेस की सरकार कर रही थी उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का अर्थ परिवर्तन है तो परिवर्तन ठीक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कमी थी कि कुछ सड़कें हमने दे रखी थीं कृषि उपज मण्डी को, कुछ सड़कें दे रखी थीं, पी.डब्ल्यू.डी. को आपको सबसे बड़ी आवश्यकता है, आपमें जिस तरह का, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ डिपार्टमेंट्स उन्होंने एक साथ किये। इरिगेशन का डिपार्टमैंट किया, सी.ए.डी. किया, ये सब डिपार्टमैंट क्लब किये। आज यदि सड़क को हमें ठीक ढंग से करना है तो यह निर्णय करना पड़ेगा कि सड़क का काम कृषि उपज मण्डी करेगी या पी.डब्ल्यू.डी. करेगा, या माइन्स डिपार्टमेंट करेगा या टी.ए.डी. करेगा। या कौनसा डिपार्टमैंट करेगा ? यदि आपने इसी ढंग से काम किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूं कि यह जो लक्ष्य आपने 2004-2005 का रखा है, उस लक्ष्य को आप ठीक ढंग से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आंकड़ों के आधार पर कुछ भी कह दें, 2004-2005 का बजट है वह इस बात का ...(व्यवधान) तगारामजी, आप बैठो, आप बाद में बोल लेना। विराजिये। आप बाद में बोल लेना, विराजिए। बोल लेना।(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बोरोइंग मनी, क्योंकि यह वह मनी है जो राजस्थान की जनता पर टैक्स लगा रही है जो पैसा हम ले रहे हैं, नाबार्ड से ले रहे हैं, वह हमें चुकाना पड़ेगा। चाहे आप स्वैप कर रहे हैं- हम चार परसैंट से कर लें, पांच परसैंट से कर लें, सात परसेंट से कर लें, आप कर सकते हैं... (व्यवधान) बालो, बोलो आप। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सी.पी.जोशी साहब बोल रहे हैं। लो कर लो आप तो।

श्री तगाराम चौधरी : आज जितनी भी चर्चा चली है उसमें सारी... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ आर्डर है इनका।

श्री हेराराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका ?

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 269 के सब रूल-9 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी सदस्य जब बोल रहा है तो उसके बीच में कोई किसी प्रकार की टोकाटोकी नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) आप कहें तो मैं पढ़ दूं। कार्यवाही में रूकावट नहीं डालेगा, चीत्कार नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा और सदन में भाषण दिये जा रहे हैं तो साथ-साथ उनको टोकाटोकी नहीं करेगा। यह बीच-बीच में टोकाटोकी कर रहे हैं। ...(व्यवधान) नहीं, तो ठीक है टोकाटोकी ? ठीक है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य। हेमारामजी, बोलिये आप।

श्री तगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिनती भी चर्चा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर चली है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कीजिए। दो मिनट दिये हैं आपको।

श्री तगाराम चौधरी : मैं एक ही मिनट में, अध्यक्ष महोदय, मेरे वहां की जो सड़कें हैं, मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक सड़कों के बारे में...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो बोले ही नहीं कि यह बीच में बोल रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी : एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका पूरा हुआ तो आप बैठ क्यों गये ?

डा. सी.पी. जोशी : मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तगारामजी, कृपया आप बिराजिये। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बोलिये।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर सड़क सभी चाहते हैं। सड़क का पूरा पैसा आपके पास नहीं है तो हम आपसे क्या आशा करेंगे ? से मैंने बात कही, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। आप भी देखिये पेज 25, प्रतिवेदन का, अकाल राहत में आप देखिये। सम्वत् 2049 में 149.7 करोड़ रुपये की लागत से हमने बांध रिपेयर का काम किया है। डी.ए.डी.पी. में 2332.08 लाख रुपये का काम किया है। माननीय मंत्री महोदय, एम.पी. फण्ड का देखिये और एम.एल.ए. फण्ड का देखिये कि 34.07 करोड़ रुपये का एम.एल.ए. का फण्ड और 44.15 करोड़ रुपये का एम.पी. फण्ड, यह पैसा भी सड़क पर खर्च हुआ है और अकाल राहत का पैसा भी हम खर्च करते हैं। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया जो गिट्टी तोड़ते हैं अकाल राहत में, उस गिट्टी को लिंक नहीं करेंगे मैटीरियल के साथ में, तो हमारा बहुत बड़ा पैसा जो अकाल राहत में खर्च हो रहा है। वह अलग व्यर्थ खर्च हो जाता है और सड़क का काम हमारा नहीं होता। आज भारत सरकार ने एक नया काम किया है कि महाराष्ट्र पैटर्न पर हंड्रेज डेज का जाब सबको मिलेगा। 100-50 डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट भी आएंगी टू बिगिन बिथ प्रारम्भ करने के रूप में, राजस्थान की जितनी डिस्ट्रिक्ट में भारत सरकार के पैसे से हम जो एम्पलायमैंट गारन्टी स्कीम लागू कर रहे हैं, उस एम्प्लायमैंट गारन्टी स्कीम में आप एक ही काम हाथ में लें। मैं फिर कहूंगा

(डा. सी.पी. जोशी)

कि राजस्व गांव आपने जो लिखा हुआ है उस राजस्व गांव की टू थर्ड जनता ढाणी में रहती है। राजस्व गांव में रहने वाले वन फोर्थ आदमी को सड़क से जोड़ दिया, टू थर्ड जनता जो ढाणी में रहती है, मजरे में रहती है, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर रोड़ से, राजस्व गांव का पार्ट होने के कारण उनको वह सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उस राजस्व गांव, मजरे और ढाणी की वह जनसंख्या, जो वहां 100 या 50 घर रहते हैं उनको सड़क से जोड़ने के लिए यह जो भारत सरकार योजना लागू कर रही है या हमारी पंचायत के अन्दर जो स्पेशल स्कीम का पैसा आ रहा है, जिसमें रोड का काम हो रहा है, उसमें इसके साथ टाई-अप करें। ढाणी और मजरे में रहने वाले लोग जिन्होंने कोई गलती नहीं की, केवल मात्र राजस्व गांव के जो पार्ट बने हुए हैं, उनको भी सड़क से जुड़ने का लाभ मिलेगा और जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि यहां पर दो किलोमीटर और तीन किलोमीटर से बीमार होने के बाद आदमी को सड़क पर लाने के लिए हमारे कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं है वह कम्युनिकेशन की व्यवस्था भी इसके साथ जोड़ सकेंगे। इसके सम्बन्ध में भी आपको निश्चित तौर से कोई विचार करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नहीं समझाता हूं कि मुझे एक यह बात कहनी चाहिए। आप कहेंगे कि आप सरकार में थे. आपने क्या किया। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब समय आ गया है कि विभाग में बी.एस.आर. का जो कंसेप्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह बिलों बी.एस.आर. क्यों अलाउ करते हैं ? आपका जो विभाग है, हमारा जो विभाग है, सरकार का विभाग है, वह एक रोड़ की पर किलोमीटर की डिस्टेंस फिक्स कर दे कि पर किलोमीटर पर कारपेट कितना होगा, बिड्थ कितनी होगी, बिटुमिन कितना लगेगा। उस बिटुमिन के आधार पर आप कह दीजिए कि एक किलोमीटर की रोड हम दो लाख रुपये में बनाएंगे तीन लाख रुपये में बनाएंगे। विभाग फैसला कर लें, उससे नीचे की बी.एस.आर. अलाउ नहीं की जानी चाहिए। फिर उसकी क्वालीटी की मानिटरिंग करने का काम विभाग के इंजीनियर का होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक से हम लोन ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के लोन में क्या स्थिति बनी हुई है ? वर्ल्ड बैंक के लोन में एक किलोमीटर सड़क की दस साल की एज मानकर जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, उसके आधार पर

(डा. सी.पी. जोशी)

हमें समझने की आवश्यकता है कि यह बी.एस.आर. का जो कंसेप्ट है वह बी.एस.आर. का कंसेप्ट एक नैक्सस बना रखा है, इंजीनियर्स के साथ और कांट्रेक्टर के साथ में, जिससे क्वालिटी से कम्प्रोमाइज हो रहा है लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही है और हम बी.एस.आर. के मोह में पड़े हुए हैं। आज समझ आ गया है कि हमें बी.एस.आर. के सम्बन्ध में फैसला करना चाहिए। वैबसाइट पर आप बताइये आपके विभाग के इंजीनियर्स के साथ में जो प्राइवेट पार्टी आ रही है वह फैसला कर ले कि इस सड़क के ऊपर पर किलोमीटर सी.डी. वर्क के आधार पर दो लाख रुपये लगेंगे, चार लाख रुपये लगेंगे तो चार लाख रुपये के नीचे आप बी.एस.आर. के काम को मत ले जाइये भगवान के लिए अन्यथा जितना पैसा हमारा आ रहा है, वह पैसा साइफन हो रहा है। थर्टी टू फोर्टी परसेंट पैसा केवल मात्र इसलिए साइफन हो रहा है कि बिलो बी.एस.आर. का काम अब विभाग सहन कैसे कर रहा है। इंजीनियर्स उसे मान कैसे रहे हैं ? जिस विभाग ने टेण्डर निकाला कि इस रेट पर यह बनेगी और बिलो बी.एस.आर. की रेट के अन्दर वह टेण्डर एम.बी. भर रहा है और हम टेण्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब उस चीज में या तो विभाग गलती पर है या कांट्रेक्टर गलती पर है, कोई न कोई एक आदमी गलती पर है। इस पर भी अब समय आ गया है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या बी.एस.आर. के सम्बन्ध में विभाग की कोई नीति बन सकती है या नहीं बन सकती है। इसके सम्बन्ध में यदि हमने फैसला नहीं किया तो पी.डब्ल्यू.डी. पर हम कितना भी पैसा खर्च कर दें, कितने ही किलोमीटर हम सड़क बना दें लेकिन वह किलोमीटर सड़क लम्बे समय तक सज्टेन नही करती है। उसकी क्वालिटी मेनटेन नहीं होती है और आगे जाकर वह कोलेप्स होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप स्वयं को मालूम है कि भारत सरकार ने अलग-अलग समय पर हमें पैसा दिया। आपको याद होगा। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : सी.पी. जोशी साहब, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि समय पांच साल बाद आएगा।

डा. सी.पी. जोशी : समय जब आया अच्छा होगा। गुंजल साहब, भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मंत्री थे तब भी आ सकता था और आज शुरू करें

(डा. सी.पी. जोशी)

तो भी कोई तकलीफ नहीं है। राजेन्द्र राठौड़ साहब कर लें तो कोई तकलीफ नहीं है। किसी न किसी को तो प्रारम्भ करना पड़ेगा। मैंने गलती की है तो आप गलती मत करो।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं तो नया सदस्य हूं। जिस अन्तरात्मा की आवाज से आप बोलते हो, या तो आपकी आत्मा उस समय पांच साल सोई रही या वैसा चिन्तन आपकी पार्टी का नहीं था।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मेरा चिन्तन और मेरी पार्टी का चिन्तन और सब चिन्तन कभी मंत्री बनेंगे तब पता पड़ेगा कि क्या होता है। अभी वहां बैठकर चर्चा करना सरल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज सम्भव है। मैं चीज कोई ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपको मंत्री बनने के बाद बहुत दिक्कतें आयी थीं क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : आपको नहीं आ रहीं, भगवान करें, धन्यवाद। नहीं आ रहीं ? पांच साल बाद करेंगे बात। ...(व्यवधान) आप सहकारिता मंत्री हैं, आप अपने विभाग की, दूसरे की बात करें। मंत्री के रूप में कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी आप और सब मिलकर राजस्थान की जनता को कैसे सुविधा कर सकें, उसमें चर्चा करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : अनुभवों के आधार पर सुझाव दे रहे हो ? आप अनुभवों के आधार पर दे रहे हैं सुझाव।

डा. सी.पी. जोशी : आप अपने अनुभव से 120 आदमी मिले हो, उसका जवाब दे देते, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा सुझाव मत मानना। मेरा काम विरोध का है और मैं अपनी बात कह रहा हूं, मत मानना। मैं थोड़े ही कह रहा हूं कि आप मेरा सुझाव मानो ही मानों।...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : यह सुझाव है। मिसिंग सड़कें हैं, सड़कों का...(व्यवधान) पैसा दिलवा देना, हम आपका सुझाव मान लेंगे।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैं कह रहा हूं, मैं कोई सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना धर्म है। मेरा अपना धर्म है, उस धर्म का निर्वहन कर रहा हूं। मानना या नहीं मानना सरकार की इच्छा है। लेकिन हम कल यहां लिखवा कर यह कह सकें कि हमने सरकार को अपना ध्यान आकर्षित किया और आप हम सब मिलकर यह हमने रखा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्यपा.. महोदय के सामने भाषण रखा तो कहा, सभी मिलकर राजस्था. .ो आगे .ढ़ाना चाहते हैं। आपने ठेका .. लिया और आप बढ़ाना चाहते . तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, ह.. तो सब मान लें।...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : श्री जोशीजी, हमारा भी ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा, उन परेशानियों का भी उल्लेख करो न जो मंत्री रहते हुए आपके सामने आयीं ? जो मंत्री के रहते हुए आपके सामने आयी, जो अब अनुभव में बदलकर आप बात कर रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब बनो तब ट्रेनिंग लेने चले जाना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : एक किलोमीटर का पैसा भी किसी सदस्य को नहीं देंगे किसी क्षेत्र में। आज यह परेशानी मंत्री महोदय के सामने है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सोच लें कि यह बने कि नहीं बने।

श्री हेमाराम चौधरी : यह आप ज्ञानवर्धन अलग से कर लेना ।...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनके लाभ का अनुभव हमें मिल जाए तो यह सोच लें कि यह बने कि बनें कि नहीं बने। इसलिए ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब, माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। अब समाप्त करें।...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, आपका स्मरण होगा कि भारत सरकार ने राजस्थान में अलग-अलग समय में पैसा दिया है। धौलपुर इलाके में डाकू उन्मूलन के सम्बन्ध में सड़क का पैसा हमें मिला है। हमारा जो बार्डर इलाका है उसका बी.ए.डी. का पैसा हमें मिलता है। पैसा मिला है सड़क बना लेते हैं। उसकी मैंटिनेंस के सम्बन्ध में पैसों का प्रोविजन नहीं कर रखा है हमने। सड़क बना दी हमने उसकी मैंटिनेंस का प्रोविजन आज दिन तक नहीं । वह सड़क कोलेप्स होगी, खतम होगी। मैं समझता हूं आज समय आ गया है, हमें भारत सरकार से स्पेशल स्कीम का जो पैसा मिल रहा है- चाहे वह डाकू उन्मूलन के सम्बन्ध में मिल रहा हो, चाहे बी.ए.डी. के सम्बन्ध में मिल रहा हो, उसकी मैंटिनेंस के सम्बन्ध में भी हमें कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे लम्बे समय तक ये बातें कर सकें।

अन्त में एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वालिटी से कम्प्रोमाइज, आज जमाना राइट टू इन्फोर्मेशन का आ गया है। उस रोड़ पर भी कि कितनी उसकी थिकनैस है, कितनी उसकी बिड्थ है, कितनी उसकी लागत है यह सब जनता को मालूम होना चाहिये। यह मालूम केवल कान्ट्रेक्टर को है कि कितनी थिकनैस है, उसकी थिकनैस में कितनी कमी हो रही है। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स कर रहे हैं तो वह कमीशन इस बात पर कर रहे हैं। वह रोड़ 12 फीट बिड्थ की है, 20 फीट बिड्थ की है या उसके अन्दर कितनी गिट्टी लगायी है, उसके अन्दर बिटुमिन लगाना है, उसकी थिकनैस कितनी होगी, यह स्पेसीमैन की जानकारी जनता के प्रतिनिधि को भी नहीं है। जनता को भी नहीं है। यह जानकारी केवल मात्र कान्ट्रेक्टर और इंजीनियर्स को है। वहीं एक जानकारी है जिसके आधार पर यदि बिटुमिन हम कम लगाएं तो बिटुमिन का जो प्रोफिट है, वह प्रोफिट इतना ज्यादा होता है कि मजदूर को मजदूरी करता है उससे ज्यादा प्रोफिट यदि बिटुमिन की लेयर को कम करते हैं तो उतना प्रोफिट यदि बिटुमिन की लेयर को कम करते हैं तो उतना प्रोफिट उसको मिल जाता है। अब वर्ल्ड बैंक के आधार पर हमने यह फैसला किया है मैंटिनेंस के आधार पर यह काम करेंगे। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको इनबिल्ट कर दीजिये चाहे सड़क किसी में बने। मेन्टीनेंस का काम कौन करेगा ? मैंटिनेंस के काम के लिए इनबिल्ट जो आप कान्ट्रेक्ट कराएं उसके साथ बना दें क्लाज, कोई तकलीफ

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं है, पर एक साथ आप जरूर कम्पीटिशन करावें। हमारे विभाग के इंजीनियर हैं तनख्वाह लेते है, उनको भी काम दो कि वे एक साल में 500 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। उनकी सड़क की क्वालिटी कान्ट्रेक्टर की क्वालिटी से बैटर है कि नहीं है, इस सम्बन्ध में पता लग जाएगा कि हमारा विभाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा विभाग केवल मात्र सुपरविजन का काम कर रहा है। एक जे.ईएन. वही काम कर रहा है, एफ.ए.ईएन. वही काम कर रहा है, एक एक्स. ईएन. वही काम कर रहा है, एक चीफ इंजीनियर भी वही काम कर रहा है। एडिशनल चीफ इंजीनियर वहीं काम करे तो फिर हमने काहे के लिये इतना बड़ा विभाग बना रखा है ? फिर तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं वे सारा काम कर लेंगे। आज के दिन कान्ट्रेक्टर्स की कंडीशन बना रखी है आपने। कोई भी कान्ट्रेक्टर जिसके पास टैक्निकल आदमी नहीं है, वह कान्ट्रेक्टर तो हो ही नहीं सकता। ''ए'' क्लास कान्ट्रेक्ट है तो उसको ए.ईएन. रखना जरूरी है। इसका मतलब हर कान्ट्रेक्टर के पास एक कोम्पीटेन्ट आदमी वहां पर है। कोम्पीटेन्ट आदमी उसके पास है तो हमारे विभाग का आदमी क्या कर रहा है ? केवल मात्र विभाग का आदमी सिगनेचर करें एम.बी. के आधार पर यह काम करें हम। विभाग का जो काम है वह काम हम नहीं कर पा रहे हैं। विभाग कोई सड़क नहीं बना रहा। यह विभाग का काम नहीं है।

अन्त में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबारी करें यह जो हम बी.ओ.टी. की बात कर हरे हैं, बूट की बात कर रहे हैं या कारपोरेशन के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं, ये सब बातें करने का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वह जनता को भुगतना पड़ेगा। हमें प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ेगी। यदि माननीय मंत्रीजी के मन में कल्पना है कि हम इनडाइरेक्ट ट्यूरिज्म के आधार पर लोगों के रोजगार की व्यवस्था करें तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वे कौनसे स्पाट हैं जहां सबसे पहले सड़क अच्छी बनावें जिससे वहां ट्यूरिस्ट जावें। ट्यूरिस्ट ज्यादा जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। वह प्राथमिकता का मैप भी माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर महोदय, आपको बनाना पड़ेगा। 2004 के बजट में यह रिफ्लेक्शन नहीं है। मुख्य मंत्रीजी की इच्छा और पी.डब्ल्यू.डी. के विभाग की इच्छा के अन्दर यह प्राथमिकता निर्धारित होनी चाहिये कि अगले चार सालों में हमने यह

(डा. सी.पी. जोशी)

आइडेंटिफाई किया है कि इन इन स्पाट के ऊपर हम सड़क बनाएंगे। ज्यादा यात्री जाएं, लोगों को इन्डाइरेक्ट रोजगार मिले तब हम कह सकेंगे कि हमारी जो इच्छा है, दोनों के साथ मिलकर हम काम कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो उत्तरदायित्व माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपको दिया है उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके इस विभाग के अन्दर भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। यह परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन होगा। अच्छा परिवर्तन हुआ है, इसका बाद में जनता फैसला करेगी। लेकिन पांच साल में आपके विभाग की रीति-नीति में परिवर्तन हो, जनता को पी.डब्ल्यू.डी. का लाभ मिल सके, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसका निर्वहन आप ठीक ढंग से कर सकें, हम यही आपसे आशा करते है। ये आंकड़े मैंने आपके आंकड़ों के आधार पर दिये हैं।

अन्त में एक बात कहकर समाप्त करूंगा। आप स्वयं आंकड़े उठाकर देख लें, माननीय मंत्रीजी, 2002-03 के पेज 81 को देखें। 91 से लगाकर 2003 में केन्द्रीय सड़क निधि में 101.12 करोड़ रुपये Which is the highest amount we have spent in the year 2003. और 2003 में हमने केवल मात्र 49.62 करोड़ रुपये खर्च किये। मैं आपका फीगर बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राष्ट्रीय उच्च मार्ग में हमने 2002-2003 में 93.79 करोड़ रुपये खर्च किये। 90 से लगाकर 2002-03 तक हाइएस्ट था और हमने 2003 में 46.44 करोड़ रुपये खर्च किये। इसलिए आंकड़ों के आधार पर हम कम्पेरिजन करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन विभाग की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करके सड़कों की अच्छी व्यवस्था हो सके, कम्युनिकेशन बढ़ सके, उसका लाभ किसान को भी मिलेगा, उसका माल मार्केट में जाएगा, उसकी हैसियत बढ़ेगी। ट्यूरिस्ट आएगा। इनडाइरेक्ट में रोजगार मिलेगा। यह जिम्मेदारी का काम आपको सौंपा है, मिस्टर राठौड़ साहब, हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की आशा के अनुरूप ऐसी सड़कें बनाएंगे जैसे कोई सड़क हेमामालिनी के गाल की तरह नहीं हो, बल्कि राजस्थान के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल तक सड़कें टिकी रह सकें। यह काम, जो आपको जिम्मेदारी दी, उसे पूरा करें। लोगों को इनडाइरेक्ट रोजगार मिल सके। यह निश्चित तौर पर करेंगे, ऐसी आपसे आशा करते हैं।.. (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी भी..(व्यवधान) आसन पांवों पर है। अपना स्थान ग्रहण करें। आसन पांव पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मिस्टर तगाराम, स्थान ग्रहण करें।..(व्यवधान) अभी बोलने वाले कम से कम 20 माननीय सदस्य और हैं।..(व्यवधान) क्या सबको बोलने दिया जाए ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी से जवाब कराओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। ..(व्यवधान) अब माननीय मंत्रीजी का नाम पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए, ऐसे तो कोई समस्या का समाधान होने से रहा। आप कम से कम 20 हैं।

श्री विजय बंसल : यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : रिप्लाई कराओ, साहब, रिप्लाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोगों में से कटौती के प्रस्ताव किसके दिये हुए हैं ? ..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : आपने सबको बुलवाया है, प्रस्ताव वाले को.. (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दिये हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके दिये हुए हैं ? बोलना चाहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पर्ची भेजी थी।..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहता हूं। ..(व्यवधान) मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दो मिनट का ही टाइम लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले यह तय हुआ था कि तीन माननीय सदस्य उधर से और पांच या छह इधर से। अब उधर से तीन बोल चुके।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दो बोले हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो बोल चुके। अब चार पहले यहां से बुलवा दीजिए।

श्री सुरेश मीणा : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, और कोई नहीं है क्या सदन में ? और कोई सदन में है ही नहीं क्या ? ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, यह किसने मना किया ?

श्री सुरेश मीणा : हम भी तो हमारी बात कहेंगे। दो उधर से तीन इधर से। इसमें यह नहीं चलना चाहिये कि ऐसा मत करो। +++ ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पैरवी क्यों कर रहे हो ? खुद बोल लिये, अब पैरवी क्यों कर रहे है?

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्रीजी को बुलाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं सबको सन्तुष्ट कर दूंगा।..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय दे रही हूं मैं दो मिनट।

एक माननीय सदस्य : दो मिनट का समय हमें भी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट बोलना है तो बोलिये। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगी। हां, दो मिनट में। आपको पता तो है नहीं, एक मिनट में क्या कहेंगे ? ..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : आपने दो मिनट का समय दिया, सड़कों के बारे में कुछ बातें मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र डांग क्षेत्र है और वहां पर दूर-दूर तक सड़कें नहीं हैं। दूसरे क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएं तो

(श्री सुरेश मीणा)

मेरे क्षेत्र में सड़क बनाई जाए। बहुत-से सदस्यों ने कहा है, मैं मंत्रीजी से सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि मंत्रीजी जिस टाइम विश्वविद्यालय में चुनाव लड़े थे तब मैं छोटा-सा था। मैंने इनके पोस्टर चिपकाए हैं रातों में। मुझे पता है इसलिए इनका आशीर्वाद रहेगा मेरे पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरा है, पूरा।

श्री सुरेश मीणा : और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पी.डब्ल्यू.डी में एस.सी., एस.टी. का जो बैकलाग है उसको भरने की कृपा करें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने बजट भाषण में 2007 तक 500 की आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने की बात कही है। डैजर्ट एरिया के लिए 250 तक की आबादी के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का इसकी जो निर्देशिका है, गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन फिर भी 250 की आबाद को सड़क से जोड़ने के लिए उल्लेख क्यों नहीं हुआ ? डैजर्ट के 12 जिले हैं उसमें, मंत्री महोदय, आपका जिला भी है अध्यक्ष महोदय, आपका जिला भी है। जो 12 जिले हैं उनमें 250 की आबादी तक के गांवों को आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का विचार रखते हैं ? रखते हैं तो फिर कब से ? जैसे 2007 का कहा 500 की आबादी, तो आपकी कौनसी समय सीमा है, कब तक जोड़ने का विचार है ? एक।

दूसरा, इसके लिए आपने अभी तक पंचायत समिति, जिला परिषद्, पंचायतों से कोई प्रस्ताव भी नहीं लिये। किसी को पता ही नहीं है कि डैजर्ट के लिए 250 की आबादी का क्राइटेरिया है। यह बात गलत हो तो आप मुझे अपने जवाब में बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री की गाइडलाइन में 250 का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है तो फिर विधान सभा के बजट भाषण में यह बात क्यों नहीं आयी ?

(श्री हेमाराम चौधरी)

तीसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसमें सरकारी रास्ता होना चाहिए। जमीन के लिए भारत सरकार कुछ भी पैसा नहीं दे रही, वहां सरकारी रास्ता हुआ तो सड़क बन जाएगी। मान लो, किसी गांव के लिए सरकारी रास्ता है ही नहीं, तो फिर उस गांव में तो कभी सड़क बनने वाली ही नहीं। इसलिए उस गांव की सड़क के लिए जमीन एक्वायर करने का प्रावधान होना चाहिए। अब एक्वायर करने पर उसका मुआवजा कौन चुकाए ? प्रथम तो राजस्थान सरकार को चुकाना चाहिए। सरकार चुकाने की स्थिति में नहीं हो तो कोई यदि ग्राम पंचायत मुआवजा चुकाने के लिए तैयार हो तो वहां तो आप जमीन एक्वायर कर लें। कई जगह कई ऐसी सड़क है कि सरकारी रास्ता तो है लेकिन बीच में सिर्फ एक खेत ऐसा आ गया जो वहां पर सरकारी रास्ता नहीं है, सिर्फ 500 मीटर का ही मामला है। वहां खातेदारी खेत है, अब वह खातेदार उस खेत में से सड़क बनने नहीं दे रहा है। अब पूरी सड़क का काम रूक गया और वह गांव किसी भी सूरत में सड़क से नहीं जुड़ सकता। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में ढार्कों का तला गांव है, आप पता कर लें, सिर्फ एक खेत बीच में है। सरकारी उसमें कटाण नहीं है बाकी सब जगह कटाण है, कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन वह रोक कर बैठ गया। अब क्या करो ? उस गांव की सड़क कभी भी नहीं बन सकती। इसलिए सरकार मुआवजा दे। सरकार नहीं दे तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या जिला परिषद् दे। वह भी कोई नहीं दे तो गांव वाले चंदा करके मुआवजा देने तक तैयार हों तो एक्वायर तो आप करेंगे। एक्वायर तो गवर्नमेंट करेगी, गांव वाले तो कर नहीं सकते। इसलिए आप इसको करने का विचार रखते हैं कि नहीं ? चौथा निवेदन यह है..

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : आप आपस में बात कर लेना..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बिलकुल बात नहीं कहूं ? मैंने आपको सुझाव ही दिये हैं। मैंने आपकी सरकार की कोई आलोचना नहीं की, मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं।

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र परबतसर डाक बंगले में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय चलता है, वहां नया डाक बंगला खोला जाए।..(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूं। आपको मेरा सुझाव अच्छा नहीं लगे तो आप मत मानना। आप सुझाव सुनना नहीं चाहो तो सुनने के लिए तैयार तो पहले हम भी नहीं थे। हम भी सुनना नहीं चाहते थे, हम को भी सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था। हमारा नशा तो उतर गया, अब आप किस नशें में हो ? आप इस सत्ता के नशे में क्यों हो ? आप तो अपना नशा मत चढ़ाओ, नहीं तो फिर देखो यह समय है।

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी : यह तो सबके लिए एक-सा है, इसलिए ऐसा मत करो। सुनो हमारी बात, करो मत करो जो आपवकी मर्जी। आप हमारी बात सुनोगे और उस पर अमल करोगे, काम करोगे, फायदा आपको मिलेगा उसका। आप नहीं करोगे, नादिरशाही करोगे, आप अगर सत्ता का दुरूपयोग करोगे तो उसका फायदा हम को मिलेगा। यह आप जानते हो।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष सहयोग करे, व्यवधान नहीं व्यवस्था बनाए रखें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बोलने भी नहीं देते हैं न।

अध्यक्ष महोदय, चौथा निवेदन कर रहा हूं कि गांवों के अन्दर सड़कों में जो रोड़ बाउंड्री है उसके अन्दर अभी आया था दिल्ली का मामला कि मकान बना दिये। वह तो अलग बात है पर गांवों में काश्तकार लोग उसके अन्दर बाढ़ बना देते हैं। इसकी वजह से क्या है, इतनी आंधी चलती है कि रेत से पूरी सड़क दब जाती है उसमें से छन-छन कर। ऐसी बाड़मेर जिले में तो बहुत सारी सड़कें हैं। इसलिए जब ए.ईएन. को पावर है। 91 का..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं ? मंत्रीजी, आप तो व्यवधान नहीं डालें।

श्री हेमाराम चौधरी : तो 91 की कार्यवाही आपने कभी की भी है क्या ? आप थोड़ा सख्ती से करें। यह तो आपकी रोड़ बनी हुई है। बहुत अच्छी है, उसमें कोई खराबी नहीं है लेकिन पूरी रेत से ढक गयी। अब आवागमन का साधन रूक गया। अब आपके खाद्य सामग्री पहुंचानी है, नहीं पहुंचा सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने दो मिनट मांगे थे, आपको पांच मिनट से अधिक समय हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : तगारामजी, बोलिये। दो मिनट का समय है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जो मिसिंग लिंक के हिसाब से दोनों तरफ से बनी हुई सड़कें हैं और थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे टुकड़े रह गये हैं..

श्री अध्यक्ष : यहां लिख हुआ नहीं पढ़ा जाता है, केवल बोला जाता है। बोलना हो तो बोलिये।

श्री तगाराम चौधरी : लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि एक कवास से माडपुरा बरवाड़ा चबा सड़क है जो साढ़े तीन किलोमीटर बीच में रही हुई है। दोनों तरफ सैंकड़ों किलोमीटर बनी हुई है, लम्बी-चौड़ी कहीं जालौर से मिलती है, कहीं जैसलमेर से मिलती है, सिर्फ साढ़े तीन किलोमीटर रही हुई है....

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका मैं भी समर्थन करता हूं, यह बना दी जाए।

श्री तगाराम चौधरी : साढ़े तीन किलोमीटर कबास से माडपुरा बरवाड़ा चबा सड़क है। दूसरी सड़क है बायतू भीमजी से बणिया चंदा धोरा आठ किलोमीटर, उसके भी दोनो तरफ डामर बनी हुई है और पंचायत मुख्यालय भी उसके बीच में है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी सड़क पूनियों का तला से मंगल्या का तला 5 किलोमीटर है। चौथी सड़क है चोकला से रेवाड़ी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय तगारामजी, आप मेरे को लिख कर दे देना।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 19 और 21 के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे पुकारा गया है, अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया है। ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यान रखें।..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, परबतसर में जो पुराना डाक बंगला था उसमें अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय चल रहा है। स्टेट हाई-वे पर हैं परबतसर, वहां पर वी.आई.पीज. आते-जाते रहते हैं, तो वहां डाक बंगले में भवन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : एक खड़े रहें।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पी.डब्ल्यू.डी. का जो रैस्ट हाउस था उसमें अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय चल रहा है। कृपया अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के लिए इस बजट में राशि स्वीकृत की जाए। ..(व्यवधान) खेतड़ी कापर चबड़ा सड़क जो कम्पनी द्वारा बनायी गयी थी, आज कम्पनी की हालत बिलकुल जर्जर है ऐसी स्थिति में कापर से चबड़ा की सड़क को राजय सरकार के अधीन करके उसका दोबारा से डामरीकरण करवाया जाए। इससे हमारी कम से कम 10 पंचायतें प्रभावित होती हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा कोई भी सड़क बनायी हुई नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को बोलने का समय तो दिया जाए। अध्यक्ष महोदय. हमारी पार्टी के कम से कम एक व्यक्ति को बोलने का समय तो दिया जाए।

श्री दाताराम गुर्जर : खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो अभी 100 दिन की कार्ययोजना में चार सड़कें बनी हैं उनके अलावा पांच वर्ष में कांग्रेस के शासन में एक भी नयी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जो सड़क 100 दिन की कार्य योजना में आपने बनायी है..

श्री बहादुर सिंह गोदारा : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के कम से कम एक व्यक्ति को तो बोलने के लिए मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : एक समय में एक ही बोलें।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : मर्जी आये जो बोलने खड़े हो जाते हैं। आप उनको इजाजत दे देती हैं और हम बोलते भी नहीं। कभी-कभी समय मांगते हैं तो समय नहीं दिया जाता। इसलिए इनेलो के एक माननीय सदस्य को तो कम से कम बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : तो आप उन्हें तो बोलने दीजिये पहले।

श्री दाताराम गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है, उसमें सीमावर्ती सड़कें जो आज तक मिसिंग लिंक की पड़ी हुई हैं, आज तक कभी भी किसी भी शासन में पूरी नहीं हो सकीं।

खेतड़ी कापर जो देश का सबसे बड़ी ताम्र परियोजना है, उसने कापर से चबड़ा तक की एक सड़क का निर्माण कराया था। लेकिन उसके बाद में कम्पनी की हालत बिलकुल जर्जर हो जाने के कारण उसका रख-रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। कम्पनी के अधिकारियों से जब बात की गयी तो उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि इस सड़क का पुनर्निर्माण कराया जा सके। ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कापर से चबड़ा सड़क को राज्य सरकार के अधीन लेकर उसका पुनर्निर्माण कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी में एक मात्र रैस्ट हाउस राज्य सरकार का है जो रजवाड़ों के टाइम का है, इसमें अधिशासी अभियन्ता कार्यालय चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी मेहमान या चीफ गैस्ट वहां आए तो ठहरने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के भवन का निर्माण कराया जाए। मिसिंग लिंक के जितने भी आज तक बचे रहे हैं वे प्रस्ताव मैंने मंत्री महोदय को भिजवाये हैं, जिनमें एक डाबला-पपोरला के नाम से सड़क है। जयपुर से खेतड़ी को सीधा जोड़ने के लिए बहुत अच्छी साधन की व्यवस्था है और दूरी भी कम हो जाएगी। मात्र तीन किलोमीटर के टुकड़े के अभाव में आज तक करीबन पांच साल तो ये निकल गए। यह सड़क मेरे पिताजी ने 1987-88 में स्वीकृत करवाई थी और भारतीय जनता पार्टी में जब भैंरोसिंह जी की सरकार थी 1990 में उसमें वित्तीय स्वीकृति द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन उसक बाद में आज तक उस सड़क की ऐसी स्थिति है कि वहां साधन तो क्या आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। अगर थोड़ा-सा अन्धेरा हो तो आदमी एक किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकता।

(श्री दाताराम गुर्जर)

आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खेतड़ी में जो भी मुख्य सड़कें जैसे निजामपुर से खेतड़ी और नीम का थाना जिसको शाहपुरा-राजगढ़ बोलते हैं, इन सड़कों की जो दुर्दशा है, इसी बजट में उसकी व्यवस्थाएं कराएं। आपने जो समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीलाल ।

श्री विजय बंसल : अध्यक्ष महोदय, हमें समय नहीं मिलेगा क्या ? बजट पर भी लिखकर देने के बावजूद भी, मुख्य सचेतक के कहने के बावजूद बजट पर भी जबकि हम विपक्ष की सैकिण्ड हाइएस्ट पार्टी हैं। उसके बाद समय नहीं मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जब मैंने नाम पुकार लिया, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। कया परेशानी की बात है ?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मुझे मांग संख्या 19 और 21 के बीच में बोलने का जो शुभ अवसर दिया गया मैं अन्त: करण से आपको बहुत-बहुत बधाई देते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने...

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद तो मैं आपको दे रही हूं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लेना।

श्री बद्रीलाल जाट : मैं अपनी बात इस वाक्य के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं।

''जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं,

वह हृदय हृदय नहीं जिस हृदय में जनता की सड़कों

से प्यार नहीं''

(श्री बद्रीलाल जाट)

मै इस सदन को मेरी भावनाओं से अवगत कराते हुए यह विनती करना चाहता हूं कि या तो इस भारत में शेरशाह सूरी हुआ था जिसने सड़कों का जाल बिछाया था या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़को का जाल ऐसा बिछाया जिसके माध्यम से उनका नाम गांव-गांव ढाणी-ढाणी प्रत्येक स्टेट में, भारत में स्वर्णिम अक्षरों में सदैव, जब तक वह रहेंगे तब तक लिया जाएगा, मैं इस अवसर पर राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शेरशाह सूरी से बढ़कर अटल बिहारी वाजपेयी हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के समानान्तर मैं आपको कहता हूं कि आपका नाम सदैव इस राजस्थान की धरा पर गूंजता रहे, ऐसा कार्य करके दिखाएं। मैं आपसे विनती करते हुए यह कहना चाहता हूं। कि सड़कों का महत्व उसी तरह है जिस तरह शरीर में रक्त की धमनियां और शिराएं मिलकर इस शरीर को व्यवस्थित रूप से मानव जीवन प्रदान करती है।

किसानों के हित के लिए सड़क की महती आवश्यकता है। उसकी जो उपज है वह उचित मूल्य पर उचित स्थान पर बिके, उसके लिए गांवों में सड़कों की महती आवश्यकता है। उसको मद्दे नजर रखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो छोटी-छोटी बातें हैं, वह आपको बताने का अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद।

मेरी सबसे बड़ी मांग है सार्वजनिक निर्माण विभाग से, मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि जब मैं महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ का वाइस प्रेसिडेंट था उस समय ललित किशोर जी चतुर्वेदी एवं श्री हरिशंकर जी भाभड़ा साहब वहां पधारे थे। उसी दिन कपासन विधान सभा में एक रत्नाबाब जी का घाटा है वहां नाव की दुर्घटना से 19 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। काल के अभाव अभियोग में उस दुखान्तिका में उन सबकी मृत्यु हुई । उस कार्यकाल के बाद आज दिन तक उसमें केवल अकाल राहत के आठ लाख रुपये स्वीकृति हुए। परन्तु दुर्भाग्यवश वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया। मैं पुन: विनती करूंगा, आग्रह करूंगा इस सदन के माध्यम से कि कपासन विधान सभा की जो 12 पंचायतें भदेसर में पड़ती है, भदेसर मुख्यालय होने के बावजूद उसका जो कट आउट है, उस क्षेत्र को जोड़ने की एक बहुत बड़ी मांग सदैव रही है रत्नावाव जी के घाट को, उसमें एनीकट का निर्माण कर उस क्षेत्र को मुख्यालय से जोड़ा जाए। यह विनती सदन से करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री बद्रीलाल जाट : दूसरी जो विनती है, एक मिनट, पहली बार बोल रहा हूं सदन में और दावे के साथ कह सकता हूं कि विधान सभा का सबसे छोटा विधायक हूं, मंत्री महोदय, इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं।.. (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान का अधिकतम का सर्वश्रेष्ठ, मैं यह कह सकता हूं, सांवलिया धाम राजस्थान के कपासन विधान सभा क्षेत्र में है और दर्शनार्थी पूरे भारत से वहां दर्शन करने आते हैं। कपासन से सांवलिया जी बाली जो रोड़ है, उसकी डामरीकरण हुआ है। उसको यदि डबल सड़क कर दिया जाए या उसकी जो पटरी है वह डामरीकरण के लिए स्वीकृत हो जाए तो यह समस्त जनता एवं दर्शनार्थियों के लिए लाभान्वित होगी। उसके साथ शनि महाराज एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है कपासन विधान सभा का कपासन से सांवलिया जी शनि महाराज होकर जाते हैं उसको भी स्वीकृत कर दें तो यह बहुत बड़ी उपकृति होगी, आपका उपकार होगा। इसी के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष : अब काफी कह दिया।

श्री बद्रीलाल जाट : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ईस्ट-वैस्ट कोरीडोर योजना है वह सड़क मंगलार से होकर निकल रही है। मैं इस सदन से विनती करूंगा, क्योंकि वह स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना से जुड़ चुका है, जो हमारे अभी गृह मंत्री महोदय हैं, पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री महोदय थे, मैंने इनसे विनती की, क्षेत्र की समस्त जनता ने इनसे आग्रह किया कि इस सड़क को मावली और कपासन होते हुए चित्तोड़ से जोड़ा जाए तो यह क्षेत्र मेरे क्षेत्र की जनता के लिए सर्वोत्कर्ष कार्य होगा और जनता इससे लाभान्वित होगी।

इसके साथ मेरी कपासन विधान सभा में फलासिया गांव एक ऐसा गांव है जो अभी तक ग्राम पंचायत मुख्यालय होते हुए भी सड़क से वंचित है, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि उसको सड़क से जोड़ने की मंत्री महोदय स्वीकृति दें तो बहुत बढिया बात होगी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा।

श्री बद्रीलाल जाट : इसके साथ ही, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना का जो भाग कपासन विधान सभा की पंचायतों से निकला है, उसमें योजना में जो काम किया गया उसका मलबा पास में ही डाला गया। काश्तकार अपनी खेती के समय इसमें से जाते हैं तो वहां से पशु भी निकल नहीं पा रहे हैं और जो महिलाएं हैं वे भी नाली को लांघकर अपने खेतों का काम करने में सक्षम नहीं हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : बस बहुत कह दिया आपने, माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बद्रीलाल जाट : इसके माध्यम से मैं सदन से एकमात्र विनती करूंगा कि पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है।...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट के बजाए दस मिनट ले लिये आपने।

श्री बद्रीलाल जाट : पर्यावरण के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना द्वारा जो पैसा दिया गया मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि रोड़ के दोनों साइड वृक्षारोपण कराकर इस पर्यावरण में महती सहभागिता निभाएं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय बंसल।

श्री बद्रीलाल जाट : इसी के साथ एक शब्द कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कह दी आपने अपनी बात।द्

श्री बद्रीलाल जाट : " हवा के तेज बहाव को तूफान कहते हैं।

जो तूफान को रोके उसको पहाड़ कहते हैं।

पहाड़ों को विकास के रूप में सृजित करें उसे राजस्थान सरकार कहते हैं।

इसी बात के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब भी मंन्त्री आपके सड़क नहीं बनाएं तो बात और है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 पर बोलने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि बजट की आम बहस में मेरी पार्टी की तरफ से हमने आपको भी, सरकारी मुख्य सचेतक महोदय को भी लिखकर दिया था लेकिन इसके बावजूद भी हमको समय नहीं दिया गया। विपक्ष की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है सैकिण्ड नम्बर की, मैं आशा करता हूं कि आइन्दा इस चीज को ध्यान रखा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हन्ड्रेड डेज प्रोग्राम में मेरे क्षेत्र में भी आठ सड़कें बनी थी इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए आशा करता हूं कि इसी तरह अगर यह चलता रहा तो शायद पांच साल में राजस्थान में कोई जगह नहीं बचेगी जहां सड़कों का जाल नहीं बिछा हो।

(21.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में ब्रज 84 कोस यात्रा में डीग, कामां और पहाड़ी का काफी हिस्सा आता है, विभिन्न प्रदेशों से करीब 15-20 लाख यात्री, भक्त लोग प्रति वर्ष उस यात्रा को करने आते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में सड़कों का हाल बहुत खराब है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से आशा करता हूं। कि ऐसे धार्मिक स्थल की सड़कों के ऊपर पूर्ण ध्यान दिया जाए। गिरिराज जी महाराज गोवर्धन नाथ के नाम से जाने जाते हैं। पूरे हिन्दुस्तान के यात्री वहां दर्शन के लिए, मनौती मांगने के लिये आते हैं। मेरे और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के क्षेत्र में ज्यादा हिस्सा पड़ता है। भरतपुर से लेकर यू.पी. बार्डर तक और भरतपुर से सोख रोड़ होतु हुए गोवर्धन तक का हिस्सा अगर देखा जाए तो बहुत खराब है। मैं आशा करता हूं कि इसी सत्र में उसका ध्यान रख कर उन सड़कों को ठीक कराया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से जयपुर हाई-वे पर लुधावई से लुढाण तक की सड़क प्रति वर्ष खराब हो जाती है करीब चार किलोमीटर इसकी परमानेंट व्यवस्था कराने का मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं।

(श्री विजय बंसल)

भरतपुर शहर की एक सड़क है मुरली चित्रलोक से मालगोदाम तक जो पी.डब्ल्यू.डी. के अन्तर्गत आती है, अगर नगर परिषद् के अन्तर्गत होती तो बहुत पहले सही हो जाती। लेकिन पिछले पांच वर्षों से जाने क्या कारण है यह सड़क सही नहीं हो पा रही है। मैं अनुरोध करता हूं उस पर ध्यान दिया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की अनेक सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आने के बावजूद भी उन पर काम शुरू नहीं हो पाया है, जैसे सूती से नूरपुर, पीपला आदि मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में इन सड़कों को सुधारने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा ध्यान रखना।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह गोदारा। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर का ध्यान मेरे क्षेत्र की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं।

रावसर से दिल्ली को सड़क जाती है वह सड़क रावतसर से लेकर राजस्थान के पूरे बार्डर के अन्दर इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि उसके ऊपर कोई व्हिकल चल ही नहीं सकते है। रावसर से लेकर 15 किलोमीटर हालड़का तक सड़क की यह हालत है कि उसके ऊपर न आदमी पैदल चल सकता है, न ऊंटगाड़ा चल सकता है और न कोई व्हिकल चल सकता है, इसलिए इस सड़क को जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, गंगानगर-दिल्ली का यह मार्ग है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाया जाए और इस सड़क की मरम्मत करायी जाए।

मेरे क्षेत्र में अब भी बहुत-से गांव रह गये हैं जो सड़कों से जुडे हुए नहीं हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जाए।

मेरा माननीय मंत्रीजी से एक ही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में मिसिंग लिंक्स भी बहुत हैं मैंने आपको लिखकर भी दिया है मिसिंग लिंक्स का

(21.02 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

उन मिसिंग लिंक्स को जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। आर-पार की सड़क बन जाएगी तो न केवल डिस्टेंस बचेगा, आने-जाने के सीधे रास्ते खुल जाएंगे। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मोहन मेघवाल : दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है ? दो मिनट सिर्फ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, दो मिनट बोलने दें। बोलिये दो मिनट में।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी बोलूंगा।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 और 21 के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेवजी का मेला भादवे के अन्दर लगने वाला है, और इससे पहे मसूरिया का मेला लगता है, बाहरी रोड़ से लगा कर मसूरिया होते हुए कायलाना-अकलेरा चौराहे तक का मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। यह रोड़ अगर तैयार हो जाए तो यहां साष्टांग दंडवत करते हुए लोग परिक्रमा करके जाते हैं। इसलिये एक पाइंट तो यह है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि कायलाना चौराहे से जो चांदपोल की रोड़ है, यह ग्रेवल रोड़ हिज हाइनेंस के टाइम से बनी हुई है, अगर उस रोड़ को सही ढंग से करा दिया जाए तो जो यात्री लोग आते हैं उनके लिये सुविधा होगी।

तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि सूरसागर से कालीबेरी होते हुए नोहरा-इन्द्रो तक की यह रोड़ है, यात्री लोग इधर से ही जाते हैं तो दंडवत करते हुए जाते हैं। इसके बीच में रपटें आती है वहां पानी भरा रहता है। यहां

(श्री मोहन मेघवाल)

से लोग साष्टांग दंडवत करते हुए जाते हैं, तो ये रपटें सही करवाकर रोड़ विड्स को थोड़ा-सा बढ़ा दिया जाए तो यह बहुत ही शुभ कार्य है।

चौथा, बिदुकापड़ से सोढ़ों की ढाणी होते हुए भैंरू वाली जो रोड़ है इसका भी रोड़ बिड्थ बढ़ाया जाए।

पांचवां, बड़ली जो अन्नई जी का अड़सठ तीतरों का ग्रुप माना जाता है, बाई पास भी जाता है, बड़ली, अन्नईजी होते हुए रोड़ना, कलाची और जोहड़ तक का कार्य पूरा करा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

आपने मुझे समय दिया और माननीय मंत्री महोदय का आभारी होऊंगा कि ये कार्य जल्दी करेंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन 51 माननीय सदस्यों को , जिन्होंने मांग संख्या 19 और 21 में आज भाग लेकर अपने सारगर्भित सुझावों के माध्यम से मेरा और विभाग का मार्ग प्रशस्त किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 189 कटौती के प्रस्ताव मिले हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 48 घण्टों में इन कटौती के प्रस्तावों के माध्यम से जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने रखें हैं उनका लिखित उत्तर उनको मिल जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर आज जितनी सारगर्भित बहस सड़क के सम्बन्ध में और लोक निर्माण से जुड़े हुए अन्य विषयों के सम्बन्ध में हुई है, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि पूरी बहस के दौरान किसी भी माननीय सदस्य ने हमारी सरकार जो कि सात महीने पुरानी है उस सरकार पर और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। मैं समझता हूं जो संतोष आपने जताया है, यह आपके मन में भाव रहे, इसके लिए मैं और मेरा विभाग पूरा प्रयास करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है हमारे संसाधन सीमित हैं सीमित संसाधनों से हम जन अपेक्षाएं कैसे पूरी करें, निश्चित तौर पर यह चुनौति की बात है और चुनौती भी उस क्षेत्र में, जिसको कभी विकास की धमनी कहां गया, जिस सड़क को कभी हमारे सामाजिक सम्पर्क का मुख्य अंग माना गया, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह सड़क ही है जिस पर जहां रिक्शाचालक रिक्शा चलाकर रोजगार प्राप्त करता है, ठेलीवाला अपना ठेली का सामान बेचकर रोजगार प्राप्त करता है, वहीं लग्जरी कार वाल भी उसमें स्थान ले लेता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम आधार भूत संरचनाओं की बात करते हैं तो सड़क हमारे उन इकोनोमिक इंडिकेटर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडीकेटर्स में से एक है जो इस बात का द्योतक है कि वह प्रदेश प्रगति के रास्ते पर किस तरह से चल रहा है। आप तो स्वयं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जब गांव सड़क से जुड़ता है तो गांव में रहने वाले के जीवन-स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 56 वर्ष की आजादी के बाद यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो वास्तविक काम भी और कई सोपान चढ़ने का काम भी किया गया। परन्तु आज भी यदि हम देश के पैमाने पर बात करते हैं, देश के मापदंडों पर हम अपने यहां सड़क निर्माण को परखते हैं तो आज भी राजस्थान सड़क के क्षेत्र में बीमारू प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज सड़क के क्षेत्र में हम राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। जहां राष्ट्रीय औसत सौ वर्ग किलोमीटर में 76.80 किलोमीटर सड़क है वहां राजस्थान के अन्दर 42.20 प्रति किलोमीटर सड़क है। इसी तरह जो हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं उनके अन्दर भी हमारी स्थिति कोई सुखद नहीं है। राष्ट्रीय औसत 1.94 किलोमीटर प्रति सौ किलोमीटर का है तो राजस्थान के अन्दर 1.65 किलोमीटर प्रति सौ किलोमीटर ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में सेण्टर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनोमी, जो तय करता है कि राज्यों की श्रेणी में विकास की दृष्टि से कहां राज्य खड़ा है, उसका भी सर्वे हुआ है। 26 राज्यों के अन्दर उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडीकेटर्स देखकर जिसमें सड़क भी शामिल है, जब सर्वे किया तो यह पाया गया कि आज भी हम जहां विकास की दृष्टि से 18वें स्थान पर खड़े

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं, वहीं सड़क की दृष्टि से भी 18वें स्थान पर खड़े हैं। मैं इसलिये कह रहा हूं हमारे सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारी विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। पंजाब और हरियाणा के अन्दर जहां 5-7 किलोमीटर में गांव जुड़ जाता है वहीं जिस तरह हमारे पश्चिम राजस्थान के गांव हैं और पश्चिम राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के गांवों की बसावट इस तरह की है कि एक गांव को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो 15 से 20 किलोमीटर सड़क बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क निर्माण के अंदर जहां गांवों को सड़कों से जोड़ने की कल्पना मन में रखते हैं जहां शहर के अंदर सड़क के सुधार की बात करते हैं तो जिस तरह की आधारभूत संरचनाएं हमारे पास हैं, हमारी जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूसरे प्रदेशों की तुलना में जब हम इसका आकलन करते हैं तो राशि भी ज्यादा खर्च होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बहुत बड़ी चुनौती है, पर मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह की आशा पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए की है, हम चाहते हैं कि राजस्थान सड़क की दृष्टि से एक उन्नत राज्य की ओर बढ़े और हमारा निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि राजस्थान रोल माडल बने। भारत के अंदर जब राजस्थान की चर्चा हो तो लोग यह कहना प्रारंभ करें कि सड़कों की दृष्टि से देखना है तो राजस्थान में जाकर देखो।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम हमारे पूरे सड़क तंत्र की बात करते हैं तो मैं सदन का ध्यान उन तथ्यों की ओर लाना चाहता हूं कि आज हम कहां खड़े हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे 5655 किलोमीटर है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 8627 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़क 6117 किलोमीटर है, अन्य जिला सड़क 19603 किलोमीटर है। हमारी ग्रामीण सड़कें जो हमारा मूल आधार है, राजस्थान की जब बात चलती है तो लोग कहते हैं कि राजस्थान गांवों का प्रदेश है, राजस्थान किसान का प्रदेश है, गांवों की सड़कों की दृष्टि से आज हम 1,18,188 हैं, इन सड़कों के अंदर 20 हजार किलोमीटर सड़क ऐसी हैं जिसका जीवन पूरा हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनको 12 से लेकर 15 वर्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो गये, इनका नवीनीकरण नहीं हुआ। इसी के साथ-साथ हम प्रधान मंत्री सड़क योजना की बात भी करें, दूसरी योजनाओं की बात भी करें, उसके पश्चात भी आज की तारीख में 245 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो डब्ल्यू.बी.एम. सड़क से जुड़े हैं, 138 ग्राम पंचायत मुख्याल . ऐसे हैं जो ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं, 190 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो किसी तरह जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि विकास के महत्व के साथ, सड़क के साथ हमने कोई अच्छा इंसाफ नहीं किया। बहुत-से काम करने बाकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी खैरथल से आने वाले माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे कि जब कभी जयपुर से दिल्ली जाना होता था तो 5-6 घंटे का समय लगता था। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आज मूर्त रूप ले रही है उस समय यह कल्पना के बाहर की बात थी। इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछली केन्द्रीय सरकार की जिस तरह की भावना थी उसके अनुसार पूरे देश में तो काम हुआ ही, चाहे वह स्वर्णित चतुर्भुज योजना हो, चाहे पूर्वी-पश्चिम-उत्तरी-दक्षिणी कारीडोर हो, इस योजना के तहत हमारे राजस्थान को भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। यही कारण है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो दिल्ली से मुम्बई जाती है, उसका 722 किलोमीटर राज मार्ग राजस्थान में से होकर गुजरता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह की कल्पना इसके अंदर की गयी है, उसको यथार्थ मूर्त रूप दिया गया है। ये सड़कें विश्व स्तर की सड़कें हैं। इसके अंदर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर से किशनगढ़ छह लेन का कार्य जो बी.ओ.टी.पर चल रहा है और आगे का चार लेन का कार्य, कब तक पूरा हो जाएगा। मैं माननीय सदस्य, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2004 तक कार्य पूरा हो जाएगा और मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना के बारे में यहां कई माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं। कई चर्चाएं भी चलीं। निश्चित रूप से इस देश के अंदर पहली बार यह सोच आया कि राजस्थान का गांव, हिन्दुस्तान का गांव ओर गांव में किसान रहता है जो धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है उस किसान तक आधारभूत सुविधा पहुंचे। मैं धन्यवाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
देना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि पहली बार यह सोच किसी व्यक्ति के मन में आया तो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटलबिहारीजी वाजपेयी के मन में आया और उन्होंने दिसम्बर, 2000 के अंदर इस योजन को प्रारम्भ किया। लक्ष्य यह रखा था कि 2007 के अंदर 500 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ें। जिस गांव की आबादी 500 तक की है उसको सड़कों से जोड़ें। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान में, देश के पैमाने पर जब हम देखते हैं तो ऐतिहासिक काम भी हुआ है। दिसम्बर, 2004 तक जब, कल्ला जी, आपकी सरकार थी तब आपने 918 गांव जोड़े। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, 3770 किलोमीटर सड़क आपने बनायी।

उपाध्यक्ष महोदय, जब शासन आपने हमें सौंपा उसके बाद सौ दिन की कार्यकारी योजना की बात कहकर कई कटाक्ष कर रहे थे। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सौ दिन के अंदर टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती है, लेकिन स्वीकृतियां पहले जारी हो गयी थीं। एक इच्छा शक्ति की बात है, एक टारगेट दिया गया और उसके साथ-साथ मुख्य अभियंता स्तर पर इस चीज का मूल्यांकन किया गया कि सौ दिन का टार्गेट जो दिया है. माननीय कटारिया साहब विराज रहे हैं, इन्होंने दिन देखा न रात देखी, इन्होंने तय कर लिया कि सौ दिन के अंदर हम 986 गांवों को जोड़ेंगे, 3056 किलोमीटर सड़क बनाकर एक ऐतिहासिक काम किया, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात है।

श्री बाबूलाल नागर : इन सबका काम पहले से ही चल रहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 1343 गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति भारत सरकार ने हमें दे दी है। उस पर 596.86 करोड़ की लागत आएंगी। इसके अलावा 780 गांवों को जोड़ने के लिए 349 करोड़ रूपये के प्रस्ताव जो मापदंड के अनुसार भारत सरकार के पास विचाराधीन हैं, उसके अनुसार भारत सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति तो हमें दे दी है, लेकिन चूंकि इसमें वर्ल्ड बैंक के लोन का कम्पोनेंट भी है इसलिए जब तक वर्ल्ड बैंक से तकनीकी स्वीकृति नहीं आएगी तब तक यह स्वीकृति नहीं मिलेगी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा और मैं समझता हूं कि कुछ मुद्दों पर, कुछ विषयों पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राजस्थान के सर्वांगीण विकास की कल्पना को मन में रखना चाहिए। आज की तारीख में 686 करोड़ रूपये ऐसे हैं जो प्रधान मंत्री सड़क योजना में भारत सरकार से हमें प्राप्त हो जाने चाहिए। मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गति से काम चल रहा है उस गति से 70 करोड़ रूपये प्रति माह की रफ्तार से देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास दो ही बातें रहती हैं कि या तो जिस गति को हमने पकड़ा है उस गति को हम बीच में छोड़ दें या फिर हम सब मिलकर प्रयास करें। चूंकि भारत सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उन पर दबाव बनाएं हमारी वांछित राशि के लिए जिसको हम उन गांवों को जोड़ने के लिए दे रहे हैं जो मापदंड के अनुसार स्वीकृति भारत सरकार से लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, स्वीकृति करने का काम भारत सरकार करती है, इसलिए हमें इन सारी चीजों से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। अभी गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि डैजर्ट के अंदर 250 तक की आबादी को प्रधान मंत्री सड़क योजना में जोड़ने की गाइडलाइन है। निश्चित रूप से है। लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहले 500 तक के गांवों की स्वीकृति जारी हो जाएगी, उसके बाद 250 तक की जब 500 तक के गांव लिये जाएंगे तो सामान्य क्षेत्र में 500 हैं और हिली क्षेत्र में और डैजर्ट क्षेत्र में 250 हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार आयी और सड़कों को क्रमोन्नत करने के लिए कई साल पश्चात् 990 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग में हमने हमारे राज्य राजमार्गों को क्रमोन्नत कराया, स्वीकृत कराया। उसके अलावा हमने 2608 किलोमीटर के 17 राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिये। यह इसलिए कर रहे हैं कि जब ये हमारे राज मार्ग राष्ट्रीय राज मार्गों में क्रमोन्नत हो जाएंगे तो इनके रखरखाव तथा दूसरी चीजों के लिए, इनके अपग्रेडेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए पैसा हमें भारत सरकार देगी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, अब यातायात बढ़ रहा है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारी जो सड़क थी, जो हमारी ओ.डी.आर. थी उसको एम.डी.आर. में परिवर्तित करो, एम.डी.आर. को स्टेट हाइवे में परिवर्तित करो। इसके लिए ट्रैफिक सैंसेक्स होता है, साल में दो बार होता है, उसके अनुसार जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां उसको करके जिन सड़कों के वर्गीकरण को उच्चीकृत करना है, उसको भी करेंगे। हमने एक योजना बनाई है राजस्थान में, जो राष्ट्रीय राज मार्ग हैं उनको सुदृढ़ीकृत करने के लिए 960 करोड़ की योजना बनाकर हमने केन्द्र सरकार के पास भेजी है। उनसे प्रार्थना की है कि ये राष्ट्रीय राज मार्ग जो मानक आपने तय किये हैं उसके अनुसार यह नहीं है। इसलिए 960 करोड़ की स्वीकृतियां जब हमें प्राप्त हो जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि यह काम हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने केन्द्रीय सड़क निधि और सी.आर.एफ. की बात भी कही। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने तो बात करते-करते यहां तक कह दी कि सारी स्वीकृतियां, इस बार का जो प्रस्तावित बजट है वह सारा का सारा झालावाड़ में स्वीकृत कर दिया गया, दूसरे जिलों में उसका पैसा नहीं दिया गया है। मैं यह पूरी सूचना लेकर आया हूं, आप चाहोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि किस-किस जिले में कितना-कितना पैसा सी.आर.एफ. के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है।

सूचना

उदयपुर में पैराटीचर्स की रैली पर लाठी चार्ज

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आन ए पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में पैराटीचर्स की एक रैली पर, करीब 1500 लोगों की जिसमें 1500 शिक्षाकर्मी शामिल थे, गृह मंत्रीजी के निर्देश पर उन प्रदर्शनकारियों पर वहां लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा जिसमें 15 प्रदर्शनकारी घायल हो गये, एक व्यक्ति की आंख पर चोट आई है। 30 लोगों को गिरफ्तार करके, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरजपोल थाने पर ले जाया गया है। रमेश मीणा...

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : पुलिस ने लाठी चार्ज किया, यह गलत तथ्य सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

श्री संयम लोढ़ा : जो वहां 11 दिन से अनशन पर था, उसकी हालत खराब हो गई है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : यह गलत तथ्य सदन के पटल पर रखा जा रहा है कि माननीय गृह मंत्रीजी के निर्देश पर किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बीच में नहीं बोल सकते ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आपको राज दिया है वह जनता पर लाठियां बरसाने के लिए नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : यह कोई गम्भीर बात नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : यही गृह मंत्रीजी जब इस सदन में यहां पर बैठे हुए थे, क्या कहते थे ? ..(व्यवधान) और आज सत्ता के मद में चूर हैं। ..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : गृह मंत्रीजी ने लाठी बरसाने के आदेश नहीं दिये। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी पर यह चार्ज लगाना कि लाठी बरसाने के आदेश दिये..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : गृह मंत्रीजी के निर्देश की बात कैसे कही इन्होंने ?

श्री संयम लोढ़ा : पैराटीचर्स पर लाठी चार्ज किया है।..(व्यवधान) चोटें आई हैं।..(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द निकाले जाएं कार्यवाही से, यह निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। (व्यवधान) आप लोगों ने भी फूल नहीं बरसाये।

श्री ओम बिरला : गृह मंत्रीजी के निर्देश की बात कहकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र किया है असत्य सूचना दी है।..(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव) : बदनाम कर रहे हैं गृह मंत्रीजी को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन, असत्य इन्फोर्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत : असत्य सूचना देकर सदन को गुमराह किया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : गृह मंत्रीजी का नाम लेकर पूरे सदन को गुमराह किया जा रहा है।..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अभी मंत्रीजी को अपना पूरा जवाब करने दीजिए उसके बाद आपकी सुनेंगे।..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था तो दें आप इस पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन पर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : लाठीचार्ज हो गया तो सूचना तो देंगे। सूचना देने में क्या दिक्कत है ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, लाठीचार्ज हो जाए और इस सदन में माननीय सदस्य ने पहले सूचना दे दी..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका उद्देश्य है हंगामा पैदा करना। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इनके शासन काल में भी फूल नहीं बरसे। इनके शासन काल में भी बहुत लाठियां बरसाई गयी हैं जनता पर।

श्री ओम बिरला : गृह मंत्रीजी पर असत्य आरोप लगाए हैं, इसे कार्यवाही से निकाला जाए ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनके पास कोई विषय नहीं है और पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन उठाकर उत्तेजना पैदा करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है और इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। यह कैसा पाइन्ट ऑफ आर्डर है? ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन है। ..(व्यवधान) आपसे ज्यादा नियमों की जानकारी है।

श्री भवानी सिंह राजावत : गृह मंत्रीजी के खिलाफ जो असत्य आरोप लगाए हैं, उनको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह कोई पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन नहीं है ? ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्यों नहीं है ? आप कौन हो निर्णय करने वाले ? निर्णय करने वाला आसन है। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : आप भी नहीं हो निर्णय करने वाले।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन है। जनता ने राज दिया है आपको लाठियां बरसाने के लिए, खून बहाने के लिए ? इसलिए राज दिया है आपको ? ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर Kindly take your seat, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, एक बार आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्रीजी, आप जारी रखिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसका निर्धारण इण्डियन रोड़ कांग्रेस और मिनिस्ट्री ऑफ. ..(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आसन की अवहेलना करते हैं।..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का जवाब आने दीजिए, उसके बाद आप रखना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :...इसके मानक के अंदर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : बीच में नहीं। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा यह, आप अपना स्थान लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान के अंदर उपाध्यक्ष महोदय... .. (व्यवधान) आपने पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन दे दिया, अब क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : मैं तो स्वयं सदन में बैठा हूं इतने समय से, मेरे पास भी कोई अभी आपकी इन्फोर्मेशन नहीं है। मैं हाउस में ही बैठा हूं, मैं एकदम अचानक कैसे समाचार दे दूंगा जब तक पूरी जानकारी नहीं करूंगा ? मैं हाउस में बैठा हुआ हूं। आपको लग रहा है कि मैं कितने घण्टे से यहां बैठा हूं ? मैं बाहर ही नहीं निकला हूं, ये तो बाहर घूमते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि कुछ होता तो गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट दे देते। ऐसा कुछ होता गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट दे देते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह दे दें स्टेटमेंट।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि हुआ होगा तो दे देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर मान लो ऐसा कोई विषय है, जानकारी करने के बाद अगर आसन जो भी व्यवस्था करेगा, उसके अनुसार जवाब मैं दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है ? अभी तो मैं अंदर बैठा हूं, मुझे क्या मालूम कि क्या घटना हुई है ? ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको सूचना है और आपको, गृह मंत्रीजी, सूचना ही नहीं है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं तो यहां बैठा हूं, मैं बार-बार बाहर थोड़े जा रहा हूं ? यह तो बाहर घूमते रहते हैं। मैं तो हाउस में ही बैठा हूं आपके सामने 3 घण्टे से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : कल्लाजी, इधर-उधर घूमकर उनको पर्ची पकड़ाकर आपने तो काम कर दिया, मतलब प्रतिपक्ष के नेता का ऐसा काम मैंने पहली बार देखा है। यहां से घूमकर जाकर संयम से असत्य खबर सदन में दिलवाई है।..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप रोज प्रतिपक्ष के नेता के बारे में बोलते थे, और पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन देना कोई जुर्म नहीं है।..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहली बार देखा है, सदन कार्य को डिस्टर्ब करने का काम किया है प्रतिपक्ष के नेता ने, आज तक इस सदन में नहीं किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप रोज उठाते थे। प्रतिपक्ष के नेता के इशारे पर, आप रोज पीछे उठाते थे। क्या बात करते हो ? पाइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन उठाना कोई जुर्म नहीं है। मुझे अफसोस है कि गृह मंत्रीजी को इसकी सूचना नहीं है, विपक्ष को सूचना है। आप क्या सरकार में बैठे हैं ? आपको कोई सूचना ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काहे की सूचना ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : लाठी चार्ज हो गया और आपको मालूम ही नहीं, आपको कोई सूचना ही नहीं, बड़ा अफसोस है। आपको सूचना होनी चाहिए।..(व्यवधान) 15 आदमियों पर आपने लाठी चार्ज कर दिया और वहां पर लोग घायल हो गये, एक आदमी को गम्भीर चोट आई है और आपको पता ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विराजो, कल्लाजी, विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, आसन पैरों पर। ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आसन पैरों पर है, पर मैं पहले से ही बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, आप इतना तो सोचो कि जिस आसन पर आप विराजे हैं उस आसन पर कभी महामहिम उप राष्ट्रपतीजी विराजते थे, उनकी गरिमा तो कुछ रखो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस लाठीचार्ज के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं। सरकार को इतनी ही जानकारी नहीं है।

(कांग्रेस पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री ओम बिरला : आपके राज में तो रोज लाठी चार्ज होता था, लोगों के सिर ही गंजे हो गये थे लेकिन लोगों के साथ आपने न्याय नहीं किया।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, महज प्रेस में न्यूज देने के लिए यह बहिर्गमन किया गया है, न्यूज के लिए, सिर्फ न्यूज के लिए और कोई बात नहीं है। मैं बाहर से आया हूं, इतना गम्भीर विषय नहीं है, मुझे जानकारी है। छिटपुट घटना हुई है, इस तरह की तो रोज चलती ही रहती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना है कि माननीय मंत्री महोदय सारे दिन विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को सुन रहे थे। अब जवाब दे रहे हैं तो प्रजातंत्र में यह बिलकुल गलत है। सदन की परम्पराओं के खिलाफ है, सारे दिन बोलना और गैर जिम्मेदाराना ढंग से बिना किसी मुद्दे के वाक आउट करके चले जाना न तो राजस्थान की जनता के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं और न ही सदन की परम्पराओं का पालन कर रहे हैं। यह बिलकुल निन्दनीय कार्य आज कांग्रेस पार्टी ने किया है।

मांग संख्या-19 व 21 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, शायद प्रतिपक्ष के लोग इसलिए भी चले गये कि अभी वे अपनी बात रख रहे थे कि वे लोग बड़ी-लम्बी चौड़ी डींग हांक रहे थे और हम पर आरोप लगा रहे थे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में जो आउट-ले था उसको हम कैसे पूरा करेंगे। जब ये सारे कागज और सारे आंकड़े सदन में मैं रखना चाह रहा था, मैं इन आंकड़ों से सिद्ध करना चाह रहा था कि जितना अन्य रोड़ सैक्टर में कांग्रेस के राज में हुआ है उतना इस राजस्थान बनने के बाद में आज तक कभी नहीं हुआ। इन्होंने थोथी घोषणाएं की। जब कभी भी ये बजट लेकर आए, इन्होंने थोथी घोषणाएं की और वास्तविक व्यय इतना कम इन्होंने किया। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बताया कि 33 प्रतिशत वास्तविक व्यय किया और लम्बी-चौड़ी बात कहकर चले गये कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने सड़कों में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया।

यहां पर ये भी आरोप लगाए गए कि सी.आर.एफ. का जो पैसा है वह झालावाड़ में लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो वे सारे आंकड़े हैं, 11 जिले ऐसे हैं जिनमें झालावाड़ से ज्यादा सी.आर.एफ. के पैसों की स्वीकृत जारी की हुई है, काम हो रहे हैं। यह असत्य और बिना मतलब की बात करना शायद इनकी आदत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सड़कों के मानक स्तर का निर्धारण इण्डियन रोड़ कांग्रेस ओर मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट एण्ड हाइवेज करती है। उसके अनुसार राजस्थान के अंदर जो हमारे स्टेट हाइवे हैं, राज्य राज मार्ग हैं और मुख्य जिला सड़कें हैं वे 20 हजार किलोमीटर हैं और 20 हजार किलोमीटर में से 8 हजार किलोमीटर सड़कें आज भी मानक स्तर की नहीं है। 5 वर्ष जब इनके हाथ में शासन था, 3500 किलोमीटर सड़क का रिन्युअल कराया और इस वर्ष हमारा जो बजट है उसके अंदर हम 100 करोड़ रूपये खर्च करके दो हजार किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण कराएंगे, उनको पुनर्जीवन देंगे। जो हमारे राज्य राज मार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ हैं ये काम हम इसी वितीय वर्ष में करेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अलावा यहां मिसिंग लिंक को लेकर बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें हुईं। चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को जाना था भागते-भागते 15 किलोमीटर के हर विधायक से प्रस्ताव मंगा लिये। कहीं बजट में प्रावधान नहीं था। नाबार्ड से लोन लेकर इन्होंने चाहा कि झूठी वाहवाही ले लें, लेकिन इन्होंने अपने समय में कोई सड़क नहीं बनायी। सड़क बनाने का पूरा काम हमारी सरकार पर आया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वर्ष 151.68 करोड़ रूपये की राशि व्यय करके हम 1676 किलोमीटर मिसिंग लिंक का काम कराएंगे।

इसके अलावा यहां मिसिंग लिंक को लेकर कई तरह की बातें हुईं। अब मिसिंग लिंक भी कई तरह की थीं, कहीं पर तो बिलकुल वास्तविक रूप में जहां दूरियां कम हुई उसके अनुसार उसकी उपादेयता और उपयोगिता के अनुसार वह स्वीकृत हुई और कई जगह इस मिसिंग लिंक का जिस तरह उपयोग होना चाहिए वह हुआ नहीं।

इसलिए इस बार हम योजना बना रहे हैं, हम मिसिंग लिंक का काम भी करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। इसके लिए हम माननीय सदस्यों से प्रस्ताव भी लेंगे और हम अपने विभाग के स्तर पर एक कार्यकारी योजना बनाकर कितनी मिसिंग लिंक की आवश्यकता है उसका आकलन करने के पश्चात् इस काम को भी हम अपने हाथ में लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत बड़ी चर्चा हुई-जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने की, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने की, किशनगढ़, दूदू सुमेरपुर, मुण्डावर, हिण्डौली, राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्यों ने की और एक बात की चिन्ता व्यक्त की कि राजस्थान के अंदर अलग-अलग कामों में अकाल राहत में कभी एम.पी. लैड में, कभी एम.एल.ए. लैड के अंदर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क बहुत बन गई। 4550 किलोमीटर सड़क ऐसी है जो डब्ल्यू.बी.एम. बनी हुई है। ये सड़कें बन तो गई लेकिन आज की तारीख में इन सड़कों का उपयोग नाममात्र का हो रहा है। न तो इन पर वाहन चल सकते, न पैदल चलने वाला यात्री उनका उपयोग कर सकता। पैसा लग गया। यह सारी की सारी परिसम्पत्ति राजस्थान की जनता के पैसों से राजस्थान सरकार ने बना तो ली पर इनमें दो ही हमारे पास विकल्प रहते हैं, या तो इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को हम छोड़ दें , शनैः-शनैः इनका पूरा हार्स हो जाए, या इस डब्ल्यू.बी.एम. सड़क को हम डामर में परिवर्तित करें। उपाध्यक्ष महोदय, जो 4550 किलोमीटर सड़क है इसके अंदर 2060 किलोमीटर सड़क तो ऐसी है जिसका डामरीकरण विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित है। जैसे पी.एम.जी.एस.वाई., प्रधानमंत्री सड़क योजना में कुछ सड़कें आ गई, कुछ मिसिंग लिंक का कुछ काम इस बार हमने 151 करोड़ का हाथ में लिया उसमें आ गई। पर इसके पश्चात् भी, उपाध्यक्ष महोदय, 2480 किलोमीटर सड़क ऐसी है जिसका डामरीकरण किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है। इसके लिए हमने एक योजना बनायी है। हम दिसम्बर, 2004 से इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं और दिसम्बर, 2006 को इसको दो चरणों में समाप्त करना चाहते हैं। यथासंभव कोशिश यही रहेगी। इसके लिए इन दो चरणों के अंदर हम 200 करोड़ रूपये की लागत से जितनी भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़कें हैं इनका डामरीकरण करने का काम करेंगे, इस योजना को दो चरणों में पूरा करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर पी.डब्ल्यू.डी. महकमों में डामरीकरण सड़क का अध्याय समाप्त हो जाएगा। कोई भी नयी सड़क डब्ल्यू.बी.एम. होगी उसकी स्वीकृति हम जारी नहीं करेंगे। जो भी सड़क बनेगी, योजनाबद्ध तरीके से सड़क वो ही स्वीकृत की जाएगी जिस सड़क का आगे डामरीकरण होकर उपयोग हो सके। हम कोशिश करेंगे यथा सम्भव जो ग्रेवल रोड़ है, ग्रेवल रोड़ भी न बने, और जो भी सड़क स्वीकृत हो, चाहे वो अकाल राहत के अंतर्गत सड़क स्वीकृत हो, तो उसके आगे का कंपोनेंट किस तरह लिया जाए, किस तरह उस सड़क का डामरीकरण हो जाए इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर 12 हजार किलोमीटर सड़कें जो ग्रामीण सड़कें हैं वें ऐसी सड़कें हैं जिनका 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक पुनर्निर्माण नहीं हुआ। उन सड़कों का रिन्युअल नहीं हुआ और धीरे-धीरे इन सड़कों का भी हास होता जा रहा है। यह बहुत बड़ा काम है, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, इस पर 450 करोड़ रुपये खर्च होंगे, हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर, जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया, कोई भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़क दो चरण में हम प्रारंभ कर रहे हैं, दिसम्बर, 2004 से चालू करके। हमारा प्रयास यह रहेगा, हमारे संसाधन सीमित जरूर हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परन्तु मुख्य मंत्रीजी से सबसे चर्चा करने के पश्चात् हमने कुछ अतिरिक्त राशि इन्हें आवंटित की है उसके अनुसार प्रयास यह रहेगा कि हम दिसम्बर, 2006 में इसको पूरा कर दें। दिसम्बर, 2006 में अगर पूरा नहीं हो सकता है। तो शायद थोड़ा समय आगे भी बढ़ाना पड़े। यह जो डामरीकरण का काम है, जो रिन्युअल का काम है, जिसकी राइडिंग क्वालिटी नहीं रहेगी, यह सड़क 12 हजार किलोमीटर है और यह गांव की सड़क है। उस गांव की सड़क है जिस गांव के अन्दर राजस्थान की आत्मा बसती है। इस 12 हजार किलोमीटर सड़क पर भी दिसम्बर, 2004 से काम शुरू करके हम कोशिश यह करेंगे कि दिसम्बर, 2006 तक इन कामों को पूरा कर लें इस डामरीकरण को पूरा करने के बाद राजस्थान के अंदर कोई ऐसी सड़क न बचेगी जिस सड़क के बारे में यह कहा जा सके कि इन सड़क का रिन्युअल नहीं हुआ।

इसके अलावा बहुत बड़ी चिन्ता यह व्यक्त की गई कि बहुत-सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो सड़क से जुड़ी हुई नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय मंत्रीजी, आप 2006 की बात कर रहे हो, मार्च, 2005 तक आप कौन-कौनसे काम करोगे, यह बता दो ? 2006 तो दो साल बाद में आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, 1994 में जब तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब एक सड़क नीति बनी थी और सड़क नीति यह बनी थी कि सन् 2002 तक सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया जाए। उसके पश्चात जब कांग्रेस का शासन आया, हमने तो इस ओर प्रयास प्रारंभ कर दिया था, योजनागत तरीके से सड़कों का विकास का काम भी उसी वक्त से प्रारंभ हो गया था, परन्तु उसके पश्चात् प्रधान मंत्री सड़क योजना भी आ गई और जो सड़क नीति थी उस सड़क नीति के अनुसार तत्कालीन सरकार ने कोई काम भी नहीं किया। आज की तारीख में 245 ग्राम पंचायतें डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़ी हुई हैं, डामर सड़क से जुड़ी हुई नहीं हैं, 138 ग्राम पंचायतें ग्रेवल सड़क से जुड़ी हुई है, डामर से नहीं और 190 ग्राम पंचायत अनकनैक्टेड हैं। हम इनका पूरा पैकेज तैयार कर रहे हैं। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमें यह स्वीकृति मिल जाए, हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भारत सरकार के पास प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। उनको यह निवेदन करना चाहते हैं कि ये ग्राम पंचायत मुख्यालय जो अलग-अलग समय में कोई ग्रेवल से जुड़कर रहे, कोई डब्ल्यू.बी.एम. से जुड़कर रह गये इनको प्रधान मंत्री सड़क योजना में सम्मिलित किया जाए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले निवेदन किया, सरकार के संसाधन सीमित हैं। आज जिस तरह का ग्लोबलाइजेशन का समय है, उदारीकरण के इस दौर के अंदर आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए हमें जन सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हमें ऐसे उद्यमियों को पकड़ना पड़ेगा जो अपना धन लगाएं, सड़क का निर्माण करके उसी से अपना धन भी निकालें और राजस्थान की जनता को चलने के लिए स्थायी परिसम्पत्ति के तौर पर सड़क दे जाएं। चार बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सड़कें हैं। जिन सड़कों के बारे में , मुख्य उद्देश्य हमारा यह है कि उत्तर राज्य जैसे जम्मू -कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश से आने वाला कामर्शियल ट्रैफिक जो गुजरात, महाराष्ट्र एवं दक्षिणी राज्यों को जाता है तथा राजस्थान से होकर गुजरता है उससे राष्ट्रीय राज मार्ग की अपेक्षाकृत कम दूरी मिले और मानक स्तर का रास्ता उपलब्ध हो इसके लिए हमने एक महती परियोजना हाथ में ली है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उपाध्यक्ष महोदय कि देश की प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनियां इस ओर आकर्षित हुई है वित्त पोषण के लिए हमें बहुत अच्छा फीड बैक भी मिला है यह जो महती योजना है, मैं समझता हूं देश के अंदर सबसे बड़ी बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट होगा। हमारी परिकल्पना है और मैं उम्मीद करता हूं हमारी परिकल्पना मूर्त रूप लेगी। ये सड़क हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन क्षेत्र में फलौदी-बालोतरा-रामजी की गोर, 286 किलोमीटर सड़क है, 203 करोड़ रूपये खर्च होंगे। दूसरी बांरा-मांगरोल-सवाईमाधोपुर-भरतपुर, राज्य की सीमा तक यह 355 किलोमीटर की सड़क है, इसमें 213 करोड़ रूपये खर्च होंगे। तीसरी सड़क है गंगापुर सिटी-सिकंदरा- अलवर, 135 किलोमीटर है, 80 करोड़ रूपये खर्च होंगे। और चौथी सड़क है किशनगढ़-परबतसर-कुचामन सिटी-सालासर-रतनगढ़-हनुमानगढ़, राज्य सीमा तक संगरीया तक, आप वहां कई बार पधारे हैं, यह 390 किलोमीटर है। कुल मिलाकर 1166 किलोमीटर सड़क है पर लगभग 876 करोड़ रुपये खर्च

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होंगे। यह परियोजना हमने हाथ में ली है, और इस परियोजना में जिस तरह का हमें फीड बैक मिला है मैं समझता हूं इस परियोजना को हम मूर्त रूप देने की कोशिश करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, 135 किलोमीटर लंबाई की तीन सड़कें हैं- गंगानगर से हनुमानगढ़, नीमकाथाना से कोटपूतली और पाली बाई पास यह 66 करोड़ की परियोजना है, यह अभी प्रारंभ हो रही है और हमारा टार्गेट है, 7 महीने के अंदर हम इस परियोजना को पूरा कर दें।

इसके अलावा दूसरी योजना है। जिसके बारे में लम्बी चर्चा न करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 42 करोड़ की एक परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। कामानंद गांव-कांसी-कामां बाईपास, कामां -जुरहरा, उनहना और केलबा-आमेठ रोड़। अब इन योजनाओं की स्वीकृति तो हमने जारी कर दी, इनके टेण्डर भी करेंगे और इस योजना को भी जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको हम हाथ में लेना चाहते हैं और बी.ओ.टी. के आधार पर हाथ में लेना चाहते हैं परंतु जो फाइनेंशियली बाइबल नहीं है। ऐसी परियोजनाएं 11 परियोजनाएं हैं जिनका लम्बा-चौड़ा तो मैं आपको क्या निवेदन करूं, काफी समय लगेगा। इसमें हमने निर्णय लिया है कि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए अगर राज्य सरकार द्वारा कुछ सब्सिडी दी जायेगी तो निश्चित तौर पर वह भी देने का काम हम करेंगे

इसके अलावा हमने यह भी तय किया है कि अगर कोई इन्टरप्रिन्योर कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आएं, बी.ओ.टी. को प्रोजेक्ट, वह आकर हमें यह कहे कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वह अपनी सड़क बनाना चाहता है और इतने समय तक टोल लगाना चाहता है, हम उसके द्वारा लाये गये उस प्रस्ताव को समाचार पत्रों में प्रकाशित करके आम लोगों के, औरों के प्रस्ताव आमंत्रित करेंगे। उससे अगर कम दर पर हमें कोई प्रस्ताव मिल गया तो उसको मौका देंगे, वर्ना मूल रूप से जिसने हमें प्रस्ताव दिया है उसको। यह इसलिए हमने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया है कि हम इसमें बिलकुल खुलापन करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस योजना के माध्यम से आम व्यक्ति आकर्षित हो।

यहां बहुत बड़ी बात इस बात को लेकर भी हुई, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सड़क निर्माण हुआ, कभी सड़क निर्माण को सीवरेज के नाम पर तोड़ दिया, कभी सड़क निर्माण को पानी की पाइप लाइन के नाम पर तोड़ दिया। इसलिए हमने यह तय किया है कि हम कलक्टर की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बना रहे हैं कोई भी सड़क स्वीकृत होगी, कलक्टर अपनी समन्वय समिति में जिसमें पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी भी होंगे, पी.एच.ई.डी. के अधिकारी भी होंगे, डाक तार के अधिकारी भी होंगे, उनसे बुलाकर पहले पूछेंगे कि अमुक सड़क प्रस्तावित है, इस सड़क के अंदर आपको पाइप लाइन डालनी है, सीवरेज लाइन डालनी है, आपको दूसरा कोई काम करना है तो आप बताएं। वर्ना सड़क बनने के पश्चात् यह कहें कि अब हमें यह काम करना है, तो यथासंभव उस प्रवृति को रोकने के लिए हमने यह कदम उठाया है। अगर सड़क कहीं इस चीज के लिए तोड़ी भी जाएगी तो उसमें भी नीतिगत यह फैसला होगा, कलक्टर की समन्वय समिति में रिपोर्ट करनी पड़ेगी संबंधित विभाग को कि हम निश्चित समयावधि के अन्दर उस सड़क को ठीक कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां भूमि अवाप्ति के बारे में कई तरह की बात की गई। किसान की भूमि है, हम सड़क बनाते हैं, किसान की भूमि हम अवाप्त कर लेते हैं, बरसों-बरसों तक किसान को मुआयजा नहीं मिलता। हमने यह तय किया है, आज राज्य के अंदर लगभग 42 करोड़ रूपये ऐसे हैं जो रूपये किसान को मुआवजे के रूप में मिलने चहिये थे, जब किसान बी बात कर रहे हैं तो पूर्ववर्ती सरकार और कांग्रेस के लोग, मैं किस को कहूं ? उपाध्यक्ष महोदय, मन में तकलीफ जरूर है, वे होते तो बताता। बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कर रहे थे पर उन्होंने तीन साल में सिर्फ 7.32 करोड़ रूपये किसानों को बांटे जो उसका हक था और हमने इसी बजट के अंदर 19.11 करोड़ जो पैण्डिंग किसानों के मुआवजे के प्रकरण हैं उन सब को निपटा दिया जाएगा। किसान का हक है, उसने अपनी जमीन दी है, उस हक के अनुसार उसको पैसा मिले।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके अलावा अभी यहां गुणवत्ता की बात हुई। निश्चित तौर पर यह महकमा ऐसा है, गुणवत्ता का नियंत्रण जब तक नहीं होगा तब तक कई तरह की शिकायतें आएंगी। पहले गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जो खण्ड थे वे सिर्फ छह ही खण्ड थे, हमने उनको बढ़ा कर अठारह किया है। हमने सड़क निर्माण के प्रारम्भ से लेकर सड़क निर्माण पूरा हो जाने तक एस.ई. से लेकर संबंधित जे.ईएन. तक उसमें कैलेण्डर तय किया है कौन कितने नमूने लेगा। उन नमूनों की जांच करेंगे और नमूनों की जांच के परिणाम पर जिले में एस.ई. उसकी मानिटरिंग करेगा और प्रदेश स्तर पर मुख्य अभियंता स्तर पर उसका मानिटरिंग किया जाएगा कि कितने नमूने लिये गये, कितने मानक स्तर के निकले और कितने मानक स्तर के नहीं निकले।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यादेश किसी सड़क का दिया जाता है और उस कार्यादेश के अनुसार निश्चित सीमा के अंदर, वह काम पूरा नहीं होता, हमने यह तय किया है कि निश्चति सीमा के अन्दर, समय सीमा के अंदर जो कांट्रेक्टर काम नहीं करेगा उस पर दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे उसके लिए हमने भी तय किया है, कई बार यह भी शिकायत करते हैं कि हमारा जो संवेदक है, जो इसके अंदर ठेकेदार हैं वह कहता है मुझे मेरा बिल नहीं मिला, रनिंग बिल भी नहीं मिला, फाइनल बिल नहीं मिला। हमने यह तय किया है, रनिंग बिल अगर कोइ ठेकेदार प्रस्तुत करेगा तो जिस अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा, सात दिन के अंदर-अंदर या तो उसका बिल पारित करेगा वर्ना कारण सहित अपने अधिकारियों को लिखेगा और जो फाइनल बिल है उसको भी हमने यह तय किया है कि वह फाइनल बिल पच्चीस दिन के अंदर-अंदर पारित हो जाए, वर्ना उसके अंदर अगर कोई आब्जेक्शन है तो आब्जेक्शन लगाकर संबंधित अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में लिखेगा।

अभी यहां डाक बंगलों को लेकर काफी बात चली। निश्चित तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, कई परिसम्पतियां हैं जो अनुपयोगी हैं कुछ ऐसी परिसम्पतियां भी है। जिनका उपयोग हो सकता है। राष्ट्रीय राज मार्ग पर कुछ जगह डाक बंगले हैं, हमने यह तय किया है कि हम आर.एम.ओ.टी. योजना के अनुसार-रिनोबेट, मेनटेन आपरेट एण्ड ट्रांसफर हम चिन्हित करेंगे कि किन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डाक बंगलों को वास्तविक रूप से डाक बंगले का रूप दें जहां लोग रह सकें, जहां सारी सुविधा हो, उसका रूप देकर कुछ डाक बंगलों को तो हम उस योजना के अन्तर्गत चलाएंगे। कुछ बंगलों को विभागीय स्तर पर उसमें जो कमी-खामी है उसको पूरा करके चलाएंगे। और कुछ डाक बंगले जिनका आज उपयोग नहीं है, अनुपयोगी हो गये, उनको विक्रय करने का ाम भी करेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, नई सड़क बनी, कई माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सड़क बनने के साथ-साथ उसके रखरखाव का ठेका भी दिया जाए। हमने तय किया है कि नई जो सड़क बनेगी, पांच साल तक रखरखाव का ठेका भी उसके अंदर उसको साथ दिया जायेगा। उसके साथ-साथ सड़क का अपग्रेडेशन करेंगे या रिन्युअल करेंगे उसका हम दो साल तक ठेका देंगे ये ठेके देने के साथ-साथ यह भी जरूरी करेंगे कि जो संबंधित एस.ई. है वह साल में दो बार इस चीज का प्रमाण पत्र देगा कि जो मैंटिनेस के ठेके पर संबंधित ठेकेदार को सड़क दी गई है, वह सड़क बिलकुल ठीक है और संबंधित एक्स.ईएन. साल के अंदर चार बार जाकर अलग-अलग समय में यह प्रमाण पत्र देगा कि सड़क की राइडिंग क्वालिटी ठीक है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-से भवन ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था के अन्दर हैं। अब हम चार महीने का एक कैम्पेन चलाएंगे, कई बार दुर्घटनाएं घट जाती है, पूरे राजस्थान के अंदर जो सरकारी भवन हैं, जो भवन जर्जर अवस्था के अंदर हैं, पूरा अभियान चलाकर जो खतरनाक भवन हैं, उनकी सूची बनाकर संबंधित विभाग को देंगे और यथा सम्भव कोशिश करेंगे कि उससे कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, या तो उसको ठीक किया जाए या उसको गिराया जाए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी-चौड़ी बातें यहां हुई हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह पैसा कहां से आएगा, किस तरह आएगा। हमारे पास दो ही विचार रहते हैं, या तो हम इस निर्माण को जो आधारभूत संरचनाओं से जुड़ा हुआ है, इस सड़क निर्माण की गति को कम कर दें या किसी न किसी तरह उस फण्ड को बनाएं जिस फण्ड के अनुसार हम इस सारे कार्य को हाथ में ले सकें। इसलिए हमने राज्य सड़क नीति बनाने की बात कही है। उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, आपका ध्यान होगा, पंजाब में, वैस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में, कई स्टेट के अंदर उन्होंने सैस लगाया है, पैट्रोल और डीजल पर सैस लगाया है और पैट्रोल और डीजल के सैस से जो राशि आती है वह सड़क के रखरखाव के लिए एक कारपस बनाकर उसमें डाली जाती है। उस राशि से दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लेकर, लीवरेज करके कोशिश यह करते हैं कि इससे राज्य की जनता को फायदा हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस काम के लिए भी इसी सत्र के अंदर हम बिल लेकर आएंगे दस वर्ष पहले जो सड़क नीति बनी थी, अब उस सड़क नीति का नये सिरे से देखने की बड़ी आवश्यकता है इसलिए हम सड़क नीति बनाने का काम भी करेंगे।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां बड़े टैंडरों को लेकर कई बातें हुई कि बड़ा ग्रुप बन जाता है, छोटे ठेकेदार आ नहीं सकते, इसलिए हम निश्चित तौर पर जो बड़े टैंडर की पद्धति, अब तक प्रक्रिया जो चली आ रही है, उसको तोड़ेंगे और यथा सम्भव कोशिश यह करेंगे कि प्रतिस्पर्धा मिले। छोटे ठेकेदारों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिले, इसके लिए हम यह काम करेंगे।

बागीडारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात उठाई थी मानगढ़ पहाड़ी के विषय में जहां स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी। हमारे सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है वह स्थल। वहां जो बनाया गया है उसकी शिकायत पूर्व में भी हुई मुझसे पहले माननीय गृह मंत्रीजी ने उसकी जांच कमेटी भी बनाई थी, मैं उस जांच समिति के प्रतिवेदन को देखूंगा और उसके अंदर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं...

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने उस समय भी यह प्रश्न उठाया था, यह वाजिब बात है कि टी.ए.डी. फण्ड से उस पैसे को दिया गया था और जो हमारी जो कमेटी है ट्राइबल की उस कमेटी ने भी उसको देखा है। उसका निर्माण आपाधापी में किया गया आपाधापी में उसका अवलोकन किया गया उसमें जो भ्रष्टाचार...(व्यवधान) उसी में लेकिन उसका प्रभावी ढंग से, जिस ढंग से आप इसकी जांच करवा सकें करवाएं क्योंकि पैसों का बहुत

(श्री कनकमल कटारा)

दुरुपयोग हुआ है। नाथूराम जी भगत, वहां पर उनके साथ में मारा-पीटी भी हुई, और बड़ी तकलीफ हुई, इसलिए विशेष रूप से उसका ध्यान देकर निश्चित जांच कराएं।

श्री रामप्रताप कासनिया : सड़क कितनी-कितनी किलोमीटर देओगे, यह तो बता दो थोड़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो चिंता प्रकट की है वह चिंता मेरी भी है, वह चिंता गृह मंत्रीजी की भी है। पूर्व में जो जांच हुई है इस मानगढ़ पहाड़ी पर जो स्वतंत्रता सेनानियों का शहीद स्मारक है उसके संदर्भ में , मैं उस जांच के प्रतिवेदन को देखूंगा और उसके अंदर जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और दोबारा भी अगर कोई जांच करने की आवश्यकता पड़ी तो एडिशनल चीफ इंजीनियर स्तर पर दोबारा भी जांच करवाई जाएगी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि वन में से जो सड़कें गुजरती हैं, वन विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण उन सड़कों के निर्माण के अंदर रूकावट पैदा हो जाती है। पूरे राजस्थान के अंदर वनों से गुजरने वाली सड़कों पर जहां रूकावट पैदा हुई है, उनकी सब की समीक्षा करके और वन मंत्रीजी से निवेदन करके प्रयास यह करेंगे कि निश्चित समायावधि के अंदर वह बात हटे ताकि उन सड़कों का निर्माण हो।

इसके अलावा अतिक्रमण के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राज मार्ग हों चाहे राज्य राज मार्ग हों, अतिक्रमण की एक प्रवृत्ति बन गई । उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी सबसे पहले हम सम्बन्धित एस.ई. को कहेंगे वो चिन्हित करेगा कि अतिक्रमण कहां-कहां हुआ है। चिन्हित करने के बाद हम योजना बनाकर उस अतिक्रमण को हटाएंगे और नया अतिक्रमण अगर हो गया तो सम्बन्धित जो वहां के ए.इ.एन. हैं, उनको हम उत्तरदायी बनाएंगे। नया अतिक्रमण होने पर निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे खुद जाकर देखें। अपने इलाके के अन्दर सड़क बन गई, सड़क बनने के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बाद सड़क पर फिर अतिक्रमण हो गया, पुराने अतिक्रमणों को हटाने की तो हमारी योजना है ही, नया अतिक्रमण रूके इसके लिए हम जिस स्तर के, ए.ईएन. स्तर के अधिकारी के क्षेत्र में वह सड़क है, उसको लाइबल बनाने का काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां ऐतिहासिक इमारतों के बारे में बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की। निश्चित तौर पर कुछ इमारतें ऐसी हैं, रखरखाव के लिए हमारे पास जितनी इमारतें है उसके अनुसार हमारे पास राशि नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18497 तो आवासीय भवन हैं जिनकी मेंटिनेंस पी.डब्ल्यू.डी. करती है और 4143 गैर आवासीय भवन हैं जिनमें आफिसेस चलते हैं। गैर आवासीय भवनों के लिए हमें एक साल में रख रखाव के लिए 8 करोड़ रुपया मिलता है और वह भी सम्बन्धित विभाग हमें बताता है कि क्या काम हम करें या क्या नहीं करें। आवासीय भवनों के लिए हमको 650 लाख रुपया मिलता है, मतलब साढ़े छह करोड़। इतनी-सी राशि के अन्दर सारा सम्भव नहीं है। फिर भी जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है वह क्षीण नहीं हो जाए, हम कैट लॉगिंग कराएंगे, इस तरह की इमारतों की सूची तैयार करेंगे और सूची तैयार करके हम प्रयास करेंगे। हमारे तो संसाधन सीमित हैं परन्तु फिर भी मुख्य मंत्रीजी से बात करके हमारी ऐतिहासिक विरासत किस तरह संरक्षित रहे इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने जो कुछ विचार माननीय सदस्यों के आये हैं, कट मोशन के मार्फत आये हैं, उनका मैं लिखित में उत्तर भिजवा दूंगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह के सदन के भाव हैं, निश्चित तौर पर इस सरकार का जिस तरह का मन सोच और जिस तरह ओर की परिकल्पना मुख्य मंत्रीजी के मन में है उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सीमित संसाधनों से अधिक से अधिक काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, एन.एच. 91...

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से एक छोटा-सा सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बारां से अकलेरा को जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग-90 के लिए भी कई माननीय सदस्यों ने, विशेष तौर से स्वायत्ता शासन मंत्रीजी ने कहा है, प्राथमिकता के आधार पर उस राजमार्ग में जो-जो कमियां हैं उनको दुरूस्त करने का काम करेगें। इसी के साथ में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा...

श्री जीतमल खांट : माननीय मंत्रीजी, छोटा-सा सवाल है । आप बताएंगे कि जो कारगिल में शहीद हो गये उन गांवों को सड़क से जोड़ने की राज्य सरकार कोई मंशा रखती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : निश्चित तौर पर, माननीय सदस्य, शहीदों की शहादत को हम भी नमन करना चाहते हैं। यहां कारगिल के शहीदों की बात भी है और कुछ ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जो हमारी श्रद्धा के केन्द्र बने हैं, हम योजनाबद्ध तरीके से इन सारे धार्मिक स्थलों की जिला स्तर पर सूची तैयार करेंगे, उसके बाद हमारे संसाधनों को देखेंगे और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो श्रद्धा के केन्द्र हमारे स्थान हैं उनको भी सड़क से जोड़ने में हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो कारगिल के शहीद, शहादत जिनकी हुई हैं उन गांवों को भी प्राथमिकता से हम देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मांग संख्या 19 और 21 को पारित किया जाए।

श्री विष्णु मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंट ऑफ इंफोर्मेशन के ज़रिये मंत्री महोदय से चार बातों की जानकारी चाही थी। उन्होंने एक बात की जानकारी तो दे दी। तीन बातें हैं एक तो निम्बाहेड़ा से बड़ौदा तक जो नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ है उसका काम कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा ? दूसरा, गंगरार से चित्तौड़गढ़ जो फोर लेनिंग का काम हुआ है वह किसी जमीन के विवाद के कारण नहीं हुआ तो वो कब शुरू होगा और कब समाप्त हो जाएगा ? ये दो इंफोर्मेशन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह मंत्री महोदय आपको बाद में जवाब दे देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गंगरार से चित्तौड़ जो फोर लेन का काम है वह दिसम्बर, 2005 तक पूर्ण जो जाएगा। वैसे भारत सरकार का उपक्रम है, एन.एच.ए.आई. इसको कर रही है। इसके अलावा जो आपने निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झाड़ोल की बात कही है, यह 225 किलोमीटर का राष्ट्रीय राज मार्ग है जो अभी अधिसूचित हुआ है दिसम्बर, 2004 में इसमें अभी तक भारत सरकार से हमें कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, हम कोशिश करेगें कि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो जाए। इसके अलावा जयपुर से आगरा के लिए जो कहा है, अभी इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, इसकी कोशिश करेंगे। यह भारत सरकार का उपक्रम है जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

मांग संख्या-19 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,22,01,17,000/- (दो अरब बाईस करोड़ एक लाख सत्रह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 5,51,19,07,000/- (पांच अरब इक्यावन करोड़ उन्नीस लाख सात हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 जुलाई, 2004 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.57 बजे बुधवार, 21 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समयायाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

होटल व्यवसाय को औद्योगिक इकाई का दर्जा

194. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 1989 व 2002 में जारी औद्योगिक नीति में होटल व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस नीति के तहत होटल व्यवसाइयों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई ? इस नीति के तहत होटल को उद्योग मानते हुए सुविधाएं नहीं दी गई तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस व्यवसाय को भी अन्य औद्योगिक इकाइयों की तरह सरकार द्वारा बिजली की खपत में छूट अनुदान व अन्य सुविधाएं देने का वादा किया गया था ? यदि हां, तो इनमें से कौनसा वादा पूरा किया गया व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने होटल व्यवसाय को उद्योग मानते हुए छूट देने से इंकार कर दिया ? यदि हां तो सरकार औद्योगिक नीति को अमल में लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1989 व 2002 में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना क्रमांक प. 12 (4) उद्योग/1/89 दिनांक 4.3.1989 को जारी कर पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया था। परन्तु भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग विकास सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को सम्मिलित करने से मना कर दिया। परन्तु राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2001 के अन्तर्गत पर्यटन को सुविधाएं प्रदान की है तथा औद्योगिक निवेश नीति 2003 के अन्तर्गत भी औद्योगिक इकाइयों को देय सुविधाएं पर्यटन इकाइयों को भी देय है।

(2) जी नहीं। अधिसूचना दिनांक 4.3.1989 में यह उल्लेख था कि पर्यटन इकाइयों को सहायता के लिए योग्यताएं एवं सहायता की मात्रा अलग से घोषित की जावेगी, तदनुसार राज्य सरकार ने पर्यटन नीति 2001 के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को सुविधाएं दी है जो परिशिष्ट ''क'' पर है तथा औद्योगिक निवेश नीति 2003 के अन्तर्गत पर्यटन इकाइयों को देय सुविधाएं परिशिष्ट ''ख'' पर है।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी नहीं। नियामक आयोग ने होटल को उद्योग नहीं माना है तथा द्वारा टेरिफ निर्धारित करते समय अपने आदेश दिनांक 24 मार्च, 2001 के द्वारा होटल को विद्युत दर निर्धारण के लिए उद्योग नहीं माना गया है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

195. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जहाजपुर एवं शाहपुरा के फ्लोराइड प्रभावित 78 गांव व जहाजपुर व शाहपुरा शहर की जनता को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार के पास कोई परियोजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। बनास नदी को स्त्रोत लेकर संशोधित पेयजल योजना बनाई जा रही है। योजना बनने पर प्राथमिकता व धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार सवीकृति व क्रियान्वयन वर्ष 2006-07 तक किया जा सकता है।

उदयपुर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

196. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर जिले में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा प्रत्येक में कितने-कितने पद किस-किस वर्ग के स्वीकृत हैं ? इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कौन-कौन से केन्द्रों में कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में वर्तमान में कुल 61 पशु चिकित्सालय हैं। इन पशु चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण (परिशिष्ट-क) पर उपलब्ध है।

(2) जब-जब पदों की भर्ती की स्वीकृतियां प्राप्त होती हैं रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कर ली जाती है।

परिशिष्ट (क)

उदयपुर जिले के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के पशु चिकित्सालयों में सृजित/रिक्त पदों का विवरण

क्रम सं	नाम संस्था	व.प.चि.अ.		ब.प.च.अ.		प.चि.अ.		पशुधन सहायक		एक्सरे टेक्नि शियन		डार्करूम सहायक		ड्रेसर		सईस		जलधारी		सफाई कर्ता	
		स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रिक्त	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रि.	स्वी.	रिक्त
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
शहरी क्षेत्र																					
1.	ब.उ.प.चि. उदयपुर	3	-	2	-	-	-	7	1	1	-	1	-	3	-	10	-	1	-	3	-
2.	हिरण मगरी	-	-	1	-	1	-	1	(2/02)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
3.	कृषि उपज मण्डी	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/04)	-	-	1	-
4.	गिरवा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
	ग्रामीण क्षेत्र																				
5.	वल्लभनगर	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02	-	-	1	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
6.	कोटड़ा	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	1	-
7.	गोगुन्दा	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	1	-
8.	झाडोल (फ.)	1	-	-	-	1	-	1	1 (4/02)	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	1	-	-	-
9.	ईण्टाली	-	-	1	1 (1/01)	1	-	2	2 4/02)	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	1	1 (4/02)	1	-
10.	धरियावद	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
11.	नाहरमंगरा	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	1	-	1	-
12.	चीरवा	-	-	1	1 (7/000)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
13.	अग्गड	-	-	1	1 (7/000)	-	-	2	1 (4/00)	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	1	-	1	1
14.	सलूम्बर	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	7 (10/3)
15.	करणपुर	-	-	1	1 (4/01)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
16.	नान्देशमा	-	-	1	1 (9/99)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
17.	बड़गांव	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
18.	कुराबड	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2 (4/02)	-	-	1	-
19.	खैरवाड़ा	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	1	-
20.	करावाड़ा	-	-	1	1 (7/2000)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	1	-
21.	सराड़ा	-	-	1	1 (7/2000)	1	-	1	1 (4/02)	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	-	-	1	-
22.	परसाद	-	-	1	1 (5/97)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
23.	सायरा	-	-	1	-	1	1 (8/03)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	1	-
24.	कानौडा	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	1	-
25.	भीण्डर	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	-	-	1	-
26.	बाठरडा कला	-	-	1	1 (6/02)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (4/03)	1	-
27.	खेरोक	-	-	1	-	1	1 (11/03)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
28.	कुण्डई	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
29.	मेनार	-	-	1	(8/02)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (4/02)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
30.	लूपदा	-	-	1	1 (7/2000)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/00)	1	-	-	-
31.	मावली	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
32.	घासा	-	-	1	1 (6/02)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
33.	फतहनगर	-	-	1	-	1	-	1	1 (4/02)	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
34.	ईसवाल	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
35.	वाधरा	-	-	1	1 (6/02)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
36.	ओगणा	-	-	1	1 (4/02)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	1	-	1	-
37.	बुडेल	-	-	1	1 (4/02)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
38.	वास	-	-	1	1 (4/02)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
39.	डगार	-	-	1	1 (4/00)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
40.	नाई	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-
41.	टीडी	-	-	1	1 (6/02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 (4/01)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
42.	जगत	-	-	1	1 (10/00)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (4/02)	1	-	-	-
43.	साकरोदा	-	-	1	1 (7/02)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1 (1/04)
44.	गीगंला	-	-	1	1 (7/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
45.	कनबई	-	-	1	1 (7/00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
46.	झोडोल (स.)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
47.	फलासिया	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
48.	बाघपुरा	-	-	1	1 (7/00)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
49.	मामेर	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2 (4/02)	-	-	-	-
50.	मालवाचौरा	-	-	1	1 (2/97)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2 (4/02)	-	-	-	-
51.	बगुदपुरा	-	-	1	1 (7/00)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
52.	लसाडिया	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
53.	केसरियावाद	-	-	1	1 (7/00)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2 (4/02)	-	-	-	-
54.	पारसोला	-	-	1	1 (6/98)	1	-	1	1 (4/02)	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
55.	बेकरिया	-	-	1	1 (3/03)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2 (4/00)	-	-	-	-
56.	गूंगाणा	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
57.	पीपलबारा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2 (4/00)	-	-	-	-
58.	बम्बोरा	-	-	1	1 (4/00)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2, (4/02 3	-	-	-	-
59.	पाटीया	-	-	1	1 (9/00)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1 (4/02)	-	-	-	-
60.	सवना	-	-	1	1 (7/02)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1 (2/04)	-	-	-	-
61.	ऋषभदेव	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

प्रश्न संख्या-197

(स्थगित)

राजीव गांधी पाठशालाओं का क्रमोन्नयन

198. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितनी राजीव गांधी पाठशालाएं कार्यरत हैं ? क्या जो शिक्षक 4-5 वर्षों से लगातार इनमें सेवारत हैं उन्हें नियमित करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पाठाशालाओं में कितने अध्यापकों को नियमित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में संचालित राजीव गांधी पाठशालाओं में से कितनी पाठशालाओं के भवन निर्मित हो चुके तथा कितनी पाठशालाएं बिना भवन के संचालित हैं ? बिना भवन के संचालित पाठशालाओं के भवन कब तक बना दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में संचालित राजीव गांधी पाठशालाओं के वर्तमान स्वरूप को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजीव गांधी पाठशालाओं से विशेषकर दूरदराज के इलाकों में शिक्षा के क्षेत्र में भारी उपलब्धि रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे निरन्तर रखने का विचार रखती है ?

(5) क्या प्रदेश में संचालित राजीव गांधी पाठशालाएं जहां छात्रों की संख्या 150 से अधिक है, उन्हें क्रमोन्नत करने और अध्यापक लगाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है, यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 18897 एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 113 इस प्रकार कुल 19010 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालायें कार्यरत हैं। जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 13558 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 70 पाठशालाओं के भवन निर्मित हो चुके हैं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 5338 तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 43 पाठशालायें बिना स्वयं के भवन के संचालित हैं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शेष रही 5338 पाठशालाओं व संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शेष रही 43 पाठशालाओं के भवन डीपीईपी, अकाल राहत एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत बनाये जा सकेंगे।

(3) प्रदेश में संचालित राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को चरणबद्ध रूप से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है।

(4) जी हां। शेष प्रश्नोत्तर के भाग 03 के अनुसार।

(5) जी नहीं। राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है, अपितु उन्हें चरणबद्ध तरीके से राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जा रहा है।

टोडाभीम पुलिस थाने में दर्ज अपहरण प्रकरण

199. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना टोडाभीम में करीब चार माह पूर्व किसी औरत के अपहरण की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि चार माह तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर स्वयं गांव वालों ने अपहरणकर्ता का पता लगाया और गांव के पंच पटेल ग्राम कमालपुरा से ग्राम रानेट सामाजिक तरीके से पंचायत करने गये तो थाना प्रभारी श्री महावीर एवं श्री महेश चन्द्र ने पंच पटेलों को पीटा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि थाना टोडाभीम में श्रीमती सुरेशी पत्नी श्री कुन्जीलाल, निवासी कमालपुरा के अपहरण बाबत संख्या 36/2004 अन्तर्गत धारा 143, 363 एवं 366 ता.हि. दिनांक 30.2.04 को पंजीबद्ध किया गया था।

(2) यह सही नहीं है कि गांव वालों ने अपहरणकर्ताओं का पता लगाया हो। गांव के पंच पटेल ग्राम कमालपुरा से ग्राम रानेट सामाजिक तरीके से पंचायत करने गये तो थाना प्रभारी श्री महावीरजी श्री महेश चन्द्र मीणा व अन्य किसी पुलिस कर्मी द्वारा पंचायत करने आये हुए पंच पटेलों के साथ कोई मारपीट नहीं की गई। सिर्फ शांति भंग होने की सम्भावना को रोकने के लिए ग्राम रानेट पहुंचकर पंचायत करने आये लोगों को समझाइश कर वहां से वापस रवाना किया गया था। कोई भी पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण

200. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा खनन कार्य करने के लिये प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने के फलस्वरूप खनन कार्य बन्द करने के आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो राज्य में कुल कितनी खानें बन्द हुई ?

(2) क्या पर्यावरण विभाग को इस प्रकार के पर्यावरण सम्बन्धी खनन कार्य करने हेतु प्रमाण-पत्र जारी करने के समय-समय पर निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उन निर्देशों की किन-किन अधिकारियों ने अवहेलना की ?

(3) क्या प्रदूषण नियंत्रण निवारण एक्ट, 1986 के अधीन 27 जनवरी 1994 को जारी नोटिफिकेशन द्वारा 5 हैक्टेयर से अधिक मेजर मिनरल को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक है ? यदि हां तो राजस्थान में ऐसी कितनी खदाने हैं जिन्होंने प्रमाण-पत्र नहीं लिया है ? राज्य सरकार ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग को एनवायरमेंट मेनेजमेंट प्लान कितनी खदानों में से कितनी के लिये भेजा है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 7544/2004 अश्विनी चौबीसा बनाम भारत सरकार व अन्य तथा इसी प्रकार की अन्य 8 समान याचिकाओं में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.3.2004 से उन सभी खनन पट्टों में खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया जिनमे पर्यावरण अधिनियम एवं अन्य नियमों के तहत सहमति/क्लीयरेंस आवश्यक थी।

उक्त आदेशों की पालना में राजस्थान में कुल 20,758 खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस में खनन कार्य बन्द करवाया गया।

(2) जी हां। पर्यावरण विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना नहीं की गई है।

(3) जी हां। वर्तमान में राजस्थान में 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के प्रधान खनिजों के 868 खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिनमें से 502 खनन पट्टों में एनवायरंमेंट क्लीयरेंस की आवश्यकता है। शेष खनन पट्टों में दिनांक 27.1.1994 के बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं होने से पर्यावरण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है। 502 में से 54 पट्टाधारियों द्वारा एनवायरंमेंट क्लीयरेंस प्राप्त कर लिया गया है। शेष 448 खनन पट्टों में एनवायरंमेंट क्लीयरेंस प्राप्त होना शेष है। पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु पट्टाधारियों द्वारा सीधे ही आदेश पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं अतः कितने पट्टाधारियों द्वारा एनवायरंमेंट मेनेजमेंट प्लान भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं, बताया जाना सम्भव नहीं है।

भूंगड़ा कैनाल (बांसवाड़ा) से सिंचाई

201. श्री नवनीत नीनामा (घाटौल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में माही डैम का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कब और कौनसे वर्ष में ? वर्ष व तारीख सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवनीत नीनामा)

(2) क्या यह सही है कि माही डैम तालाब से नहरें निकाली गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ? नहरों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माही डैम से निर्माण की पक्की पाल का निर्माण कर नीचे भूंगड़ा कैनाल निकाली गई है ? यदि हां, तो उक्त नहर से कौन-कौन से गांवों की सिंचाई हो रही है ? गांव व मय रकबा विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भूंगडा कैनाल के सम्बन्धित गांव खेरवा, जूलीयावाडा, नेकरेड, झरकनीया, हानगढा, कूण्डा, उदाजीका गढा, खमेरा, बरोड़, भगोरो काखेडा, महापूरा सारेल, रामली, रुपजी का खेडा, रोहनीया मानेग, कन्ठाव, देलवाडा लोकीया व देलवाडा रावणा की कृषि भूमि भूंगडा कैनाल द्वारा जो पीयत से वंचित है को क्या सरकार पानी देकर राहत दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, 1 नवम्बर, 1983 को शेष कार्य 31 मार्च, 1993 को।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। उक्त नहरों से वर्तमान में 25 ग्रामों में सिंचाई हो रही है, जिसका विवरण गांव मय रकबा परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं। यह समस्त ग्राम भूंगड़ा नहर के जल प्रवाह स्तर से 1 मीटर से 10 मीटर ऊपर ऊंचाई पर स्थित है। अतः इन ग्रामों में सिंचाई हेतु भूंगड़ा नहर से जल उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

माही परियोजना की मुख्य नहरों का विवरण

क्र. सं.	नहर का नाम	नहर की लम्बाई	हैड पर जल प्रवाह क्षमता	निकलने वाली मुख्य वितरिकाओं के नाम एवं वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई	कुल सी.सी.ए. (हैक्टेयर)	जून,2004 तक सिंचाई सृजन क्षेत्रफल सी.सी.ए.	विशेष विवरण
1	भूंगड़ा नहर	39.80 किमी.	112 क्यूसेक्स	कॉलोनी, खैरवाड़ी, मोरक्षा, वापटिया, भूंगड़ा बाडगुन, घाटिया, पाडला, फूटी डूंगरी, काकरिया वितरिकाओं की समस्त वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 42 किमी.	3490 लाभान्वित गांव 25	2238 हैक्टेयर	भूंगड़ा नहर माही बांध से निकलती है।
2	बांई मुख्य नहर	36.12 किमी.	2200 क्यूसेक्स	बांका, पालोदरा, डोरा, छीछ आनन्दपुरी वितरिकाओं की समस्त वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 1025 किमी.	40570 तथा लाभान्वित गांव 187	35466 हैक्टेयर	कागदी पिक अप वीयर माही बांध के नीचे स्थित है उससे दो नहर बांबी मुख्य नहर एवं दांयी मुख्य नहर निकलती है।
3	दांई मुख्य नहर	72.70 किमी.	1100 क्यूसेक्स	उदपुरा, नरवाली, जगपुरा, भीखाभाई सागवाड़ा, करणपुर, बनोडा, लोहारिया, बडीसरेडी, आसोडा, खोडन वितरिकाओं की समस्त वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई 800 किमी.	35940 तथा लाभान्वित गांव 194	28420 हैक्टेयर	
			कुल योग:-		80,000	66124	

परिशिष्ट "ब"

भूंगड़ा केनाल से वर्तमान में जिस-जिस गांवों की जितनी-जितनी भूमि सिंचित होती है का विवरण

क्र.सं.	गांव	रकबा (हैक्टेयर में)
1.	चोब	73
2.	कटियोर	60
3.	खेरडाबरा	51
4.	उन्डावोरा	28
5.	सोमपुर	72
6.	बरबडियां	42
7.	उम्मेदपुरा	45
8.	नवागांव	42
9.	पाडी	10
10.	खेरबाडी	42
11.	गरनावट	45
12.	गोरछा	62
13.	गणेशपुरा	18
14.	भूंगड़ा	282
15.	काना डोकी का पाड़ा	188,
16.	वाडगुन	217
17.	उण्डवेला	27
18.	माटियां	192
19.	गोंज	265
20.	पाडला	140
21.	मियासा	172
22.	फुटियां डुंगरी	42
23.	कीका की नाल	42
24.	आंकरियां	33
25.	डुंगर	48
	योग	2238

अकृषि जिन्सों पर मण्डी शुल्क

202. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि मण्डियों में आने वाली कृषि उपज पर कृषि मण्डी समितियों द्वारा शुल्क वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी कृषि उपज पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ उपज जैसे शक्कर, गुड़, देशी घी आदि भी कृषि जिन्स की श्रेणी में आती हैं ? यदि नहीं, तो इन पर मण्डी शुल्क वसूलने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसी वस्तुओं से मण्डी शुल्क समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्सों पर कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है। शुल्क वसूल किए जाने वाले जिन्सों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दिया गया है।

(2) जी हां। शक्कर, गुड़ व देशी घी कृषि जिन्सों की अनुसूची में सम्मिलित हैं इसलिए इन पर मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है।

(3) जी नहीं। शक्कर, गुड़ व देशी घी "कृषि उपज" में शामिल हैं इस कारण इन वस्तुओं से मण्डी शुल्क समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

अधिसूचित कृषि जिन्से जिन पर मण्डी शुल्क वसूल किया जाता है

तन्तु	कपास।
धान्य	गेहूं, जौ, बेजड़, गोचना, गोजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान्य (पेडी)।
फली वाले धान्य	मूंग, अरहर, उड़द, चौला, बटला, चना, मूंगफली, मौठ, ग्वार कुल्थी, मसूर।
तिलहन	तिल, सरसों, राई, तारामीरा, उलसी सोयाबीन, सूर्यमुखी, रायला।
फल	नींबू, माल्टा, सन्तरा, सीताफल, पपीता, अमरूद, आम खरबूजा तरबूज, अनार, सिंगाड़ा, केले, बेर, मौसमी, अंगूर, फालसा, खीरा, केकड़ी, सेव, शहतूत, खिरनी, चीकू, लीची, लोकाट, आंवला, खुरमानी, आड़ू, जामुन, कमलकट्टा, आलुबुखारा।
सब्जियां	आलू, शकरकन्द, प्याज, टमाटर, कद्दू, फूलगोभी, बन्दगोभी, गाजर, बैंगन, मूली हरीमिर्च, भिण्डी, हरी मटर, पालक, लहसुन, पत्ते वाली सब्जियां, टिण्डा, लौकी, अरबी तौरइ, करेला, हरी चौलाई, हरी हल्दी, करौंदा, केरी, शलगम, परवल, जमीकंद, कटहल, कमलककड़ी, रतालू।
पशुपालन उत्पादन	ऊन और घी, जूट (ऊंट व बकरी के बाल) बटर आयल।
मसाले	जीरा, धनियां, लालमिर्च, मैथी, सोंफ, अजवाईन, अदरक।
वन उपज	इमारती लकड़ी।
विविध	पोस्त के दाने, पोस्त की डोडी, गुड़, चीनी, खाण्ड, खाण्डसारी इसबगोल, मेहन्दी।

खेतड़ी क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएं

203. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सरकार द्वारा चलाए गये, अकाल राहत कार्यों में काफी अनियमितताएं पाई गई थी ? यदि हां तो कहा-कहां पर क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मई, 2003 में अकाल राहत कार्यों के अचानक निरीक्षण के दौरान ग्राम खरखडा, कांकरिया एवं रसूलपुर में काफी अनियमितताएं पाई गई ? यदि हां, तो क्या ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? विवरण मय दोषी व्यक्तियों के नामों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) अनियमितता नहीं पायी जाने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के प्राचार्यों को निर्धारित वेतन भुगतान

204. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वरिष्ठ उपाध्याय स्तर के विद्यालयों में आदेश संख्या नि. सं. शि./संस्था-1/प्रा. व. उपा. नियु./2000/19498-578/23 जुलाई, 2000 के तहत लगाये गये प्राचार्यों को उनके पद का निर्धारित वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के प्राचार्य के पद पर उक्त आदेश से नियुक्त प्राचार्यों की डी.पी.सी. करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के पदों पर स्वयं के पाते वेतन में व्यवस्था के रूप में प्राचार्यों का पद्स्थापन किया हुआ है।

(2) जी हां, सेवा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया वित्त विभाग में विचाराधीन हैं। सेवा नियमों में प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय का पद सम्मिलित होने पर इन पदों पर नियमित डी.पी.सी. कराई जा सकेगी।

उप अधीक्षक पुलिस शाहबाद के विरुद्ध दायर इस्तगासे पर कार्यवाही

205. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां थाना शाहाबाद में रपट संख्या 61/2001 को दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 को थाना शाहाबाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां को अनुसंधान हेतु प्रस्तुत किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि शाहाबाद में कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इस्तगासा 156(3) में दर्ज कराया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि शाहाबाद अदालत द्वारा धारा 376 के अन्तर्गत उक्त उप पुलिस अधीक्षक का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस उप अधीक्षक पुलिस महकमें में होने से पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि जिला बारां थाना शाहबाद में दिनांक 20.8.2001 को पंजीबद्ध प्रकरण संख्या 61/2001 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां को अनुसंधान हेतु प्रेषित किया गया था।

(2) हां, यह सही है कि शाहबाद में कार्यरत उप पुलिस अधीक्षक एन.एल.पवन के खिलाफ न्यायालय ए.सी.जे.एम. शाहबाद में ईस्तगासा 156 (3) जा.फौ. में दिनांक 19.7.2001 को पेश किया गया।

(गृह मंत्री)

(3) हा, यह भी सही है कि न्यायालय ए.सी.जे.एम. शाहबाद द्वारा धारा 376 के अन्तर्गत उक्त उप पुलिस अधीक्षक का गिरफ्तारी वारंट दिनांक 13.11.2003 को जारी किया गया था।

(4) यह सही नहीं है कि पुलिस उप अधीक्षक पुलिस महकमें में होने से पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। चूंकि न्यायालय ए.सी.जे.एम. शाहबाद द्वारा उप अधीक्षक पुलिस के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर की गई एफ.आर. नं. 16/2001 पर दिनांक 27.9.2003 को प्रसंज्ञान लिया गया था तत्पश्चात दिनांक 13.11.2003 को उक्त न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया वारंट की तामील न करवा कर दिनांक 21.11.2003 को उक्त डाक द्वारा तामील हेतु कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (सी.बी.) जयपुर भिजवाया गया था उक्त वारन्ट की अन्तिम तिथि 2.12.2003 थी। वारंट जारी करने के पूर्व ही दिनांक 5.11.2003 को उक्त उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय बारां में निगरानी याचिका दायर की गई। अपील निगरानी की सुनवाई में दिनांक 16.7.2004 को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 27.9.2003 को अपास्त कर दिया है।

रानीवाड़ा में वृक्षारोपण पर व्यय

206. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गत 5 वर्षों में कितने वृक्षारोपण कहां-कहां किये गये इनमें से आज कितने वृक्ष मौजूद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वृक्षारोपण में कुल कितनी राशि व्यय की गई ? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गत पांच वर्षों में कुल 45 वृक्षारोपण विभिन्न स्थानों पर करवाये गये हैं। कार्यस्थलवार लगाये गये एवं जीवित पौधों की संख्या की सूची संलग्न परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त वृक्षारोपणों पर प्रारम्भ से 31.3.2004 तक कुल राशि रुपये 263.80 लाख व्यय की गई है। कार्यस्थलवार व्यय का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में गत पांच वर्षों में कराये गये वृक्षारोपणों का विवरण

क्रम सं.	नाम पंचायत समिति	कार्य क्रियान्वयन एर्जेसी	नाम योजना	नाम स्कीम	वृक्षारोपण कार्यस्थल का नाम	वर्ष	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	कुल रोपित पोधों की संख्या	अप्रैल 04 की गणना के अनुसार जीवित पौधों की सं.	वृक्षारोपण पर प्रारम्भ से 31-3-2004 तक कुल व्यय (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रानीवाडा	वन विभाग	सीडीपी प्रथम	टिबस्थिरीकरण	लाखावास	2000-01	50	25000	13015	10.80
2.	-''-	-''-	-''-	वनी-प्रथम	सूरजवाड़ा	2000-01	50	25000	11023	11.29
3.	-''-	-''-	-''-	-''-	सीलासन	2000-01	50	25000	16173	13.34
4.	-''-	-''-	-''-	शेल्टरबेल्ट	सूरजवाडा	2000-01	25	12500	6460	5.56
5.	-''-	-''-	-''-	-''-	सीलासन	2000-01	25	12500	8540	7.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	-"-	-"-	-"-	वनी-प्रथम	आखराड	2001-02	30	15000	11132	8.86
7.	-"-	-"-	-"-	-"-	सिलासन	2001-02	25	12500	9430	8.38
8.	-"-	-"-	-"-	शेल्टर बेल्ट	मालवाडा	2001-02	30	15000	10200	8.50
9.	-"-	-"-	सी डी पी द्वितीय	टिब्बास्थिरीकरण	आखराड	2001-02	50	25000	18972	13.07
10.	-"-	-"-	-"-	वनी-प्रथम	डाडोकी	2002-03	25	12500	9976	6.13
11.	रानीवाडा	वन विभाग	सी डी पी द्वितीय	वनी-प्रथम	रोडा-ए	2002-03	20	10000	7535	4.80
12.	-"-	-"-	-"-	-"-	रोडा-बी	2002-03	15	7500	5688	3.89
13.	जसवन्त पुरा	-"-	सी डी पी-प्रथम	टिब्बास्थिरीकरण	मुन्थला काबा	2000-01	50	25000	16050	7.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण-ए	2000-01	50	25000	19290	7.52
15.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण-बी	2000-01	50	25000	17918	7.87
16.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण-सी	2000-01	50	25000	18763	7.33
17.	-"-	-"-	-"-	वनीकरण-प्रथम	सीकवाडा-ए	2000-01	25	12500	7800	4.91
18.	-"-	-"-	-"-	-"-	सीकवाड़ा-बी	2000-01	25	12500	7425	4.88
19.	-"-	-"-	-"-	शेल्टरबेल्ट प्ला.	मुड़तरा सिली	2000-01	30	15000	10650	5.97
20.	-"-	-"-	-"-	टिब्बास्थिरीकरण	पूरण-डी	2001-02	50	25000	17511	10.41
21.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण ई	2001-02	50	25000	20157	10.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	-"-	-"-	-"-	वनीकरण द्वितीय	पूरण	2001-02	25	2500	1988	1.41
23.	-"-	-"-	सी डी पी-द्वितीय	टिब्बास्थिरीकरण	मुन्थला काबा	2001-02	25	12500	8760	5.64
24.	—'—	-"-	-"-	-"-	सणदरा	2001-02	35	17500	13800	6.16
25.	-"-	-"-	-"-	वनीकरण प्रथम	मनोहरजी का वास	2001-02	15	7500	4505	5.01
26.	-"-	-"-	-"-	टिब्बा स्थिरीकरण	पूरण एफ	2002-03	50	25000	23880	8.86
27.	जसवन्त पुरा	वन विभाग	सी डी पी द्वितीय	टिब्बास्थिरीकरण	पूरण जी	2002.03	50	25000	24284	9.88
28.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण एच	2002-03	50	25000	23562	9.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण आई	2002-03	50	25000	23530	9.08
30.	-"-	-"-	-"-	वनीकरण द्वितीय	आजबर	2002-03	15	1500	1210	1.77
31.	-"-	-"-	-"-	-"-	बू-गांव	2002-03	15	1500	1205	1.09
32.	रानीवाड़ा	ग्राम पंचायत चितीरोडी	सीडीपी तृतीय	शेल्टरबेल्ट प्ला.	कोड़ी	2003.04	15	7500	6497	3.39
33.	जसवन्त पुरा	ग्राम पंचायत पूरण	-"-	टिब्बा स्थिरीकरण	पूरण प्रथम	2003-04	25	12500	12000	4.03
34.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण द्वितीय	2003.04	25	12500	12000	4.03
35.	-"-	-"-	-"-	-"-	पूरण तृतीय	2003-04	25	12500	12000	4.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	-"-	ग्राम पंचायत दांतलावास	-"-	-"-	राजपूरा	2003-04	15	7500	6750	2.65
37.	-"-	-"-	-"-	-"-	सणदरा	2003-04	10	5000	5000	1.30
38	-"-	ग्राम पंचापयत पूरण	-"-	वनीकरण प्रथम	पूरण	2003-04	15	7500	7200	3.08
39.	-"-	ग्राम पंचायत मोदरा	-"-	-"-	मोदरा	2003-04	15	7500	अप्राप्त	2.39
40.	-"-	ग्राम पंचायत पूरण	-"-	वनीकरण द्वितीय	पूरण	2003-04	24	2400	2200	2.65
41.	जसवन्त पुरा	ग्राम पंचायत राजीकावास	सीडीपी तृतीय	वनीकरण द्वितीय	राजिकावास	2003-04	25	2600	2100	1.69
42.	-"-	-"-	-"-	-"-	जाविया	2003-04	25	2500	2050	1.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	-"-	ग्राम पंचायत थूर	-"-	-"-	थूर	2003-04	25	2500	2500	3.08
44.	-"-	ग्राम पंचायत दोरडा	-"-	-"-	दोरडा	2003-04	25	2500	2400	2.25
45.	-"-	ग्राम पंचायत थूर	-"-	-"-	शिवगढ़	2003-04	10	1000	900	1.39
						योग	1384 हैक्टर	61640 0 पौधे	46402 9 पौधे	263.80 लाख रुपये

अन्तरराज्यीय जल-विवाद

207. डा. एन.एस.गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान का पानी के बंटवारे को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ कोई विवाद है ? यदि हां, तो किन-किन राज्यों के साथ क्या-क्या विवाद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य को उसके हिस्से का पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं नदीवार कारण निम्न हैं।

अ. रावी व्यास सतलज नदी का

जल:-

1981 के अनुबन्ध के अनुसार रावी व्यास नदियों के 17.17 एम.ए.एफ. अतिरिक्त पानी के बंटवारे में राजस्थान के हिस्से में 8.60 एम.ए.एफ. पानी दिया जाना है जो कि कुल बंटवारे योग्य पानी का 52.7 प्रतिशत है। अनुबन्ध के समय पर राजस्थान की सिंचाई प्रणाली क्षमता 8.6 एम.ए.एफ. पानी लेने की नहीं थी। यह तय हुआ कि जब तक राजस्थान इस पानी के उपयोग की क्षमता विकसित नहीं कर लेता है। तब तक 0.60 एम.ए.एफ. पानी को पंजाब द्वारा उपयोग करने पर सहमति हुई। अब राजस्थान अनुबन्ध के अनुसार आबंटित 8.60 एम.ए.एफ. जल का उपयोग करने में सक्षम है। परन्तु पंजाब से 0.60 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को उपलब्ध नहीं हो रहा है।

ब. यमुना नदी का जल :-

1. राज्य को यमुना नदी का जल ओखला एवं ताजेवाला हेड वर्क्स से प्राप्त होना है। इन दोनों हेड वर्क्स से हरियाणा की नहर प्रणाली को रिमोडल करने के पश्चात् राजस्थान को पानी मिलना है। इसके लिये दो परियोजनाएं बनाकर केन्द्रीय जल आयोग से इस शर्त पर सहमति प्राप्त हुई है कि दोनों राज्यों में कार्य एक साथ प्रारम्भ किये जावेंगे एवं हरियाणा इस प्रस्ताव में वर्णित हरियाणा राज्य में होने वाले कार्यों पर अपनी सहमति प्रदान करेगा। हरियाणा राज्य द्वारा सहमति नहीं देने के कारण राज्य में यमुना जल का उपयोग करने हेतु नहर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है।

2. वर्तमान में 500 क्यूसेक्स यमुना जल का उपयोग करने हेतु भरतपुर जिले में गुड़गांवा नहर बनी हुई है। हरियाणा राज्य में स्थित गुड़गांव नहर में से काश्तकारों द्वारा अनाधिकृत पम्प एवं साइफन लगाकर पानी का दोहन कर लिया जाता है। इससे राज्य को यमुना नदी का पानी हिस्से के अनुसार हरियाणा राजस्थान सीमा पर उपलब्ध नहीं हो पाता है।

3. बिन्दु नम्बर दो के अलावा 300 क्यूसेक्स यमुना जल का उपयोग करने हेतु भरतपुर जिले में भरतपुर फीडर बनी हुई है। यह पानी आगरा कैनाल के माध्यम से उत्तरप्रदेश क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इस नहर में भी उत्तर प्रदेश के काश्तकार उत्तरप्रदेश क्षेत्र में अनाधिकृत पम्प लगाकर पानी का दोहन कर लेते हैं और राज्य को हिस्से के अनुसार सीमा पर पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अन्तर्राज्यीय बैठकों में निर्धारित पानी को प्राप्त करने हेतु प्रभावी तरीके से रखा जाता रहा है एवं राजस्थान सरकार अन्तर्राज्यीय पानी के मामले में भारत सरकार के साथ विभिन्न बैठकों में इन बिन्दुओं का हल निकालने के लिये प्रयत्नशील है। पंजाब से पानी विवाद हल के सम्बन्ध में एक सर्वदलीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। यदि आवश्यकता हुई तो सरकार न्यायालय में भी जायेगी।

कृषि बीमा योजना में सम्मिलित क्षेत्र

208 श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि बीमा योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा इस योजनान्तर्गत सभी राजस्व जिलों को कब तक सम्मिलित कर लिया जावेगा ? प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो क्या-क्या तथा उनके निराकरण के लिए सरकार द्वारा क्या योजना प्रस्तावित है।

(3) सरकार कृषि बीमा योजना को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से कब तक लागू करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) राजस्थान प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2003 से लागू कर दी गई है। ऐसे सभी जिलों को जहां संसूचित फसल मुख्य रूप से बोई जाती है इस योजना में सम्मिलित किया गया है।

(2) गत वर्ष मानसून वर्षा अच्छी होने से फसल बीमा योजना का व्यवहारिक रूप से परीक्षण नहीं हो सका।

(3) राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पूरे प्रदेश में खरीफ 2003 से लागू कर दी गई है। पूर्व में 6 फसलें सम्मिलित की गई थी जिसको व्यापक रूप से अन्य फसलों को सम्मिलित करते हुये खरीफ 2004 से 14 फसलों को सम्मिलित कर लिया गया है।

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ठेके पर उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों का शोषण

209. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(1) क्या यह सही है कि किसी गैर सरकारी संस्था द्वारा सरकार को किसी अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान को कार्मिक उपलब्ध करवाना श्रम कानून की परिधि में आता है ? यदि हां, तो वर्तमान में ऐसी कितनी एवं कौन-कौन सी संस्थाओं द्वारा उपरोक्त कार्य किया जाना सरकार की जानकारी में है ?

(2) क्या ऐसी संस्थाओं द्वारा अपने कार्मिकों को दिये जाने वाले वेतन भत्तों तथा कार्मिकों पर लागू की जाने वाली सेवा शर्तों के बारे में सरकार को जानकारी है ? क्या सरकार ने ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे ऐसी संस्थाओं द्वारा अपने कार्मिकों का शोषण नहीं किया जा सके।

(3) क्या लोक जुम्बिश परिषद जयपुर को पूर्व सैनिक वैलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी लि. द्वारा कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने के बारे में सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कार्मिकों की स्थिति से संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) जी हां। संस्थाओं की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत ऐसी संस्थाओं के कार्मिकों को दिये जाने वाले वेतन भत्ते सुनिश्चित किये जाते है। इसकी पालना नहीं करने वाली संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कार्मिकों के हित संरक्षणार्थ कदम उठाये गये हैं।

(3) जी नहीं।

कार्मिक उपलब्ध करवाने वाली गैर सरकारी संस्थाओं का विवरण

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पता
1	2	3
1.	बुद्धिसिंह एक्सपोर्ट लेबर सर्विस	उदयपुर
2.	पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान	कोटा
3.	सेन्ट्रल इन्वेस्टीगेशन सिक्योरिटी सर्विस	कोटा
4.	राजपूताना एक्स सर्विसमैन को-आप. सोसायटी	कोटा
5.	सिक्यूरिटी एण्ड इन्टेलीजेन्स सोल्यूशन	कोटा
6.	रणबका भूतपूर्व सैनिक बहुद्देशीय सह. स.	कोटा
7.	समुन्दरसिंह एण्ड सन्स	करणी कोलोनी, शान्ति नगर जयपुर
8.	चैकमेट डिटेक्टिव ऐजेन्सी	जयपुर
9.	विनोद कुमार पारीक, ठेकेदार	49, ब्रह्मपुरी, जयपुर
10.	एच.आर.एसोसियेशन	मालवीय नगर सैक्टर-6 के सामने, जयपुर
11.	विनोद कुमार पारीक एण्ड कं.	निर्माण नगर, जयपुर।
12.	जय भवानी, एक्स सर्विस मैन को. सोसायटी लि.	हवा सड़क, सिविल लाईन, जयपुर।
13.	विवेका नन्द औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	5, इन्द्रा कोलोनी, जयपुर।
14.	अक्षयदीप	ए-बी, 246, निर्माण नगर, जयपुर।

1	2	3
15.	नोश एण्टरप्राइजेज,	एस-11, कृष्णा माल, टौंक रोड़, जयपुर।
16.	लांसर सिक्योरिटी एण्डमेन्टीनेन्स सर्विसेज	जोधपुर
17.	मां वैष्णोदेवी सिक्योरिटी सर्विसेज	जोधपुर
18.	जे.पी.एण्टर प्राइजेज	जोधपुर
19.	इमोबेबल प्रोपर्टी सेफ्टी एजेन्सी मुम्बई	जोधपुर
20.	किसान सेवा समिति	जोधपुर
21.	राठी एण्ड सन्स	जैसलमेर
22.	देवीलाल पुत्र बंसीलाल वैष्णव	रानीवाड़ा, जालौर
23.	मैं जगदीश सिंह रावत	अजमेर
24.	मै. गोविन्दीराम श्रीराम	अजमेर
25.	मै. गोकलराम	अजमेर
26.	मै. अफजल, किशनगढ़	अजमेर
27.	मै. मेहराज खां गंगवाना	अजमेर
28.	मै. छोटेलाल सुगाराम	अजमेर
29.	मै. कपूर कन्स्ट्रक्शसन कम्पनी	अजमेर
30.	मै. सेवाराम हासाराम	अजमेर
31.	मै. नरेन्द्र गुप्ता	अजमेर
32.	मै. सुरेन्द्र भण्डारी, किशनगढ़	अजमेर
33.	मै. एचएमटी एम्प.कोप केन्टीन	अजमेर
34.	मै. निम्बार्क ठेकेदार	अजमेर
35.	मै. पार्श्वनाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	अजमेर

1	2	3
36.	मै. राजेन्द्र गोयल	अजमेर
37.	मै. अंकित कन्स्ट्रक्शनल कम्पनी	अजमेर
38.	मै. श्रीमति कृष्णा देवी	अजमेर
39.	मै. सुरेश गहलोत	अजमेर
40.	मै. विजय गुप्ता	अजमेर
41.	मै. कपूर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	अजमेर
42.	मै. सुरेश कुमार कुमावत, किशनगढ़	अजमेर
43.	मै. हेमन्त शर्मा	अजमेर
44.	मै. संग्राम सिंह	अजमेर
45.	मै. पुखराज शर्मा	अजमेर
46.	मै. राकेश कुमार एण्ड एसोसियेट्स	श्रीगंगानगर
47.	मै.बालाजी कन्ट्रैक्टर्स	श्रीगंगानगर
48.	श्री हनुमन्त सिंह, ठेकेदार	बांसवाड़ा
49.	मै. माडर्न कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लायर,	चूरू
50.	मै. सफलता प्लेसमेन्ट एजेन्सी,	चूरू

गंगरार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के पदों की स्वीकृति

210. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगरार में कितनी कक्षाएं चलती हैं तथा किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(2) क्या उक्त विद्यालय से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद विगत वर्षों में हटा दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय में हटाये गये पदों को पुन: स्वीकृत कर अध्यापक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगरार में कक्षा 6 से 12 तक संचालिक है। स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद नाम	स्वीकृत पद
प्रधानाचार्य	01
व्याख्याता	15
वरिष्ठ अध्यापक	06
शारीरिक शिक्षक-II ग्रेड	01
वरिष्ठ लिपिक	01
पुस्तकालयाध्यक्ष-III ग्रेड	01
प्रयोगशाला सहा.III ग्रेड	03
कनिष्ठ लिपिक	01
प्रयोगशाला सेवक	03
जमादार	01
चतुथ श्रेणी कर्मचारी	03

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। राज्यमें माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में छात्र संख्या, अध्यापकों के कालांश भार को मध्यजनर रखते हुये समानीकरण योजना के तहत अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद समाप्त किये गये हैं।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) रा.उ.मा.वि.गंगरार में पूर्व से ही विज्ञान संकाय संचालित है।

भरतपुर एवं करौली जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण

211. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला भरतपुर एवं करौली में जनवरी, 2004 से 31 मई, 2004 तक की अवधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए ? मुकदमा नं. एवं थाना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनवरी 2004 से 31 मई 2004 की अवधि में जिला भरतपुर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कुल 183 मुकदमें दर्ज हुए। इन प्रकरणों की एफ.आई.आर. संख्या मय थानावार परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

इस अवधि में अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत करौली जिले में कुल 69 मुकदमें दर्ज हुए जिनकी एफ.आई.आर. संख्या मय थानावार सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

करौली में अवैध खनन

212. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली में गत तीन वर्षों में खनन कार्य के लिए पट्टे लीज पर दिये गए हैं ? यदि हां, तो किन –किन को ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खनन क्षेत्र में लीज पर दिये गये पट्टों के अतिरिक्त खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से वन क्षेत्र की भूमि पर खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त खनन माफियाओं के विरुद्ध कोई अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो कब व किन-किन के विरुद्ध तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई ?

(3) क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार खनन माफियाओं द्वारा किये गए अवैध खनन क्षेत्र में खनन मजदूरों को खनन पट्टे जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र करौली में गत तीन वर्षों में कुल 27 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वन क्षेत्र में अवैध खनन की जांच हेतु वर्ष 2002 में एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 71 मामले अवैध खनन के पाये। जब-जब भी अभियान चलाया गया एवं उनके विरुद्ध जो-जो कार्यवाही की गई, का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां सरकार अवैध खनन को रोकने के हर सम्भावित प्रयास करती है इस बाबत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) एक्ट 1957 की

(खनिज मंत्री)
धारा 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 48 के अन्तर्गत सहायक खनि अभियन्ता, खनि. अभियन्ता, खनि अभियन्ता (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियन्ता, अतिरिक्त निदेशक (खान) द्वारा कार्यवाही की जाती है एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.6.1992 के तहत अनाधिकृत खनन की रोकथाम बाबत विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अवैध खनन रोकने हेतु एक स्थाई कमेटी का गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.1.2003 से किया गया है।

(4) सरकार अवैध खनन को सख्ती से रोकने का पूर्ण प्रयास करती है जहां तक किसी क्षेत्र में खनन पट्टों के आबंटन का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति रिक्त क्षेत्र में खनन पट्टा हेतु आवेदन कर सकता है. जिस पर नियमानुसार खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

270. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के औद्योगिक क्षेत्र के विकास/विस्तार के लिये सरकार के पास कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि औद्योगिक क्षेत्र बस्सी एवं विधानसभा क्षेत्र में जमवारामगढ़ के विभिन्न गांवों में आये दिन होने वाले अग्निकांडों पर काबू पाने के लिये सरकार औद्योगिक क्षेत्र बस्सी में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां रीको ने विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बस्सी प्रथम व द्वितीय चरण, औद्योगिक क्षेत्र बस्सी विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र

(उद्योग मंत्री)

हीरावाला व हीरावाल विस्तार विकसित किए हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र बगराना (अविकसित) भी स्थापित किया है। वर्तमान में रीको के पास इस क्षेत्र में कोई नई योजना विकास हेतु प्रस्तावित नहीं है।

(2) उद्योग विभाग अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं कर रहा है लेकिन अग्निशमन केन्द्र स्थापित किए जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र बस्सी प्रथम चरण में 3500 वर्ग मीटर भूमि एवं औद्योगिक क्षेत्र हीरावाला में 4000 वर्गमीटर भूमि को चिन्हित कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर को सूचित कर दिया है।

राज्य में नमक उत्पादन हेतु भू-जल दोहन

271. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में 1985 से जून, 2004 तक प्रतिवर्ष कुल कितना नमक का उत्पादन हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उत्पादन के लिए अब तक कितने पानी का भू-गर्भ से दोहन किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में प्रतिवर्ष भू-जल का स्तर लगातार गिर रहा है। उसमें नमक उत्पादन क्षेत्र भी जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष, 1985 से वर्ष 2004 तक प्रतिवर्ष हुए नमक उत्पादन के आंकड़ों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट ''क'')

(2) उत्पादन के लिए भू-गर्भ से दोहन किये गये पानी की मात्रा का सही-सही आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध ''ब्राइन'' (नमकीन पानी) की सान्द्रता भिन्न-भिन्न होती है।

(3) जी हां। राज्य के नमक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष भूजल का स्तर गिर रहा है। इसका मुख्य कारण राज्य में गत पांच वर्षों से वर्षा का अभाव रहना है। नमक उत्पादन क्षेत्र इसके लिये जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में नमक उत्पादन नहीं हो रहा है। वहां भी जल स्तर में निरन्तर गिरावट आ रही है।

(राजस्थान राज्य का वर्षवार नमक उत्पादन) 6000 टन में)

(1985 से अप्रेल 2004 तक)

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादन (000,टन में)
1.	1985	1073.8
2.	1986	917.7
3.	1987	833.3
4.	1988	653.9
5.	1989	879.2
6.	1990	1084.2
7.	1991	1468.7
8.	1992	1159.6
9.	1993	1242.6
10.	1994	1096.7
11.	1995	1526.2
12.	1996	1131.4
13.	1997	1031.6
14.	1998	1120.5
15.	1999	1711.1
16.	2000	1228.5
17.	2001	1746.7
18.	2002	1658.0
19.	2003	1324.9
20.	2004(अप्रेल तक)	460.4

प्रश्न संख्या-272

(स्थगित)

बनीपार्क में जन सहभागिता योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था

273. **प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में कौन-कौन सी आवासीय कालोनी में जन सहभागिता योजना में जनवरी, 2003 से पेयजल उपलब्ध कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इस क्षेत्र की ओर कितनी आवासीय कालोनियों को इस योजना से जोड़ने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वेदविला आवासीय कालोनी, अजमेर रोड़ जयपुर द्वारा उक्त योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो कब व सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वेदविला आवासीय कालोनी, अजमेर रोड़ स्थित सहभागिता योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना का प्रस्ताव दिनांक 3.10.2001 को प्राप्त हुआ। वर्तमान में योजना सक्षम स्तर पर स्वीकृति निर्णय पूर्व जांच प्रक्रिया में है।

परिशिष्ट-क

प्रशासिनक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	द्वारा	दिनांक	अनुमानित लागत (रू. लाख)	वर्तमान स्थिति
1.	नालन्दा बिहार	अन्गुअ क्षेत्र जयपुर क्रमांक 4273	17.01.2003	1.29	पेयजल वितरण किया जा रहा है।
2.	लाल बहादुर नगर टोंक रोड	अन्गुअ क्षेत्र जयपुर क्रमांक 04	01.04.2003	0.42	पेयजल वितरण किया जा रहा है।
3.	देवी नगर श्याम नगर	अन्गुअ क्षेत्र जयपुर क्रमांक 392	09.05.2003	0.52	पेयजल वितरण किया जा रहा है।
4.	मोहन कालोनी राम नगर विस्तार	अन्गुअ क्षेत्र जयपुर क्रमांक 779	26.05.2003	1.99	पेयजल वितरण किया जा रहा है।
5.	कटेवा नगर	नीति निर्धारण समिति बैठक 152 वीं	15.07.2003	18.27	पेयजल वितरण किया जा रहा है।

परिशिष्ट-ख

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्तमान स्थिति
	सुन्दर बिहार योजना	योजना के प्रारूप प्रस्ताव बना लिए गए है एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति निर्णय पर विचारार्थ 1 माह में प्रस्तुत करना लक्षित है।
	देवी नगर-ए	योजना के प्रारूप प्रस्ताव बना लिए गए है एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति निर्णय पर विचारार्थ 1 माह में प्रस्तुत करना लक्षित है।
	गणपति बिहार खातीपुरा, एवं पंचवटी कालोनी	योजना बनाई जा रही है।
	जय जवान कॉलोनी फैज प्रथम	योजना के प्रारूप प्रस्ताव बना लिए गए है एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति निर्णय पर विचारार्थ 1 माह में प्रस्तुत करना लक्षित है।
	गोविन्दपुरी डी-ब्लाक	योजना के प्रारूप प्रस्ताव बना लिए गए है एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति निर्णय पर विचारार्थ 1 माह में प्रस्तुत करना लक्षित है।

बस्सी हेतु दीर्घकालीन पेयजल योजना

274. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी के फ्लोराइड युक्त भू-जल खारे-पानी व भू-भाग के तेजी से गिरते भू-जल स्तर एवं बढ़ती हुई आबादी को मध्य नजर रखते हुए दीर्घकालीन पेयजल योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पंचायत समिति बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के कौन-कौन से गांव, ढाणी शामिल किये जायेंगे ?

(3) उक्त योजना की क्रियान्विति कब तक व कितनी राशि के साथ एवं कौन-कौन सी कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कराई जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना का प्रारूप परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्रामों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त योजना के प्रथम चरण-प्रथम भाग को धन संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार वर्ष 2007-2008 तक पूरा करवाना लक्षित है। प्रथम चरण-द्वितीय भाग की स्वीकृति व क्रियान्वयन प्रथम चरण-प्रथम भाग की प्रगति प्राथमिकता व धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्भव होगी। योजना की कियान्विति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मार्फत करवाना प्रस्तावित है।

(प्रारूप विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

लालगढ़ ग्राम (चूरू) की पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

275. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मंगलाराम गोदारा)

क्या यह सही है कि ग्राम लालगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का उच्च जलाशय जीर्णशीर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उच्च जलाशय के स्थान पर गांव में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्वच्छ भूतल जलाशय पर हाई हैड पम्प लगाकर डायरेक्ट बूस्टिंग से जल वितरण करवाना 15.8.2004 तक लक्षित है।

जयपुर शहर के खराब पानी के मीटरों से राजस्व हानि

276. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में जलदाय विभाग ने कुल कितने पानी के मीटर लगा रखें हैं ? इनमें से कितने मीटर खराब हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खराब मीटर्स के कारण सरकार को प्रति वर्ष राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन मीटर्स को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में मई, 2004 माह में कुल 230411 मीटर युक्त जल सम्बन्ध है। इनमें से 111623 मीटर अकार्यशील है। विभिन्न श्रेणी अनुसार चालू एवं खराब मीटरों की संख्या निम्न प्रकार से है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

श्रेणी	कुल स्थापित मीटरों की संख्या	अकार्यशील मीटरों की संख्या
घरेलू	194796	94864
अघरेलू	34151	16270
औद्योगिक	1464	489
कुल योग	230411	111623

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सरकार का खराब मीटरों को चरणबद्ध तरीके से बजट उपलब्धता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बदलने की योजना है।

चूरू-बिसाऊ पेयजल योजनान्तर्गत लाभान्वित क्षेत्र

277. डा. चन्द्र शेखर बैद (तारानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में चरू-बिसाऊ पेयजल योजना के अन्तर्गत किस तहसील के कितने गांवों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(2) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी तथा इससे किस-किस क्षेत्र के कितने ग्राम लाभान्वित होंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चरू-बिसाऊ परियोजना में तारानगर तहसील के 5, चूरू तहसील के 78 तथा झुंझुनूं तहसील के 85 गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत तारानगर तहसील के दो गांव क्रमशः कोहिना व मादावास को लाभान्वित किया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) पम्प हाउस से ग्रामों के मीटर चैम्बर तक का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्रामों में टूंटी एवं केटल वाटर ट्रफ निर्माण के कार्य हेतु ग्राम जल एवं स्वास्थ्य समितियां गठित करने के कार्यादेश क्रमांक 2901 दिनांक 3.7.2004 के द्वारा दिया जा चुका है। जन सहभागिता इकाई द्वारा जल एवं स्वास्थ्य समिति का गठन जन सहयोग राशि एकत्रित करना सार्वजनिक टूंटियों के लिए स्थल का चयन, पी.एम.सी. से अनुबन्ध आदि की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस योजना को 31.3.2005 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में तारानगर तहसील के 5, चूरू तहसील के 78, तथा झुंझूनूं तहसील के 85 गांवों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर, अजमेर व टोंक के बन्द खनन क्षेत्र

278. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर, अजमेर व टोंक जिले में वर्ष 1999 से 2003 तक किस-किस व्यक्ति को कौन-कौन से क्षेत्र में किस-किस खनिज की कितनी अवधि तक तथा क्षेत्र में खाने आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उपरोक्त जिलों में कौन-कौन सी खानें चालू हैं तथा कौन-कौन सी खानें किस कारण चालू नहीं हुई है ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1999 से पूर्व वन एवं पर्यावरण के कारण बन्द की खानें पुनः चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर, अजमेर एवं टौंक जिले में वर्ष 1999 से 2003 तक आवंटित की गई खानों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त जिलों में खानों की सूचि परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है। जो खानें बन्द है उनकी सूची मय कारण के परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(3) वन क्षेत्र में गिरने वाली खानों के अनारक्षण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र से प्रत्यावर्तन कर दिये जाने के पश्चात् तथा पर्यावरण क्लीयरेन्स के कारण बन्द खानों में पर्यावरण क्लीयरेन्स प्राप्त होने के पश्चात खनन कार्य पुनः चालू कराया जायेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रूपवास की वन भूमि में खनन कार्य

279. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कोटरी, कोटरा ढहर, काला खाना पालनपुर, मोठिया पुरा, आरैनी गुर्जन, खरैरा, झिरना, पोछड़ी आदि ग्रामों में खनिज कार्य होता है ? यदि हां, तो, किस-किस के द्वारा ? आबंटित व्यक्तियों के नाम व खान नम्बरों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन गांवों के अन्तर्गत आने वाली जमीन वन क्षेत्र में पड़ती है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में वन विभाग की भूमि है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में कोई भी खान आबंटित नहीं है एवं किसी भी व्यक्ति के नाम पर खनन पट्टे आबंटित नहीं है।

(2) जी हां। उक्त सभी गांवों में वन भूमि भी पड़ती है।

बांसवाड़ा के उप निरीक्षक पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों के विरुद्ध आरोप

280. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा में पदस्थापित एक उप निरीक्षक ने अप्रेल, 2004 में एक प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाकर अपने उच्चाधिकारियों पर भ्रष्टाचार व कुछ अन्य संगीन आरोप लगाये थे ?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उप निरीक्षक ने गृह विभाग में लिखित रूप से अपने उच्चाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त उप निरीक्षक द्वारा लगाये गये आरोपों के आधार पर सरकार ने कोई जांच की ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जांच कार्य में निष्पक्षता बरतने के दृष्टिकोण से आरोपित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गृह विभाग में ऐसी कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(3) उक्त उप निरीक्षक (श्री जितेन्द्र आंचलिया) द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में श्री आर.एस.ढिल्लो, महानिरीक्षक पुलिस, सी.आई.डी (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 15.04.2004 से 26.04.2004 तक जांच की गई। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) उक्त प्रकरण में आरोपित अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटा दिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरकार द्वारा दुर्घटना पीड़ितों को देय सहायता

281. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां में गत चार माह की अवधि में कितने लोगों की किस-किस दुर्घटना में कब-कब मत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दुर्घटनाओं की सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो नियम/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उप-खण्ड नावां में हुई किस-किस दुर्घटना के पश्चात् पीडित परिवारों को उच्चाधिकारियों द्वारा सांत्वना दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मीठडी (नावां) के पीडित परिवारों को कब एवं कितनी राशि की सहायता दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ग्राम पंचायत हिराणी में माह मई, 2004 में विद्युत सप्लाई का तार टूटने से करन्ट लगकर दो भैंसों की मौत हुई है यदि हां, तो प्रशासन ने श्री गोगाराम पुत्र चेताराम कुमावत निवासी श्री नगर हिराणी को क्षतिपूर्ति के लिये कितनी राशि कब उपलब्ध कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नावां में गत चार माह (फरवरी 04 से मई 04 तक) की अवधि में विभिन्न दुर्घटनाओं में कुल 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। थानावार व दिनांक घटना सहित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना में मृत्यु पर मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता जिला कलक्टर द्वारा दी जाती है। उक्त सहायता मुख्य मंत्री सचिवालय के आदेशानुसार दी जाती है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) उपखण्ड नावां में दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीडित परिवारों को यथासमय राजस्व अधिकारियों द्वारा उनके घर जाकर सांत्वना दी गई है।

(4) मीठडी (नावां) में पीडित परिवार के (1) मृतक लक्ष्मीनारायण की पत्नि मीरा देवी को व (2) मृतक जगदीश प्रसाद की पत्नी राधा देवी को दिनांक 28.5.2004 को दस-दस हजार रूपये की सहायता राशि दी गई है।

(5) प्राकृतिक आपदाओं से घटना घटित होने पर मृतक पशुओं के लिए क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान नहीं है। अतः श्री गंगाराम पुत्र श्री चेताराम कुमावत को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि नहीं दी गई।

परिशिष्ट-''अ''

बिन्दु सुख्या-1 विधान सभा क्षेत्र नावां में माह फरवरी, 2004 से मई, 2004 तक दुर्घटना में हुई मृत्यु

क्र. स. 1	नाम थाना 2	दुर्घटना के प्रकरण सं.दिनांक एवं धारा 3	मृतक का नाम पता 4	घटना स्थल व घटना व दिनांक 5
1.	चितावा	18/8.3.2004, 279, 304ए, आईपीसी	तिलोकराम पुत्र चंद्राराम मेघवाल नि. छापरी थाना चितावा	8.3.2004
2.	-''-	25/19.3.2004,279, 304ए आईपीसी	महेन्द्र पुत्र अर्जुनराम जाट नि. डूकियो की ढाणी कोटड़ा	19.3.2004
3.	नावांसिटी	23/18.2.2004. 279,337,338,304, आईपीसी	रामनारायण गुर्जर नि. हीरापुरा	सरहद नांवा 17.2.2004
4.	-''-	30/2.3.2004,279,337,304ए, आईपीसी	रामस्वरूप पुत्र प्रभु मीणा नि. लूणवा थाना नांवा	सरहद नांवा 2.3.2004
5.	-''-	36/2.4.2004,279,337,304ए आईपीसी	कु. सरोज पुत्र रूपनापथ जाट उम्र 5 वर्ष निवासी हेमा की ढाणी	कस्बा नांवा 2.4.2004
6.	-''-	49/13.5.2004,279, 304ए आईपीसी	हंसराज पुत्र डालूराम गुर्जर उम्र 17 वर्ष नि. खारडिया	सरहद मीठड़ी 13.5.2004
7.	कुचामन सिटी	52/9.3.2004, 279, 337,304ए आईपीसी	सरीता पुत्री भवानी शंकर स्वामी नि. बोरावड	कस्बा कुचामन 9.3.2004
8.	-''-	58/25.3.2004 279, 337,304ए, आईपीसी	भागीरथ स्वामी नि. पलाड़ा	कस्बा कुचामन 25.3.2004

1	2	3	4	5
9.	-"-	64/1.4.2004,279, 227, 338, 304ए आई पीसी	कुंभी राम पुत्र बाबुलाल मेघवाल नि. गुणावती	नारायणपूरा 1.4.2004
10.	-"-	82/20.4.2004,279, 304ए, आईपीसी	फिरोज पुत्र मुलाम रसूल मुसलमान नि. कुचामन	सरहद खारिया 20.4.2004
11.	-"-	90/8.5.2004,279,337,304ए आईपीसी	1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र कुमावत नि. मिठड़ी 2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामचन्द्र कुमावत नि. मीठड़ी	नारायण पुरा 8.5.2004 नारायण पुरा 9.5.2004
12.	कुचामनसिटी	94/26.5.2004,279, 3045ए, आईपीसी	ओमप्रकाश पुत्र ताजूराम गुर्जर उम्र 5 वर्ष नि. कुचामनसिटी	कस्बा कुचामनसिटी 26.5.2004
13.	मारोठा	23/5.3.2004,279, 304ए आईपीसी	रूपनारायण पुत्र जगदीश प्रसाद नायक नि. मौठड़ी	5.3.2004

परिशिष्ट-''अ-।''

बिन्दु सुख्या–3 :- उप खण्ड नावां की किस-किस दुर्घटना के पश्चात् पीडित परिवारों को सहायता दी गई। ''उक्त अवधि''

क्र.सं.	नाम पता मृतक	सहायता प्राप्त करने वाले का नाम	स्वीकृति दिनांक	राशि
1.	श्री बजरंगसिंह पुत्र भीगीरथ सिंह राजपूत नि. लाम्बा कोठड़ा तह. नावां	मृतक की पत्नी श्रीमति प्रेम कंवर	13.2.2004	10,000
2	मंजू पुत्री ओमप्रकाश बलाई नि. नावां	पिता ओमप्रकाश	-''-	-''-
3	घायल-पतासी पत्नी ओमप्रकाश बलाई नि. नांवा	पति ओमप्रकाश	-''-	2500/-
4	गोरधनलाल पुत्र छीतरमल कुमावत नि. नांवा	माता बिदामी	12.3.2004	10,000/-
5	मगनाराम पुत्र धन्नाराम मेघवाल नि. आसपुरा	पत्नी कमला	13.4.2004	-''-
6	कु. सरीता पुत्री भवानीशंकर स्वामी नि. बोरावड़	पिता भवानीशंकर	-''-	-''-
7	अजयसिंह पुत्र गोरूराम जाट नि.मूआना	पत्नी केसरदेवी	28.5.2004	-''-
8	लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी मीठड़ी	पत्नी मीरादेवी	-''-	-''-
9	जगदीशप्रसाद पुत्र रामचन्द्र कुमावत निवासी मीठडी	पत्नी राधादेवी	-''-	-''-
10	राजेन्द्रपुरी पुत्र गोमापुरी नि. सुरपुरा	पत्नी राजूदेवी	2.6.2004	-''-
11	बीरमाराम पुत्र बालूराम जाट निवासी टोडाव (नांवा)	पत्नी संतोषदेवी	-''-	-''-

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

मुख्य मंत्री सचिवालय

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान।

विषय : दुर्घटना में मुख्य मंत्री सहायता कोष से तात्कालिक सहायता।

दुर्घटना में घायल व्यक्ति /मृतक की तात्कालिक सहायता स्वीकृत करने हेतु आपको निर्देश दिये गये हैं कि मृतक के मामले में 10 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए स्थिति के अनुसार पांच हजार रूपये तक की सहायता का आप भुगतान कर पुर्नभरण मुख्य मंत्री सहायता कोष से प्राप्त कर लें।

माननीय मुख्य मंत्री जी के यह ध्यान में आया है कि कई व्यक्ति यह समझते है कि यह सहायता जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति की गई है और परिणाम स्वरूप मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता स्वीकृति करने हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। अत: निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में सहायता राशि का भुगतान करते समय यह स्पष्ट कर दिया जावें कि यह तात्कालिक सहायता माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा ही मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की गई है। सहायता का भुगतान करते समय आप द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र प्रारूप-1 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। बीमारी के ईलाज/ अन्य सहायता की स्वीकृति के मामले में भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप-2 भी संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सी.के.मैक्यू

(सचिव, मुख्यमंत्री)

पुलिस थानों के आधुनिकीकरण हेतु आबंटित सामग्री

282. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों को कम्प्यूटर फैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन आवंटित की गयी ? सूची मय पुलिस स्टेशन के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आबंटित की गयी सामग्री यथा स्थान पर लगी हुई है या अभी तक अन्य स्थान (मुख्यालय) पर ही रख ली गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त सामान को पुलिस स्टेशनों पर पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस आधुनिकीकरण के अन्तर्गत राज्य के 422 पुलिस स्टेशनों को फोटो कापीयर एवं 171 पुलिस स्टेशनों को फैक्स मशीन आबंटित की गई। सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है। कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

(2) केवल मात्र चार पुलिस स्टेशन को आबंटित फोटो कॉपीयर तथा एक पुलिस स्टेशन को आबंटित फैक्स मशीन कार्य की अधिकता एवं महत्ता के कारण अस्थाई तौर पर अन्य कार्यालय को उपयोग हेतु दी गई है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है -

जिला	थाना	आबंटित सामग्री	कार्यालय का नाम जिन्हें अस्थाई तौर पर उपयोग हेतु दी गई है
कोटा ग्रामीण	1 सीमलिया 2 बपावर 3 सुकेत	फोटो कापीयर फोटो कापीयर फोटो कापीयर	पुलिस थाना कनवास पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण उप अधीक्षक पुलिस एससी/एसटी सेल कोटा ग्रामीण
जयपुर शहर (उत्तर)	1 ब्रह्मपुरी	फोटो कापीयर	पुलिस निरीक्षक उपराध शाखा जयपुर (उत्तर)
अजमेर	1 नसीराबाद, सदर	फैक्स मशीन	रेंज कार्यालय, अजमेर।

(गृह मंत्री)

(3) चूंकि सामग्री अस्थाई तौर पर कार्य की महत्ता को देखते हुए अन्य कार्यालयों को दी गई है अत: कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चौमूं (जयपुर) में वर्ष 1998 में घटित सड़क दुर्घटना प्रकरण

283. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1998 में राधा स्वामी बाग़, तहसील चौमूं जिला जयपुर में टाटा 407 से दो विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद जन आक्रोश फूटने के कारण पुलिस व भीड़ में लाठी-भाटा जंग में काफी गाडियों के शीशे तोड़े गए तथा अनेक गाडियों को जला दिया गया था ?

(2) उक्त मामले में पुलिस द्वारा 120 व्यक्तियों को मुल्जिम बनाया गया जिसमें अनेक मुल्जिमान निर्दोष थे ? यदि हां, तो क्या उक्त की पुलिस जांच लम्बित है या न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है ?

(3) क्या सरकार निर्दोष व्यक्तियों की जांच कर उन्हें बरी करने या सभी व्यक्तियों का चालान न्यायालय में पेश करने का विचार रखती है ? अथवा उपरोक्त मुकदमा वापस लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सन् 1998 में राधा स्वामी बाग़ तहसील चौमूं जिला जयपुर में टाटा 407 से दो विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद जन आक्रोश फूटने के कारण आक्रोशित भीड़ द्वारा काफी गाडियों के शीशे तोड़ दिए थे तथा सी.ओ. वृत झोटवाड़ा की सरकारी जिप्सी को जला दिया गया था।

(2) यह सही है उक्त मामले में पुलिस द्वारा 120 व्यक्तियों को मुल्जिम बनाया गया है। यह सही नहीं है कि इनमें उनेक मुल्जिम निर्दोष थे। इस सम्बन्ध में पुलिस जांच लम्बिन नहीं है। उक्त 120 अभियुक्तों के विरूद्ध चालान न्यायालय में दिनांक 6.12.2003 को पेश किया जा चुका है।

(गृह मंत्री)

(3) उक्त अभियोग में बाद अन्वेषण सभी 120 अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 6.12.2003 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त मुकदमें को वापस लेने का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न संख्या-284

(स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अधिकारियों का पुलिस विभाग में थानों में पदस्थापन

285. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की ''फील्ड पोस्टिंग'' के सम्बन्ध में पुलिस विभाग में कोई विशेष नीति बनाई हुई है ? यदि नहीं, तो राज्य में इन वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों को थानों, सर्किल या जिला स्तर पर कम पोस्टिंग दिये जाने के कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के कितने हैड कानिस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक, निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक थानों एवं सर्किलों में पदस्थापित हैं तथा उप निरीक्षक व निरीक्षक स्तर के कितने अधिकारी थानाधिकारी के पद पर तैनात है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन पुलिस अधीक्षकों के जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों को थाना अधिकारियों के पदों पर नहीं लगा रखा है, उनको पिछले 10 वर्षों में सरकार की ओर से कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(गृह मंत्री)

(4) राज्य में अनुसूचित जाति/ जनजाति के कितने उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक थाना अधिकारी के पदों पर थानों में पदस्थापित है ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें। तथा जिन जिलों में इन वर्गों के उपनिरीक्षक एवं निरीक्षकों को थाना अधिकारी नहीं लगा रखा है, उनके जिला पुलिस अधीक्षकों को क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पुलिस विभाग में अधिकारी/ कर्मचारियों की योग्यता, कार्यदक्षता एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पद्स्थापन की कार्यवाही की जाती है।

(2) राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के थानों एवं सर्किलों में हैड कानिस्टेबल 402, सहायक उपनिरीक्षक 187 उपनिरीक्षक 122, निरीक्षक 16, पुलिस उपअधीक्षक 21 तैनात है एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के हैड कानिस्टेबल 199, सहायक उपनिरीक्षक 88, उपनिरीक्षक 85, निरीक्षक 15, पुलिस उपअधीक्षक 18 तैनात है। अनुसूचित जाति के 35 उपनिरीक्षक, 16 निरीक्षक थानाधिकारी के पदों पर पदस्थापित है, तथा अनुसूचित जनजाति के 22 उपनिरीक्षक, 15 निरीक्षक थानाधिकारी के पदों पर पदस्थापित है।

(3) यह सही नहीं है कि जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उपनिरीक्षक एवं निरीक्षकों को थानाधिकारियों के पदों पर नहीं लगा रखा है। सभी वर्गो के उपनिरीक्षक एवं निरीक्षकों को थानाधिकारी के पदों पर उनकी योग्यता, कार्यदक्षता एवं उपलब्धता के आधार पर पदस्थापित किया जाता रहा है।

(4) राज्य में अनुसूचित जाति के उपनिरीक्षक 35 तथा 16 निरीक्षक थाना अधिकारी के पदों पर थानों में पदस्थापित है। तथा अनुसूचित जनजाति के 22 उपनिरीक्षक एवं 15 निरीक्षक थाना अधिकारी के पदों पर पदस्थापित है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट 'अ' संलग्न है। सभी वर्गो के उपनिरीक्षको एवं निरीक्षकों को थानाधिकारी के पदों पर उनकी योग्ता, कार्यदक्षता, एवं उपलब्धता के आधार पर पदस्थापित किया जाता रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	जिला	हैड कानि.		स.उ.नि.		उ.नि.		पु.नि.		थानाधिकारी			
										उ.न		पु. नि.	
		अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.जा.	अ.ज. जा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जीआरपी अजमेर	14	4	-	-	3	2	-	-	2	2	-	-
2.	जीआरपी जोधपुर	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	पाली	16	5	5	-	1	1	1	-	1	1	1	-
4.	जोधपुर ग्रामीण	4	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-
5.	चूरू	6	3	2	2	2	2	-	-	2	1	-	-
6.	बांसवाड़ा	5	5	1	7	2	1	1	2	-	-	1	2
7.	अलवर	18	9	4	1	10	7	-	-	2	2	-	-
8.	चित्तौड़गढ़	16	6	4	3	8	1	-	-	6	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	राजसमन्द	11	1	7	-	5	1	-	-	3	-	-	-
10.	जयपुर ग्रामीण	19	9	3	2	6	4	1	1	-	1	1	1
11.	झालावाड़	6	7	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
12.	जालौर	6	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	जोधपुर शहर	24	1	7	-	2	2	-	-	-	-	-	-
14	बारां	7	9	6	1	3	6	-	2	1	2	-	2
15.	नागौर	9	-	6	1	2	1	-	-	2	-	-	-
16.	गंगानगर	22	7	18	2	3	1	3	-	1	-	3	-
17.	कोटा ग्रामीण	11	9	8	-	-	1	1	-	2	-	1	-
18.	सीकर	8	4	2	-	3	1	-	-	1	1	-	
19.	सिरोही	6	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
20.	धौलपुर	11	3	5	2	3	3	-	-	1	-	-	-
21.	सवाई माधोपुर	6	5	3	3	2	2	-	-	-	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	डूंगरपुर	6	6	1	3	3	2	-	-	-	-	-	-
23.	जयपुर शहर (उ./द.)	55	23	10	5	24	12	-	-	-	-	-	-
24.	जैसलमेर	12	4	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25.	टोंक	8	13	1	2	1	1	2	-	-	-	2	-
26.	हनुमानगढ़	6	3	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-
27.	भीलवाड़ा	10	4	6	2	-	1	1	-	-	1	1	-
28.	झुंझुनूं	10	3	8	2	2	2	-	-	1	1	-	-
29.	दौसा	5	6	2	3	-	3	1	-	-	-	1	-
30	कोटा शहर	3	4	13	6	6	3	-	2	-	-	-	2
31.	बूंदी	6	7	6	11	1	2	.	2	.	1	.	2
32.	बीकानेर	9	1	13	2	2	-	-	1	2	-	-	1
33.	उदयपुर	12	16	8	9	6	5	1	1	5	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	करौली	7	5	1	1	1	6	-	1	-	4	-	1
35.	भरतपुर	8	4	9	3	3	8	3	2	-	3	3	2
36.	अजमेर	10	5	4	-	9	2	1	1	-	-	1	1
37.	बाड़मेर	7	3	5	5	2	1	-	-	1	-	-	-
38.	योग	402	199	187	88	122	85	16	15	35	22	16	15

गोगुन्दा में नई पुलिस चौकियों की स्थापना

286. **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में नयी पुलिस चौकी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत चित्रावास, चाटियाखेड़ी करदा, ब्राहम्णों का कलवाना में पुलिस चौकी हेतु जमीन का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो कितनी एवं कब से ?

(3) क्या सरकार थाना सायरा से लगे क्षेत्र बरवाड़ा को जो तहसील गोगुन्दा का हिस्सा है, में थाना गोगुन्दा में ढूण्ढी, पानेर, गुन्दाली के साथ रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) यह सही नहीं है कि पंचायत चित्रावास, चाटियाखेड़ी करदा, ब्राहम्णों का कलवाना में पुलिस चौकी हेतु जमीन का आवंटन किया गया है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जेलों में बंद कैदियों को उपलब्ध सुविधाएं

287. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की विभिन्न जेलों में कितने-कितने सजायाफ्ता एवं अण्डरट्रायल कैदी बंद हैं ? विवरण जेलवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) जेलों में बन्द कैदियों को प्रति कैदी क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(3) क्या सरकार ने ऐसा कोई मानदण्ड या प्रक्रिया बनाई है कि बन्द कैदियों को प्रदान किये अनुसार सुविधायें मिलती रहे ? यदि हां, तो क्या ?

(4) कैदियों द्वारा की गयी शिकायतों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 31.3.04 को राजस्थान की विभिन्न जेलों में 5665 सजायाफ्ता एवं 7180 अण्डरट्रायल कुल 12845 कैदी बंद थे। जेलवार विवरण परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य की कारागृहों में राजस्थान कारागार नियम 1951 के प्रावधानानुसार बंदियों को भोजन, वस्त्र, तेल-साबुन, दंतमंजन आदि सुलभ कराये जाते हैं जिनके संबंध में जारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंद कैदियों को सुविधायें मिलती रहे इसके लिये राजस्थान कारागार नियम 1951 में प्रावधान किये हुए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि नियमों में उल्लिखित सुविधाएं निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बंदियों को मिल रही है अथवा नहीं विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कारागृहों के निरीक्षण किये जाते हैं।

(4) राजस्थान राज्य में कैदियों द्वारा की गई शिकायतों का निस्तारण निम्न भांति किया जाता है- प्रभारी अधिकारी कारागृह द्वारा साप्ताहिक सोमवार की परेड में एवं अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल तहसील (बांसवाड़ा) की वन क्षेत्र की भूमि पर काबिज काश्तकार

288. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील घाटोल में ऐसे कितने किसान हैं जो वर्षा के आधार पर खेती एवं वहीं मकान बनाकर रहते हैं ? पटवार मण्डल सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवनीत नीनामा)

(2) क्या यह सही है कि पटवार मण्डल देलवाड़ा लोकीया तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा में श्री कानजी पिता कुशाला आदिवासी देलवाड़ा पटवार मण्डल में घटियान पाड़े में सूखी जमीन पर 50 वर्षो से खेती करता आ रहा है ? यदि हां, तो उस जमीन का सर्वे नम्बर मय रकबा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन पर वन विभाग चौकी देलवाड़ा रेंज घाटोल द्वारा नाजायज कब्जा कर बाउन्ड्री वाल बनाई गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त काश्तकार की कोट में आई जमीन को वापस निकाल कर देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र घाटोल में कुल 35854 किसान हैं, जो वर्षा के आधार पर खेती करते हैं एवं वहीं मकान बनाकर रहते है। पटवार मण्डलवार संख्या सहित सूची परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। वन भूमि को किसी काश्तकार को दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील घाटोल में वर्षा पर आधारित खेती करने वाले एवं वहीं मकान बनाकर रहने वाले किसानों की पटवार मण्डलवार सूची

परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	संख्या कृषक जो अपने खेतों में मकान बनाकर रहते हैं
1	2	3
1.	घाटोल	561
2.	कान जी का गढ़ा	335
3.	पडौली राठौर	271
4.	पडोली गोर्धन	687

1	2	3
5.	देवढ़ा	842
6.	सेनावासा	547
7.	बडाना	615
8.	रूमेरा	338
9.	भगोरा का खेड़ा	650
10.	रूप जी का खेड़ा	850
11.	रावनिया	567
12.	चौकड़ी	788
13.	कूपड़ा	537
14.	बोरी	1213
15	केलामेला	850
16	भूगडा	972
17.	कुगानिया	832
18.	वाडगुन	785
19.	खेरवा	996
20.	डूगरिया	980
21.	डागल	725
22.	कठाव	653
23.	गनोडा	409
24.	निचली मोरडी	312
25.	भुवासा	271
26.	चिरावालागढ़ा	312

1	2	3
27.	चन्दुजी कागढ़ा	508
28.	बस्सोआडा	226
29.	बिछावाडा	52
30.	जगपुरा	626
31.	स्जोया	472
32.	भासर	555
33.	मोटागांव	602
34.	देलवाडा	271
35.	पीपलखूट	1811
36.	मुडासेल	896
37.	गियासा	1278
38.	कुशलपुरा	746
39.	डूंगर	783
40.	बांसलोखेडा	1201
41.	घटाली	1425
42.	नायन	879
43.	डूगलावानी	1584
44.	परथीपुरा	1149
45.	केसरपुरा	711
46.	सोडनपुरा	1572
47.	बोरदा	765
48.	नरवाली	844
	कुल	35854

खेतड़ी में स्वीकृत वन विकास कार्य

289. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में गत 5 वर्षों में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षो में खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में 255.62 लाख रुपये के 27 कार्य स्वीकृत कराये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से 12 कार्यों में स्वीकृत योजना अनुसार वृक्षारोपण सहित संधारण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 15 कार्यों में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा संधारण कार्य चल रहा है। पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वृक्षारोपण कार्य 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण होते हैं। तदनुसार कार्यों को पूर्ण किये जाने वाले वर्ष का कार्यवार विवरण परिशिष्ट 'ख' के कालम 6 पर अंकित है।

परिशिष्ट 'क'

वर्ष	नाम योजना	साइड का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1999-2000	1.क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	1. क्षतिपूर्ति वृक्षा, रामकुमारपुरा	49.44	12.33
	2. केन्द्रीय/ राज्य योजना	2. आरडीएफ खरखड़ा-6	50	6.30
		3. आरडीएफ प्रतापपुरा-T	50	6.30
2000-2001	मरू प्रसार रोक योजना प्रथम चरण	4. शै.बे. दूदवा	25	13.22
		5. शै.वे. बडाऊ-9	25	13.22
		6. वनीकरण बाकोटी	20	8.87
		7. वनीकरण डाबडी, जो हडी	10	4.43
		8. वनीकरण बडाऊ-8	20	8.37
		9. टीबा स्थिरीकरण सांखड़ा	50	16.06
2001-2002	मरू प्रसार रोक योजना द्वितीय चरण	10. शै.बे. बडाऊ-10	15	7.93
		11. वनीकरण बडाऊ-11	15	6.65
		12. शै.बे. बिलवा	15	7.93
		13. टीबा स्थिरीकरण सांखडा-II	30	9.64
	प्रथम चरण	14. टीबा स्थिरीकरण बिलवा-II	20	6.42
		15. पापैध वितरण विरानी नर्सरी	0.40 लाख पौधे	0.64

1	2	3	4	5
2002-2003	मरू प्रसार रोक योजना प्रथम चरण	16. पौध वितरण विरानी नर्सरी	0.38 लाख पौधे	0.60
		17. वनीकरण-II नानूवाली बावडी	50	10.24
		18. शै.बे. बीलवा—II	20	10.58
		19 शै.बे. बीलवा-III	10	5.29
		20. शै.बे. जसरापुर	20	10.58
2003-2004		21. वनीकरण-T,बडाऊ-12	15	6.65
		22. वनीकरण-I बडाऊ-13	15	6.65
		23. टीबा स्थिरीकरण सांखडा-III	25	8.03
		24 टीबा स्थिरीकरण मोडकी	25	8.03
	द्वितीय चरण	25. पापैध वितरण नर्सरी चिरानी	0.415 लाख पौधे	0.66
	तृतीय चरण	26. विशेष जलग्रहण, रसूलपुर	72	30.00
		27. विशेष जलग्रहण नंगली	72	30.00
	योग			255.62

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष	नाम योजना	साइड का नाम	पूर्ण	अपूर्ण	पूर्ण होने का वर्ष	विशेष विवरण
1999-2000	1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	1. क्षतिपूर्ति वृक्षा, रामकुमारपुरा	पूर्ण	-		
	2. केन्द्रिय/ राज्य योजना	2. आरडीएफ खरखडा-6	पूर्ण	-		
		3. आरडीएफ प्रतापपुरा-I	पूर्ण	-		
2000. 2001	मरू प्रसार रोक योजना प्रथम चरण	4. शै.बे. दूदवा	पूर्ण	-		
		5. शै.वे. बडाऊ-9	पूर्ण	-		
		6. वनीकरण बाकोटी	पूर्ण	-		
		7. वनीकरण डाबडी जोहडी	पूर्ण	-		
		8. वनीकरण बडाऊ-8	पूर्ण	-		
		9. टीबा स्थिरीकरण सांखड़ा	पूर्ण	-		
2001. 2002	मरू प्रसार रोक योजना द्वितीय चरण	10. शै.बे. बडाऊ-10		अपूर्ण	2004-05	वृक्षारोपण कार्य पूर्ण, संधारण कार्य प्रगति पर
		11. वनीकरण बडाऊ-11		अपूर्ण	2004-05	
		12. शै.बे. बिलवा		अपूर्ण	2004.05	
		13. टीबा स्थिरीकरण सांखडा-II		अपूर्ण	2004-05	

1	2	3	4	5	6	7
	प्रथम चरण	14. टीबा स्थिरीकरण बिलवा-II		अपूर्ण	2004-05	-"-
		15. पापैध वितरण विरानी नर्सरी	पूर्ण	-		
2002-2003	मरू प्रसार रोक योजना प्रथम चरण	16. पौध वितरण विरानी नर्सरी	पूर्ण	-		
		17. वनीकरण– II नानूवाली बावडी		अपूर्ण	2005-06	-"-
		18. शै.बे. बीलवा– II		अपूर्ण	2005-06	-"-
		19. शै.वे. बीलवा-III		अपूर्ण	2005-06	-"-
		20. शै.बे. जसरापुर		अपूर्ण	2005-06	-"-
2003-2004		21. वनीकरण-I, बडाऊ-12		अपूर्ण	2006-07	-"-
		22. वनीकरण-I बडाऊ-13		अपूर्ण	2006-07	-"-
		23. टीबा स्थिरीकरण सांखडा-III		अपूर्ण	2006-07	-"-
		24. टीबा स्थिरीकरण मोडकी		अपूर्ण	2006-07	-"-
	द्वितीय चरण	25. पापैध वितरण नर्सरी चिरानी	पूर्ण	-		
	तृतीय चरण	26. विशष जलग्रहण, रसूलपूर		अपूर्ण	2007-08	-"-
		27. विशेष जलग्रहण नंगली		अपूर्ण	2007-08	-"-

बौंली तहसील (सवाईमाधोपुर) में पोण्ड्स (वाटर टैंक) योजनान्तर्गत अनुदान

290. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि कृषि विभाग सवाई माधोपुर द्वारा बौंली तहसील में पोण्ड्स (वाटर टैंक) योजना के तहत अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन किसानों को कितना-कितना व कब-कब ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक किसानों को अनुदान पर दी गई राशि की सूची ग्रामवार संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बैराठ में राशन डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

291. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन किया जाता है ? यदि हां, तो आवेदक की पात्रता /आवबंटन की प्रक्रिया एवं संबंधित शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से विभाग द्वारा कई प्रकार की सामग्रियों का वितरण किया जाता है ? यदि हां, तो वर्तमान में किन-किन सामग्रियों का वितरण किया जाता है ? प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी सामग्री किन-किन को सामग्री प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बैराठ में किस-किस डीलर के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। आबंटन की प्रक्रिया, पात्रता संबंधी जारी दिशा-निर्देश दिनांक 10.5.1999 की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से विभाग द्वारा गेहू चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल का वितरण किया जाता है। निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल आदि सामग्री प्राप्त करने के लिये पात्र माना गया है :-

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा
1	गेहूं, चावल (खाद्यान्न)	1. बीपीएल,एपीएल परिवारों एवं अन्त्योदय योजनानतर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा. प्रति परिवार प्रति प्रति माह। 2. अन्नपूण योजना 10 किग्रा प्रति राशन कार्ड प्रति माह।
2	लेवी चीनी	500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह (केवल बीपीएल कार्ड धारकों के लिए
3	केरोसीन	सामान्य राशन कार्डधारक को 5 लीटर से 10 लीटर केरोसीन उपलब्ध कराया जाता है सिंगल गैस सलेण्डर धारक को प्रति राशन कार्ड पर 2 लीटर प्रति माह केरोसीन तेल उपलब्ध कराया जाता है। डीबीसी गैस सलेण्डर धारकों को केरोसिन तेल उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

(3) गत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बैराठ में 29 डीलरों के विरूद्व अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर की गई कार्यवाही की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(प्रति निधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का वितरण

292. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अप्रैल 2002 से नवम्बर,2003 तक बी.पी.एल. व ए.पी.एल. मद में गेहूं व चावल का कितना आबंटन किया गया ? इसमें से सरकार द्वारा कितनी सामग्री उठाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अप्रैल,2002 से माह नवम्बर,2003 तक बीपीएल एवं एपीएल मद में आबंटित गेहूं एवं चावल की मात्रा एवं उसमें से उठाई सामग्री की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार है :-

(मात्रा मै. टन में)

गेहूं

बीपीएल		एपीएल	
आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1324660	1017623	4727966	158413

(मात्रा मै. टन में)

चावल

बीपीएल		एपीएल	
आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
6168	269	44920	0

बारां जिला परिषद् में योग्य नेत्र विकलांग अध्यापकों की नियुक्ति

293 श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला परिषद् बारां द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वर्ष 1998 में विज्ञापन संख्या 06/98 जारी कर अध्यापकों को नियुक्तियां प्रदान की गई ? यदि हां, तो उक्त विज्ञापन के क्रम में कितने तृतीय श्रेणी अध्यापकों को नियुक्तियां दी गई ? विवरण मय सूचनी के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विकलांग आशार्थियों हेतु पद आरक्षित रखने एवं उसी अनुपात में नियुक्ति देने हेतु नियम/ परिपत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो विभिन्न श्रेणी के विकलांग आशार्थियों को दी गई नियुक्तियों में कितने प्रतिशत पदों पर किस-किस श्रेणी के विकलांग आशार्थियों को नियुक्तियां दी जानी थी ? विवरण मय परिपत्र के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला परिषद् बारां के उक्त नियुक्ति विज्ञापन में उक्त नियमों की पालना करते हुए नेत्र विकलांगों हेतु आरक्षित एक प्रतिशत पदों के विपरित योग्य आशार्थी उपलब्ध होते हुए भी नियुक्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद बांरा द्वारा वर्ष 1998 में जारी विज्ञप्ति के क्रम में 213 आशार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 26.2.1994 तथा 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार। दृष्टि विकलांग, मूक बधिर। अस्थि विकलांग कुल 3% पद आरक्षित करने का प्रावधान है। कुल 6 विकलांग आशार्थियों को नियुक्ति दी गई। परिपत्र तथा रोस्टर की प्रति परिशिष्ट "क" "ख" संलग्न है।

(3) जी हां। विभागीय जांच के आदेश दिये गये है। उप निदेशक (प्रार.शिक्षा) कोटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर के निजी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सम्बद्धता

294. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में से कितने विद्यालय अनुदानित हैं तथा कितने विद्यालय गैर अनुदानित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर जिले के निजी विद्यालयों में से कितने तथा कौन-कौन से विद्यालयों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से तथा कौन-कौन से विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हैं ?

(4) क्या उक्त सभी विद्यालयों पर गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 1989 व नियम, 1993 के प्रावधान लागू और प्रभावी है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अजमेर जिले में संचालित अनुदानित एवं गैर अनुदानित विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) अजमेर जिले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त विद्यालयों की सूची का परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी हां।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ईन्टाला ग्राम पंचायत (उदयपुर) के विद्यालयों में रिक्त पद

295 श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत ईन्टाली जिला उदयपुर में वर्तमान में किस स्तर के कितने विद्यालय संचालित हैं ? उक्त विद्यालयों में कितने पद सृजित हैं जिन पर कौन-कौन अध्यापक, कब-कब से कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम के विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ईन्टाली जिला उदयपुर में एक प्राथमिक, दो उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत रा.उ.मा.वि., ईन्टाली संचालित है। इसमें कार्यरत अध्यापकों का मय स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने हेतु 1407 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याता के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटने पर चतुर्थ कर्मचारी के रिक्त पद को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट "क"

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईन्टाली में कार्यरत कर्मिकों
की सूची बिन्दू सं 1

S.No.	EMPLOYEE NAME	POST CODE	DT OF JOI,IN SCHOOL
1	ईसहाक मोहम्मद शेख	PRN	10.9.2003
2	बसन्तीला बया	LEC	08.07.1998
3	शम्भु लाल दशोरा	LEC	27.1.2003
4	अरविन्द कुमार झुठावत	LEC	10.8.2001
5	उत्सवलाल शर्मा	LEC	09.01.2001
6	अशोक कुमार मीणा	LEC	08.10.2003
7	पूर्णशंकर आमेटा	T2	7.08.1991
8	मोहनलाल शर्मा	T2	10.02.2001
9	अशोक कुमार चपलोत	T2	08.07.1998
10	महेन्द्र कुमार यादव	T2	08.01.1997
11	नानुराम कुम्हार	T2	28.07.2001
12	यमुना शंकर पालीवाल	T2	17.07.1999
13	कन्हैयालाल मेनारिला	PT2	28.02.1998
14	सीमेश्वरलाल आमेटा	LI2	19.08.1994
15	मम्मुद्दीन शेख	T3	03.09.1998
16	अर्जुन लाल मेनारिया	T3	03.07.1997
17	भंवरलाल आमेटा	T3	18.09.1998
18	शंकरलाल मेघवाल	T3	01.09.1998
19	प्रभुलाल सालवी	UDC	27.03.2000
20	कैलाशचन्द्र मीणा	LDC	23.11.2001
21	रूपलाल कुम्हार	PEO	07.08.1987
22	मोहनलाल मेघवाल	PEO	08.01.1992
23	मांगीलाल मेघवाल	PEO	26.08.2003

क्र. सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद रिक्त पद	कार्यरत अध्यापक का नाम	कब से कार्यरत
1.	रा.प्रा. वि. ईन्टाली	तृतीय श्रेणी-04	1. चतुर्भुज आमेटा 2. मुकेश बिहारी 3. कन्हैयालाल रेगर 4. धनराज जाट	15.10.93 20.09.01 14.10.94 03.11.92
2.	रा.उ.प्रा.वि.ईन्टाली	द्वितीय श्रेणी –01 तृतीय श्रेणी –05 पैराटीचर-01	1. श्रीमती राजकुमारी 2. शान्ति सनाढ़य 3. मंजु माहेश्वरी 4. मंजुरानी चावता 5. मधुसोलंकी 6. रूबी सेठी (शा. शि) 7. जयश्री शर्मा (पेरा)	02.10.03 7.01.00 06.11.97 27.7.98 16.03.00 01.7.99 2.7.01
3.	रा.उ.प्रा.वि. चायला	द्वितीय श्रेणी-1 तृतीय श्रेणी-05	1. श्री नर्बदा शेक प्र.अ. 2. श्रीमती कृष्णापंवार 3. सुनीता मेहरिया 4. भानू जैन 5. श्री राकेश कुमार 6. श्रीमती संध्या बंसल	01.10.03 21.3.00 21.3.00 10.01.90 04.07.00 09.02.03

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईन्टाली में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

परिशिष्ट ''ख''

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से
1.	प्रधानाचार्य	1	0	
2.	व्याख्याता	7	2	1-30.4.02 2-12.10.02
3.	व.अ.	6	0	
4.	शारीरिक शिक्षक II ग्रेड	1	0	
5.	पु.अ. II ग्रेड	4	0	
6	अध्यापक –III ग्रेड	4	0	
7.	वरिष्ठ लिपिक	1	0	
8.	कनिष्ठ लिपिक	1	0	
9.	च.श्रे. कर्मचारी	4	1	

सिरोही के विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति

296. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले के उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में 1 दिसम्बर, 2003 के पश्चात् कितने स्थानान्तरण किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के क्या मानदंड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही जिले में 1 दिसम्बर, 2003 से अब तक कितने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई ? प्रतिनियुक्ति शिक्षकों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इसमें अनियमितता बरतने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में दिसम्बर,2003 के पश्चात् प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 28 स्थानांतरण किए गए हैं। स्थानांतरित अध्यापकों की सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार का प्रतिनियुक्ति हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(3) सिरोही जिले में दिसम्बर 2003 से अब तक किसी भी अध्यापक की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई है। अपितु शिक्षण व्यवस्था में 27 शिक्षकों को लगाया गया था जिन्हें सत्रान्त में वापिस उनके मूल पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया।

(4) किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट ''क''

1 दिसम्बर, 2003 के पश्चात जिले सिरोही के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिये गये स्थानान्तरणों का विवरण :-

क्र.स.	कार्मिक का नाम	कहां से	कहां को
1.	श्री नकराम भोली अ.	प्रा.वि. थल (रैवदर)	प्रा.वि. थानेरा (रेवदर)
2.	श्री अणद. र.म.गर. सिक अध्यापक	प्राइज़ मूलिया खेकड़ा (रैवदर)	प्राणि बागदरी (पिण्डवाड़ा)
3.	श्री मुकेश कुमार प्रजापत (अध्यापक)	प्रावि. भामरा (रैवदर)	प्रा.वि. भीमाना (पिण्डवाड़ा)
4.	श्री अमृतलाल पुरोहित अध्यापक	प्रावि. पेमरमाण्डवाडा (सिरोही)	प्रावि. झाडोली (पिण्डवाड़ा)

1	2	3	4
5.	श्री चेतराम मीणा अ.	प्रावि. रामपुरा पी. (रैवदर)	प्रावि. विष्णुवास (रेवदर)
6.	श्री बागाराम मीणा प्र.अ.	राउप्रावि. केसरपुरा (शिवगंज)	राउप्रावि. झाडोलीवीर (शिवगंज)
7.	श्री गोविन्दराम प्र.अ.	रामावि. अरठवाड़ा पूल वजट (शिवगंज)	राउप्रा.वि. केसरपुरा (शिवगंज)
8.	श्री भंवरलाल पुरोहित प्र.अ.	राउप्रावि. करली (पिण्डवाडा)	राउप्रावि. शिवगढ़ (पिछवाड़ा)
9.	श्री गोपालराम छींपा प्र.अ.	राउप्रावि. बिरोली (पिण्डावाडा)	राउप्रावि. बरली (पिण्डावाड़ा)
10.	श्री झालाराम पृजापत अ.	राउप्रावि.भूला (पिछवाडा)	राउप्रावि. केरमाण्डवार (पिण्डावाडा)
11.	गोर्वधन लाल गुर-अ.	राउप्रावि. भूला (पिण्डावाडा)	राउप्रावि. मण्डवाडा देव (पिण्डावाड़ा)
12.	श्री डायालाल नागर अ.	राउप्रावि. आमलारी (सिरोही)	राउप्रावि. देलदर (सिरोही)
13.	श्री धर्मेन्द्र गहलोत शा.शि.	राउप्रावि शिवगंज (शिवगंज)	राउप्रावि. जाम्बुडी (आबू रोड़)
14.	श्री बाबू खां अ.	राउप्रावि. शिवगंज (शिवगंज)	राउप्रावि. जुबलीगंज (शिवगंज)
15.	श्री हरिराम अ.	राउप्रावि. शिवगंज (शिवगंज)	राउप्रावि. खेजड़ीया (शिवगंज)
16.	श्री रघुनाथ सिंह भाटी अध्यापक	राउप्रावि. उपलाखजड़ा (आबूरोड़)	राउप्रावि. सालगांव (आबूरोड़

1	2	3	4
17.	श्री जगरीश कुमार खण्डेलवाल, अध्यापक	राउप्रावि, के. एम. सिरोही (सिरोही)	राउप्रावि, रामपुर (रैवदर)
18.	श्री अमितसिंह दिजोल अध्यापक	राउप्रावि मण्डवाड़ा (सिरोही)	राउप्रावि, माण्डवा (सिरोही)
19.	श्री कृष्ण कुमार शा. शि.	राउप्रावि, बनार (आबूरोड़)	राउप्रावि, मानपुर (ग्रामीण-आबूरोड़)
20.	श्रीमती ममता अग्रवाल अध्यापिका	राउप्रावि, बालोरिया (पिण्डवाड़ा)	राबाउप्रा वि, सांतपुर (आबूरोड़)
21.	श्री मोहनदास अध्यापक	राउप्रावि, सांतपुर (आबूरोड़)	राउप्रावि, दोयतरा (आबूरोड़)
22.	श्री दिनेश कुमार दवे अध्यापक	राउप्रावि, उपलाखेजड़ा (आबूरोड़)	राउप्रावि, सांतपुर , (आबूरोड़)
23.	श्री हरीनाथ गोस्वामी अध्यापक	राउप्रावि, सोनानी (रेवदर)	राउप्रावि, तेलपीखेड़ा (आबूरोड़)
24.	श्री अखिल चतुर्वेदी, अध्यापक	राउप्रावि, सांतपुर (आबूरोड)	राउप्रवि, उपलाखेजड़ा (आबूरोड़)
25.	श्री लोकेश सैनी अध्यापक	राउप्रावि, सांतपुर (आबूरोड़)	राउप्रावि रायपुर आबूरोड़ (रेवदर)
26.	श्री राजू आलिका, अध्यापक	राउप्रावि, नागानी (रेवदर)	राउप्रावि, आरिया (आबूरोड़)
27.	श्री शांतिलाल भांड अध्यापक	पं.स. प्रावि अजारी (पिण्डवाड़ा)	पं.स.प्रावि, सनवाडम (रेवदर)
28.	श्री अजय पंवार अध्यापक	राउप्रावि, देलवाड़ा	राउप्रावि, नागानी (रेवदर)

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

297 **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सत्र 2000-01 में उर्दू उध्यापक, तृतीय श्रेणी के 400 पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार से वरियता सूची बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी ? यदि हां, तो उक्त 400 पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियों दे दी गई एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2000-01 में बनाई गई वरियता सूची की वैधता सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान उच्च न्यायानय के स्थगन के कारण उक्त वरियता सूची की वैधता दिनांक 31 मार्च, 2004 तक बढ़ाई गई थी परन्तु स्थगन आदेश का निर्णय फरवरी ,2004 में हुआ था ? क्या सरकार द्वारा अल्प समय में शेष रहे सभी रिक्त पदों को भर दिया गया ? यदि हां, तो भरे हुए पदों की सूची सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अब सरकार शेष रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या वरियता सूची का समय बढ़ाया जायेगा या नये आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1)जी हां। स्वीकृत 400 पदों में से 370 पदों पर नियुक्ति दे दी गई तथा 30 पद रिक्त हैं। सूची परिशष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2000-01 में बनाई गई वरियता सूची की वैद्यता दिनांक 31.3.04 तक थी ।

(3) जी नहीं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 400 पदों की नियुक्तियां प्रक्रिया में ऐसी कोई रिट नहीं थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन किया गया हो। राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 2.1. 04 के निर्देशानुसार वरियता सूची की वैद्यता दिनांक 31.3.04 तक बढ़ायी गयी। राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 2.1.2004 के पश्चात् 31.3.2004 तक प्रदत्त नियुक्तियों का विवरण परिशिष्ट ''क'' में सम्मिलित है।

(4) जी हां। वरियता सूची दिनांक 31.3.2004 को समाप्त हो चुकी है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "क"

सन् 2000 में आबंटित उर्दू अध्यापक (400 पदों की सूचना)

क्र.सं.	जिला	आबंटित पद	पूर्व में प्रदत्त नियुक्तियां	शेष	06.1.04 की पालना में नियुक्ति	वर्तमान में शेष	विशेष विवरण
1.	अलवर	32	24	8	07	07	पद पर कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण
2.	धौलपुर	08	01	07	-	07	——""——
3.	भरतपुर	60	48	12	09	03	
4.	सीकर	15	10	05	-	25	——""——
5.	दौसा	01	01	00	00	00	
6.	जयपुर	21	12	09	04	05	
7.	उदयपुर	10	09	01	01	00	
8.	चित्तौड़गढ़	05	00	05	04	01	
9.	बांसवाड़ा	02	01	01	01	00	
10.	डूंगरपुर	00	00	00	00	00	
11.	राजसमन्द	01	01	00	00	00	
12.	अजमेर	16	15	01	01	00	
13.	भीलवाड़ा	08	08	00	00	00	
14.	नागौर	21	18	03	03	00	
15.	टोंक	10	10	00	00	00	
16.	कोटा	18	17	01	01	00	
17.	बूंदी	18	18	00	00	00	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	बारां	05	02	03	03	00	
19.	झालावाड़	10	08	02	02	00	
20.	करौली	26	23	03	03	00	
21.	सवाई माधोपुर	09	08	01	00	01	
22.	बीकानेर	04	01	03	03	00	
23.	चूरू	60	38	22	22	00	
24.	झुंझुंनूं	00	00	00	00	00	
25.	हनुमानगढ़	05	01	04	04	00	
26.	गंगानगर	00	00	00	00	00	
27.	जोधपुर	15	11	04	03	01	
28.	जालौर	00	00	00	00	00	
29.	जैसलमेर	02	02	00	00	00	
30.	पाली	03	03	00	00	00	
31.	सिरोही	03	03	00	00	00	
32.	बाड़मेर	12	10	02	02	00	
	योग	**400**	**305**	**97**	**73**	**30**	

राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेरा (अलवर) के मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति

298. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुशंसा के आधार पर राज्य सेवा में लेने के नियम बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त अनुकम्पा सेवा में प्रवेश हेतु आश्रित की कम से कम कितनी उम्र होना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में निम्नतम आयु में राज्य सेवा में सामान्य रूप से नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति से कुछ छूट दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह सही है राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेरा (अलवर) में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री मोहन लाल शर्मा का स्वर्गवास माह अक्टूबर, 2003 में हो गया था ?

(4) क्या यह सही है कि उनके पुत्र द्वारा राज्य सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया है ? यदि हां, तो कब व सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मृतक राज्य कर्माचारी के आश्रित को नियुक्ति हेतु "मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) आश्रित की दयनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आयु सीमा में 02 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया जाता है।

(3) रा.मा.वि. डेरा (अलवर) में श्री मोहन लाल शर्मा नाम का कोई अध्यापक कार्यरत नहीं था। अपितु श्री हनुमान सहाय शर्मा कार्यरत था, जिसका स्वर्गवास दि. 17.10.2003 को हुआ था।

(4) श्री हनुमान सहाय शर्मा के पुत्र श्री मनीष द्वारा मृत राज्य कर्मचारी आश्रित नियमों के तहत कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु दिनाक 10.11.2003 को आवेदन किया। प्रकरण के आक्षेपों की पूर्ति पश्चात् प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) अलवर द्वारा दिनांक 9.7.2004 को उप निदेशक (प्रारंभिक) जयपुर को आग्रेषित किया है।

श्री मनीष कुमार शर्मा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा पूर्ण नहीं करते हैं। इसलिये उप निदेशक (प्रा.शिक्षा) जयपुर दूसरा मूल प्रकरण राज्य सरकार को आयु सीमा में शिथिलन हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा को भिजवाया गया है। प्रकरण राज्य सरकार को प्राप्त होते ही निर्धारित आयु सीमा में छूट/ शिथिलन की कार्रवाई की जाकर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

(5) उपरोक्तानुसार।

प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर बैकलाग की पूर्ति

299. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रधानाचार्य (माध्यमिक शिक्षा) के पद रिक्त है ? यदि हां, तो कितने तथा उनको भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु कौन-कौन पात्र है तथा पदोन्नति का आधार क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या प्रधानाचार्य के उक्त पदों पर अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित बैकलाग पूरा किया गया है ? यदि हां, तो पदों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में प्रधानाचार्य सी.मा. विद्यालयों में 273 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है, क्योंकि एस.डी.आई. वर्ग के अधिकारियों द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगत प्राप्त किया हुआ है।

(2) प्रधानाचार्य सी.मा. विद्यालय पद पर पदोन्नति हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के ग्रुप-''ई'' के वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं ग्रुप-''एफ'' के प्रधानाध्यापक (मा.वि.) एवं व्याख्याता पात्र है। पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता (ए.सी.आर.) है।

(3) जी नहीं। निर्धारित बैंकलाग भरने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2001-02 में अनुसूचित जाति के 102 पद तथा जनजाति के 74 पद बैकलाग के बकाया है। बैंगलाग की पूर्ति वर्ष 2001-02 की डी.पी.सी. के समय उपलब्ध आशार्थियों को पदोन्नति दी जाकर की जायेगी। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रधानाचार्य की डी.पी.सी. के आयोजन पर स्थगन लगा रखा है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं.-5828/01 राजेन्द्र शर्मा बनाम सरकार में राज्य सरकार द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। प्रकरण में आगामी तिथि 25.8.04 नियत है। मा. न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम निर्णयानुसार ही आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगी।

न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति

300. श्री अमराराम (धोद) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में 27 पद राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा, तीन पद अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) कुल 30 पद व 114 पद राजस्थान न्यायिक सेवा के रिक्त है।

न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पद, जो अधिकारियों के सेवा निवृत्त मृत्यु/न्यायाधीश मनोनित एवं नव पद सृजित होने के कारण रिक्त हुए है, की संभावित सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 19 पद हेतु दिनांक 20.10.2003 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पद भर दिये जाने की संभावना है।

राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2003 आयोजित कर लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। साक्षात्कार के उपरान्त रिक्त पद भर दिये जाने की संभावना है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष		रिक्त पद	
	आर.एच.जे.एस.	आर.जे.एस.	कुल
2001	7	32	39
2002	8	64	72
2003	4	12	16
2004	11	6	17
कुल	30	114	144

उच्च न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के

अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट

301. **श्री रामकिशोर मीणा** : (सिकराय) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया गया है, लेकिन आयु सीमा में दी गयी छूट हेतु सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की भर्ती में आयु सीमा में दी गयी छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य सेवाओं की तरह राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा में भी आयु सीमा 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया गया है। वर्तमान में किसी भी वर्ग को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। नियम 14 राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा 1969 के परन्तुक के अन्तर्गत 1968 से 1972 के वर्षो में सीधी भर्ती के मामलों में रिलीज्ड कमिशन्ड ऑफिसर, रिलीज्ड अमरजेंसी कमिशन आफिसर तथा रिलीज्ड शोर्ट सर्विस कमिशन आफिसर के आयु सीमा में छूट के मामले में अधिकतम आयु सीमा की शर्त लागू नहीं की गई।

राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2003 प्रचलित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। नवीन नियम में आयु सीमा के सम्बन्ध में विचारण किया जा रहा है।

(2) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में राजस्थान राज्य न्यायिक सेवा नियम, 2003 विचाराधीन है। नियम शेट्टी आयोग की अनुशंसा

(विधि मंत्री)

के अनुरूप, सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्थान लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श के उपरान्त ही अंतिम रूप से प्रकाशित किये जा सकते हैं। नवीन नियमों में आयु सीमा के संदर्भ में विचारण किया जा रहा है।

सराड़ा के तालाबों की जलापूर्ति

302. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में वर्षा का पानी रोक कर तालाबों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या योजनांए कब-कब बनाई गई है ? सूची मय तखमीना के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में वर्षा का पानी रोक कर हरचन्द तालाब को भरने हेतु एक फीडर नहर का तखमीना माह 3/2003 में रुपये 83.45 लाख का बनाया गया है। तखमीना सदन की मेज पर रख दिया है।

TECHNICAL REPORT

Name of Work :- Remodeling of Dingri Minor and CD Works for better Utilization of Piladar Anicut by Way off feeding Tidi River Water to Harchand Tank.

An estimate amounting to Rs. 83.45 laos has been framed to cover the probable cost or Remodeling of Dingri Minor and CD Works for better utilization of Piladar Anicut by Way off feeding Tidi River water to Harchand Tank.

Piladar anicut is constructed on river Tidi near Village Piladar, Tehsil Sarada, District Udaipur with Latitude 20° 17'-20" and Longitude 74°-52'-40" of GT sheet No. 4511/15.

Administrative sanotion of Piladar anicut was accorded by Trible area development department vide No. 96/1999-2000 dated 29th March; 2000 worth Rs.138.39 lacs.

Major work included in estimate was construction of anicut, construction link channel which feeds the water to Jaisamand Right canal at Km. 15.75 and other work like shifting of electric lines. Land compensation and minor repairs of RMC of Jaisamand from KM. 15.75 to tail. Out of these works most of the work have been completed Remodeling work of R.M.C. of Jaisamand (part of Paladar Anicut) Km. 15.75 to tail Is in progress under F.R.W. 2059 and material component of this work is born from pailadar Anicut and final payment are due total cost works out of above said work are Rs.113.16 lacs. There is saving of Rs.25.23 lacs (138.39-113.16). Piladar anicut was constructed to utilize the perennial flow of Tidi river after rains which is about 5 to 7 cusec upto Feb,- March and irrigate about 200 ha. of land of following villages :-

Padarda, Amba-Mahuda, Dhani, Chandu Ji ka Guda, Mailana, Jhadol, Vejpur, Dingri, Kerpura etc.

Piladar Anicut was completed in year 2002 and water of Tidi river was used by farmer of above villages from August 2002 to September 2002 in Kharif irrigation. The year 2002 was draught year even than there was good flow in Tidi river, about 300 ha. land were irrigated Harila Tank. Talai Jhadol and Talai Vejpur was filled with water and water of Tidi river was also feeded to Ilarehand Tank through Dingri Minor. Abnormal water table is increased in villages Piladar, Chandu ji Ka Guda, hjadol, Vejpur Batuka due to filling of water in Harila Tank Talai Jhadol and Talai Vejpur. There is very good Rabi crops in these Villages. This is only due to Piladar Anicut.

There is necessity of better utilization of Piladar anicut by way of feeding Tidi river water to Harchand Tank through Dingri Minor which offtakes from tail of RMC of Jaisamand tank. Harchand Tank was constructed Year 1960 on Gargal river of Som sub-Basin situated at Latitude 24°-11'-0" and Longitude 73°-63'-10" .Total capacity of Dam is 272 Mcft. Out of which 222 Mcft in Live storage and 50 Mcft. Is Dead storage. CCA of this project is 908.90 ha. of following villages :-

Vejpur, Badgaon, Banakala, Sekadi, Udpuria (K), Udpuria (J), Surkahand Khera, Mayor Sallada, Behuti, Navda of Tehsil Sarada...

Population of these villages is tribal SC,OBC and total beneficiaries are 1353 Nos.

Harchand Tank is not getting sufficient water for last many years as per records water received in various years are as follows against full tank gauge 19'.

Year	Gaugo
1995	4.00 Feet
1996	1.10 Feet
1997	1.00 Feet
1998	Nil
1999	Nil
2000	1.50 Feet
2001	12.80 Feet
2002	Nil

Looking to the crises of water in Harchand Tank, it is proposed to divert Tidi river water to Harchand Tank through Piladar Anicut, RMC of Jaisamand and Dingri Minor. It is only possible if the discharging capacity of Dingri Minor is increased to 27.38 cusecs which is the capacity of link channel of piladar Anicut. Thus the necessity of estimate is occurred.

Dingri Minor which was constructed in year 1962 with discharging capacity at head is 7.60 cusecs. Now this canal is to be re-design for discharge 27.38 cusecs from head to tail for that FSD of canal is raised to Pass the required discharge. To remodel the Dingri Minor for 27.38 cusecs following estimates have been framed :

1-	Remodeling of Dingri Minor Ch. 0 to 200	37.93 lacs
2-	Remodeling of Dingri Minor Ch.200 to 325 (Tail	35.50 lacs
3-	Remodeling of CD works 20 Nos.	10.02lacs
		83.45 lacs

If discharging capacity of Dingri minor is increased, about 100 Meft. Water of Tidi river can be feeded to Harchand Tank from July to September and it will restore the irrigation facilities in 350 ha. land of 12 villages of Harchand Command Area, in addition to benefits of Piladar Anicut.

General Abstract of Cost

For Harchand Feeder Mod.

1	Remodeling if Dingri Minor ch. 0 to 200	37.39 lacs
2	Remodeling of Dingri Minor ch.200to 325 (Tail)	35.50 lacs
3	Remodeling of CD works 20 Nos	10.02 lacs
		83.45 lacs

झुन्झुनूं के ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध संकलन

303. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुन्झुनूं जिले में पशुपालकों का दूध डेयरी द्वारा खरीदने की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झुन्झुनूं जिले के बहुत से गांवों व ढाणियों के पशुपालक अपना दूध जो अभी बेच नहीं पाते हैं क्या सरकार उनके लिये डेयरी में दूध खरीदने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झून्झूनूं जिले के पशुपालकों हेतु भी शेष जिलों के अनुरूप पंजीकृत समितियों के माध्यम से दुग्ध क्रय करने की प्रक्रिया है, जिसके लिए मिल्क रूट वायेबल होना भी आवश्यक है

(2) झून्झूनूं जिले के पशुपालकों हेतु सीकर- झून्झूनूं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के माध्यम से सक्रिय पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं संकलन केन्द्रों से नियमित रूप से दुग्ध संकलित किया जा रहा

(डेयरी मंत्री)

है। पुरानी एवं बन्द पड़ी समितियों के पुनः आर्थिक रूप से सक्षम होने होने पर एवं नई समितियों के मिल्क रूट वायेबल होने पर उनसे भी दुग्ध संकलन की कार्यवाही की जाती है।

साहवा लिफ्ट की सूई ब्रांच से लाभान्वित सिंचित क्षेत्र

304. **श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) :** क्या इन्दिरा गांधी नगर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) साहवा लिफ्ट की सूई ब्रांच से सिंचित क्षेत्र में कौन-कौन से गांव प्रस्तावित है ? लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची मय नाम एवं रकबा सदन की मेज पर रखें।

(2) सरदारशहर ब्रांच के नीचे कौन-कौन से गांव और कितना रकबा सिंचित क्षेत्र में आ रहा है ? गांवों की सूची मय रकबा सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1990 से 1992 के बीच सर्वे ऑफ इण्डिया में सर्वे के लिए कितना रुपया कब-कब जमा कराया गया ?

(4) क्या सर्वे आफ इण्डिया ने उसके बाद सर्वे किया और साहवा लिफ्ट कैनाल से सूई और सरदारशहर ब्रांच के 1.40 लाख हैक्टेयर रकबा और जोड़ना प्रस्तावित गांवों की सूची मय रकबा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूई सब ब्रांच के सिंचित क्षेत्र में प्रस्तावित गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। अभी तक सूई सब ब्रांच के सिंचित क्षेत्र में माइक्रो कैनेलाईजेशन सर्वे नहीं हुआ है। इसके अभाव में गांववार रकबा बजाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) सरदारशहर ब्रांच के निर्माण के लिए वर्तमान में प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः कौन-कौन से गांव एवम् सिंचित होने वाला रकबा बतलाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) वर्ष 1990 से 1992 के बीच सर्वे आफ इण्डिया के सर्वे के लिए दिनांक 26.3.1990 को 10 लाख रुपये, 17.9.1991 को 48.89 लाख रुपये एवम् दिनांक 17.11.1992 को 79.48 लाख रूपये जमा करवाये गये हैं।

(4) यह सही है कि सर्वे आफ इण्डिया द्वारा 1992 के बाद भी सर्वेक्षण कार्य किया गया। लेकिन सर्वे आफ इण्डिया द्वारा सुई एवम् सरदार शहर सब ब्रांच 1.40 लाख हैक्टेयर रकबा और जोड़ने के बारे में प्रस्तावित नहीं किया।

परिशिष्ट 'अ'

सूई सब ब्रान्च से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

क्र.स.	गांव का नाम
1.	हरीपुरा (गै.आ.)
2.	भाऊवाला
3.	रायपुरा
4.	जैतसीसर
5.	जेतासर
6.	कुसुमदेसर
7.	दलुसर
8.	मानापुरसर
9.	रोलासर
10.	तोलासर
11.	बनियासर
12.	रालुसर
13.	बजरंगसर
14.	दुलवासर
15.	जैतपुर
16.	धानकिया

1	2
17.	रासुदेसर
18.	लाडम
19.	खांडाला
20.	शेखसर
21.	सुई
22.	मिनखदेसर
23.	भावलदेसर
24	रेखाबेरासर (गै.आ.)
25.	पांडूसर
26.	ढाणी
27.	करणीसर
28.	भाभूवाली ढाणी
29.	बालवासिया

भीलवाड़ा के घास डिपो का वर्ष 2002-2003 के अकाल के दौरान का बकाया अनुदान

305. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत अकाल के समय जिला भीलवाड़ा में घास डिपो खोले गये थे ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के अकाल में उक्त जिले को घास डिपो पर कितनी सब्सिडी दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि घास डिपो या किसानों की सब्सिडी का भुगतान किया जाना अभी बकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामलाल)

(4) अब सरकार बकाया सब्सिडी कब तक देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत अकाल में भीलवाड़ा जिले में 594 घास डिपो खोले गये थे जिनकी सूचि परिशिष्ट "I" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2002-03 में भीलवाड़ा जिले के घास डिपों पर कुल 6,87,90,091 रुपये की सब्सीडी दी गई।

(3) 427 बिल्टियां मूल दस्तावेजों के अभाव में कार्बन प्रति होने, बाहर के जिले/राज्य के धर्मकांटे की पर्ची संलग्न न होकर भीलवाड़ा जिले की ही तौल पर्ची होने, देरी से प्रस्तुत करने आदि के कारणों से अस्वीकृति की गई। जिला कार्यालय स्तर पर 4 बिल्टियां भुगतान हेतु बकाया हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(4) विभाग द्वारा डिपो संचालन के संदर्भ में जारी विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 16.8.2002 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार दस्तावेजों के अभाव में सब्सीडी का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय परिसर में स्थित आवास

306. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य के लिए स्थाई आवास है ? यदि हां, तो पदस्थापित प्राचार्य एवं उप-प्राचार्यों ने कब से इनका उपयोग प्रारंभ किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? गत पांच वर्षों में इन आवासों का उपयोग किन प्राचार्यों एवं उप-प्राचार्यों ने किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भागीरथ चौधरी)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ने इन आवासों का उपयोग नहीं करके मकान किराया भत्ते का भुगतान प्राप्त किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरह उठाए गए किराए के भुगतान को सही मानती है ? यदि नहीं, तो गलत भुगतान की वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासों का प्राचार्य एवं उप-प्राचार्य द्वारा उपयोग नहीं करने की स्थिति में इन आवासों को अन्य अधिकारियों को आबंटित किया जा सकता है ? यदि हां, तो आबंटन हेतु सक्षम अधिकारी कौन है एवं आबंटन की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य एवं उपाचार्यों के लिये स्थाई आवास है। प्राचार्यों ने सन् 1968 से आवास का उपयोग प्रारम्भ किया तथा उपाचार्यों ने सन् 1987 से आवास का उपयोग प्रारम्भ किया। गत 5 वर्षों में कार्यरत प्राचार्यों की सूची परिशिष्ट-1 एवं उपाचार्यों की सूची परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। श्री टी.सी. जैन प्राचार्य को दिनांक 21.7.2003 से आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा नियमानुसार मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया था प्रति (परिशिष्ट-3) सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इससे पूर्व के प्राचार्यों एवं उपाचार्यों को मकान किराया भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया। चूंकि श्री जैन ने सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त विभागीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही नियमानुसार मकान किराया भत्ता लिया है। अतः इसमें कोई गलती प्रतीत नहीं होती है।

(3) जी हां। प्राचार्य आवास का आबंटन प्राचार्य की रिपोर्ट पर राज्य सरकार एवं आयुक्तालय कालेज शिक्षा के द्वारा किया जाता है। प्रार्थना-पत्र देता है उस पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाता है।

परिशिष्ट-1

गत पांच वर्षों में प्राचार्य आवास के उपयोग की सूची

वर्ष व दिनांक	उपयोगकर्ता का नाम	उपयोग नहीं करने का कारण
1.4.99 से 30.9.01 तक	श्रीमती विनोद गर्ग, प्राचार्य द्वारा आवास का उपयोग नहीं किया गया।	आवास आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण रहने लायक नहीं था।
1.10.02 से 30.4.02 तक	श्रीमती विनोद गर्ग, प्राचार्य द्वारा आवास का उपयोग किया गया।	आवास का उपयोग किया गया
1.5.02 से 15.10.02	आवास का उपयोग नहीं किया गया।	प्राचार्य का पद रिक्त होने के कारण
16.10.02 से 30.6.03 तक	श्री बी.एन. माथुर, प्राचार्य द्वारा आवास का उपयोग किया गया।	आवास का उपयोग किया गया
1.7.03 से 20.7.03	आवास का उपयोग नहीं किया गया।	प्राचार्य का पद रिक्त होने के कारण
21.7.03 से 31.10.03	आवास का उपयोग नहीं किया गया।	श्री टी.सी.जैन प्राचार्य का किशनगढ़ में स्वयं का आवास होने के कारण
1.11.03 से लगातार	श्रीमती ऊषा बारहठ, व्याख्याता द्वारा उपयोग किया जा रहा है ।	आवास का उपयोग किया जा रहा है

परिशिष्ट-2

गत पांच वर्षों में उपाचार्य आवास के उपयोग की सूची

वर्ष व दिनांक	उपयोगकर्ता का नाम।	उपयोग नहीं करने का कारण
1.4.99 से 14.10.99 तक	आवास का उपयोग नहीं किया गया।	श्री ए.के. बैजल, उपाचार्य ने उपयोग नहीं किया
15.10.99 से 18.7.2000 तक	29.2.2000 से 30.4.2000 तक श्री गुलझारी लाल व्याख्याता ने तथा 1.5.2000 से श्री निसार अहमद, व्याख्याता ने आवास का उपयोग किया एवं शेष अवधि में आवास रिक्त रहा।	उपाचार्य का पद रिक्त रहा
19.7.2000 से 16.10.2002	19.7.2000 से 5.3.2000 तक श्री निसार अहमद, व्याख्याता ने आवास का उपयोग किया एवं शेष अवधि में आवास रिक्त रहा।	श्रीमती लक्ष्मी तायल, उपाचार्य ने आवास का उपयोग नहीं किया
17.10.2002 से 24.7.03 तक	आवास रिक्त रहा।	श्री वी.के. टण्डन, उपाचार्य द्वारा आवास का उपयोग नहीं किया गया है
25.7.03 से 30.7.03 तक	आवास का उपयोग नहीं किया गया।	उपाचार्य का पद रिक्त रहा
31.7.03 से लगातार	श्रीमती चन्द्र प्रभा पारीक, व्याख्याता द्वारा उपयोग किया जा रहा है।	श्री नरोत्तम जयपाल, उपाचार्य के द्वारा आवास का उपयोग नहीं किया गया है

परिशिष्ट-3

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमाकं : एफ. 1 (159) (स्था/निकाशि/69/1267 दिनांक 21-5-2004

आदेश

निर्देशानुसार की ताराचन्द जैन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ को दिनांक 21.7.2003 से 31.10.2003 तक उनके मूल वेतन का साढ़े सात प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता आहरित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संयुक्त निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :

1. शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ।
3. श्री ताराचन्द जैन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ।

संयुक्त निदेशक

कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

कोटा सब्जी मण्डी का प्रस्तावित स्थानान्तरण

307. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा की सब्जी मण्डी को वर्तमान जगह से हटाकर नई धान मण्डी में स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितने वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि नई धान मण्डी में प्रशासनिक व्यवस्था डेढ़ साल से पूर्ण है मगर उसके बाद भी इस मण्डी को स्थानान्तरित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उक्त मण्डी को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह निर्णय लगभग 3 वर्ष 8 माह पूर्व लिया गया है।

(2) जी नहीं। नवीन आबंटन नीति विचाराधीन होने के कारण मण्डी को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका है। नयी आबंटन नीति के स्वीकृति उपरान्त आबंटन प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डी को स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

बाली में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सड़कें

308. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1999 से अब तक कुल कितनी लम्बाई की सड़कें कहां से कहां तक स्वीकृत/ प्रस्तावित है ?

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कौन-कौन सी सड़क का कार्य अपूर्ण या प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार अपूर्ण एवं प्रस्तावित सड़कों को पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में वर्ष 1999-2000 से अब तक 204.82 कि.मी. लम्बाई की सड़कें स्वीकृत हुई है। कहां से कहां तक का विवरण परिशिष्ट ''अ (1-3)'' में संलग्न है। वर्तमान में कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है।

(2) वर्ष 2003-04 से पूर्व के वर्षो में स्वीकृत सड़कों के कार्य पूर्ण हो गये है, जो संलग्न परिशिष्ट ''अ-1'' व ''अ-2'' के अनुसार है। जो सड़कें अपूर्ण है उनका विवरण परिशिष्ट ''ब'' में संलग्न है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट-'अ'/1

वर्ष 1999-2000 में कृषि उपज मण्डी समिति मद में बाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सडकों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वास्तविक व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
1	सम्पर्क सड़क माताजी का बाड़ा	2.80	20.26	16.22	कार्य पूर्ण
2	सम्पर्क सड़क बाली कागड़ी चामुन्डेरी मेडतियां	5.00	80.82	64.52	''
3	सम्पर्क सड़क चामुन्डेरी लुंदाडा से हिरोला	2.70	38.25	25.85	''
4	सम्पर्क सड़क दानवरली भीमाणा रोड से वेदी	4.43	63.61	45.76	''
5	सम्पर्क सड़क टोकरियां	1.50	18.51	12.31	''
6	सम्पर्क सड़क जूना बेडा	4.15	44.47	28.87	''
	योग	**20.58**	**265.92**	**193.53**	

वर्ष 2000-01 में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

वर्ष 2001-2002 में आर.यू.पी. प्रथम चरण में बाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सडकों की सूची

क्र.स.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वास्तविक व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
1	बीजापुरा गोरीयां सड़क 13/0 से 21/0 0/0 से 4/0	12.00	30.00	28.23	कार्यपूर्ण
2	मुन्डारा लाटाडा सड़क 0/0 से 6/0	6.00	15.00	13.86	''
3	कोट बालियांन से टीपरी 0/0 से 2/0	2.00	5.00	4.27	''
4	बाली लुणावा सड़क 0/0 से 6/0	6.00	15.00	12.78	''
5	बारवा पातावा सड़क 1/0 से 3/0	2.00	6.00	4.87	''
6	बीजापुर बिसलपुर सड़क 0/0 से 7/0 12/0 से 14/0	9.00	22.50	20.62	''
7	बोया से जवाई बांध 0/0 से 2/0 6/0 से 10/0, 12/0 से 14/0	8.00	20.00	19.97	''
8	चामुन्डेरी लुंदाडा 0/0 से 6/0	6.00	12.00	11.66	
9	चामुन्डेरी मालनू 0/0 से 3/0	3.00	9.50	8.97	''
	योग	**54.00**	**135.00**	**125.23**	

परिशिष्ट-'अ'/2

वर्ष 2002-2003 में आर.यू.पी. द्वितीय चरण में बाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.स.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई कि.मी.	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वास्तविक व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	दानवरली भीमाणा सड़क 4/0 से 6/0	2.00	5.00	4.08	कार्य पूर्ण
2	रानी मुण्डारा सड़क 14/0 से 18/0	4.00	10.00	7.85	"
3	जवाई बांध से बेडा सड़क 0/0 से 2/0	2.00	5.00	4.34	"
4	बाली सेवाडी सड़क 7/0 से 10/0	3.00	7.50	6.51	"
5	नाना रेल्वे स्टेशन से भमाणा सड़क 0/0 से 2/0 एवं 7/0 से 12/0	7.00	17.50	15.43	"
6	रानी खिमेल सड़क 6/0 से 14/0	8.00	20.00	16.14	"
7	फालना बेडल पेरवा सड़क 5/0 से 9/0	4.00	10.00	8.97	"
8	काम्बेश्वर महादेव 0/0 से 2/0	2.00	5.00	4.43	"

1	2	3	4	5	6
9	बाली से दातीवाडा सड़क 0/0 से 1/0 2/0 से 4/0	3.00	7.50	6.24	कार्य पूर्ण
10	बेडा सेंदला वाया कुमटीया सड़क 0/0 से 3/0	3.00	7.50	6.52	"
11	खुडाला से धणी सड़क 0/0 से 6/0	6.00	15.00	12.14	"
12	बाली से लालराई सड़क 0/0 से 4/0	4.00	10.00	8.70	"
13	जालौर साण्डेराव देसुरी सड़क 235/500 से 236/0	1.50	10.00	7.85	"
14	पाली पिण्डवाडा सड़क 82/0 से 85/0,89/0 से 92/0 (लाटाडा सेवाडी सड़क)	6.00	15.00	13.45	"
	योग	**55.50**	**145.00**	**122.65**	

परिशिष्ट-'अ'/3

वर्ष 2002-2003 में विशेष मरम्मत मद में बाली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सडकों की सूची

क्र.स.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वास्तविक व्यय मई 2004 तक (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	स.स. कुमटीयां से सैंदला	3.30	10.80	5.46	कार्य प्रगति पर
2.	स.स. बोया से बलवना 2/0 से 6/0 एवं 10/0 से 12/0	6.00	18.00	14.76	कार्य प्रगति पर
3.	स.स. बोया से बारवा	3.30	9.90	0.01	कार्य प्रगति पर
4.	स.स. बाली से दातीवाड़ा	2.24	1.12	-	कार्य प्रगति पर
5.	स.स. बारवा से पातावा 0/0 से 1/0	1.00	3.00	-	कार्य प्रगति पर
6.	स.स. खिमेल से वेनपुरा	3.50	8.75	-	कार्य प्रगति पर
7.	स.स. बाली से सेसली	3.30	11.21	0.03	कार्य प्रगति पर
8.	स.स. लाटाड़ा से लुणावा	3.00	9.00	2.34	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
9.	स.स. सेंवाड़ी से पीपला	2.65	10.00	4.66	कार्य प्रगति पर
10.	स.स. पादरला से गुड़ा गुमान सिंह	1.75	5.25	3.38	कार्य प्रगति पर
11.	स.स. कोट बालियान से टीपरी 2/0 से 4/0	2.00	5.00	1.66	कार्य प्रगति पर
12.	स.स. सैणा	3.00	9.00	4.58	कार्य प्रगति पर
13.	स.स. गुडालास	3.00	7.50	-	कार्य प्रगति पर
14.	स.स. चिमनपुरा	2.20	6.60	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
15.	स.स. मालनू से सिवेरा	5.00	15.00	0.02	कार्य शुरू नहीं हुआ
16.	स.स. दानवरली से कोयलबाब 0/0 से 4/0 एवं 6/0 से 11/500	9.50	28.50	0.02	कार्य शुरू नहीं हुआ
17.	स.स. वेलार से चामुण्डेरी	4.00	12.00	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
18.	स.स. मालनू 3/0 से 5/500	2.50	7.50	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
19.	स.स. मोरी बेड़ा से काम्बेश्वर महादेव 2/0 से 5/0	3.00	3.00	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
20.	स.स. भीमाणा से कोयलबाब	6.50	16.25	0.02	कार्य शुरू नहीं हुआ
21.	स.स. कागदड़ा	4.00	10.00	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
	योग	**74.74**	**207.38**	**36.94**	
	महयोग	**207.82**			

परिशिष्ट-'ब'

स्वीकृत सड़कें जो कि अब तक पूर्ण नहीं हो सकी

क्र.स.	सड़क का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	वास्तविक व्यय मई 2004 तक (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	स.स. कुमटीयां से सैंदला	3.30	10.80	5.46	कार्य प्रगति पर
2.	स.स. बोया से बलवना 2/0 से 6/0 एवं 10/0 से 12/0	6.00	18.00	14.76	कार्य प्रगति पर
3.	स.स. बोया से बारवा	3.30	9.90	0.01	कार्य प्रगति पर
4.	स.स. बाली से दातीवाड़ा	2.24	1.12	-	कार्य प्रगति पर
5.	स.स. बारवा से पातावा 0/0 से 1/0	1.00	3.00	-	कार्य प्रगति पर
6.	स.स. खिमेल से वेनपुरा	3.50	8.75	-	कार्य प्रगति पर
7.	स.स. बाली से सेसली	3.30	11.21	0.03	कार्य प्रगति पर
8.	स.स. लाटाड़ा से लुणावा	3.00	9.00	2.34	कार्य प्रगति पर
9.	स.स. सैंवाड़ी से पीपला	2.65	10.00	4.66	कार्य प्रगति पर
10.	स.स. पादरला से गुड़ा गुमान सिंह	1.75	5.25	3.38	कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6
11.	स.स. कोट बालियान से टीपरी 2/0 से 4/0	2.00	5.00	1.66	कार्य प्रगति पर
12.	स.स. सैणा	3.00	9.00	4.58	कार्य प्रगति पर
13.	स.स. गुडालास	3.00	7.50	-	कार्य प्रगति पर
14.	स.स. चिमनपुरा	2.20	6.60	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
15.	स.स. मालनू से सिवेरा	5.00	15.00	0.02	कार्य शुरू नहीं हुआ
16.	स.स. दानवरली से कोयलबाब 0/0 से 4/0 एवं 6/0 से 11/500	9.50	28.50	0.02	कार्य शुरू नहीं हुआ
17.	स.स. वेलार से चामुण्डेरी	4.00	12.00	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
18.	स.स. मालनू 3/0 से 5/500	2.50	7.50	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
19.	स.स. मोरी बेड़ा से काम्बेश्वर महादेव 2/0 से 5/0	3.00	3.00	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
20.	स.स. भीमाणा से कोयलबाब	6.50	16.25	0.02	कार्य शुरू नहीं हुआ
21.	स.स. कागदड़ा	4.00	10.00	-	कार्य शुरू नहीं हुआ
	योग	74.74	207.38	36.94	

गंगरार के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

309. **श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में के किस-किस स्तर के विद्यालय कहां-कहां कब-कब से संचालित है ? प्रत्येक में कौन-कौन से पद स्वीकृत व कौन-कौन से रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संस्कृत शिक्षा विभाग के 2 प्रवेशिका (माध्यमिक) स्तर के 2 उच्च प्राथमिक स्तर के, चार प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग मेंरिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3/2003-04 व 4/ 2003-04 विज्ञापित कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही थी, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा स्थगत आदेश जारी किये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्रक्रिया रूकी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय होने के पश्चात पद पूर्ति की जा सकेगी।

परिशिष्ट-'अ'

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संस्कृत शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तर के विद्यालयों की पदवार विवरण

क्र. स.	विद्यालय का नाम	कब से संचालित	प्रधानाध्यापक		व.अ. II ग्रेड		अध्यापक III ग्रेड		पी.टी.आई.		व.लि.		प.श्रे. कर्म.	
			स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1.	राज. प्रवे. संस्कृत विद्यालय, गंगरार	1996	1	-	5	1	1	1	1	-	1	-	2	-
2.	राज. प्रवे. संस्कृत विद्यालय, राशमी	1999	1	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-
3.	राज.उ.प्रा. संस्कृत वि., आरणी	1990	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-
4.	राज. उ. प्रा.संस्कृत वि., बस्सी	1984	-	-	1	-	5	2	-	-	-	-	-	-
5.	राज. प्रा.संस्कृत वि., गंगरार गांव	1990	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
6.	राज. प्रा. संस्कृत वि.,स्टेशन गंगरार	1989	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
7.	राज. प्रा. सं. वि., साडास	1989	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
8.	राज. प्रा. सं.वि., राशमी	1990	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 1 जुलाई,2004)

किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

35. **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अन्तर्गत कौन-कौन से न्यायालय स्थापित हैं और वर्तमान में इनमें कितने मुकदमें लम्बित है। ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में बढ़ती मुकदमों की संख्या को देखते हुए नया मुंसिफ न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) फुलेरा विधान सभा के अन्तर्गत सांभर लेक में न्यायालय स्थापित है व उसमें विचाराधीन मुकदमों की वर्तमान संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	कुल लम्बित मुकदमों की संख्या
1.	ऊपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांभर लेक	1465
2.	सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सांभरलेक	1496
3.	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,सांभरलेक	1297

(विधि मंत्री)

(2) किशनगढ़-रेनवाल जयपुर जिला में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रथम वर्ग के सृजन बाबत मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी के समक्ष वर्तमान में विचारणार्थ लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में विचारण किया जा सकेगा।

राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती

(दिनांक 1 जुलाई, 2004)

36. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिकों के कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं ? न्यायालयवार सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब तक सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा ही सम्पादित की जाती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया में बदलाव करने का विचार रखती है ?यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जिला न्यायालयों के स्थान पर उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा किये जाने बाबत कोई नियम या आदेश प्रसारित किये गये है ? यदि हां,तो सम्बन्धित नियमों/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों की जिला न्यायालयवार सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(विधि मंत्री)

उक्त पद राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायाधीशों द्वारा भरे जाने है।

(2) कनिष्ठ लिपिक एवं शीघ्रलिपिक की भर्ती सम्बन्धित न्याय क्षेत्र के जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा ही की जाती थी व की जाती है। भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य सरकार समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावी एवं एफिशिएंट बनाने के प्रयोजनार्थ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित परीक्षा प्रकोष्ठ प्रत्येक न्यायक्षेत्र में आयोजित परीक्षा प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा, किन्तु नियुक्ति सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही की जावेगी। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 11/स्था/अधीनस्थ न्यायालय//2004 दि.4.5.2004 एवं विज्ञप्ति संख्या 08/पी.आई./04 दिनांक 4.6.2004 की सूची परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

Statement of vacant posts of steno Graphers g.r. ii and lower Division clerks in subordinate courts for The year 2004

S.NO.	JUDGESHIP	Steno-Grapher Grade-II	L.D.C.
1	2	3	4
1.	Ajmer	01	04
2.	Alwar	Nil	03
3.	Banswara	01	03
4.	Balotra	01	Nil
5.	Bharatpur	02	05
6.	Bhilwara	Nil	Nil

1	2	3	4
7.	Bikaner	Nil	Nil
8.	Budni	Nil	Nil
9.	Baran	Nil	27
10.	Churu	Nil	04
11.	Dholpur	04	03
12.	Dungarpur	Nil	Nil
13.	Dausa	01	Nil
14.	Ganganagar	Nil	01
15.	Hanumangar	01	07
16.	Jaipur city	01	12
17.	Jaipur District	Nil	Nil
18.	Jalore	01	03
19.	Jhunhjunu	01	Nil
20.	Jhalawar	01	02 One post stay RHCB, Jaipur
21.	Jodhpur	02	07
22.	Jaisalmer	Nil	Nil
23.	Kota	Nil	05
24.	Merta	02	05
25.	Pali	01	02
26.	Pratapgarh	5+1=6	16 Out of 16 posts Write is pend ing for 09 posts in RHC, Jodhpur
27.	Rajsamand	03	14
28.	Sawai Madhopur	Nil	01
29.	Sikar	Nil	02
30.	Sirohi	Nil	10
31.	Tonk	Nil	Nil
32.	Udaipur	02	09
33.	Karauli	01	02

परिशिष्ट-'स'

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

ORDER

No. Esst .(S.C.) / 2004 Date :04.06.2004

In pursuance of Hon'ble Full Court Resolution dated 08.10.2003 a Recruitment /Examination Cell has been Established Henceforth at the Priencipal seat of the Rajasthan High Court,Jodhpur to Monitor the Examination Process/Recruiting Process so as to give effective and efficient shape to the System of recruitments to the posts of Ministerial staff under the Rajasthan Subordinate Court Ministerial Establishment Rules,1986. The Recruitment Cell Will monitor the whole of the examination Process up to finalization of selection. The Registrar (Rules) of the principal Seat at Jodhpur will of ficiate as of ficer on Special Duty (Examination) until a regular post is made available by the State Government with requisite staff. O.S.O. (Examination Cell), Will work under the Guidance of Hon'ble Committee comprising of hon'ble Justice N.N. Mathur and Hon'ble justice P.C. Tatia.

By Order

Sd/-

Registrar General

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

CIRCULAR

No. 08/P.I./2004 Date : 04/06/2004

Sub : Regarding Creation of Recruitment Cell for Subordinete Courts

I am directed to say that an Examination Cell has been established in the Rajasthan High Court at Jodhpur for conducting recruitment of the Ministerial Staff of the Subordinate Couts. The Officer on Special Duty (Examination) has been made the Incharge of the Cell, the Examination Cell will prepare examination calendar,set up question pap ers and will monitor the whole of the examination process up to finalization of selection etc.

For ensuring transparency and to exercise collective wisdom in recruitments to the post of Ministerial Staff Under the Rajasthan Subordinate Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 This court has pleased to constitute a Distrio Recruitment Committee for each District consisting of :-

1.	Principal District & Sessions Judge	Chairman
2.	senior Most Add District & Sessions Judge	member
3.	Chief Judicial Magistrate	member

To assist the Recruitment Committee,There will be a Recruitment Cell in each District Court Consisting of the following staff :-

(1) Upper Divisionj Clerk -1

(2) Lower Division Clerk -2

This Recruitment Cell Will Collect Information Continuously Regarding Vacancies arising out of Expansion Retirement, Promotion or Resignation. This Cell shall assist the Recruitment Committee of High Court and Process the Application form Received for the Post and short list them as per the Guidelines of the Redruitment Committee of High Court. The Cell shall be Provided with Adequate staff by concerned District and Sessions Judge Until the Regular Posts are Available by the State Government.

By Order

Sd/-

Registrar General

परिशिष्ट-1

प्रपत्र 'अ'

विधान सभा क्षेत्र बयाना में जीर्णशीर्ण बांध का नाम एवं वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान स्थिति एवं इस स्थिति में होने के कारणों का विवरण

क्र.स.	बांध का नाम	वर्तमान स्थित	कारण
1	बांगर्रा	जीर्णशीर्ण अवस्था में	क्र.स. 1 से 16 तक के बांध प्रत्येक वर्ष होने वाली वर्षा के कारण रेन कट्स होने से एवं मौसमी हवाओं के कारण निरन्तर क्षय होने से तथा वितिय संसाधनों की अत्यन्त कमी के कारण समुचित वार्षिक रख-रखाव न होने के कारण धीरे-धीरे जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गये।
2	भगोरा अपर	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
3	दमदमा	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
4	दहगांव	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
5	गुढाकर बांध	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
6	जैसोरा	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
7	कनावर ओल्ड	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
8	कनावर बंधली	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
9	कस्बा बयाना	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
10	खटनावली	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
11	न्यू कानी	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
12	शेरगढ़	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
13	सिंधरावली	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
14	धौर्य	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
15	बांसरई	जीर्णशीर्ण अवस्था में	
16	पूंठपुरा	जीणशीर्ण अवस्था में	

1	2	3	4
17	बैसोरा	वैस्ट वीयर टूटी हुई है	वर्ष 1995 एवं वर्ष 1996 में जिले में आई बाढ़ के कारण जिले के अधिकतर बांध टूट गये अथवा क्षतिग्रस्त हो गये।
18	भीमनगर	ब्रीच हुआ है	
19	इूडी	ब्रीच हुआ है	
20	गुढाकर बन्धली	ब्रीच हुआ है	
21	कैर	वेस्ट वीयर टुटी है	
22	कमल होज	ब्रीच हुआ है	
23	कनावर ओल्ड	ब्रीच हुआ है	
24	नंगला छीतरीया	ब्रीच हुआ है	
25	नंगला शेर सिंह	ब्रीच हुआ है	
26	ओल्ड कानी	ब्रीच हुआ है	
27	सामन्त गढ़	ब्रीच हुआ हुआ है	
28	परउआ	जुलाई 2004 में ब्रीच हो गया	

नोट: उक्त सभी 28 बांध वर्तमान में पंचायतों के अधीन है।

मांग संख्या-19 पर कटौती प्रस्तवा

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय,

श्री भरत सिंह (दीगोद)

1. लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

2. रामगढ़ (अलवर) में उप जिलाधीश निवास का निर्माण शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

3. रामगढ़ (अलवर) में विश्राम गृह निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

4. अलवर से भिवाडी वाया तिजारा देहली हाईवे रोड पर सार्वजनिक विश्राम गृह किशनगढ़ बास में बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

5. विभाग द्वारा सार्वजनिक भवनों की समय पर मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

6. विभाग द्वारा बार-बार डाक बंगले बेचे जाने की सूचना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

7. प्रदेश में विभाग के ठेकेदारों द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग करने व कार्य में विलम्ब करने से होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

8. नगर डाक बंगले में उपखण्ड अधिकारी द्वारा लगातार 5 माह तक बिना इन्द्राज किये बिना शुल्क दिये रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में कराये जा रहे कार्य तथा सांसद विकास कोष, विधायक कोष, मेवात विकास कार्य आदि में अत्यधिक समय लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)

10. विभाग द्वारा नावां एवं कुचामन खण्ड में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विभाग द्वारा कुचामन सिटी में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा नावां उपखण्ड मुख्यालय पर डाक बंगले का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विभाग द्वारा कुचामन सिटी में विभागीय विश्राम गृह निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विभाग द्वारा नावां तहसील में पशु चिकित्सालयों के भवन का विस्तार हेतु आबंटित राशि के उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

15. विभाग द्वारा धौलपुर जिले में जीर्ण-क्षीर्ण सरकारी भवनों की मरम्मत कराने तथा नये सरकारी भवन जो स्वीकृत है उनके निर्माण कार्य शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

16. धौलपुर जिले की ग्राम चितोरा की डिसपेन्सरी के नये भवन के निर्माण कार्य को पूरा नहीं करने से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा धौलपूर जिले के से पऊ तहसील मुख्यालय पर डाक बंगला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

18. लोक निर्माण विभाग द्वारा बनवाये जा रहे भवनों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

19. खण्डेला (जिला सीकर) में विभाग का डाक बंगला न होने से उत्पन स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

20. अलवर के सर्किट हाउस में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

21. बांदीकुई कस्बे में डाक बंगला/विश्राम गृह बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल अजमेर (पूर्व)

22. विभाग द्वारा अजमेर शहर में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपलब्ध मशीनों के उचित रख रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

23. आहोर में विभाग का विश्राम गृह बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)

24. देसूरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न सरकारी भवनों की चार दिवारी का निर्माण व भवनों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

25. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में 1996-97 में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के कार्य को पूर्ण कर चिकित्सा विभाग को सम्भलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

26. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित विभिन्न नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण एवं जीर्ण-क्षीर्ण भवनों की मरम्मत किये जाने पर चर्चा के लिये ।

27. विभाग द्वारा किशनगढ़ (अजमेर) स्थित डाक बंगले का नवीनीकरण एवं विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

28. डाक बंगला सुमेरपुर जिला- पाली में सुधार करने पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

29. विभाग द्वारा भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद)

30. धोद विधान सभा क्षेत्र में आर.यू.पी. प्रथम एवं आर.यू.पी. द्वितीय पुनिर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लगान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

31. विभाग द्वारा ग्राम गम्भीर तहसील नैनवां में स्थित सरकारी भवनों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा ग्राम जावरा जिला बून्दी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु आबंटित राशि खर्च करने के उपरान्त भी मौके पर भवन नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

33. विभाग द्वारा खैरथल (अलवर) में डाक बंगले का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा किशनगढ़ बास (अलवर) में डाक बंगले का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

35. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति परिसर में विश्राम गृह का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

36. सार्वजनिक निर्माण विभाग में गत वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

37. विभाग द्वारा बैराठ विधान सभा क्षेत्र के राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा के भवन की मरम्मत शिघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

मांग संख्या-21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-21, सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय,

श्री भरत सिंह (दिगोद)

1. प्रदेश में सड़कों एवं पुलों के निर्माण में व्यापक असन्तुलन पर चर्चा के लिये ।

2. विभाग द्वारा दीगोद विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

3. सड़कों के निर्माण व उनकी मरम्मत के कार्य में लोक निर्माण विभाग व कृषि विपणन विभाग में सामन्जस्य के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

4. अलवर जिले की रामगढ़–गोविन्दगढ़ सड़क पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. निर्वाचन क्षेत्र गोविन्दगढ़ सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़ की केसरोली–साहड़ोली–ऊंटवाल सम्पर्क सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

7. विभाग द्वारा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र रामगढ़- सीकरी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. विभाग द्वारा रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की बहादुरपुर रोड़ पर ग्राम दोहोली का बास में सीमेंट सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

9. विभाग द्वारा खैरथल विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ बास से वाया बीबी राणी से कोटकासिम रोड को सी.आर.एफ. मद में बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. विभाग द्वारा खैरथल विधान सभा क्षेत्र के किशनगढ़ बास कोटकासिम रोड़ से बीबी राणी वाया जलालपुर टपूकडा के बीच दाई का गांव की सड़क पर पुल का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

11. विभाग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र मुण्डावर की सड़कों का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा निवार्चन क्षेत्र मुण्डावर से हरसौली मार्ग पर यातायात का दबाव ज्यादा होने के कारण इसे सी.आर.एफ. से चौड़ा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

13. विभाग द्वारा सिरोही से आबूरोड़ सड़क में बारीघाटा को चौड़ा करने, सिरोही–माकरोडा–ईसरा-सरूपगंज तक सड़क निर्माण, सिरोही-कृष्णगंज सरूपगंज को बाईपास सड़क बनाने एवं शिवगंज- सुमेरपुर के मध्य जवाई नदी पर बने पुल को चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद)

14. विधान सभा क्षेत्र धोद से सावडी, धोद से बोसाना, सीकर टाटनवा आदि सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

15. विभाग द्वारा राज्य में सड़कें एवं पुल बनाये जाने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. विभाग द्वारा प्रदेश की अनेक ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ने से हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

17. विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

18. विभाग द्वारा भरतपुर जिले की सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुलियाओं के उचित रखरखाव नहीं करने से हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

19. विभाग द्वारा भरतपुर जिले की खासकर नगर, पहाड़ी, बैर, कांमा, डीग कुम्हेर तथा खेरली, कठूमर, तसई, (जिला अलवर) की सड़कों की दयनीय स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां)

20. विभाग द्वारा नावां (नागौर) व कुचामन नामक क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु आबंटित राशि के उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. विभाग द्वारा कुचामन, नावां एवं मीठडी का बाईपास निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विभाग द्वारा कुचामन, राजलिया, रेनवाल एवं चौमूं की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विभाग द्वारा नावां विधान सभा क्षेत्र के कुचामन, पाचवा, चीतावा कुकनवाली के आबादी क्षेत्र में सीमेन्ट की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विभाग द्वारा नावां निर्वाचन क्षेत्र के कुचामन, घाटवा, सड़क का सी.आर.एफ. में नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डोली)

25. धौलपुर शहर में ओडेला कोलारी सड़क पर ग्राम जिरौली के बास क्षतिग्रस्त सड़क पूरी तरह टूट जाने से हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

26. विभाग द्वारा धौलपुर जिले में ग्राम वरेहमोरी से पथरौला ग्राम तक की सड़क एवं ग्राम वरेहमोरी में करीब 100 मीटर तक सड़क की अधूरी मरम्मत तथा डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

27. विभाग द्वारा धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में डोरा विकास योजना से बनाई गई क्षतिग्रस्त मेटल सड़कों (डब्लू.वी.एम.) की मरम्मत एवं वांछित जगह पुलिया निर्माण कर डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

28. विभाग द्वारा ए.डी.एफ. योजना के तहत बनाई मई धौलपुर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तथा पुनः डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विभाग द्वारा धौलपुर में ओडेला-कोलारी सड़क पर पार्वती नदी पर ग्राम मालोनी खुर्द के पास पक्की पुलिया निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा धौलपुर जिले में विपरपुर से मानपुर अधूरी सड़क को पूरा करने तथा इस सड़क पर पार्वती नदी पर ग्राम ठेकुली के पास पक्की पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

31. विभाग द्वारा धौलपुर जिले के ग्राम पचगांव व आदर्श नगर तक की क्षतिग्रस्त सम्पर्क सड़कों की स्वीकृत मद से मरम्मत एवं पुनः डामरीकरण का कार्य पूरा नहीं कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा)

32. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के हड़मतिया से झड़स सड़क मिसिंग लिंक के कार्य में घटिया सामग्री लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

33. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीडौरा के गांव टान्डी नानी पी.एम.जी.वाई. सड़क पर घटिया सामग्री लगाने व ठीक से नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीडौरा के गांव गागड़ तलाई से झेर मिसिंग लींग पर कार्यरत मजदूरों को भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

35. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बागीडौरा के परसोलिया से गढी पी.एम.जी.वाई सड़क पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. एन.एस.गुर्जर (टोडारायसिंह)

36. टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की जीर्णक्षीर्ण स्थिति से उत्पन्न गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बगीडौरा)

37. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बागीडौरा से चौरडी तक सड़क टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

38. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम एवं नादौती की सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

39. विभाग द्वारा जोधपुर शहर में सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपूर)

40. विभाग द्वारा राजगढ़ (चूरू) में मिसिंग लिंक रोड का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

41. राजगढ़ (चूरू) में खराब सड़कों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

42. विभाग द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हिन्डौली विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सड़कें तत्काल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

43. विभाग द्वारा हिन्डौली से मेंडी मिसिंग लिंक रोड को बी.टी. करवाने एवं सड़क निर्माण की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. विभाग द्वारा हिन्डौली विधान सभा क्षेत्र में नाबार्ड के द्वारा बनाई गई 6 सड़कों को बी.टी. करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

45. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के निम्न गांवों एवं ढाणियों यथा-रोयल से मलिकपुर वाया खटुन्दरा, गोरीया, पूजारीका बास, लाख्मी मोड़ एनएच-11 से निमेड़ा वाया पावलड़ा की ढाणी, सूथलिया कासरड़ा, जाजोद, ज्यानकीपुरा का सड़क निर्माण न करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

46. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में निम्न गांवों में यथा-खटुन्दरा से जाजोद वाया सोला, झूंपा, गोबिन्दपुरा से बासड़ी खुर्द वाया हरजनपुरा, कावंट से हरजनपुरा वाया खातियों की ढाणी का सड़क निर्माण न करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

47. विभाग द्वारा धौलपुर जिले में डांग विकास योजना में स्वीकृत सड़क सरानीखेड़ा से केशरबाग तक की अधूरी सड़क तथा इसके क्षतिग्रस्त हो जाने एवं डामरीकरण नहीं करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

48. धौलपुर जिले में डांग विकास योजना के अन्तर्गत वीछिया (धौलपूर) से भीकापुरा तथा चोकीपुरा से वरैलापूरा- वदापुरा तक क्षतिग्रस्त मेटल सड़क डब्लू.बी.एम. सड़क की मरम्मत नहीं तथा उस सड़क का डामरीकरण नहीं करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

49. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में बनायी गई सम्पर्क सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसकी मरम्मत तथा पुन: डामरीकरण नहीं करने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

50. विभाग द्वारा नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र के ओडन से नाथद्वारा वाया रामबोला की सम्पर्क सड़क का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

51. विधान सभा क्षेत्र तारानगर में सड़कों एवं पुलों का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

52. विधान सभा क्षेत्र दूदू के पंचायत मुख्यालयों अखेपुरा, झटना, मौखमपुरा का डामरीकरण कराने तथा 1991 की आबादी 1000 से ज्यादा होने के फलस्वरूप गांव छापरवाड़ा को डामर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. विधान सभा क्षेत्र दूदू में दस वर्ष से ज्यादा समय से बनी सड़कों एवं दूदू के प्रमुख धार्मिक स्थल बन्दे के बालाजी व शाकम्भरी माता कोरसीना की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पुन: डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री बाबूलाल नागर)

54. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सी.आर.एफ. योजना के तहत अधूरी रही सड़क मौजमाबाद रोड़ से मालेडा तक स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

55. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का कार्य रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

56. विभाग द्वारा भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गूढ़ामालानी)

57. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रेगिस्तान क्षेत्र में 250 की आबादी तक के ग्रामों को सड़क से जोड़े जाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

58. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति शिव के ग्राम साजीतड़ा को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

59. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सिणधरी के ग्राम सियागो की ढाणी व मेयो का तला की आबादी 500 से अधिक होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

60. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति सिणधरी के ग्राम बुधरोणी हुडो की ढाणी की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति के बावजूद इस ग्राम की सीमा से गुजरने वाली मिसिंग लिंक सड़क द्वारा जुड़ा हुआ बताकर तकनिकी स्वीकृति नहीं करवाये जाने से इस ग्राम के मुख्यालय का सड़क से नहीं जुड़ पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गूढ़ामालानी)

61. विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में 500 से अधिक आबादी के ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने के प्रस्तावों में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

62. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बून्दी में अपूर्ण सड़कें एवं पुल के निर्माण कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

63. बांदीकुई से बडियाल सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

64. रेहडिया चांदेरा से नारायणी धाम तक मिसिंग लिंक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बांदीकुई से महवा वाया निहालपुरा, बालाहेड़ा, बालाहेड़ी पर बाण गंगा नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

66. बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र की मानपुर से खेड़ी व करणपुरा से पातरखेड़ा मिसिंग लिंक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-पूर्व)

67. अजमेर शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु पुल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)

68. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में विभाग द्वारा निर्मित टिब्बी से सागरिया एवं रावतसर से सुरतगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

69. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में हनुमानगढ़ से नोहर रोड़ वाया मुण्डा पर घग्घर नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसके नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवी शंकर भूतड़ा (ब्यावर)

70. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर शहर की सड़कों व शहर के मध्य निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने, मरम्मत कराने एवं नया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मुरारी लाल मीण (बांदीकुई)

71. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में, कस्बा बांदीकुई से होकर गुजरने वाली रेल लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-पूर्व)

72. अजमेर शहर स्थित विभाग की सड़कों का पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

73. विधान सभा क्षेत्र भीम जिला राजसमंद के मिसिंग लिंक अधूरी सड़कों को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

74 राज्य में जिला सड़कों को मानक स्तर के अनुसार विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. आहोर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लम्बित कार्यों को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

76. विभाग द्वारा आहोर की मुख्य सड़क चरली से तखतगढ़ तक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

77. चौमूं रा वीर हनुमानजी सामोद सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

78. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फागी तथा चाकसू में नई सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र फागी में, ग्रेवल रोड का डामरीकरण करने, मिसिंग लिंक रोड बनाने तथा मुख्य सड़कों पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

80. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में यातायात व्यवस्था सुधार हेतु ओवर ब्रिज व बाईपास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की सड़कों के पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमति लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)

83. देसूरी विधान सभा क्षेत्र में टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत करने एवं पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)

84. बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र जयपुर के वार्ड नम्बर 3 में आम्रपाली पथ को करणी पैलेस के दूसरी तरफ 70 कालोनीज को जोड़ने हेतु पुल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

85. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड नंम्बर 3 के 200 फीट बाईपास, गांधीपथ से लालनपुरा गांव तक जनहित में मुख्य सड़का का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

86. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क जयपुर के दुर्गापुरा, हसनपुरा पुलिया के अपूर्ण निर्माण को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)

87. केसरीसिंपुर मुख्यालय को जिला मुख्यालय श्री गंगानगर से जोड़ने वाली सड़क के 24 किलोमीटर में से क्षतिग्रस्त 3.5 किलोमीटर किं.मी. पूर्णतः क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिडावा)

88. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) की सनोरिया-बोलीया बुजर्ग, सलोतिया-दूबलिया, सिरपोई-हीरापुरा (तह.पचपहाड), धरोनिया-हिम्मतगढ़ मिसिंग लिंक रोड निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

89. बी.ओ.टी. रोड नाहरड़ी से चवली व रायपुर से मूंडला (झालावाड़) में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

90. विधान सभा क्षेत्र पिडावा (झालावाड़) में सुनेल में आहू नदी का पुल चौड़ा करने एवं पिड़ावा नदी पर रपट के स्थान पर पुलिया बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

91. विधान सभा क्षेत्र मकराना की अपूर्ण सड़कों को पूरी करने एवं लिंक रोड (बी.ओ.टी.)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

92. विधान सभा पीलीबंगा में थर्मल पावट स्टेशन से पल्लू, सुरजनसर, घग्घर डिफ्रेश्नों पर पुल निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

93. सुमेरपुर क्षेत्र (पाली) के पावा से गुडा इन्दरपुरा तक की 3 किलो-मीटर सड़क बनाने कील आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

94. सुमेरपुर क्षेत्र (पाली) की तख्तगढ से पादरली तक की ढाई किलोमीटर सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

95. जिला पाली के फालना औद्योगिक क्षेत्र से खिदारा गांव से पराखिया से जाखोड़ा तक की सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

96. पंचायत समिति पाली के ग्राम पादरला-गुदा प्रतापसिंह- सालेश्वर – पाली साकदड़ा से चाणोद तक के ग्राम की सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. पाली जिले के ग्राम बीठिया से रसियावास में तथा रसियावास जालोर जिले में मात्र 2 किलोमीटर तक की सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

98. विधान सभा क्षेत्र खारची में से गुजरने वाली फलोदी –भीलवाड़ा सड़क वाया जोधपुर, सरदार समन्द, जाडन, मारवाड-जक्शन, गुडामोकम सिंह, देवगढ को स्टेट हाईवे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

99. बिलाड़ा- देसूरी स्टेट हाइवे घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

100. विभाग द्वारा किशनगढ़ (अजमेर) में मार्बल एरिया चौराहा से रूपनगढ़ के अजमेर जिला सीमा तक सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) सखडीगेट से रूपगढ रोड आर.के. मार्बल तक सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

102. संवेदक की गारंटी समय में पी एम जी एल वाई में निर्मित सड़क एवं पालवास में टूटी हुई सड़कों का पूर्ण निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. सीकर जिले की खूड से नागोर सीमा तक सी.आर.एफ. में बनाई गयी सड़क में घटिया सामग्री के उपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

104. जैसलमेर के सिरवा (देवीकोट) से रामा तक सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. राजेबरा (शिव) बाड़मेर से केसूम्बला बायतु तक सड़क निर्माण कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के डिग्गडी (चेलक के पास) से खूहडी तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

107. बाड़मेर की शिव तहसील में समद के पार से धामा होकर सून्दरा तक सड़क निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

108. जैसलमेर जिले के कोठा (देवड) से वाया तोगा हरमा से कपूरिया तक सड़क निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

109. नैनवां से बिजलवा- उग्गेन होकर बून्दी जिला सीमा तक मिसिंग लिंक सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. ग्राम रामगंज एवं नीमखेड़ा (तह.नैनवा) को सम्पर्क सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

111. ग्राम पंचायत मुख्यालय कालानला, भम्भोरी जिला बून्दी को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

112. ग्राम भजनेरी वि.स. क्षेत्र नैनवां के समीप मुख्य सड़क पर पुलिया निर्माण के अभाव में आम जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये ।

113. खटकड़ से जावरा मार्ग के बीच स्थित झरनिया नाले पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

114. जालोर से सिणधरी वाया माण्डवला-सायला सड़क का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

115. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पुलिया निर्माण व पक्की सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

116. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

117. अलवर जिले की किशनगढ़ बास से कोटका सिम में बी.ओ.टी.रोड को सी.आर.एफ. योजना द्वारा निर्माण एवं सड़क चौड़ा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. अलवर मुसाखेड़ा रोड से न्याणा गांव चालू-रावला बिडरका-आधा का मानोठी गांव तक सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. तिजारा अलवर रोड़ पर ग्राम घासोली गांव तक सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी)

120. थानागाजी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सीली बावड़ी से गुवाड़ा रामजी के लिये नाबार्ड द्वारा प्रायोजित मिसिंग लिंकरोड़ का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में गुढा चुराणी से अजबगढ़ तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में झीरी से आंधी वाया कालेड़ क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के तालामोड़ से थानागाजी तक पूर्णत: क्षतिग्रस्त सड़क के पुन: निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के अंगारी से झीरी तक मिसिंग लिंक रोड़ का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीण (बस्सी)

125. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पंचायत मुख्यालय अवस्थित मुख्य रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. बस्सी विधान सभा क्षेत्र जयपुर चाकसू गरूडवासी के मध्य ढूंढ नदी पर रपट बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. बस्सी विधान सभा क्षेत्र के एन.एच. 11 बांसखो फाटक से नईकानाथ वाया बांसखो सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने से आने-जाने वाले यात्रियों को हो रही समस्या पर चर्चा के लिये।

128. बस्सी क्षेत्र के नई का नाथ रोड से लवाण वाया भूड़ला की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. लवाण से चाकसू वाया तूंगा कोटखावदा की क्षतिग्रस्त सड़का का पुनः डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

130. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में बाराकड़ा से जाड़ा पीपला की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में जड़ा से मामेर वाया कोटड़ा सड़क की मरम्मत एवं पेचवर्क कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में ओगणा से पानखा तक अपूर्ण डब्लू बी एम सड़क का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर की झाडोल से फालासिया तक की क्षतिग्रस्त सड़क की चौड़ाई बढ़ाते हुए पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

134. विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के गुराड़ व पानखा के बीच बाकल नदी के बहाव पर पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

135. विधान सभा क्षेत्र बाली जिला पाली की मुख्य सड़क, बाली से पिण्डवाड़ा तक की सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र बाली के आदिवासी क्षेत्र के 500 से भी अधिक की आबादी के गांवों में अभी तक सड़क नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. बाली विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक रोड का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. बाली विधान सभा क्षेत्र में लुणावा से सादड़ी मार्ग पर मीठड़ी नदी पर पुल निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. बाली विधान सभा क्षेत्र जिला पाली में ग्राम सेसली से लूणावा सड़क पर मीठड़ी नदी के बहाव पर पुल निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)

140. अलवर जिले की तहसील तिजारा एवं कोटकासिम की सड़कों की मरम्मत, डामरीकरण एवं नई सड़कों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. अलवर जिले की तहसील तिजारा में तिजारा से जैरोली सड़क, टपुकड़ा से झीवाना सड़क एवं ग्वालदा मोड़ से ग्वालदा सड़क के नालों पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

142. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में शाहपुरा से रामपुरा- छापुड़ा की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

143. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के शाहपुरा कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग के तल को ऊंचा उठाने से कस्बे की पानी की निकासी अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में चोमू- अजीतगढ़ मार्ग पर अमरसर मोड़ से अमरसर कस्बे तक व अमरसर कस्बे में सड़क निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरत राजोरिया (फुलेरा)

145. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सी.आर.एफ. नाबार्ड अन्य योजनाओं में पर्याप्त कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

146. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में रेनवाल से खाटूश्याम जी (वाया रामपुरा पचार), प्रतापपुरा से खण्डेल व चिरनोटिया से हिंगोनिया तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में राज्य मार्ग एवं अन्य सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

148. ग्राम-डिंस, प.स. बहरोड़, जिला अलवर की आबादी 1500 से भी अधिक होने के बावजूद अभी तक इस सड़क को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महीपाल सिंह यादव)

149. स्टेट हाइवे बहरोड़ पुराने स्टैण्ड से करोडा (साबीपुल तक) की क्षतिग्रस्त सड़क के दुरुस्त न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

150. बानसूर विधान सभा क्षेत्र के कस्बा बानसूर एवं बर्डोद में क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. बानसूर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को विशेष मरम्मत के अन्तर्गत ठीक कराने की स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सी.आर.एफ. के पूराने सड़क कार्य को पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कार्यवाही वृत्तान्त की सदस्य-सूची
दिनांक : 20/7/2004

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-बयाना के क्षतिग्रस्त बांध/एनीकट्स 8

श्री अध्यक्ष

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

-अब्दुल गफूर पूर्व मुख्य मंत्री बिहार 40

-जेठमल आर्य पूर्व सदस्य 41

तमिलनाडू के कुंभकोणम शहर के विद्यालय में हुए अग्निकाण्ड में मारे गये बच्चों के निधन पर 41

स्थगन प्रस्ताव

-राज्य में अकाल राहत कार्य शुरू कराने के संबंध में । 44

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-अजमेर के निजी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सम्बद्धता 378

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 183

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 183

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा), राज्य मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

कारागार

-कारागार कर्मियों के नवीन पदों का सृजन 30

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधि एवं न्याय

-न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति 391

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-गंगरार के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद 415

तारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-गंगरार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के पदों की स्वीकृति 335

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-रानीवाड़ा में वृक्षारोपण पर व्यय 321

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-अकृषि जिन्सों पर मण्डी शुल्क 317

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

अनुदान की मांग

विचार

लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 244

सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 244

तारांकित प्रश्नोत्तर
वन
कालू लाम्बिया वन क्षेत्र (पाली) में अंग्रेजी बबूल उन्मूलन ठेके में अनियमितताएं 33

श्री उपाध्यक्ष
अनुदान की मांग
पारण
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 का पारण 301
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 का पारण 301

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)
तारांकित प्रश्नोत्तर
सिंचाई
-अन्तर्राज्यीय जल-विवाद 329

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
बीकानेर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अतिरिक्त सीट आबंटन के नाम पर राशि वसूली 48

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
उद्योग
-औद्योगिक क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना 339

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी
-बस्सी हेतु दीर्घकालीन पेयजल योजना 345
अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 221
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 221

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-जयपुर शहर के खराब पानी के मीटरों से राजस्व हानि 346

डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-केरोसिन वितरण में कालाबाजारी 13

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-नदबई कस्बे में रेल फाटक के कारण यातायात की समस्या 56

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 199

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 199

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री

सूचना

-उदयपुर में पैरा टीचर्स की रैली पर लाठी चार्ज 285

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

खैरथल (अलवर) में प्रस्तावित महाविद्यालय 25

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-चूरू-बिसाऊ पेयजल योजनान्तर्गत लाभान्वित क्षेत्र 347

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-तारानगर में पेयजल की किल्लत 70

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 88

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 88

तारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-खैरथल (अलवर) में प्रस्तावित महाविद्यालय 24

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-खैरथल (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय 50

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 95

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 95

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 222

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 222

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कारागार

-जेलों में बंद कैदियों को उपलब्ध सुविधाएं 364

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 195

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 195

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 105

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 105

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्रम एवं नियोजन

गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ठेके पर उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों का शोषण 331

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 265

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 265

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-खेतड़ी में स्वीकृत वन विकास कार्य 369

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 266
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 266

तारांकित प्रश्नोत्तर
अकाल एवं सहायता
-खेतड़ी क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएं 319

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 170
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 170

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे
-ब्यावर नगर परिषद में भ्रष्टाचार 63

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 172
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 172

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 232
सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 232

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

ऊन एवं सिरेमिक उद्योग के विकास हेतु बीकानेर में स्पेशल इकोनोमिक जोन 1

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-घाटोल तहसील (बांसवाड़ा) की वन क्षेत्र की भूमि पर काबिज काश्तकार 365

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-भूंगड़ा कैनाल (बांसवाड़ा) से सिंचाई 313

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधि एवं न्याय

-किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना 417

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-रूपवास की वन भूमि में खनन कार्य 349

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

भरतपुर एवं करौली जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण 337

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-बाली में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सड़कें 406

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 241

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 241

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबडा), राज्य मंत्री

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-अजमेर व पुष्कर में ए.डी.बी. के विकास कार्यों की धीमी चाल 68

-ब्यावर नगर परिषद में भ्रष्टाचार 65

श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-झुंझुनूं के ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध संकलन 397

श्री प्रभुलाल सैनी (उनियारा), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-कृषि उपज मंडी चौमूं का स्थानान्तरण 11

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

बारां जिला परिषद् में योग्य नेत्र विकलांग अध्यापकों को नियुक्ति 377

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 246

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 246

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 204

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 204

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-टोड़ाभीम पुलिस थाने में दर्ज अपहरण प्रकरण 311

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 268

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 268

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 99

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 99

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

धौलपुर में खनिज अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार द्वारा रवन्ना से अधिक शुल्क वसूली 49

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 273

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 273

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

फलासिया के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय के विशेषज्ञ अध्यापकों का पदस्थापन 57

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 132

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 132

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

कालू लाम्बिया वन क्षेत्र (पाली) में अंग्रेजी बबूल उन्मूलन ठेके में अनियमितताएं 32

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-बनीपार्क में जन सहभागिता योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था 342

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 91

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 91

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर परिसर स्थित श्री रामचन्द्रजी मन्दिर की परिसम्पत्तियों पर अधिकार का प्रकरण 56

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष

बहिर्गमन

-कांग्रेस पार्टी द्वारा बहिर्गमन 287

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

ऊन एवं सिरेमिक उद्योग के विकास हेतु बीकानेर में स्पेशल इकोनोमिक जोन 1

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-राज्य में नमक उत्पादन हेतु भू-जल दोहन 340

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 140

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 140

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-मकराना में मार्बल स्लरी से प्रदूषण 52

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

-साहवा लिफ्ट की सूई ब्रांच से लाभान्वित सिंचित क्षेत्र 398

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति 386

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-फतेहपुर (सीकर) के ग्राम बाढ़ोद में पेयजल समस्या 55

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-कोटा सब्जी मण्डी का प्रस्तावित स्थानान्तरण 405

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 180

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 180

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय परिसर में स्थित आवास 401

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 129

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 129

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-लालगढ़ ग्राम (चूरू) की पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था 345

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 164

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 164

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

कालू लाम्बिया वन क्षेत्र (पाली) में अंग्रेजी बबूल उन्मूलन ठेके में अनियमितताएं 31

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

सदन की कार्यवाही

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 163

-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि 211

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 111

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 111

तारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च शिक्षा

-खैरथल (अलवर) में प्रस्तावित महाविद्यालय 26

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

गोगुन्दा में नई पुलिस चौकियों की स्थापना 364

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 210

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 210

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 122

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 122

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 274

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 274

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-सराड़ा के तालाबों की जलापूर्ति 394

तारांकित प्रश्नोत्तर

उद्योग

-होटल व्यवसाय को औद्योगिक इकाई का दर्जा 302

श्री रमेश खींची (कठूमर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

राजकीय माध्यमिक विद्यालय डेरा (अलवर) के मृत कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति 389

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 236

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 236

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

अनुदान की मांग

प्रस्तुति

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 की प्रस्तुति 72

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 की प्रस्तुति 72

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 275

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 275

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधि एवं न्याय

उच्च न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट 393

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-बांसवाड़ा के उप निरीक्षक द्वारा पुलिस उच्चाधिकारियों के विरूद्ध आरोप 349

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर बैकलाग की पूर्ति 390

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 78

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 78

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि

-कृषि बीमा योजना में सम्मिलित क्षेत्र 331

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 192

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 192

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-जयपुर, अजमेर व टोंक के बन्द खनन क्षेत्र 348

श्री रामलाल (बनेड़ा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

भीलवाड़ा जिले के घास डिपो का वर्ष 2002-2003 के अकाल के दौरान का बकाया अनुदान 400

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-चौमूं (जयपुर) में वर्ष 1998 में घटित सड़क दुर्घटना प्रकरण 357

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 126
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 126

तारांकित प्रश्नोत्तर
कृषि विपणन
-कृषि उपज मंडी चौमूं का स्थानान्तरण 11

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

तारांकित प्रश्नोत्तर
शिक्षा
-राजीव गांधी पाठशालाओं का क्रमोन्नयन 310

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
-बैराठ में राशन डीलरों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें 374

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 187
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 187

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 103
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 103

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
-देसूरी में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय 51

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

वन

कालू लाम्बिया वन क्षेत्र (पाली) में अंग्रेजी बबूल उन्मूलन ठेके में अनियमितताएं 32

श्री विजय बंसल (भरतपुर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 272

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 272

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 223

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 223

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-ईन्टाला ग्राम पंचायत (उदयपुर) के विद्यालयों में रिक्त पद 379

तारांकित प्रश्नोत्तर

डेयरी एवं पशुपालन

-उदयपुर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद 303

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

-जहाजपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना 303

श्री श्रवणकुमार (पिलानी)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 156

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 156

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-अजमेर व पुष्कर में ए.डी.बी. के विकास कार्यों की धीमी चाल 66

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

शिक्षा

-सिरोही के विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति 382

तारांकित प्रश्नोत्तर

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

-केरोसिन वितरण में कालाबाजारी 12

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फसल खरीद की अनुमति 59

सूचना

-उदयपुर में पैरा टीचर्स की रैली पर लाठी चार्ज 281

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस थानों के आधुनिकीकरण हेतु आबंटित सामग्री 356

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

सिंचाई

-बयाना के क्षतिग्रस्त बांध/एनीकट्स 8

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 248

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 248

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 149

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 149

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटपूतली के राजकीय चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, हार्ट सर्जरी एवं ब्लड बैंक की सुविधा 57

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 144

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 144

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अधिकारियों का पुलिस विभाग में थानों में पदस्थापन 358

तारांकित प्रश्नोत्तर
खनिज
-करौली में अवैध खनन 338

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 151
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 151

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर की भूमि पर वन विभाग का दावा 53

श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर (महुआ)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख
-महुआ पंचायत समिति (दौसा) के बी.पी.एल. चयनित परिवारों को अनुदान 54

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 225
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 225
तारांकित प्रश्नोत्तर
वन
-प्रदूषण नियंत्रण हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण 312

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर
गृह
सरकार द्वारा दुर्घटना पीड़ितों को देय सहायता 350

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 73
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 73

श्री हरीसिंह रावत (भीम)
अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 212
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 212

श्री हीरालाल (निवाई)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का वितरण 376
विधि एवं न्याय
राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में शीघ्रलिपिक व कनिष्ठ लिपिक के पदों पर भर्ती 418

अनुदान की मांग
विचार
-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 238
-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 238
तारांकित प्रश्नोत्तर
कारागार
-कारागार कर्मियों के नवीन पदों का सृजन 28

श्री हीरालाल (बामनवास)
अतारांकित प्रश्नोत्तर
कृषि
बौंली तहसील (सवाईमाधोपुर) में पोण्ड्स (वाटर टैंक) योजनान्तर्गत अनुदान 374

तारांकित प्रश्नोत्तर

संस्कृत शिक्षा

-वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय के प्राचार्यों को निर्धारित वेतन भुगतान 319

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-उप अधीक्षक पुलिस शाहबाद के विरूद्ध दायर इस्तगासे पर कार्यवाही 320

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

अनुदान की मांग

विचार

-लोक निर्माण, मांग संख्या 19 पर विचार 262

-सड़कें एवं पुल, मांग संख्या 21 पर विचार 262